दशम माला, खंड 16, अंक 4

शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1992
.914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खंड 16 में अंक 1 से 10 तक है)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मि-
हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाए.

विषय-सूची

दशम माला, खंड 16, पांचवां सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 4, शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1992/6 अग्रहायण, 1914 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	... ...	1—30
*तारांकित प्रश्न संख्या : 61, 63, 66, 67, 70, 71, 74, और 75		
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	... ...	30—253
तारांकित प्रश्न संख्या : 64, 65, 68, 69, 72, 73, और 76 से 80		
अतारांकित प्रश्न संख्या : 692 से 724, 726, 728 से 790, 792 से 800 और 802 से 920		
विशेषाधिकार का प्रश्न	... ...	253—265
सरकार द्वारा प्रतिभूति घोटाले के बारे में संयुक्त संसदीय समिति को दी गई जानकारी को कथित रूप से सेंसर किया जाना		
असम सरकार द्वारा विधिवत् निर्वाचित स्वायत्तशासी करबियांगलोंग जिला परिषद को भंग किए जाने के बारे में	... ...	265—275
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	...	275
अध्ययन दौरों के बारे में प्रतिवेदन—सभापटल पर रखे गए		
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत ठेका श्रमिकों की समस्याओं के बारे में याचिका	... ...	275
द्वारा वक्तव्य	... ...	276—279
दूरदर्शन कर्मचारियों के आंदोलन के कारण संचार माध्यमों के कार्य में आई बाधा से उत्पन्न स्थिति तथा सम्बद्ध मामलों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय		
श्री अजित पांजा	...	276—279

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सभा का कार्य	279—281
वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	281—282
वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन, अध्यादेश द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला व्याख्यात्मक विवरण—सभा पटल पर रखा गया	28
सभा पटल पर रखे गए पत्र	282—282
नियम 193 के अधीन चर्चा	289—310
उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि तथा गेहूं के आयात के कारण कृषि तथा किसानों के हितों को प्रभावित करने वाली स्थिति	
श्री बलराम जाखड़	289—308
विधेयक पुरःस्थापित	310
(एक) उड़ीसा राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक	
श्री अर्जुन चरण सेठी	310—311
(दो) जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण विधेयक	
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	311
(तीन) विशेष शैक्षणिक सुविधा (गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे माता-पिता के बच्चों के लिए) विधेयक	
श्री डी० वेंकटेश्वर राव	311—312
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 356 और 357 का लोप)	
श्री डी० वेंकटेश्वर राव	312
(पांच) मद्य-निषेध विधेयक	
श्री डी० वेंकटेश्वर राव	312
(छः) युवा कल्याण विधेयक	
श्री डी० वेंकटेश्वर राव	313
(सात) हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक (धारा 5 आदि में संशोधन)	
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	313
(आठ) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (रायपुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक	
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	314

(नौ) महिलाओं के लिए (सरकारी सेवाओं में) पदों का आरक्षण विधेयक

श्रीमती भावना चिखलिया 314

(दस) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन विधेयक)
(धारा 5 में संशोधन)
श्री सैयद शाहाबुद्दीन 315

(ग्यारह) विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक
(धारा 9 में संशोधन)
श्री सैयद शाहाबुद्दीन 315

(बारह) वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर भारतीय भाषाओं का उपयोग विधेयक

डा० लाल बहादुर रावल ... ... 315—316

(तेरह) संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक
(धारा 3 में संशोधन)
श्री पवन कुमार बंसल 316

(चौदह) दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक
(धारा 125 आदि के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन)
श्रीमती सुशीला गोपालन 316

(पंद्रह) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक
(धारा 8 आदि में संशोधन)
श्री सैयद शाहाबुद्दीन 317

(सोलह) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक
(धारा 2 में संशोधन)
श्री सैयद शाहाबुद्दीन 317

(सत्रह) प्रति छात्र प्रवेशार्थ शुल्क प्रतिषेध विधेयक
श्री चित्त बसु 318

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक ... ...
(अनुसूची में संशोधन)
श्री भगवान शंकर रावत 318

विषय | | | | पृष्ठ

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री रमेश चेन्नितला ... ... 318—319

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय ... ... 320—321

श्री नीतीश कुमार ... ... 321—322

श्री पीटर जी० मरबनिआंग ... ... 322—323

श्री तेजनारायण सिंह ... ... 223—224

श्री दत्तात्रेय बंडारू ... ... 324—225

श्री मुमताज अंसारी ... ... 325—326

श्री गोपीनाथ गजपति ... ... 327—328

श्री ए० चार्ल्स ... ... 328—329

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ 330

श्री बसुदेव आचार्य ... ... 330—331

श्री वी० एस० विजयराघवन ... ... 331—332

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ... ... 332—333

श्री रामचन्द्र वीरप्पा ... ... 333—334

श्री कोडीकुन्नील सुरेश ... ... 334—335

श्री द्वारका नाथ दास 335

श्री विलास मुत्तेमवार ... ... 335—336

श्रीमती के० कमला कुमारी ... ... ·336—337

श्री भगवान शंकर रावत ... ... 338—340

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक (विधेयक के पूरे नाम के स्थान पर विधेयक के पूरे नए नाम का प्रतिस्थापन आदि) ... ... 340—350

श्री बसुदेव आचार्य 340

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बसुदेव आचार्य ... ... 340—350

लोक सभा

शुक्रवार, 27 नवम्बर, 1992/6 अग्रहायण, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भुगतान संतुलन की स्थिति

[अनुवाद]

*61. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश की भुगतान संतुलन स्थिति में सुधार होने की कोई सम्भावना नहीं है, जैसा कि 8 सितम्बर, 1992 के "इकानामिक टाइम्स" में छपा है ;

(ख) क्या 1992-93 के दौरान चालू खाता घाटा पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक होने की सम्भावना है ;

(ग) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(घ) भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार लाने तथा चालू खाता घाटे को कम करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 1991-92 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि "विभिन्न अनिश्चितताओं के रहते हुए वर्ष 1992-93 में भुगतान संतुलन के समग्र निष्पादन के सम्बन्ध में पूर्वानुमान करना कुछ कठिन है।" इससे आगे रिपोर्ट में यह कहा गया है कि "वर्तमान प्रवृत्तियों के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि देश के भुगतान संतुलन पर दबाव बना रहेगा जिसमें 6 से 7 अरब अमेरिकी डालर का चालू लेखा घाटा होगा।"

(ख) जी, हां।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा अनुमानित 1992-93 का 6 से 7 अरब डालर का

चालू लेखा घाटा वर्ष 1991-92 के दौरान अनुमानित लगभग 3 डालर के चालू वित्त घाटे से अधिक होगा जिसके मुख्य कारण होंगे : (क) आयातों में भारी संकुचन के परिणामस्वरूप वर्ष 1991-92 के घाटे का निम्न स्तर होना, (ख) वर्ष 1992-93 के दौरान आयातों को प्रतिबन्धों से मुक्त करने और निर्यात संवर्धन के लिए किए गए विभिन्न अन्य व्यापार संबंधी सुधारात्मक उपायों के कारण आयातों में वृद्धि होगी, और (ग) भूतपूर्व सोवियत संघ के साथ व्यापार में लगातार अनिश्चितताओं के कारण और विश्व व्यापार में मन्दी के परिदृश्य के कारण निर्यातों की वृद्धि में कमी होगी।

(घ) भुगतान संतुलन में सुधार करने और वर्तमान लेखा घाटे को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों में उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्धन की नई पद्धति का कारगर कार्यान्वयन, उदारीकृत व्यापार नीति प्रणाली, वित्तीय विवेक के अनुरूप द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, दोनों स्रोतों से बढ़ा हुआ पूंजी अन्तर्प्रवाह और सीधे विदेशी निवेश को आकर्षित करना शामिल हैं।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि वर्तमान वर्ष अर्थात् 1992-93 में 6 से 7 बिलियन अमरीकी डालर के चालू लेखा घाटा होने के कारण भुगतान संतुलन पर दबाव बना रहेगा। ऐसा बताया गया है कि 1991-92 में यह बहुत कम अर्थात् 3 बिलियन अमरिकी डालर था और यह 1991-92 के दौरान आयात में कटौती करने संबंधी नीति अपनाने के कारण संभव हो पाया। वर्तमान स्थिति आशानुरूप नहीं चल रही है।

इस सन्दर्भ में, मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि जब नई नीतियां-आर्थिक नीति, व्यापार नीति और दूसरी नीतियां लागू की जा रही हैं तो यहां इस बात का ध्यान रखा जाए कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद औद्योगिक विकास दर, कृषि उत्पादन, जीवन स्तर, रोजगार सृजन आदि कतिपय तथ्यों को सुनिश्चित करके उनके कार्य निष्पादन या इन नीतियों की सफलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। यदि आप सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना पिछले वर्षों से करें, यह पिछले 5-6 प्रतिशत की तुलना में 2 प्रतिशत ही बैठती है। यदि आप औद्योगिक उत्पादन को देखें तो यह गिरकर चार प्रतिशत तक आ गया है। रोजगार सृजन में भी ठहराव आ गया है, जहां तक जीवन स्तर का सम्बन्ध है, मुद्रास्फीति की दर ऊँची हो गई है। क्या इन नीतियों के कार्यान्वयन में कोई खामियां हैं ?

उत्तर में भी उन्होंने कहा था कि स्थिति को सुधारने के लिए वही नीतियां लागू की जा रही हैं। अतः मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या इन नीतियों के कार्यान्वयन में कोई खामियां हैं ? जब हम कार्यव्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं और परिणाम देखते हैं तो पाते हैं कि हतोत्साहित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जिनका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न भुगतान संतुलन के बारे में है। परन्तु मुझे उन्हें उत्तर देने में प्रसन्नता होगी।

यदि नई नीतियों का परीक्षण ही परिणाम है तो मेरे विचार में पिछले 16 महीनों में हमारी आर्थिक स्थिति में आए व्यापक सुधार के पर्याप्त सबूत हैं।

हमारे मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। हमारी विकास दर जो कि पिछले वर्ष दो प्रतिशत से कम थी, इस वर्ष न्यूनतम विकास दर 3.5 प्रतिशत होगी। मुद्रास्फीति दर पिछले वर्ष 17 प्रतिशत थी।

इस वर्ष यह नौ प्रतिशत से कम है। इस प्रकार समूची आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है और वह सुधरती रहेगी।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : भुगतान संतुलन के बारे में वह ठीक से नहीं बताते कि वह इसे किस प्रकार से ठीक करेंगे। पिछले वर्ष के लगभग तीन बिलियन अमरीकी डालर के चालू लेखा घाटे की तुलना में इस वर्ष वह घाटा छह से सात बिलियन डालर होने की संभावना है। क्या कृपया आप मुझे इसका उत्तर देंगे ?

श्री मनमोहन सिंह : पिछले वर्ष चालू लेखा कोष में भुगतान संतुलन में गिरावट आयात में भारी कटौती के कारण आयी आयात में इस कटौती के कारण औद्योगिक उत्पादन स्थिर हो गया, कीमतें बढ़ गईं। अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। हम इस व्यवस्था को जारी नहीं रख सके। इसलिए हमने सोच विचार कर आयात बढ़ाने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। इस वर्ष भुगतान संतुलन घाटा, पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होगा। परन्तु इसके लिए योजनागत चलना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम आयात में वृद्धि की अनुमति नहीं देते तो अर्थव्यवस्था विकास उत्पादन और मुद्रास्फीति सब पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमने ऐसे सभी तात्कालिक उपाय कर लिए हैं ताकि इस वर्ष और अगले वर्ष भुगतान संतुलन की स्थिति और अधिक खराब न होने पाए।

श्री राम कापसे : माननीय महोदय, वक्तव्य के दूसरे पृष्ठ पर सोवियत संघ का संदर्भ दिया गया है। मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तत्कालीन सोवियत संघ के साथ व्यापार संबंधी अनिश्चितताओं के कारण और विश्व व्यापार के गिरते हुए स्तर को देखते हुए हमारा निर्यात गिर जाएगा।

परन्तु पिछले पूरे वर्ष के दौरान जब भी सोवियत संघ की स्थिति के बारे में उत्तर दिया गया, यही कहा गया कि हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव नही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि सोवियत संघ की स्थिति से हमारी अर्थव्यवस्था के लि. कैसी समस्या उत्पन्न हो गई है।

श्री मनमोहन सिंह : यह सभी जानते हैं कि भारत के निर्यात का 20 प्रतिशत पूर्व सोवियत संघ को जाता था। सोवियत संघ के विघटन और उत्तरवर्ती राज्यों में विद्यमान भारी आर्थिक अनिश्चितता के कारण इन देशों को निर्यात संभावनाएँ बहुत अनिश्चित हैं। इसलिए यह स्पष्ट है कि सोवियत संघ के विघटन से हमारा भुगतान संतुलन जटिल हो गया है क्योंकि इसके विघटन से हमारे आयात में वृद्धि हो गई है। हम सोवियत संघ से बदले में अत्यन्त आवश्यक वस्तुएं जैसे पैट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, अलौह धातु लिया करते थे। इस प्रकार इससे हमारे भुगतान संतुलन पर कुछ दबाव की स्थिति पैदा हो गई है।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न उत्तर के भाग (घ) से संबंधित है, जिसका सम्बन्ध भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार लाने हेतु उठाये जा रहे कदमों से है। उपाय तीन और चार इस प्रकार हैं :—

बढ़ी हुई पूंजी द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्त्रोतों से प्राप्त होती है और विदेशी निवेश को आकर्षित करती है।

देश में आगे के सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं विशेषकर अयोध्या के मुद्दे को देखते हुए, क्या वित्त मन्त्री सोचते हैं कि इसका सीधे विदेशी पूंजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो क्या इससे भुगतान संतुलम की स्थिति आज से भी अधिक गंभीर हो जाएगी।

श्री मनमोहन सिंह : निःसंदेह हमारे देश में शांति और व्यवस्था भंग करने वाली किसी भी घटना का हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब कभी अनिश्चितता की स्थिति होती है, जब कभी दंगे फसाद होते हैं तो अनिवासी भारतीयों के दिमाग में आशंकाएं उभरने लगती हैं। इसी तरह की आशंकाएं विदेशी निवेशकों को भी होने लगती है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश ऐसी स्थिति को नहीं आने देगा।

मूल्य वृद्धि

***62. श्री आर० जीवरत्नम :**

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के महीनों में अधिकांश आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1991 को आधार वर्ष मानते हुए पिछले छह महीनों के दौरान आम उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की स्थिति क्या रही ;

(घ) भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार लाने तथा चालू खाता घाटे को कम करने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? और

(ङ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के सभा पटल रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं। आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य जुलाई, 1992 से आगे स्थिर रहे हैं। 30 आवश्यक वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक, जैसा कि नीचे सारणी "क" में दिखाया गया है, जुलाई और अक्तूबर में 114.9 (1991 = 100) था। चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, आलू, प्याज और मछली सहित 12 वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आई,। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केवल अगस्त तक ही उपलब्ध है लेकिन यह जुलाई और अगस्त के बीच केवल 0.7 प्रतिशत की मामूली सी वृद्धि दिखाता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) 1991 को आधार मानते हुए पिछले छः महीनों के 31 आवश्यक वस्तुओं के थोक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सारणी "ख" और "ग" में दिखाए गए हैं।

(घ) थोक मूल्य सूचकांक पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव 1.2 प्रतिशत और उर्वरक मूल्यों में वृद्धि का प्रत्यक्ष प्रभाव 0.8 प्रतिशत था।

(ङ) सरकार की यह नीति रही है कि मांग को नियंत्रित करके और पूर्ति को आपूरित करके

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित किया जाए। इस दिशा में इसने अवस्फीतिकारक राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को जारी रखा है और गेहूं, चावल और खाद्य तेलों जैसी बुनियादी वस्तुओं के आयात के प्रबन्ध किए हैं। थोक मूल्य सूचकांक द्वारा बिन्दु प्रति-बिन्दु आधार पर परिमापित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर गिरकर 14 नवम्बर, 1992 को 8.8 प्रतिशत रह गई है।

सारणी—क

थोक और उपभोक्ता सूचकांक, 1992-93

(आधार : 1991=100)

महीना	थोक मूल्य सूचकांक**	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक*
अप्रैल	108.8	109.8
मई	111.0	113.7
जून	112.3	112.6
जुलाई	114.9	114.7
अगस्त	115.5	115.5
सितम्बर	115.6	उ० न०
अक्तूबर	114.9	उ० न०

* 31 वस्तुओं पर आधारित।

** 30 वस्तुओं पर आधारित।

सारणी—ख

आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य का सूचकांक (आधार : 1991 = 100)

थोक मूल्य सूचकांक 1992-93

क्रम सं०	आवश्यक वस्तुएं	भारांश	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	सभी वस्तुएं	100.00	108.9	110.0	111.3	112.5	113.6	113.1	114.5
1.	चावल	3.69	121.2	122.2	123.3	123.8	124.1	125.9	123.2
2.	गेहूं	2.25	116.3	111.2	114.0	116.5	121.2	117.0	111.5
3.	ज्वार	0.42	156.0	158.9	165.2	167.9	164.3	155.1	146.8
4.	बाजरा	0.18	157.9	173.1	162.6	159.8	151.3	133.4	114.3
5.	चना	0.41	99.2	97.5	95.7	96.7	104.9	104.9	105.3
6.	अरहर	0.27	102.3	102.3	100.0	101.7	104.1	104.6	102.2
7.	मूंग	0.20	121.4	125.0	136.0	137.5	135.0	127.4	114.3
8.	मसूर	0.05	87.4	87.6	89.9	91.9	99.7	99.1	95.9
9.	उड़द	0.15	101.1	101.8	108.8	102.4	106.4	106.9	102.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	आलू	0.47	166.7	78.1	90.8	103.4	101.8	101.4	99.9
11.	प्याज	0.16	43.0	48.9	55.9	71.3	66.5	59.7	62.7
12.	दूध	1.96	109.6	110.1	110.1	110.2	111.6	116.8	118.8
13.	मछली	0.51	107.7	119.2	115.9	137.1	123.2	123.8	127.8
14.	मांस (मटन)	0.52	107.8	109.8	111.5	113.4	113.6	115.3	115.6
15.	मिर्च	0.32	133.7	142.7	147.1	147.8	144.3	146.3	137.2
16.	चाय	0.56	92.8	108.4	111.7	111.4	101.5	100.3	94.9
17.	आटा	0.76	115.6	117.4	119.7	123.0	123.8	127.2	126.6
18.	चीनी	2.01	112.9	115.8	115.5	117.4	117.0	117.4	117.4
19.	गुड़	1.75	88.1	95.9	100.3	111.9	117.1	115.4	122.6
20.	सरसों का तेल	0.28	95.2	91.8	91.1	93.2	97.3	95.2	93.8
21.	नारियल का तेल	0.17	115.2	115.6	113.7	114.7	118.2	118.2	120.5
22.	मूंगफली का तेल	0.53	92.4	90.0	89.3	91.1	94.7	92.1	93.4
23.	नमक	0.04	114.1	112.2	112.2	111.5	112.2	110.1	113.2
24.	हाइड्रोजेनेटिड वनस्पति	0.52	99.8	99.6	98.7	97.7	99.0	98.9	99.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	कच्चा कोयला (कोकिंग कोयला)	0.35	125.4	125.4	125.4	125.4	125.4	125.4	125.4
26.	मिट्टी का तेल	0.87	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
27.	लट्ठा/थान	0.36	110.6	110.6	110.6	110.6	110.6	109.6	109.9
28.	धोती, साड़ी और वायल	1.19	109.4	109.6	109.6	109.6	110.1	113.8	114.7
29.	वाशिंग सोप	0.59	112 3	114.9	114.9	114.9	114.7	115.7	116.5
30.	दियासलाई	0.23	102.8	105.4	106.9	107.0	107.6	106.8	106.8
आवश्यक वस्तुए (थोक मूल्य सूचकांक)		21.77	108.8	11.20	112.3	114.9	115.8	115.6	114.9

सारणी—ग

आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ता मूल्यों का सूचकांक
(आधार : 1991 = 100)

क्रम संख्या	वस्तुएं	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारांश	अप्रैल 1992	मई 1992	जून 1992	जुलाई 1992	अगस्त 1992
1	2	3	4	5	6	7	8
	सामान्य सूचकांक	100.00	108.9	110.3	111.3	114.1	114.1
1.	चावल	12.45	119.9	121.3	123.1	123.9	124.5
2.	गेहूं	4.43	126.6	125.9	126.8	128.7	130.4
3.	गेहूं का आटा	1.75	120.6	114.8	114.0	114.3	118.7
4.	ज्वार	0.46	136.9	142.3	141.9	144.1	151.8
5.	बाजरा	0.16	150.0	154.1	148.9	147.5	136.9
6.	मूंग	0.53	123.4	130.2	136.4	137.2	141.3
7.	चना	0.08	94.5	95.6	95.6	97.4	102.4
8.	मसूर	0.41	97.7	98.2	97.6	98.9	101.7

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	अरहर	1 69	97.9	98.2	98.9	101.9	104.1
10.	उड़द	0.35	100.9	100.8	101.8	102.7	105.1
11.	नारियल का तेल	0.09	108.2	107.5	108.0	108.9	112.6
12.	मूंगफली का तेल	2.27	95·9	95.4	92.7	95.3	97.5
13.	सरसों का तेल	1.44	91.4	91.3	90.8	92.5	97.3
14.	वनस्पति	0.78	97.2	98.0	96.3	96.7	98.6
15.	बकरे का मांस	2.12	109.3	109.6	110.7	111.5	112.1
16.	ताजी मछली	1.31	102.5	106.6	110.5	115.9	110 6
17.	दूध	5.32	112.7	116.6	118.0	119.3	119.6
18.	नमक	0.15	107.2	108.2	108.1	108.7	109.2
19.	मिर्च	0.63	143.1	157.3	159.4	158.8	159.1
20.	प्याज	0.67	53.7	60.1	65.3	80.7	76.8
21.	चीनी	2.24	118.3	135.4	114.8	118.3	117.9
22.	गुड़	0.47	93.5	80.6	103.1	116.4	119.0
23.	चाय पत्ती	0.82	99.8	87.1	100.5	100.5	101-0
24.	कच्चाकोयला	0.80	112.5	104.6	113.8	112.7	113.6

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	मिट्टी का तेल	1.82	96.4	188.5	95.4	69.2	96.4
26.	दियासलाई	0.23	106.9	98.8	108.9	110.6	121.2
27.	धोती	0.35	106.1	96.6	107.4	107.9	108.1
28.	साड़ी	2.05	107.9	109.9	109.7	109.9	111.3
29.	लट्ठा	0.20	111.2	91.3	113.2	114.0	117.0
30.	वाशिंग सोप	1.33	109.7	115.6	111.5	111.7	111.2
31.	आलू	1.23	79.2	82.0	98.0	110.9	104.4
मिश्रित सूचकांक		48.83	109.8	113.8	112.6	114.7	115.5

1. नवीनतम उपलब्ध

श्री आर० जीवरत्नम : महोदय, मुझे कोई भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि बार-बार सरकार यह घोषणा करती है कि मूल्य-वृद्धि को हम रोक रहे हैं और मूल्य-वृद्धि नहीं हो रही है, प्राइस-इंडैक्स नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मैंने जो बाजार का सर्वे किया है, उसमें मुझे मालूम हुआ है कि 28 प्रतिशत आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं, सरकार इस वृद्धि को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाने जा रही है, इस पर मंत्री महोदय प्रकाश डालें और पेट्रोल, डीजल तथा फर्टीलाइजर की कीमतें बढ़ाने से महंगाई निरंतर बढ़ रही है उसको चैक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं, यह बताया जाए ?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए जो कदम उठाये गये हैं उन पर सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है। मुझे सभा को यह बताते हुए खुशी हो रही है, कि आज मुद्रास्फीति की वार्षिक दर सितम्बर 1991, में 17 प्रतिशत की तुलना में नौ प्रतिशत से कम है। सभा को यह जानकर भी प्रसन्नता होगी, कि जुलाई, 1992 से, तीस में से 25, आवश्यक वस्तुओं का थोक मूल्य सूचकांक स्थिर रहा है और हाल ही के महीनों में, बहुत सी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें गिर गई हैं।

कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि पेट्रोलियम उत्पादों और खाद्यानों की कीमतों में हाल ही में जो वृद्धि हुई है, उसका भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। व्यापारियों ने इसका फायदा उठाया है और अनाज और मिट्टी का तेल गांवों में उपलब्ध नहीं है। सरकार इन जमाखोरों के खिलाफ क्या कदम उठाने जा रही है ताकि कीमतों में वृद्धि पर नियंत्रण लगाया जा सके और आवश्यक वस्तुओं का ठीक प्रकार से वितरण हो सके।

श्री मनमोहन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाज के कमजोर वर्गों को राहत प्रदान करने का एक प्रभावकारी साधन बनाने के लिए वचनबद्ध है। इस वर्ष के प्रारंभ से लेकर 1700 खण्डों को, जहां पर भीषण गरीबी है, परिशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रभाव क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है। सरकार इस बारे में सजग और सचेत रहेगी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार इस ढंग से किया जाये जिससे समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान दिया जा सके।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने लम्बे-चौड़े जवाब में यह बताया है कि मामूली सी मूल्य-वृद्धि हो रही है, लेकिन देखा जा रहा है कि चावल 4 रुपए प्रति किलो से साढ़े 6 रुपए, गेहूं 3 रुपए की जगह 4 रुपए प्रति किलो, चीनी 9 की जगह 12 रुपए प्रति किलो और मछली 28 से 35 रुपए किलो बाजार में इस समय बिक रही है। इन दो-तीन महीनों में इतनी तेजी से इतनी बढ़ोत्तरी हुई है और मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि .7 प्रतिशत बढ़ोत्तरी

हुई है। ये जो आपको आंकड़े प्राप्त हुए हैं, क्या आपने या आपके मंत्रालय ने इनकी छानबीन की है अथवा नहीं ? और आप यह स्पष्ट बताएं कि जो पेट्रोलियम पदार्थों में मूल्य-वृद्धि हुई है और इसके साथ ही मांग और आपूर्ति में जो असंतुलन इस समय पैदा हो गया है, तो उसको दूर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का संकलन उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा किया जाता है। इसका संकलन वित्त मंत्रालय नहीं करता। हमारे पास उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भी है जिसका संकलन श्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : वित्त मंत्रालय इसकी आंच करता है कि नहीं ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : मुझे इस बारे में बिल्कुल संदेह नहीं है कि ये आकड़े सही नहीं हैं।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव : महोदय आन्ध्र प्रदेश मे चावल 6 या 7 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बिक रहा है। परन्तु धान मिल मालिकों द्वारा धान 200 रुपये प्रति 75 किलोग्राम के भाव से खरीदा जा रहा है। इस प्रकार धान और चावल की कीमतों में बहुत अधिक अन्तर है। इसका अर्थ यह हुआ कि मिल मालिक ही चावल की कीमतों में वृद्धि कर रहे हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आयकर विभाग मिल-मालिकों द्वारा कमाये जा रहे मुनाफे की जांच-पड़ताल कर रहा है जो कि आवश्यक वस्तुओं की अर्थव्यवस्था को चुनौती देने पर उतारू हैं।

श्री मनमोहन सिंह : मैंने माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया हूं। इस समय मेरे पास इस संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग 4 के दूसरे भाग में रासायनिक उर्वरकों पर छूट के हटाए जाने का मूल्य सूचकांक पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस बारे में जो उत्तर आया है वह बड़ा आश्चर्यजनक है। उसके उत्तर में यह कहा गया है कि अनुदान कम करने के कारण प्रभाव 0.8 प्रतिशत है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास 20 प्रश्न आते हैं। रोजाना हम पांच प्रश्न कवर कर रहे हैं और सिर्फ 30 लोगों को पूछने का टाइम दिया जाता है। आपका प्रश्न यदि ऐस्से के रूप में होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। वह प्रश्न के रूप में आना चाहिए। दूसरे लोग भी शिकायत करते हैं कि उनको प्रश्न पूछने का समय नहीं मिलता है।

श्री सत्यनारायण जटिया : मैं बहुत सीधी बात पूछ रहा हूं कि जो उत्तर आया है उसमें जो वृद्धि बताई गई है वह 0.8 बताई गई हैं जबकि अनुदान समाप्त करने के कारण रासायनिक खादों का उपयोग भी कम हो गया है। उपयोग जो कम हो गया है और भाव की जो वृद्धि हुई है वह 100 प्रतिशत है।

मैं जानना चाहता हूं कि अनुदान समाप्त कर सरकार ने जो कदम उठाया है, उसके कारण रासायनिक खादों के भाव में वृद्धि हुई है, इसे रोकने के लिये आप क्या उपाय करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : खाद के भाव बढ़ने के परिणाम दूसरे साल में नजर आयेंगे आज नहीं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैंने माननीय सदस्य को समझा है, यह प्रश्न उर्वरकों पर राज-सहायता से संबंधित है। हमारी सरकार ने कई बार यह कहा है, कि उर्वरकों की कीमतों में किसी भी परिवर्तन का किसानों द्वारा लाभकारी कीमतें प्राप्त करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया जायेगा ? हमने खरीफ की फसल के खरीद मूल्य में काफी वृद्धि की है और हम भविष्य में भी हर संभव प्रयास करेंगे कि किसानों को लाभकारी कीमतों का लाभ मिलता रहे।

दूसरी बात यह है कि अगर उर्वरकों पर उतनी ही राज सहायता दी जाती है जैसा कि पहले दी जाती रही है तो इस वर्ष हमें उर्वरकों पर राज सहायता के संबंध में 8000 करोड़ रुपये व्यय करने पड़ेंगे। और उस स्थिति में, कृषि विकास तथा गरीबी हटाने के अन्य कार्यक्रमों के लिए हमारे पास धन नहीं बचेगा। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि उर्वरकों पर राज-सहायता कम कर दी जाये, परन्तु हम इन्हीं संसाधनों को कृषि में अधिक पूंजी निवेश करने ओर ग्रामीण विकास में लगा सकते हैं, ताकि ग्रामीण विकास क्षेत्रों मे उत्पादन आधार को मजबूत बनाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे : अध्यक्ष महोदय, गेहूं, चावल, ज्वार और सब आयल्स में जो वृद्धि हुई है वह ज्यादा हुई है। लोग मार्केटिंग करते समय ज्यादा मुनाफा लेते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उस मुनाफे को कम करने के लिए क्या आपके पास कोई दूसरी योजना है जिससे कंज्यूमर को सही मायने में माल मिल सके ? यह वृद्धि न हो, क्या सरकार के पास इसके लिए कोई ऐसी योजना है ?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह : महोदय, यह बिल्कुल सही है कि पिछले दो वर्षों में खाद्यानों की कीमतों में विगत की अपेक्षा तेजी से वृद्धि हुई है। सरकार ने कीमतों के स्तर पर नियन्त्रण रखने के लिए कतिपय उपाय अपनाये हैं और उनमें से एक उपाय यह था कि खाद्यानों का और अधिक आयात किया जाये। अब यदि हमने 3 मिलियन टन खाद्यान्न के आयात की अनुमति नहीं दी होती, खासकर गेहूं के मामले में, तो खाद्यानों की कीमतों में और अधिक वृद्धि हो सकती थी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, हमें भी प्रश्न पूछने का मौका आप दीजिए... (व्यवधान)...महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और देश की जनता परेशान है। मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी बताया था कि 20 प्रश्न हमारे सामने हैं। कल हम पांच प्रश्न ही ले सके थे।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सुनिये। कल 30 मैम्बर्स ने कुल मिला कर प्रश्न पूछे। आपके लिए ही हम यह कह रहे हैं। मैं तो यहां बैठ कर प्रश्न पूछता नहीं हूं।

(व्यवधान)

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है तो आप स्कूल की किताब पढ़ लीजिए। हाफ-एन-आवर डिस्कशन के लिए नोटिस दीजिए। हम उसमें देखेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब उठकर बोलने की क्या जरूरत है। उसमें समय खराब हो जाता है।

हिन्दुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड का कार्य-निष्पादन

[अनुवाद]

*63. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड क्रयादेशों की कमी और रक्षा व्यय में कटौती होने के कारण गंभीर संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के एककों के वार्षिक कारोबार और अब तक इसे हुए कुल घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) नागर विमानन क्षेत्र से इसे कितनी सहायता मिलने की आशा है और एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किन-किन क्षेत्रों में कितना-कितना उत्पादन किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) निर्यात हेतु वर्तमान निर्यात बाजार और उत्पादन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और नये निर्यात बाजार खोजने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) वर्तमान स्थितियों के कारण हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो काम सौंपा

गया है वह उसकी उत्पादन और ओवरहाल क्षमता को अल्पावधि और मध्यावधि में पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तथापि, संसाधनों की कमी के कारण इन सब कामों के लिए जितना धन चाहिए और इसके लिए रक्षा सेवा बजट में जो व्यवस्था की गई है उसमें, अन्तर है। हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड का प्रभागवार कारोबार का ब्यौरा संलग्न विवरणिका में दिया गया है। यह उपक्रम फायदे में चल रहा है और संचित रूप में कुल मिलाकर उसे कोई घाटा नहीं हुआ है।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड नागर विमानन क्षेत्र के लिए पहले ही वायुयान, सहायक उपकरण, छोटे उपकरण, भूमि पर उपयोग में लाए जाने वाले उपस्कर आदि का उत्पादन कर रहा है। इस कारोबार को बढ़ाने के साथ-साथ सिविलियन वायुयानों के रख-रखाव तथा ओवरहाल करने के लिए भी निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कतिपय वायुयानों और इंजनों के हिस्से-पुर्जों और अतिरिक्त पुर्जों और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्यात कर रहा है। वह मरम्मत तथा ओवरहाल सेवाएं और परामर्श देने का काम भी कर रहा है। भविष्य में यह वायुयानों का निर्यात करने, अतिरिक्त हिस्से पुर्जे और ओवरहाल की सुविधा उपलब्ध करने तथा विदेशी वायुयान निर्माताओं के साथ किए जाने वाले उपठेकों को बढ़ाने पर अधिक ध्यान देगा।

कार्यभार को देखते हुए विभिन्न प्रभागों में जन-शक्ति का युक्तिसंगत नियोजन और पुनर्नियोजन निरन्तर चलते रहने वाली प्रक्रिया है। फिर भी, मौजूदा स्थिति में जन-शक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

अनुबन्ध

हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के प्रभागों में पिछले तीन वर्षों में हुई कुल बिक्री

(करोड़ रुपये में)

प्रभाग का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4
वायुयान	80.64	78.94	25.04
हेलिकाप्टर	23.26	29.89	38.27
इंजन	61.08	125.49	111.83
ओवर हाल	25.55	35.16	35.20
फाउंड्री एण्ड फोर्ज	10.57	10.10	7.88
सेवाएं	—	1.73	3.21
एयरोस्पेस	5.82	8.20	11.37
नासिक	226.49	225.55	270.89

1	2	3	4
कोरापुट	134.43	121.97	157.49
हैदराबाद	65 91	54.85	57.04
लखनऊ	66.25	73.90	66.05
कोरवा	56.87	6 '.41	52.59
कानपुर	49.50	66.63	86.20
डिजायन	64.43	29.82	101.35
कुल	8‾1 30	926.64	1024.41

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा अभी तक कितने वायुयानों का एक्सपोर्ट हुआ है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : वायुयानों के स्पेअर पार्ट्स एक्सपोर्ट किये गये हैं ।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह साफ तौर से स्पष्ट है कि वायुयान निर्यात भी किये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि वायुयान कितने निर्यात किये जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इन्होंने बता दिया है कि नहीं किये हैं, स्पेयर पार्ट्स निर्यात किये हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इनका प्रोडेक्शन कितना है ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में एक वर्ष में 1024 करोड़ रु० का उत्पादन होता है ।

श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय जी से यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि अधिकांश लड़ाकू विमान मिराज जैसे यात्री तथा परिवहन विमान जैग्वार, एयर बस तथा बोइंग विमान तथा कुछ अन्य छोटे विमान जो कि वायुदूत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, को विदेशों में उनकी पूरी मरम्मत और अतिरिक्त पुर्जे को बदलने के लिए भेजा जाता है। यदि ऐसा है तो विदेशी मुद्रा के रूप में इस प्रकार की मरम्मत पर कितना व्यय हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : यह नागर विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और नागर विमानन मंत्रालय रक्षा मंत्रालय से भिन्न है । उनके पास इस बारे में जानकारी नहीं होगी ।

श्री श्रवण कुमार पटेल : लेकिन, महोदय, जैग्वार और मिराज 2000 दो अलग-अलग वायुयान है ।

श्री शरद पवार : महोदय, हमारे पास हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में जैग्वार की

मरम्मत तथा ओवरहाल की सभी सुविधाएं विद्यमान है। जहां तक कि मिराज 2,000 का सम्बन्ध है है, हमने निश्चय ही कुछ वायुयानों को ओवरहाल के लिए फ्रांस भेजा था, लेकिन हम यह ओवरहाल की सुविधा हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स में भी उपलब्ध करा रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार पटेल : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास इस उद्देश्य से विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग करने का कोई प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : आपको यह पहले पूछना चाहिए था।

[हिन्दी]

सड़क निर्माण कार्य को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपना

***66. श्री सूर्य नारायण यादव** :

श्री चित्त बसु :

क्या **जल भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रख रखाव तथा विकास कार्य में गैर-सरकारी क्षेत्र का योगदान लेने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन हेतु क्या विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं तथा इस मामले में गैर-सरकारी क्षेत्र की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार ने सड़कों के निर्माण में पूंजी निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित किया है ;

(घ) यदि हां, तो विदेशी पूंजी निवेशकों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) विदेशी तथा घरेलू दोनों स्रोतों से कुल कितना पूंजी-निवेश होने की संभावना है ; और

(च) किन-किन राष्ट्रीय राजमार्गों एक्सप्रेस मार्गों को गैर-सरकारी क्षेत्र को सौंपने पर विचार किया जा रहा है ?

[अनुवाद]

जल-भूतल परिवाहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (च) विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (च) जी, नहीं ! तथापि, सरकार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क आधारित सुविधाओं के निर्माण, रख-रखाव और प्रचालन में निजी क्षेत्र को शामिल करने पर विचार करती रही है। निजी क्षेत्र की सहभागिता के संबंध में विचार जानने के लिए जनवरी, 1992 में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसमें निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थाओं, राज्य सरकारों आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। एशियाई विकास बैंक की सहायता के अन्तर्गत निजीकरण के विभिन्न पहलुओं पर एक अध्ययन भी हाल ही में पूरा करवा लिया गया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न दायित्वों के

सम्बन्ध में निजी क्षेत्र को दिए जाने वाले प्रस्तावित प्रोत्साहनों को सरकार द्वारा अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। अतः विदेशी कंपनियों सहित निजी क्षेत्र को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों और देश में निजी क्षेत्र द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर निवेश की कुल राशि सहित उनकी प्रतिक्रिया बता पाना अभी संभव नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने शायद क्वश्चन को पढ़ा नहीं है और इसका अध्ययन नहीं किया है। इसमें मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने इनसे पूछा था कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राइवेट कम्पनियों देने का क्या आप कोई विचार रख रहे हैं या नहीं? और इन्होंने कहा, राज्य सरकार और यहां केन्द्रीय सरकार, सारे लोगों से राय की गई है तो वह राय आपने क्या की? कौन सी राय बनी, राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने का आपने कौन सा विचार किया है, उसमें कौन सा प्रस्ताव पास किया है?

श्री जगदीश टाईटलर : पहली बात तो यह है कि पिछली दफा जब आपने यह सवाल उठाया होगा, उस वक्त हम नेशनल हाइवेज पर टोल टैक्स नहीं लगा सकते थे। मुझे खुशी है कि लोक सभा ने तो पिछले सैशन में पास कर लिया, कल राज्य सभा ने पास करने के बाद जो एक कदम उठा है जिससे हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन के लिए जाना भी इसलिए पड़ा कि आज काल जो सड़कों की मरम्मत होनी है और जो प्रपोजल स्टेट से और आप जैसे मैम्बर पार्लियामेण्ट से आये हुऐ हैं, अगर आज हमें उनकी रिपेयर करना पड़े और सड़कें बनानी पड़ें तो मुझे 49 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है। नई बनाने की तो बहुत दूर की बात रही, इसलिए देश के हालात को देखते हुए पिछली दफा हमने जो 7,000 करोड़ रुपया मांगा था, हमें उसमें से सिर्फ 2600 करोड़ रुपया मिला और वह हमें पिछली सड़कों की मरम्मत करने के लिए भी पूरा नहीं हो सकता इसलिए हमने प्राइवेटाइजेशन की तरफ देखा कि लोग आना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि इन सड़कों को बनायें, प्राइवेट लोग भी और एन० आर० आईज० भी मगर क्योंकि, 1990 में वी० पी० सिंह की सरकार ने एक डिसीजन लिया था कि प्राइवेटाइजेशन को पूरी तरह एनाउंस करने से पहले कैबिनेट से एप्रूवल ले लेना चाहिए इसलिए हमने एक नोट डिफरेण्ट मिनिस्ट्रीज को भेजा हुआ है और तकरीबन सब मिनिस्ट्रीज से वापस आया हुआ है, सिर्फ लॉ मिनिस्ट्री से रह गया है। सोचता हूं, जिस दिन लॉ मिनिस्ट्री से आयेगा, उस दिन हम प्राइवेटाइजेशन के जो कानून बनाएंगे, हमें जो कुछ सजेशंस आये हैं, हमने एन० आर० आइज० का एक दिन का सेमानार भी रखा है, रोड्स के प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, हमें काफी सजेशंस आये हैं और उन सजेशंस को लेते हुए हम कैबिनेट से एप्रूवल लेकर प्राइवेटाइजेशन शुरू करेंगे।

श्री सूर्यनारायण यादव : ऐसी बात को अगर प्रश्न के उत्तर में दिया होता····

श्री नीतीश कुमार : सरकार का कब प्राइवेटाइजेशन होगा ?

श्री जगदीश टाईटलर : यादव जी बोलने तो दीजिए न।

श्री सूर्यनारायण यादव : इसका उत्तर भी यह नहीं दे पाये। मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश में क्षतिग्रस्त हैं और आपने एक भी राजमार्ग को

बनाने का काम अभी तक नहीं किया है । आप उसको प्राइवेट कम्पनी को देने जा रहे हैं, जब तक यह फैसला नहीं हो जाता, तब तक राष्ट्रीय राजमार्ग की जितनी सड़कें हैं, उनकी मरम्मत आप कब तक कराने जा रहे हैं ?

(ख) क्या बिहार सरकार को बिहार में स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए सन् 1991.92 में आपने फण्ड दिया है ?

श्री जगदीश टाईटलर : मुझे खुशी है कि आपने यह सवाल उठाया । कल भी यह सवाल राज्य सभा में उठाया गया था। यादव जी, आप भी इस बात को सुन लीजिए । पहली बात है कि…(**व्यवधान**) हम आपके लिए जवाब दे रहे हैं ।

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार : ये मुझे यादव कहकर सम्बोधित कर रहे हैं । मैं यादव नहीं हूं । वे बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को यादव कहते हैं ।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं श्री यादव को उत्तर देना चाहता हूं ।

[हिन्दी]

जब मैं बिहार गया, मैंने हर दूसरे आदमी से नाम पूछा तो उसने यादव ही कहा तो मैंने सोचा कि आप भी यादव ही होंगे ।

यह बड़ा अच्छा सवाल है आपका…

श्री नीतीश कुमार : आप ने हमको ही बिहार समझ लिया तो अच्छा है ।

श्री जगदीश टाईटलर : हम तो आपको ही बिहार समझते हैं । तो मेरा आप जवाब भी सुन लीजिए । हमने कुछ हाइवे प्रोजैक्ट्स आइडैण्टीफाई किये हुए हैं, जिसमें बिहार के अन्दर पिछली दफा एशियन डवलपमैण्ट बैंक ने जो प्रोजैक्ट और पैसा रखा था, हमने बिहार सरकार को कहा था कि आप पूरा प्रपोजल हम लोगों को भेजिये, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज तक वह प्रपोजल नहीं आया । अब जो तीसरा पैकेज हम लोगों का एशियन डवलपमैण्ट बैंक के ऊपर है, मैं आपके चीफ मिनिस्टर को पत्र लिख रहा हूं कि मेहरबानी करके हमें प्रपोजल तो दीजिए । अगर प्रपोजल नहीं आयेगा तो हम सड़कें कैसे बनाएँगे । मैं एक महीना बिहार में रहा वहां पर सड़क खराब है और जो पैसा हमने पहले सैंक्शन करके भेजा था मैं अफसोस से कहना चाहता हूं कि वह पैसा भी ठीक से इस्तेमाल नहीं हुआ है । (**व्यवधान**) आप पहले मेरे जवाब को सुन लीजिए । मैंने आपके चीफ मिनिस्टर से बात की, मुझे खुशी है कि आपके चीफ मिनिस्टर ने बड़ा अच्छा रिसपान्स दिया और उन्होंने अपने आप कहा कि मैं जिम्मेदारी लेना चाहता हूं और कुछ मशीनें जो पहले नहीं थीं वे मशीनें अपने आप देखूंगा । उसके बाद हमने बिहार को पैसा दिया है और मुझे खुशी है कि अब धीरे-धीरे पैसा ठीक से इस्तेमाल होने लगा है । मगर आपको जो नेशनल हाई-वे के ऊपर थर्ड पैकेज ऐशियन डेवेलपमेंट बैंक का आ रहा है, आप मेहरबानी करके मुझे प्रोजेक्ट्स भेजिए जिससे कि हम पैसा सैंक्शन कर सकें ।

[अनुवाद]

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : जब श्री राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे तो उनके शासनकाल में श्री जगदीश टाईटलर जल-भूतल परिवहन मन्त्री थे धन की कमी के कारण हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों

विशेषकर कि वर्षा के मौसम के दौरान उनके निर्माण कार्य और उनके मरम्मत के कार्य को काफी नुकसान पहुंच रहा है। दशकों से वे इनकी मरम्मत नहीं कर सके अथवा उनका पुनर्निर्माण नहीं कर सके। क्या सरकार इस प्रयोजन के लिए जनता से धनराशि की उगाई में वृद्धि करने पर विचार करेगी, ताकि वे इन राष्ट्रीय राजमार्गों के पुनर्निर्माण का कार्य राज्य सरकारों के सहयोग राष्ट्रीय राजमार्गों तथा कुछ पुलों की मरम्मत का कार्य संभालेंगे ? वहां से गुजरने वालों को काफी नुकसान हो रहा है और कुछ राज्यों में सड़कें वास्तव में ठीक नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री जगदीश टाईटलर : नहीं, नहीं जो भी टोल टैक्स नया है वह ऐगजिस्टिंग फैसिलीटीज के ऊपर नहीं लगा रहे, जो एक्स्ट्रा फेसिलिटीस हम देंगे उस पर हम लगा सकते हैं। मगर फाइनेंस मिनिस्ट्री से पैसा मांगने की बात हमने रखी हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम प्लानिंग कमीशन के पास जाएंगे, मुझे कुछ ईशारा भी हुआ है कि कुछ थोड़ा पैसा ज्यादा मिलेगा फिर उसके बाद हम आपकी कुछ मदद कर सकेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि मंत्री महोदय को इस मामले में मंत्रिमंडल तथा संसद दोनों में चर्चा करनी चाहिए।

श्री मुमताज अन्सारी : यहां तक कि बिहार में राष्ट्रीय राज मार्गों की स्थिति का सम्बन्ध है, यह बहुत खस्ता हालत में और काफी पुरानी हैं। ऐसा सड़कों पर वाहन ले जाना काफी घातक और कठिन होगा। क्या भूतल परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के कार्य को गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने पर विचार कर रह है ? इसके अतिरिक्त, सन् 1973 से राष्ट्रीय राजमार्गों की एक किलोमीटर सड़क के लिए भी कोई अनुदान नहीं दिए गए हैं। जो कुछ भी राशि राज्य सरकार को दी गई है वह बहुत सीमित और कम है। क्या भूतल परिवहन मंत्रालय ऐसी सड़कों के रख-रखाव के कार्य को गैर सरकारी व्यक्तियों को सौंपने पर विचार कर रहा है या नहीं ?

श्री जगदीश टाईटलर : मुझे खुशी है कि आपने यह प्रश्न उठाया। मैं समझता हूं कि हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और राजमार्गों के कुछ भाग के रख-रखाव के कार्य को गैर सरकारी क्षेत्र को सौंपने की सम्भावना है।

जहां तक कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का संबंध है, मुझे खेद है कि धनराशि की कमी के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में धनाभाव के कारण किसी प्रकार का नया नेशनल हाई-वे आप लेने नहीं जा रहे हैं और यदि यह सही है तो ये जो प्राइवेट या निजी तौर पर जिन कम्पनियों को आपने आमंत्रित किया है या जिन विदेशी कम्पनियों को आपने आमंत्रित किया है उनसे जल्दी बातचीत करके क्या कोई ऐसी नीति तय करेंगे कि जिसके कारण जो अपेक्षित मार्ग हैं मध्य प्रदेश, बिहार और दूसरे

राज्यों में और जिनकी बड़े लम्बे समय से प्रतीक्षा की जा रही है तथा जिसके कारण यातायात में भारी बाधा है। प्रदेश सरकारों की ओर से उन्होंने अपनी प्रायरटी भी दी है ये मार्ग पूरे हो सकें और जनता को सुविधा मिले सके।

श्री जगदीश टाईटलर : नये नेशनल हाई-वेज के लिए तो मैं तभी फैसला ले सकूंगा जब यह पैसा मिलेगा और दूसरी बात यह है कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं। मैंने जैसे शुरूआत में कहा कि हमने इसके लिए एक नोट भी भेजा हुआ है जिससे कि हम इस कार्य को जल्दी से पूरा कर सकें।

श्री माणिकराव होडल्या गावीत : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नागपुर और सूरत ये राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए हुए हैं। इसमें नागपुर से धूलिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुका है।

धूरिया से सूरत तक सड़क की लम्बाई 230 किलोमीटर है और दोनों राज्यों को जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क है। यह सड़क दोनों राज्यों के ट्राइबल एरियाज से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस सड़क के लिए 5 साल से सिफारिश की जा रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ट्राइबल एरियाज से गुजरने वाली इस सड़क को क्या राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री जगदीश टाईटलर : धनराशि उपलब्ध होने पर ही हम इस ओर ध्यान देंगे।

भारतीय नौवहन निगम

*67. **प्रो० के० वी० थामस :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में भारतीय नौवहन निगम ने कितना लाभ अर्जित किया और कितना घाटा उठाया;

(ख) क्या भारतीय नौवहन निगम के वर्तमान बेड़े में और अधिक जहाज शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में ली जाने वाली विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) भारतीय नौवहन निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कर देने के बाद अर्जित किया गया निवल लाभ इस प्रकार है :—

वर्ष	(करोड़ रु०)
1989-90	101.1
1990-91	54.5
1991-92 (अनन्तिम)	108.8

(ख) जी, हां।

(ग) 9 वैसल्प के लिए दिये गए आर्डर के अतिरिक्त भारतीय नौवहन निगम के 8वीं योजना अवधि के दौरान 28.33 लाख डी० डब्ल्यू० टी के 79 वैसल्प के लिए आर्डर देने का प्रस्ताव किया है। भारतीय नौवहन निगम ने इनमें से 66,000 डी०डब्ल्यू०टी० के दो पुराने जहाज एक भारतीय कम्पनी से अप्रैल, 1992 में खरीद लिये हैं।

(घ) विदेशों से की जाने वाली खरीद के वित्त पोषण के प्रयोजनार्थ (क) शिपयार्डों द्वारा पेश किए गए आस्थगित ऋण और/अथवा (ख) बाह्य वाणिज्यिक ऋणों द्वारा विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त किये जाएंगे।

प्रो० के० वी० थामस : माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से पता चलता है कि इस वर्ष भारतीय नौवहन निगम ने दुगुना लाभ अर्जित किया है। यह बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है और मैं माननीय मंत्री को तथा भारतीय नौवहन निगम को इस उपलब्धि के लिए बधाई देना चाहूंगा। यह भी कहा गया है कि भारतीय नौवहन निगम ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 79 पोत के आर्डर देने का प्रस्ताव किया है। कोचीन शिपयार्ड और हिन्दुस्तान शिपयार्ड आर्डर की कमी के कारण ठहर गए हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या अधिक मात्रा में जहाजों का आर्डर इन शिपयार्डों को दिया जाएगा।

श्री जगदीश टाईटलर : जी हां, इन 79 वैसल्प में से जिनकी आठवीं पंचवर्षीय योजना में आवश्यकता है, अथवा जिनको बदलना है उनमें से 40 पुराने खरीदे जायेंगे और शेष में से लगभग 8 वैसल्स का आदेश भारतीय शिपयार्ड को दिए जाने का विचार है बशर्ते कि धनराशि उपलब्ध हो रियायती मूल्यों पर खरीदा जाएगा जैसाकि ये विदेशी यार्डों से उपलब्ध हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारतीय यार्डों को ही आदेश दिए जायेंगे।

प्रो० के० वी० थामस : भारतीय नौवहन निगम द्वारा नौवें जहाज के लिए कोचीन शिपयार्ड को आर्डर दिया गया है लेकिन क्योंकि भारतीय नौवहन निगम तथा कोचीन शिपयार्ड द्वारा इसकी कीमत तय नहीं की जा सकी है, अतः क्या मंत्री जी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे क्योंकि दोनों उपक्रम इस मंत्रालय के अधीन है। कोचीन शिपयार्ड को एक पक्का आर्डर दिया जा सके जिसने पिछले एक वर्ष के दौरान काफी लाभ अर्जित किया है।

श्री जगदीश टाईटलर : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि हमने पहले ही इसमें हस्तक्षेप किया है। मुझे खुशी है कि हस्तक्षेप सकारात्मक रूप में हुआ है और हमने अपना प्रस्ताव भेजा है। मेरे विचार से हमने कल हस्तक्षेप किया था और हम यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को इस सम्बन्ध में ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भेज रहे हैं।

श्री वी० धनंजय कुमार : महोदय, मंत्री महोदय ने भारतीय नौवहन निगम के वर्तमान बेड़े में और अधिक जहाज दिए के सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि नौवहन निगम की आय बढ़ाने के लिए क्या गोआ के रास्ते से बम्बई और बंगलोर के बीच एक जहाज सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है, जो कि सामान लाने ले जाने तथा यात्रियों दोनों के लिए हो।

श्री जगदीश टाईटलर : हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है लेकिन कोई निजी अथवा कोई भी

पार्टी इच्छुक हुई तो हमें यह अनुमति देने में खुशी होगी ।

जम्मू और कश्मीर की सीमाओं पर पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी किया जाना

[हिन्दी]

70*. **श्री मृत्युंजय नायक**† :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले के अनेक स्थानों तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में गोलाबारी की है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने पाकिस्तान सरकार से इस सम्बन्ध में कोई विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो पाकिस्तान की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

[अनुवाद]

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) तनाव कम करने तथा सैन्य गतिविधियों को बढ़ने से रोकने के लिए भारत और पाकिस्तान के सैन्य संक्रिया महानिदेशक आपस में प्रतिसप्ताह दूरभाष पर सम्पर्क करते रहते हैं । जिन मुद्दों के कारण तनाव बढ़ा है उन्हें सुलझाने की दृष्टि से आवश्यकता होने पर सेक्टर कमांडरों की बैठकें भी होती हैं ।

[अनुवाद]

श्री मृत्युन्जय नायक : देश में उग्रवादियों की घुसपैठ को गोलाबारी से एक सुरक्षा कवच प्रदान करने सम्बन्धी घटना और सीमा-रेखा पर अकारण गोलाबारी पाकिस्तान के लिए एक नित्यप्रति की आम बात हो गई है अतः ऐसी घटनाओं और अप्रिय स्थितियों के दृष्टिगत, देश में उग्रवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया गया है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : नियन्त्रण रेखा के साथ-साथ 793 किलोमीटर लम्बी पाकिस्तानी सीमा है । सीमा पार से गोलाबारी, विशेषतौर पर छोटे सशस्त्रों द्वारा गोलाबारी एक स्थानिक सदस्या हैं । समय- समय पर सभी क्षेत्रों में घटनाएं घटित होती रही हैं, लेकिन जब कभी भी एक ऐसी घटना होती है, हमारी सेनाएं स्थिति नियंत्रित करने और सीमा पार से गोलाबारी का प्रतिशोध लेने में सफल रही हैं । यद्यपि मैं ब्यौरा नहीं देना चाहता, हमारे आंकड़े दर्शाते हैं कि जैसा कि घुसपैठियों से हुए मुकाबलों की तुलना में पहचान की गई है, मारे गए अथवा गिरफ्तार किये गए अथवा वापिस चले गये घुसपैठियों की संख्या में पिछले दो वर्षों में काफी कमी हुई है और ऐसा भारतीय-थल सेना द्वारा वास्तविक नियंत्रण-रेखा के समीप जोरदार ढंग से कारगर कदम उठाने के कारण हुआ है ।

श्री मृत्युन्जय नायक : अयोध्या में प्रस्तावित कार-सेवा जो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा

है, को ध्यान में रखते हुए, हमें किसी समय दंगों जैसी किसी प्रकार की घटनाओं का भी बोध हुआ है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में इस प्रकार की अकल्पनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस प्रकार की स्थितियों को रोकने के लिए तथा सीमाओं में किसी आतंकवादी कार्रवाई को टालने के लिए क्या पर्याप्त, सतर्कतापूर्ण कदम उठाये हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह मंत्री महोदय पर ही छोड़ता हूं क्योंकि कई बार मैं कहता हूं कि यह इस विषय से सम्बन्धित नहीं है और मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं।

श्री मृत्युन्जय नायक : यह इस विषय बिल्कुल सम्बन्धित है। कार-सेवा के समय किसी तरह का दंगा हो सकता है और यह एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या भी है। अतः मुझे किसी बात की आशंका होती है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके विचार में यह असंगत है, तो आपको इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं।

श्री एस० कृष्ण कुमार : मैं समझता हूं कि यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। नियंत्रण रेखा के बारे में प्रश्न है और हम हर वक्त पाकिस्तान-सीमा पर नियंत्रण-रेखा की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वीरेन्द्र सिंह।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर के कुछ जिलों में, जो भारत और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ते हैं, वहां पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती रहती है। जैसे मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। उसके जवाब के लिए अपने सैनिक तैयार भी रहते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद की प्रक्रिया हमारे पंजाब जैसे सीमावर्ती प्रदेशों में चलती रहती है। अभी परसों प्रधान मंत्री जी ने यह स्वीकार किया था कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से मेरे व्यक्तिगत संबंध हैं, वहां की सरकार से भी मेरे अच्छे संबंध हो रहे हैं। फिर यह संकट क्यों पैदा हो रहा है? जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से हमारे प्रधान मंत्री की व्यक्तिगत मित्रता है, पाकिस्तान की सरकार से हमारी सरकार के अच्छे संबंध भी चल रहे हैं, इसके बावजूद हमारे सीमावर्ती प्रदेशों में आतंकवाद की प्रक्रिया चल रही है।......

सीमावर्ती क्षेत्रों में गोलाबारी हो रही है तो इसके लिए पाकिस्तान सरकार और हमारे प्रधान मंत्री का वक्तव्य क्यों विसंगत हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : कल उसका जवाब दे दिया है कि कुछ लोग झगड़ा चाहते हैं और कुछ लोग शांति चाहते हैं।

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि गोलीबारी हुई है तो पिछले तीन महीनों में हमारे कितने सैनिक हताहत हुए और कितने पाकिस्तान के हुए और कितने घुसपैठिए भारत में घुसपैठ करने की कोशिश में पकड़े गए।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, हमारे पास इस बारे में जो आंकड़े हैं, वे संक्षिप्त रूप से यह

सिद्ध करते हैं कि यद्यपि समय-समय पर हमारे सैनिक हताहत हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर सैनिकों के हताहत होने की संख्या बहुत अधिक हैं। पारम्परिक रूप से हम इस प्रकार के हताहतों की हालत एवं संख्या सार्वजनिक हित में बताते नहीं हैं।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के श्रमिक

*71. **श्री सुबास चन्द्र नायक :**

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्यचालन पूंजी की कमी और कपास जैसे कच्चे माल की सप्लाई न होने के कारण राष्ट्रीय कपड़ा निगम के श्रमिकों की छंटनी की जाने वाली है;

(ख) यदि हां, तो इससे मिल-वार लगभग कितने श्रमिकों के प्रभावित होने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने छंटनी किये गये श्रमिकों के पुनर्वास के लिए वित्तपोषण और प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की कोई योजना बनायी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी नहीं। तथापि, सरकार ने एन० टी० सी० मिलों के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के माध्यम से कामगारों, कर्मचारियों और अधिकारियों के सुव्यवस्थीकरण की परिकल्पना की गई है।

(ग) और (घ) सर्वांगीण सुधार की नीति के अन्तर्गत एन० टी० सी० के सुव्यवस्थित कामगारों के पुर्ननियोजन और पुनः प्रशिक्षण के लिए पुनर्वासन निधि योजना में 50 करोड़ रु० की राशि प्रदान की गई है। विद्युतकरघा/रीलिंग एककों की स्थापना के लिए ऐसे कामगारों को प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहायता तथा संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिए योजनाएं पहले से तैयार कर ली गई है।

सुबास चन्द्र नायक : महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि कर्मचारियों की छंटनी कारण क्या सरकार की कर्मचारी संघ को उनके मुद्दों पर चर्चा करने तथा उनके पुनर्वासिन के सम्बन्ध में आमन्त्रित करने की योजना है। सरकार द्वारा उठाये गये विशेष कदम क्या-क्या हैं ?

[...नी]

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसके बारे में हमारा डिसकशन नियमित रूप से यूनियन लीडर्स के साथ चलता रहता है कुछ यूनियन के बारे में शिकायत होगी तो मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा कि वे हमारे ध्यान में

लाएं। वहां यूनियन में जो मैनेजमेंट है उनके साथ यूनियन की बैठक कराकर उसको सार्ट आउट कर सकें।

[अनुवाद]

सुबास चन्द्र नायक : विचार-विमर्श करने तथा श्रमिकों की शिकायतों के निपटान हेतु समय-बद्ध कार्यक्रम क्या है ? इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, टाइम बाउन्ड प्रोग्राम की कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जल्दी-से-जल्दी समस्या का हल हो। मैं चाहूंगा कि जो यूनियन की शिकायत है वह हमारे पास आए या वे एन० टी० सी० की कमेटी में चले जाएं और हमारे पास भी आएं।

[अनुवाद]

श्री मुरली देवरा : मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया है कि सर्वांगीण सुधार नीति के अन्तर्गत उन्होंने 50 करोड़ रुपये की धनराशि प्रदान की है। क्या विभाग इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय नवीकरण निधि से भी धनराशि प्राप्त कर रहा है ? मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत सरकार सेवा-निवृत्त हो रहे श्रमिकों की सहायता कर रही है। कितने श्रमिकों ने यह स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना अपनाई है ? उनकी सेवा-निवृत्ति के बाद सरकार उन्हें क्या सुविधाएं प्रदान कर रही है ?

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं तो हमने जो वी०आर०-एस० दिया है तो उससे करीब 15 हजार लोग जा चुके हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत हमने यह स्कीम दी है जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे तो वी०आर०एस० के अलावा उनके पुनरुत्थान के लिए मजदूर कोई काम करना चाहें तो उनके लिए अलग से 50 करोड़ रुपया कोरपस फण्ड की स्कीम बनाई गई है जिसके अन्तर्गत हम ओल्ड पावरलूम देते हैं और वे चाहें तो नये पावरलूम ले सकते हैं और वे चाहें तो रिलिंग यूनिट लगा सकते हैं। हमने स्कीम बनाई है कि जो छह महीने काम करते हैं और पच्चीस परसेंट जो इन्वेस्ट होगा तो वह वापिस उनको सबसिडी के तौर पर देंगे।

प्रो० रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि राजस्थान के ब्यावर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम की जो मिलें हैं तो उन मिलों के अन्दर अधिकांश मजदूरों को बुला-बुलाकर उनको सेवा-निवृत्ति के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या उन ब्यावर की मिलों को बन्द किया जायेगा। मन्त्री महोदय ने सदन में बताया था कि वे मिलें मुनाफे में चल रही हैं और अब वे घाटे में आ गई हैं तो मजदूरों के भाग्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। मंत्री जी वहां स्वयं गए हैं······ (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए। यह तो क्लास का लैक्चर हो गया है।

प्रो० रासा सिंह रावत : मैं जानना चाहता हूं कि कितने मजदूरों को भर्ती किया जा चुका है तो उन मिलों के भली प्रकार से संचालन के लिए वस्त्र निगम द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है।

मान्यवर, मैं खुद ब्यावर गया था, मुझसे माननीय सदस्य मिलते भी हैं मैंने पहले भी कहा है कि वी० आर० एस० इसलिए लागू की गई है कि एन० टी० सी० की हालत खराब है और 3300 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। सरकार का कैश रिएम्बर्समेंट बन्द है। अगर मजदूर जाना चाहते हैं तो जायें, लेकिन किसी के साथ जबर्दस्ती नहीं की जा रही है, अगर आपके ध्यान में ऐसी बात है कि मैनेजमेंट वाले जबर्दस्ती रिटायर कर रहे हैं तो मुझे बतायें मैं मैनेजमेंट से बात करूंगा।

श्री दिलीप सिंह भूरिया : माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम मजदूरों को रिटायर कर रहे हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र रतलाम में सज्जन मिल है वह अच्छी हालत में है। उसको प्रबन्धक बन्द करना चाहते हैं, मजदूर को-आपरेटिव बेसेज पर चलाना चाहते हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई योजना है कि वे चला सकें और लाभ अर्जित कर सकें? वित्त मंत्री भी बैठे हुए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि मजदूरों की प्रबन्धन में भागीदारी हो और हमारे देश का उत्पादन बढ़े क्या ऐसी कोई योजना आप बनाकर स्वीकृति देंगे? इसके साथ ही यह भी पूछना चाहता हूं कि मजदूरों की पेंशन के बारे में जो बिल लाने वाले थे, वह नहीं आया है, क्या ऐसी कोई योजना है?

श्री अशोक गहलोत : ये एन० टी० सी० की नहीं, बल्कि प्राइवेट मिल की बात कर रहे हैं।

श्री तेज नारायण सिंह : अभी इस साल कितने मजदूरों की छंटनी की सरकार की योजना है और अगर वह उनकी छंटनी करेगी तो क्या कोई दूसरा काम देगी?

श्री अशोक गहलोत : मैं जवाब दे चुका हूं। जब देवड़ाजी ने पूछा था। यह स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना है। जितने लोग जाना चाहें जा सकते हैं। उसके बाद मिलों का आधुनिकीकरण होगा इसके लि 532 करोड़ रुपये की योजना बनाई है। जहां तक मजदूरों को लगाने की बात है हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों के लिए म्यूचुअल फण्ड की स्थापना

*74. **प्रो० प्रेम धूमल**† :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों के लिए अलग म्यूचुअल फण्ड की स्थापना के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) अखिल भारतीय निर्माता संगठन (दि आल इंडिया मैन्यूफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन) ने सरकार को प्रस्तुत किए गए एक ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव दिया है कि लघु उद्योग क्षेत्र को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने के लिए 10,000/-करोड़ रुपयों के प्रारंभिक अंशदान से एक म्यूचुअल फण्ड की स्थापना की जाए।

(ग) भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत सेबी को म्यूचुअल फण्डों सहित सामूहिक निवेश योजनाओं (स्कीमों) को पंजीकृत करने और उनके कार्यचालन को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है। अखिल भारतीय निर्माता संगठन से प्राप्त ज्ञापन सेबी को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने माना है कि एक ज्ञापन इनको प्राप्त हुआ और इसने सेबी को भेज दिया। मैं जानना चाहूंगा कि लघु उद्योग के संकट को देखते हुए सरकार केवल मात्र ज्ञापन को प्राप्त करके उसको भेजने का काम यानि पोस्टमैन का काम करेगी या केन्द्रीय वित्त मंत्री लघु उद्योग को कुछ सहायता देने के लिए अपनी ओर से भी कदम उठायेंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : उद्योग मंत्रालय और विभिन्न मंत्रालयों की ओर से लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत तरह की सुविधायें दी गयी हैं और छोटे उद्योगों को आर्थिक समर्थन देने के लिए अलग से एक संस्था बनायी गयी है जिसके जरिये उन्हें आवश्यक आर्थिक विनियोजन किया जाता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जो अखिल भारतीय उत्पादक संगठन की ओर से ज्ञापन आया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि दस हजार करोड़ रुपये की राशि के एक अलग से मुचुअल फंड की स्थापना करनी चाहिए। चूंकि यह विषय एस० ई० बी० आई० के मार्फत होता है और संसद में इस आशय का कानून भी पास हुआ है तो उसकी व्यवस्था एस० ई० बी० आई० देखती है तथा उसका संचालन और मंजूरी भी वह दे सकती है। इसलिए इस ज्ञापन को सेबी की आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है।

प्रो० प्रेम धूमल : मैं जानना चाहता हूं कि यह ज्ञापन आपको कब प्राप्त हुआ और आज सेबी को कब भेजा गया और आज तक सेबी ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : सेबी ने इसपर क्या कार्रवाई की है, इसकी सूचना हमें अभी प्राप्त नहीं हुई है। जब भी प्राप्त होगी तो माननीय सदस्य को सूचित करेंगे लेकिन यह निवेदन आपसे कहना है कि यदि मुचुअल फण्ड के लिए कोई योजना बनायी जाये तो उसकी मंजूरी सेबी देती है। मुचुअल फण्ड को बनाये जाने के लिए तीन तरह से योजनायें बनायी जाती हैं। एक तो यह है कि जिसमें अधिकतर आमदनी हो जिसे इनकम ओरिएंटेड कहते हैं, दूसरी ग्रोथ ओरिएंटेड यानि जिसमें विकास की संभावनायें ज्यादा हों और तीसरी यह है दोनों बातों को ध्यान में रखकर इसको दिया जाता है कि मौके पर अधिक से अधिक राशि लोगों से संचय करके जो उनकी बचत योजना है, उसमें से लेकर लोगों को रुपया दिया जाये। इसके अन्तर्गत यदि कोई संगठन यह प्रस्ताव देता है या मुचुअल फण्ड में जो एक व्यावहारिक योजना बनने वाली है या उसका सुझाव मात्र है और जो संचालन करना चाहता है, वह दें। इन विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए सेबी को जो ज्ञापन दिया गया है, जब सेबी कोई निर्णय लेगी तो माननीय सदस्य को उसकी सूचना दी जायेगी।

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : महोदय, दुबारा मंत्री महोदय केअभी दिये गये उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता है कि क्या प्रस्तावित म्यूचुअल फण्ड की स्थापना एस० ई० बी० आई० द्वारा की जायेगी। एस० ई० बी० आई० केवल इसे संचालित एवं मंजूरी दे सकती है। अतः, हम सुस्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि वित्त मंत्रालय विशेष तौर पर लघु-उद्योगों के लिए म्यूचुअल फण्ड स्थापित करने

पर विचार कर रहा है अथवा नहीं और यदि नहीं, तो क्या वित्त मंत्रालय ऐसा करेगा ?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, म्यूचुअल फण्ड उस प्रकार का वित्त प्रदान करने के लिए विद्यमान नहीं है जैसा कि माननीय सदस्यों के मन में है। पहले ही संस्थान विद्यमान् हैं। उदाहरणार्थ एस० आई० डी० बी० आई० वित्त-पोषण शब्द और लघु-उद्योग क्षेत्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत लघु उद्योगों के लिए कार्यकारी-पूंजी की देखरेख बैंकों द्वारा की जाती है। अतः, सरकारी क्षेत्र में एक नये म्यूचुअल फण्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

वित्तीय घाटे पर नियन्त्रण

*75. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** :

श्री मुमताज अंसारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बीच हाल ही में कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मिशन ने अक्तूबर, 1992 में अनुच्छेद IV के आवधिक परामर्श और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान वैकल्पिक व्यवस्था पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए भारत का दौरा किया। विस्तारित कोष सुविधा के लिए कोष की मध्यम अवधि की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रारम्भिक विचारों का आदान-प्रदान भी किया गया था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, यह कोई उत्तर नहीं है। प्रश्न यह था कि वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने के बारे में कोई बैठक हुई थी। प्रश्न यह था। परन्तु, उत्तर क्या दिया गया है ?

श्री मनमोहन सिंह . महोदय, यह एक समीक्षा-बैठक थी और, इसलिए, इस बैठक का उद्देश्य उस कार्यक्रम की समीक्षा करना था, जो कि हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ मिलकर बनाया है। उससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वेतन ढांचे सम्बन्धी समिति

*64. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** :

श्रीमती वासवाराजेश्वरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा साविधिक

निगमों आदि के कर्मचारियों के वेतन-ढांचे के बारे में अध्ययन और जांच करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कारवाई की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तों इस मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समिति के विचारार्थ विषय व्यापक हैं जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के वेतन और महंगाई-भत्ते के ढाचे के बारे में बहुत से आंकड़े एकत्र करना तथा उनका विस्तृत विश्लेषण करना शामिल है। समिति के सम्मुख उसके जटिल कार्यों को मद्देनजर रखते हुए, विशेषज्ञ समिति की अवधि 31-12-92 तक बढ़ा दी गई है।

रुपया-रूबल विनिमय दर

***65. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपया-रूबल विनियम दर में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में रूस की सरकार के साथ कोई समझौता हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नये राष्ट्रीय राजमार्ग

[हिन्दी]

***68. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :**

डा० बसन्त पवार :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सड़कों/राजकीय राजमार्गों के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया जिन्हें क्रमशः 1992-93 तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने का प्रस्ताव है और तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान नये राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करने के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस प्रयोजन हेतु ली जाने वाली विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) आठवीं योजना में राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सीमित आबंटन होने के कारण फिलहाल कोई भी नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करना कठिन है । यदि, राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए आबंटन में वृद्धि की गई तो आठवीं योजना की मध्यावधिक समीक्षा के समय इस मामले की पुनः जांच की जाएगी ।

(ग) नये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए विदेशी सहायता लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा छापे

[अनुवाद]

*69. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** :

श्री हरिकेवल प्रसाद :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1992 से 31 अक्तूबर, 1992 तक विभिन्न प्रवर्तन एजेन्सियों में से प्रत्येक द्वारा मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन छापों के दौरान कितने-कितने मूल्य का लेखा-बाह्यधन, सोना तथा अन्य सम्पत्ति का पता लगा है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया तथा कितनों का दोष सिद्ध हुआ ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वित्त मन्त्रालय के अधीन प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा 1 जुलाई, 1992 से 31 अक्तूबर, 1992 तक की अवधि के दौरान ली गई तलाशियों/जब्तियों का बिवरण ।

क्र०सं०	एजेंसी	तलाशियों/ जब्तियों की संख्या	जब्त की गई अनगिनत मुद्रा सोना और अन्य धन-सम्पत्ति (रु० करोड़ों में)	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	सीमा शुल्क	19281	246.85	—
2.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	946	25.89	—
3.	आयकर	1995	169.14	—

1	2	3	4	5
4.	प्रवर्तन	362	1.90	—
5.	स्वापक नियंत्रण ब्यूरो	29	2.64	कालम 4 के अन्तर्गत बताई गई जब्त की गई परिसंपत्तियों की कीमत के अतिरिक्त मारुति कार और स्वापक औषधियां जिसमें हेरोईन, गांजा और मेथ्क्वालोन शामिल है भी जब्त किए गए थे ।
6.	केन्द्रीय आर्थिक अभिसूचना ब्यूरो	7	—	अपराध में फंसाने वाले दस्तावेज जब्त किए गए ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

मध्य प्रदेश को केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता

[हिन्दी]

*72. **कुमारी विमला वर्मा :**

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि से सहायता के लिए भेजी गई परियोजनाओं/योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने परियोजनावार क्या कार्रवाई की है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सहायता के लिए अगस्त, 91 में भेजी गई योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) चूंकि संसद द्वारा दिनांक 13-5-1988 को पारित संशोधित संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि में अभी वास्तविक वृद्धि नहीं हुई है, इसलिए इन योजनाओं पर कार्यवाही नहीं की जा सकी । तथापि राज्य सरकार द्वारा पुराने संकल्प के अनुसार केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत 31-3-1992 तक उन्हें प्राप्त हुई राशि का पहले ही उपयोग किया जा चुका है ।

विवरण

क्र०सं०	मार्ग का नाम	अनुमानित लागत लाख रुपये
1	2	3
	प्रथम प्राथमिकता :	
	भोपाल मंडल क्रमांक-1	
1.	भोपाल दिवानगंज मार्ग (राज्य राजमार्ग-18) (किमी० 26.12, 13.20, 21.23) और 22 पूर्ण (कुल लम्बाई-8 किमी०)	13.43
2.	भोपाल सीहोर मार्ग (राज्य राजमार्ग-18) (किमी० 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 23) (कुल लम्बाई-9 किमी०)	16.02
3.	भोपाल बायपास मार्ग (राज्य राजमार्ग-18) (किमी० 5, 6, 8) (कुल लम्बाई-3 किमी०)	3.65
4.	भोपाल बैरसिया मार्ग (राज्य राजमार्ग-23) (किमी० 16, 25, 26, 27, 28, 37) (कुल लम्बाई-6 किमी०)	8.47
5.	भोपाल सीरीज मार्ग (राज्य राजमार्ग-23) (किमी० 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10) (कुल लम्बाई-8 किमी०)	
	भोपाल मंडल क्रमांक-2	
6.	भोपाल दिवानगंज मार्ग (राज्य राजमार्ग-18) (किमी० 18.8)	85.507
7.	भोपाल इंदौर मार्ग (राज्य राजमार्ग-18) (किमी० 30.40)	255.208
8.	बासौदा सीरोज मार्ग (राज्य राजमार्ग-23) (किमी० 28.4)	147.396
9.	सीरोज मशोन मार्ग (राज्य राजमार्ग-23) (किमी० 5.6)	29.064
10.	सीरोज मकसूदन गढ़ मार्ग (राज्य राजमार्ग-14) (किमी० 30.60)	158.814

1	2	3
11.	विदिशा अशोक नगर (ओडर से विदिशा मार्ग) (राज्य राजमार्ग-19) (किमी० 70.00)	429.30
	सागर मंडल	
12.	विदिशा सागर मार्ग (राज्य राजमार्ग-18) किमी० 35.2)	51.75
13.	रतनगढ़ भोपाल मार्ग (राज्य राजमार्ग-18) (किमी० 14.6)	51.75
	गुना मंडल	
14.	मकसुदनगढ़ सुथलिया मार्ग (राज्य राजमार्ग-14) (किमी० 7.8)	12.324
15.	देहराना राजघाट मार्ग (राज्य राजमार्ग-10) (किमी० 22)	51.15
16.	मुंगावली ओडेर मार्ग (राज्य राजमार्ग-19) (किमी० 11)	18.57
17.	मुंगावली चंदेरी मार्ग (राज्य राजमार्ग-19) (किमी० 23)	31.21
18.	अशोक नगर विदिशा मार्ग (राज्य राजमार्ग-19) (किमी० 33)	77.13
19.	चाचोड़ा मनोरथाना मार्ग (राज्य सीमा तक) (किमी० 8.4)	25.[illegible]
20.	ब्यारा सुथालिया मार्ग (राज्य राजमार्ग-14) (किमी० 15.8)	63.95
21.	सुथालिया मकसुदनगढ़ मार्ग (राज्य राजमार्ग-14) (किमी० 7)]	29.82
	उज्जैन मंडल	
22.	रतलाम नसीराबाद मार्ग (राज्य राजमार्ग-31) (किमी० 16)	75.55
	द्वितीय प्राथमिकता	
	भोपाल मंडल क्रमांक-1	
23.	विदिशा तेरसिया मार्ग (किमी० 3)	3.[illegible]

1	2	3
24.	भोपाल रायसेन मार्ग (किमी० 5)	22.23
	भोपाल मंडल क्रमांक-2	
25.	भोपाल रायसेन मार्ग (किमी० 29.8)	283.371
	गुना मंडल	
26.	आवना मकसुदनगढ़ (किमी० 27.3)	61.698
27.	अशोक नगर ईसगढ़ मार्ग (किमी० 23)	48.24
	कुल योग :	2005.77 लाख
	अर्थात् :	20.06 करोड़

[अनुवाद]

एन्नोर और पारादीप पत्तनों के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता

*73. **डा० राजागोपालन श्रीधरण :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक कोयले की ढुलाई के लिए एन्नोर और पारादीप पत्तनों के विकास हेतु वित्त प्रदान करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ऋणों की अदायगी के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं; और

(घ) इससे घरेलू बाजार में कोयले के बिक्री मूल्य में कितनी वृद्धि हो जाने की सम्भावना है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) एशियाई विकास बैंक ने 285 मिलियन डालर का ऋण दिया है जिसमें पारादीप पत्तन पर यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाओं के सृजन के लिए 134.85 मिलियन डालर और एन्नोर पत्तन के लिए 150.15 मिलियन डालर की राशि शामिल है।

(ग) पांच वर्ष की भुगतान स्थगन की अवधि के बाद ऋण की अदायगी 15 वर्ष की अवधि के अन्दर की जानी है। ब्याज की दर वही होगी जिसे बैंक द्वारा अपने साधारण पूंजीगत संसाधनों से दिए जाने वाले ऋणों पर लागू प्रक्रिया के अनुसार समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन पर और स्वतः कोयले की कीमत बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि टी० एन० ई० बी० को परिवहन लागत में लगभग 300 रु० प्रति टन की बचत होगी।

[हिन्दी]

राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयां

*76. श्री छेदी पासवान :

श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को अपनी वित्तीय कठिनाइयों से अवगत कराया है;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठायें हैं/उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) जी, हां। अरुणाचल प्रदेश, असम हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, बिहार, गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब तथा पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों ने सूचित किया है कि वे चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

(ग) राज्यों को संसाधनों का अन्तरण वित्त आयोग या योजना आयोग की सिफारिशों पर किया जाता है। राज्य की हकदारियां मासिक/तिमाही आधार पर रिलीज की जाती हैं अथवा राज्य सरकारों द्वारा दाखिल किए गए दावों के आधार पर प्रतिपूर्ति की जाती है। ओवरड्राफ्ट वाले राज्यों को ओवरड्राफ्ट से निकलने के लिये कदम उठाने की सलाह दी जाती है। जब ओवरड्राफ्ट बना रहता है तो उन्हें उससे उबारने के लिये राज्य की हकदारियों को समय से पूर्व भी दिया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष

*77. श्री राम कापसे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न केन्द्रीय मजदूर संघों ने केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय नवीकरण कोष का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त कोष की स्थापना के समय मजदूर संघों से विचार-विमर्श किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) . (क) से (ङ) सरकार का

उन कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना करने का विचार है जिन कर्मकारों पर वित्त मंत्री द्वारा 24 जुलाई, 1992 को पेश किए गये 1991-92 को बजट भाषण में घोषित नयी औद्योगिक नीति से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। श्रम मंत्रालय द्वारा गठित विशेष त्रिपक्षीय समिति की 20-1-1992 को आयोजित बैठक में श्रम तथा अन्य संबंधित विषयों पर नयी औद्योगिक नीति के प्रभाव पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष सम्बन्धी संकल्पना पत्र प्रस्तुत किया गया था। श्रमिक पक्ष ने संकल्पना पत्र का विरोध किया क्योंकि इसकी राय थी कि यह केवल छंटनी-मुआवजे से सम्बन्धित है। इस सम्बन्ध में की गयी घोषणा के अनुसरण में सरकार ने 3-2-1992 को राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की।

विदेशी सहायता

***78. श्री अमल दत्त :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत के लिए स्वीकृत 1.45 बिलियन डालर के अप्रयुक्त ऋण को हाल ही में रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस ऋण का किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाना था और इसका उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) विदेशी वित्तीय संस्थानों और विभिन्न देशों से प्राप्त ऋण जो गत तीन वर्षों से अप्रयुक्त पड़े हैं उनका संस्थान/देश-वार और वर्ष-वार ब्योरा क्या है;

(घ) प्रत्येक मामले में उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) उपयोग न किये गये ऋणों पर कितना ब्याज दिया गया; और

(च) सरकार द्वारा विदेशों से प्राप्त ऋण का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) वचनबद्ध किए गए वास्तविक लक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई० बी० आर० डी०) के एक अरब अमरीकी डालर राशि के ऋण को निरस्त करने तथा 0·65 अरब अमरीकी डालर के बराबर की अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण की ऋण राशि को त्वरित संवितरण कार्रवाई के रूप में संरचनात्मक समायोजन ऋण के वित्तपोषण हेतु पुनः नियोजित करने के लिए दिसम्बर, 1991 में भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच एक समझौता हुआ था। यह इस कारण भी आवश्यक हो गया था क्योंकि परियोजनाओं के धीमे क्रियान्वयन के कारण असंवितरित ऋणों और उधारों की राशि बड़ी मात्रा में एकत्रित हो गई थी तथा रुपए के मूल्यह्रास के परिणामस्वरूप काफी बचत हो गई थी। सहायता की राशि के उपयोग को बढ़ाने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जाने के बावजूद इन परियोजनाओं के लिए उधार की शेष राशि का काफी मात्रा में आहरण न किए जाने से समग्र उपयोग की गति धीमी पड़ती जा रही थी तथा नई परियोजनाओं के लिए धन व्यवस्था हेतु बातचीत करने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि भारत के मामले में विश्व बैंक द्वारा अधिकतम

सीमाओं तक ऋण दिया जा चुका था। जिन परियोजनाओं के सम्बन्ध में ऋणों का निरसन किया गया उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) 31-3-90, 31-3-91 और 31-3-92 की स्थिति के अनुसार अनाहारित शेष राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित वर्षों के बारे में और अधिक ब्यौरे विदेशी सहायता पुस्तिकाओं में दिए गए हैं जिन्हें संसद के पुस्तकालय में रखा गया है।

(घ) विदेशी सहायता का अधिकांश भाग विशिष्ट परियोजनाओं से सम्बद्ध होता है और इनका संवितरण परियोजना की क्रियान्वयन सारणी के अनुसार किया जाता है। प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन की गति अलग-अलग होती है। तथापि, किसी वर्ष विशेष के दौरान जिस ऋण राशि का उपयोग नहीं होता है तो वह राशि व्यपगत नहीं होती और उसे अनुवर्ती वर्षों के दौरान उपयोग करने के लिए अग्रेणीत कर लिया जाता है।

(ङ) ऋण की अप्रयुक्त राशि पर ब्याज की कोई अदायगी नहीं करनी पड़ती है लेकिन कुछ स्रोतों से प्राप्त ऋणों की अप्रयुक्त राशियों पर वचनबद्धता प्रभार अदा करना पड़ता है। वर्ष 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान कुल 203·5 करोड़ रुपए का वचनबद्धता प्रभार अदा किया गया।

(च) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा विदेशी सहायता के उपयोग की गति में तेजी लाने के लिए सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें विदेशी मुद्रा जारी करने तथा निविदा के मूल्यांकन की पद्धति को सरल बनाना, राज्यों को शत प्रतिशत विदेशी सहायता देना तथा विदेशी सहायता-परियोजनाओं के लिए अग्रिम राशियां जारी करना शामिल है। विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में निगरानी बरतने में तेजी लाई जा रही है।

विवरण-I

भारत : आई० बी० आर० डी० के साथ सहमत निरस्तिकरण का परियोजनावार ब्यौरा

परियोजना का नाम	(मिलियन अमेरिकी डालर) सहमत निरस्तिकरण (क)
1	2
1. हिमालय जल-विभाजक	1.0
2 ए० पी० कंपोजिट—II	90.0
3. राष्ट्रीय रेशम कीट पालन	30.0
4. ऊपरी कृष्णा सिंचाई—II	80.0
5. जल विभाजक विकास (पहाड़ी)	13.0

1	2
6. जल विभाजक विकास (मैदानी)	7.0
7. पंजाब सिंचाई	15.0
8. ऊपरी इन्द्रावती पन	156.0
9. फरक्का—II	
10. राष्ट्रीय राजधानी बिजली आपूर्ति	119.9
11. तलचर तापीय	
12. चन्द्रपुर तापीय	20.0
13. कर्नाटक विद्युत	70.0
14. कर्नाटक विद्युत—II	40.0
15. उत्तर प्रदेश विद्युत	303.0
16. मध्य प्रदेश शहरी	5.0
17. उत्तर प्रदेश शहरी	20.0
18. हैदराबाद जल और मल निकासी	10.0
19. परिवार कल्याण प्रशिक्षण	11.3
20. जनसंख्या प्रशिक्षण-(VII)	10.0
21. आई० डी० डी० एस० I (उड़ीसा और ए० पी०)	10.0
22. व्यावसायिक प्रशिक्षण	30.0
23. तकनीकी शिक्षा	25.0

विवरण-II

31-03-90, 31-03-91 तथा 31-03-92 की स्थिति के अनुसार समापन ऋण श्रृंखला को दर्शाने वाला विवरण।

(करोड़ रुपए)

क्रम सं०	देश	31-3-90 को अनाहारित शेष	31-3-91 को अनाहारित शेष	31-3-92 को अनाहारित शेष
1	2	3	4	5
	सरकारी ऋणे :			
1.	आई० डी० ए०	7110.84	8773.08	11083.75

1	2	3	4	5
2.	आई० बी० आर० डी०	11005.14	12283.39	16725.82
3.	आई० एफ० ए० डी०	86.41	71.85	136.17
4.	आबूधाबी निधि	0.00	0.00	0.00
5.	आस्ट्रिया	23.28	6.57	32.94
6.	बेल्जियम	12.26	14.42	19.56
7.	कनाडा	0.00	0.00	0.00
8.	डेनमार्क	17.66	20.38	31.91
9.	फ्रांस	709.40	685.69	931.55
10.	इटली	47.95	104.55	860.40
11.	जापान	2761.32	4466.39	7515.59
12.	कुवैत निधि	94.95	100.75	166.16
13.	नीदरलैण्ड	62.27	54.27	115.58
14.	ओपेक	50.56	58.83	72.53
15.	सऊदी निधि	136.47	121.94	158.93
16.	स्वीडन	293.03	179.44	157.89
17.	स्विट्जरलैण्ड	69.93	66.13	156.23
18.	बुल्गारिया	3.00	0.00	0.00
19.	यू० के०	0.00	0.00	0.00
20.	संयुक्त राज्य अमेरिका	270.80	268.50	316.99
21.	यू० एस० एस० आर०	15975.74	18451.43	24896.78
22	एफ० आर० जी०	947.55	1795.93	2022.02
23.	चेकोस्लोवाकिया	36.75	0.00	0.00
24.	ईरान	642.37	0 00	00.0
25.	आई० एस० ओ०	0.00	0.00	0.00
26.	रोमानिया	0.26	0.00	0.00

1	2	3	4	5
27.	एशियाई विकास बैंक	2110.92	2634.04	4804.08
28.	स्पेन	38.94	7.14	0.00
29.	पोलैण्ड	0.01	0.00	0.00
30.	इराक	178.51	0.00	0.00
31.	हंगरी	343.21	386.47	621.99
	जोड़ :	43028.61	50551.19	70826.87

आई० एम० ए० में केडेटों की मृत्यु

*79. **श्री हरि किशोर सिंह :**

श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अक्तूबर, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में लापरवाही के कारण भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के कैडेटों की मृत्यु से सम्बन्धित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ग) इस जांच के निष्कर्ष क्या हैं और विभिन्न गलतियों के लिए निश्चित की गई जिम्मेदारी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में इस सम्बन्ध में कौन से उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) सरकार को इस मामले में समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) से (घ) दो मामलों के सम्बन्ध में दो अलग-अलग जांच अदालतों के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्टें मुख्यालय, मध्य कमान के विचाराधीन हैं।

उदार आर्थिक नीति के परिणाम

[हिन्दी]

*80. **श्री एस० एन० बेकारिया :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अपनायी गई उदार आर्थिक नीति के अब तक क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या ये परिणाम आशाओं के अनुरूप हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधार सम्बन्धी उपायों के परिणामों को उनके आर्थिक स्थिति में हुए तत्काल परिवर्तनों पर प्रभाव के साथ-साथ उन्हें दीर्घकाल में कायम रहने वाली वृद्धि को प्राप्त करने के लिए संरचनात्मक सुधारों के रूप में देखा जाना है। आर्थिक नीतियों में हुए परिवर्तन बहुत व्यापक हैं और इनका अर्थव्यवस्था के भविष्य के कार्य-निष्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। सुधारात्मक उपायों के आरम्भिक परिणाम भी उत्साहवर्धक रहे हैं। सरकार द्वारा अपनायी गई उदार आर्थिक नीतियों की प्रमुख उपलब्धियां निम्न प्रकार है :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास को पुनर्स्थापित किया गया है तथा भुगतान संतुलन में स्थिरता आई है। अक्तूबर, 1992 के अन्त में विदेशी मुद्रा भण्डार 5.45 अरब अमरीकी डालर तक पहुंच गया। 1992-93 के पहले छ: महीनों के दौरान अनिवासी भारतीयों के खातों की मासिक निकासियां पिछले वर्ष की तदनुरूप अवधि के दौरान 12870 लाख अमरीकी डालर से घटकर 3660 लाख अमरीकी डालर हो गई।

(ii) सरकार का राजकोषीय समेकन कार्यक्रम निर्धारित समयानुसार चल रहा है। राजकोषीय घाटा, जो कि 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 8.5 प्रतिशत पर चल रहा था, पिछले वर्ष घटकर 6.5 प्रतिशत पर लाया गया और इस वर्ष उसे और कम करके 5 प्रतिशत तक लाने का प्रस्ताव है।

(iii) सख्त मौद्रिक नीति के साथ-साथ सख्त राजकोषीय नीति के फलस्वरूप मुद्रास्फीति की दर में गिरावट आई है, जैसा कि थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मापा गया है। यह अगस्त, 1991 में 16.7 प्रतिशत से गिरकर 7 नवम्बर, 1992 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 9.1 प्रतिशत थी।

(iv) अप्रैल—सितम्बर, 1992 के दौरान हमारे निर्यातों में अमरीकी डालर के अनुसार 5·37 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यदि सामान्य करेंसी क्षेत्र के निर्यातों पर ध्यान करें तो निर्यातों का निष्पादन अधिक अच्छा रहा। अप्रैल—सितम्बर, 1992 के दौरान सामान्य करेंसी क्षेत्र को किए गए निर्यातों में 12.06 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली हमारी नीतियों ने निर्यातों को बढ़ाने में योगदान दिया।

(v) अप्रैल—जुलाई, 1992 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में इसमें 1.4 प्रतिशत की कमी आई थी।

(vi) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने की उदार नीतियों के फलस्वरूप अगस्त, 1991 से जुलाई, 1992 के दौरान, पिछले वर्ष की इसी अवधि में 166 करोड़ रुपये निवेश के अनुमोदनों की तुलना में कुल विदेशी निवेश के अनुमोदन बढ़कर 1954 करोड़ रुपये हो गए हैं। अगस्त—अक्तूबर, 1992 के दौरान विदेशी निवेश संबंधी अनुमोदनों की राशि 1725 करोड़ रुपये बैठती है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 162

करोड़ रुपये थी ।

अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना की प्रक्रिया, आरम्भिक प्रत्याशा की तुलना में काफी कम कष्ट-दायक और काफी कम प्रवर्द्धित रही और अब तक हुए सुधारात्मक उपायों के परिणाम कुल मिलाकर सरकार की अपेक्षाओं के अनुकूल रहे हैं ।

दिल्ली में बाल श्रमिक

[अनुवाद]

692. **श्री विश्वनाथ शास्त्री :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में बाल श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय दिल्ली में इनकी संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान, बाल श्रमिकों की संख्या में हुई वृद्धि का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बाल श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन कुमार घाटोवार) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली सरकार ने यह सूचना दी है कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बाल श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । तथापि, 1971 और 1981 की जनगणना के अनुसार 0— 4 वर्ष बीच के आयु वर्ग के कार्यरत बालकों की संख्या क्रमशः 17,120 और 25,719 थी ।

(घ) और (ङ) कार्य स्थल पर बालकों को शोषण से बचाने और उनको कामकाज की दशाओं में सुधार करने के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों में विधायी प्रावधान किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, बाल श्रम (उत्सादन एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 कतिपय खतरनाक व्यवसायों और संक्रियाओं में बालकों के नियोजन को प्रतिबद्ध करता है और अन्य क्षेत्रों में उनके नियोजन को विनियमित करता है ।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जो इन प्रावधानों के प्रवर्तन के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं, के प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत 50% की सहायता दी जाती है ।

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 में तैयार की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रमिकों के लाभ के लिये सामान्य विकास कार्यक्रमों पर ध्यान देने और बाल श्रम की उच्च सघनता वाले क्षेत्रों में परियोजना आधारित कारंवाई योजना शुरू करने का प्रावधान है ।

कार्योन्मुखी परियोजनाएं शुरू करने के लिये स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है । इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से कामकाजी बालकों के लाभार्थ

सी० एल० ए० एस० पी० (बाल श्रम कार्रवाई सहायता कार्यक्रम) और आई० पी० ई० सी० (बाल श्रम के उन्मूलन के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम) नामक दो परियोजनाएं भी आरम्भ की गई हैं।

उपरोक्त उपाय दिल्ली सहित पूरे देश में लागू हैं।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर खड़ंजा

693. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़कों के नेटवर्क का काफी बड़े भाग पर खड़ंजा नहीं है तथा राजमार्ग की खड़ंजा की गई सड़कें भी भारी वाहनों के यातायात के लिए अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत सरकार मुख्यतः राजमार्गों के विकास से सम्बन्ध रखती है। अन्य सभी सड़कें सम्बन्धित राज्य सरकारों के नियंत्रण में होती हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेवमेंट की मोटाई की अपर्याप्तता के मूल्यांकन से पता लगता है कि कुल 33689 किलो मीटर की लम्बाई में से आठवीं योजनावधि के दौरान 19000 किलो मीटर में पेवमेंट को सुदृढ़ करने की जरूरत है। राष्ट्रीय राजमार्ग पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और यह कार्य विभिन्न योजना अवधियों में शुरू किया जा रहा है। जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। आठवीं योजना के लिए 7830 करोड़ रुपये की परियोजित आवश्यकता के विपरीत केन्द्रीय क्षेत्र के सड़क कार्यक्रम के लिए 2600 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये हैं। उपलब्ध बजट के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुदृढ़ीकरण कार्य आठवीं योजना में चरणबद्ध रूप में शुरू किए जाएंगे।

बिहार में संस्थागत ऋण का वितरण

[हिन्दी]

694. **श्री राम टहल चौधरी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में संस्थागत ऋण का वितरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान वितरित संस्थागत ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 1989-90 और 1990-91 के दौरान बिहार में संवितरित संस्थागत ऋण इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपया)

	1989-90	1990-91
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	82.6	42.8
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	11.7	5.4
भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम	7.9	9.1
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	—	43.8
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक	8.5	5.7

टिप्पणी : जब 2-4-90 को सिडबी बना तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का लघु उद्योग पोर्ट-फोलियो 1990-91 के दौरान सिडबी को अन्तरित किया गया। 1990-91 में बिहार को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के शेयर में कमी का यही कारण है।

(ग) प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

उड़ीसा में ग्रामीण उद्योग स्थापित करना

695. **श्री श्रीकान्त जेना :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने उड़ीसा में ग्रामीण उद्योग लगाने में कोई परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की भावी योजनाएं क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) चूंकि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) एक अखिल भारतीय संस्था है, इसकी योजनाएं किसी विशेष राज्य के संदर्भ में नहीं बनाई जाती हैं। लघु उद्योग विकास बैंक समस्त देश में राज्य स्तरीय संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों के जरिये अपनी पुनर्वित्त योजनाओं के अन्तर्गत अति लघु और छोटे उद्योगों के क्षेत्र में एककों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहा है। उड़ीसा में लघु उद्योगों को भी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का महत्वपूर्ण भाग प्राप्त हुआ है।

(ग) हालांकि, लघु उद्योग विकास बैंक उड़ीसा के संदर्भ में किन्हीं विशेष योजनाओं पर विचार नहीं किया गया है, फिर भी इसकी विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भविष्य में राज्य में छोटे और लघु एककों को वित्तीय सहायता देने में वह प्रयासरत रहेगा।

खेतिहर मजदूर के बारे में कानून

696. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेतिहर मजदूरों की दशा सुधारने के लिए एक केन्द्रीय विधान के लागू करने एवं उन्हें सामाजिक और आर्थिक शोषण से रक्षा करने की मांग बहुत समय से लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का विधान लागू करने में क्या कठिनाइयां उत्पन्न हो रहीं हैं; और

ग) सरकार का विचार उक्त विधान को कब तक अधिनियमित करने का है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चूंकि कृषि, राज्य का विषय है अतः इस मामले में सभी राज्य सरकारों से परामर्श किया जाना है। अतः कृषि श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय विधानके अधिनियम की मांग के प्रश्न की जांच करने के लिए महाराष्ट्र के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में राज्य श्रम मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है। समिति को अपनी रिपोर्ट शीघ्र देने को कहा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई की जांएगी।

घरेलू ऋण

697. **श्री सत्यनारायण जटिया :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1992 तक घरेलू ऋण की बकाया राशि कितनी है;

ख) उक्त ऋणों पर प्रतिवर्ष कितने रुपयों का ब्याज बकाया है; और

(ग) देय ब्याज के भुगतान तथा घरेलू ऋण की पुनः अदायगी की वर्तमान स्थिति तथा प्रणाली क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा घरेलू संसाधनों से जुटाए गए बाजार ऋणों की कुल राशि और संशोधित अनुमान, 1991-92 के अन्त में बकाया राशि 780' 6 करोड़ रुपये थी।

(ख) ऋण पर देय ब्याज, पूर्ववर्ती वर्ष के अन्त में बकाया राशि और नये उधार जिन पर चालू वर्ष में ब्याज देय हो जाता है तथा ब्याज की वह दर जिस पर ऋण जुटाए गए थे, पर निर्भर करते हुए वर्ष-प्रति-वर्ष बदलता रहता है।

(ग) ऋणों की वापसी-अदायगी और ब्याज की अदायगी ऋण अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अधीन होती है। ब्याज राशि की अदायगी छमाही आधार पर की जाती है जबकि वापसी-अदायगियां ऋणों की परिपक्वता पर की जाती हैं। वर्ष 1992-93 के बजट में इस वर्ष परिपक्व होने वाले ऋणों के लिए 1150.85 करोड़ रुपये और बाजार ऋणों पर ब्याज के लिए 8250 करोड़ रुपये की व्यवस्था शामिल की गई है।

भारतीय पटसन निगम में वित्तीय संकट

[अनुवाद]

69 . श्री जितेन्द्र नाथ दास :

डा० असीम बाला :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पटसन निगम वित्तीय संकट के कारण पटसन की निराशाजनक बिक्री रोकने में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भारतीय पटसन निगम को मुख्य रूप से समुचित संचालन/कार्य निष्पादन और भारतीय पटसन निगम की भण्डारण क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से नये केन्द्र खोलने के लिए पर्याप्त धनराशि देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) भारतीय पटसन निगम से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यूनतम समर्थन कीमतों पर उसे पेश किये जाने वाले कच्चे पटसन की खरीद करे ताकि पटसन उपजाने वाले किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। तदनुसार भारतीय पटसन निगम ने अपने एजेंटों के सहयोग से वर्ष 1992-93 के पटसन मौसम के दौरान 15-11-92 तक कच्चे पटसन की 6,77,554 गांठों की खरीदारी की। सरकार पहले से ही भारतीय पटसन निगम की मार्जिन धनराशि की आवश्यकताओं की गारंटी देती है ताकि वह मूल्य समर्थन प्रचालन शुरू कर सके तथा साथ ही ऐसे प्रचालनों में भारतीय पटसन निगम को यदि कोई घाटा होता है तो उसकी प्रतिपूर्ति की जा सके।

दिल्ली परिवहन निगम (डी० टी० सी०) में महिला बस संवाहक

699. श्री सुधेन्दु खां :

श्री रामचन्द्र घंगारे :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन निगम की बसों में 1975 में महिला संवाहकों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) 1991 में इन संवाहकों की संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इस संख्या में कोई कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) शून्य।

(ख) 35

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के कर्मचारियों के लिए सेवा के नियम

700. **श्री सनत कुमार मंडल** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के कर्मचारियों के लिए सेवा सम्बन्धी नियमों/विनियमों को तीन वर्षों के बाद भी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सेवा शर्तों में लागू होने वाले नियमों/विनियमों को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा तथा कार्यान्वित कर लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) केन्द्रीय पेंशन लेखाकरण कार्यालय में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटरों, डाटा एण्ट्री आपरेटरों और स्टाफ कार ड्राइवरों को छोड़कर, स्टाफ के सभी वर्गों के लिए सुनिश्चित भर्ती नियम/विनियम बने हुए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त तीनों वर्गों के लिए भर्ती नियमों के प्रारूप पर विभिन्न स्तरों पर जांच की जा रही है। आशा है कि इनको शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

निजामुद्दीन सेतु

[हिन्दी]

701. **श्री राम सागर** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में यमुना पर बने निजामुद्दीन सेतु के एक भाग के गिर जाने की घटना की जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच-पड़ताल में पाये गये तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली में यमुना नदी पर अप्रैल, 1992 के दौरान निजामुद्दीन पुल के पूर्वी पहुंच मार्ग में सड़क का एक भाग धंस गया गया था। एक तकनीकी समिति ने घटना की जांच की है और अब उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है।

(ख) और (ग) जांच का निष्कर्ष यह है कि सड़क का भाग धंस जाने की घटना नगर निगम के दिल्ली जल आपूर्ति एवं जल व्ययन उपक्रम की मुख्य जल लाइन में रिसाव के कारण हुई। तकनीकी समिति के निष्कर्षों पर अन्तिम निर्णय और अनुवर्ती कार्रवाई दिल्ली नगर निगम/दिल्ली प्रशासन के साथ परामर्श करके अभी की जानी है।

महाराष्ट्र में फाउंड्री कोक की कमी

[अनुवाद]

702. **श्री गोविन्दराव निकाम** :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में फाउंड्री कोक की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में फाउंड्री कोक की नियमित सप्लाई के लिए क्या कारंवाई करने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) कोल इंडिया लि० ने सूचित किया है कि उन्हें महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में फाउंड्री कोक की कमी होने की कोई सूचना नहीं मिली है। सी० आई० एल० के अलावा, निजी क्षेत्र में फाउंड्री कोक का उत्पादन किया जा रहा है। कोक के आयात करने की भी अनुमति दी जाती है। महाराष्ट्र में उपभोक्ताओं को हार्ड कोक की आपूर्ति की व्यवस्था सी० आई० एल० द्वारा राज्य के उद्योगों के निदेशक द्वारा जारी प्रायोजन के आधार पर अधिकांशत: रेल द्वारा किया जाता है। भारत कोकिंग कोल लि० से संयोजित उपभोक्ताओं को भी सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० से सड़क द्वारा कम पड़ी कोयले की मात्रा प्राप्त करने की अनुमति भी दी जाती है। वर्ष 1991-92 में तथा अप्रैल से सितम्बर, 1992 की अवधि के दौरान उपभोक्ताओं को आपूर्ति किये गये विभिन्न गुणवत्ता वाले हार्ड कोक की मात्रा नीचे दर्शाई गई है :—

(आंकड़े 000 टन में)

वर्ष	आपूर्ति की गई मात्रा
1991-92	18
1992-93 (अप्रैल—सितम्बर)	6

औषध विनिर्माण कम्पनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन

703. **श्री मोहन रावले** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औषध विनिर्माण कम्पनियों द्वारा आयकर, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क के तथाकथित अपवंचन के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) गत एक वर्ष के दौरान पूरे भारत में औषध विनिर्माण कम्पनियों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के कथित

उल्लंघन के 162 मामले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों के ध्यान में आये हैं। इन मामलों में अन्तर्ग्रस्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन की अनुमानित राशि 12.59 करोड़ रुपये (अनन्तिम) है।

(ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के उपबन्धों और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के तहत इन मामलों में कार्रवाई की जा रही है।

सीमा शुल्क और आयकर के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विदेशी मुद्रा भण्डार

704. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1992 को विदेशी मुद्रा भण्डार कितना था;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति सन्तोषजनक है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक से अब भी और ऋण लेने की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 31-10-92 को विदशी मुद्रा भण्डार (सोने और विशेष आहरण अधिकारों को छोड़कर) 14120.39 करोड़ रुपये का था।

(ख) अक्तूबर, 92 के अन्त में विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति अक्तूबर, 91 के अन्त की स्थिति की तुलना में सन्तोषजनक है चूंकि उस समय यह भण्डार 6032.47 करोड़ रुपये का था।

(ग) और (घ) वर्ष 1992 में भारत सहायता संघ की बैठक में 3 अरब अमेरिकी डालर की स्वीकृत की गई विशेष वित्तीय सहायता जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और विश्व बैंक से लिए जाने वाले ऋण शामिल हैं, वर्ष के लिए हमारी अनिवार्य अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को एस० टी० ए० परमिट देना

[हिन्दी]

705. **श्री एन० जे० राठवा :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय दिल्ली परिवहन निगम और राज्य परिवहन प्राधिकरण (एस० टी० ए०) के अन्तर्गत कितनी-कितनी निजी बसें चल रही हैं;

(ख) डी० टी० सी० और एस० टी० ए० के अन्तर्गत कितनी बसें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परमिट धारकों की चल रही हैं;

(ग) क्या इन बसों की उक्त संख्या उनके लिए आरक्षित बसों की संख्या के बराबर है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) 24-11-92 की स्थिति के अनुसार दिल्ली में स्टेज कैरिज परमिटों पर चलने वाली बसों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	बसों की संख्या	एस० सी०/एस० टी० के स्वामित्वाधीन बसें
एस० टी० ए०	1867	98
डी० टी० सी०	606	10

(ग) से (ङ) 3000 स्टेज कैरिज परमिट स्कीम (रेड लाइन सेवा) के मामले में दिल्ली प्रशासन ने यह सुनिश्चित किया है कि अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के परमिट धारकों के सम्बन्ध में, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में निर्धारित आरक्षण मानदण्डों का पालन किया जाता है।

दिल्ली परिवहन निगम के मामले में, 606 निजी बसों में से 10 परमिट धारक अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित आवेदक हैं। इसमें कमी, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आवेदकों के द्वारा अधिक रुचि न लिए जाने के कारण हुई। चूंकि दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत बसें चलाने के लिए और परमिट नहीं दिए जा रहे हैं इसलिए दिल्ली परिवहन निगम के मामले में सुधारात्मक कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

दूसरा श्रम आयोग

[अनुवाद]

706. डा० **कृपासिंधु भोई** :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दूसरा श्रम आयोग नियुक्त करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो श्रम आयोग की स्थापना कब तक की जाएगी ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) सितम्बर, 1992 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में कतिपय केन्द्रीय व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों ने द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के गठन का सुझाव दिया है। मामला विचाराधीन है।

हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन देने हेतु व्यापक योजना

707. **श्री विजय नवल पाटील** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति

बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कोई व्यापक कार्य योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त उद्देश्य हेतु कोई धनराशि आवंटित की है;

(ङ) इस योजना के अन्तर्गत कितने बुनकरों को सम्मिलित किया गया है;

(च) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु सातवीं योजना के दौरान लागू की गई योजनाओं की समीक्षा भी की है; और

(छ) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) यद्यपि हथकरघा बुनकरों की आय प्रत्येक मौसम में अलग-अलग होती है और यह कच्चे माल के मूल्य और तैयार माल की मांग पर निर्भर करती है लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई विशेष जानकारी नहीं है कि देश के हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है

(ख) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए व्यापक योजना तैयार की है।

(ग) से (ङ) आठवीं योजना के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है जबकि प्लान योजनाओं के अन्तर्गत सातवीं योजना के दौरान 131.53 करोड़ रुपये व्यय हुए।

(च) जी हां।

(छ) सातवीं योजना की समीक्षा के आधार पर हथकरघा क्षेत्र के लिए आठवीं योजना में कई संशोधन किए गए हैं। इनमें कल्याण योजनाओं को विशेष महत्व दिया गया है। नई परियोजनाओं में प्रोजेक्ट पैकेज योजना, समूह बीमा योजना, निस्सहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी, एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना और सिल्क यार्न बैंक योजना आरंभ की गई है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर और उसकी जांच के बाद प्रत्येक योजना के लिए राज्यवार राशि आवंटित की जाती है।

कोयले पर रायल्टी

708. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला उत्पादक राज्यों को रायल्टी की दर में संशोधन के लिए क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(ख) रायल्टी की दर में पिछली बार कब संशोधन किया गया था ?

(ग) क्या सरकार का कुछ राज्य सरकारों के अनुरोध पर रायल्टी की दर में संशोधन करने

का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन प्रस्तावों पर विचार कि ा जा रहा है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 की 9(3) केन्द्र सरकार को उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची को राजपत्र में अधिसूचना जारी करके संशोधन किए जाने का अधिकार प्रदान करती है ताकि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से किसी भी खनिज के सम्बन्ध में देय रायल्टी की दर को घटाया या बढ़ाया जा सके। विगत में केन्द्र सरकार रायल्टी की दरों के निर्धारण किए जाने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए अध्ययन दल गठित करती रही है तथा ये दल इस बारे में सरकार को सिफारिशें प्रस्तुत करते रहे हैं।

(ख) कोयले पर रायल्टी की दरों में पिछली बार 1-8-1991 से संशोधन किया गया था।

(ग) और (घ) उपर्युक्त धारा का परन्तुक केन्द्र सरकार को किसी भी खनिज की रायल्टी की दरों में 3 वर्ष की अवधि के दौरान एक बार से अधिक संशोधन किए जाने पर प्रतिबन्ध लगाता है चूंकि कोयले पर रायल्टी की दरों में पिछली बार संशोधन 1-8-1991 को किया गया था और इस सम्बन्ध में अगला संशोधन 1-8-1994 के बाद किया जा सकता है।

नया आयुध कारखाना

[हिन्दी]

709. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विशेषतः उत्तर प्रदेश में आयुध कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन स्थलों का चयन किया गया है; और

(ग) इस कार्य के कब तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक श्रमिकों के लिए बेरोजगारी बीमा योजना

[अनुवाद]

710. **श्री कालका दास :**

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रमिक संघों और श्रमिक संगठनों से औद्योगिक श्रमिकों के लिए बेरोजगारी बीमा योजना शुरू करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) औद्योगिक कर्मकारों के लिए बेरोजगारी बीमा योजना के बारे में सरकार को भारतीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन, नई दिल्ली से 6-7-1992 को एक सुझाव प्राप्त हुआ था।

(ख) सरकार इस सुझाव पर विचार कर रही है।

कार्यबल का प्रतिनिधित्व करने वाले केन्द्रीय मजदूर संघ

[हिन्दी]

711. **डा० सुधीर राय :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में संघ-वार, क्षेत्र-वार संगठित और गैर-संगठित क्षेत्रों में कितने प्रतिशत केन्द्रीय मजदूर संघ कुल कार्यबल का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : 31-12-80 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों की सत्यापित संघवार और क्षेत्रवार (उद्योग वार) सदस्यता संलग्न विवरण में दी गई है।

तथापि, केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों की संख्या का सामान्य सत्यापन करते समय संगठित और असंगठित क्षेत्र के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1980 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों द्वारा क्लेम की गई और सत्यापित सदस्यता को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

संघ वार और उद्योग वार

क्र०सं०	उद्योग	इन्टक				बी० एम० एस०		
		क्लेम की गई		सत्यापित		क्लेम की गई		सत्यापित
		संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वस्त्र	343	490519	203	395570	183	1947861	138
2.	लोहा और इस्पात	63	121258	30	101378	24	33376	21
3.	धातु व्यवसाय	61	19502	28	12279	13	8113	12
4.	इंजी-नियरिंग	455	239607	213	137590	193	152890	151
5.	बिजली, गैस और भाप ऊर्जा	100	179575	29	49407	61	137303	43
6.	परिवहन	279	573250	115	485467	98	454122	79
7.	बागान	60	344089	29	315640	7	42338	6
8.	खनन	133	265359	74	235778	41	107897	32
9.	उत्खनन	9	3645	—	—	—	—	—
10.	कृषि	83	195829	15	25931	45	60148	34
11.	चीनी	173	89038	123	71723	70	39579	70
12.	सीमेंट	59	36608	42	27042	20	9004	13

	एच० एम० एस०				यू० टी० यू० सी० (एल० एस०)			
	क्लेम की गई		सत्यापित		क्लेम की गई		सत्यापित	
सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता
10	11	12	13	14	15	16	17	18
120056	86	121069	40	38831	15	36716	14	23941
51585	17	64852	5	18116	6	46393	6	19516
7003	20	12469	8	3970	2	123	1	88
122895	193	118516	72	49610	15	32675	13	31377
75597	22	13188	7	1167	3	2939	3	1309
356335	71	622459	23	311128	13	5572	12	4940
34798	21	152375	4	50516	2	8495	2	8417
67617	39	144548	15	49198	10	80897	10	66885
—	1	1583	1	1005	3	11171	3	2097
44377	19	48113	5	10785	8	785093	6	332248
32253	95	54473	55	32853	—	—	—	—
6056	21	12370	11	6973	1	8525	1	6685

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	रसायन	194	69938	85	49793	79	19064	65
14.	भवन सिविल इंजी० और सार्वजनिक कार्य	115	85991	46	27377	41	44518	31
15.	खाद्य और पेय	153	53294	76	36111	60	11451	48
16.	तम्बाकू	40	26972	20	6153	18	14720	15
17.	चर्मशोधन शालाएं और चमड़े का सामान बनाना	14	6118	6	669	11	2727	9
18.	कागज और कागज उत्पाद	48	28223	28	18430	16	6266	13
19.	मुद्रण और प्रकाशन	76	18975	37	8489	42	10483	37
20.	स्थानीय निकाय	155	54559	54	24254	129	39820	88
21.	शीशे और मिट्टी के बर्तन	71	25280	36	13447	17	4391	15
22.	पेट्रोलियम	29	20856	15	15735	4	3765	1

10	11	12	13	14	15	16	17	18
16399	51	45307	16	6348	10	3386	9	1145
41241	24	18373	7	3810	4	16463	2	727
9040	42	14047	17	2307	7	7530	6	7125
14500	16	27120	6	3946	6	139295	6	86176
2679	6	6270	—	—	6	16326	4	667
4169	14	8451	4	1144	—	—	—	—
9053	23	14470	10	11861	4	13921	4	12288
25952	62	43932	16	4967	4	5498	4	4948
3813	25	9148	13	4090	8	5573	8	5569
15	10	5447	4	3662	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	वेतनभोगी कर्मचारी और व्यावसायिक श्रमिक	421	276074	175	87119	208	325960	156
24.	वैयक्तिक सेवाएं	100	21620	34	8423	47	22112	42
25.	बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं	90	130843	27	19278	110	62169	82
26.	पत्तन, गोदी और समुद्रीय	30	89523	23	51341	—	11606	8
27.	नारियल रेशा	9	7574	4	1026	1	100	—
28.	ईंट और भट्ठे	5	695	2	240	—	—	—
29.	काष्ठ और काष्ठ उत्पाद	15	1573	2	150	9	1750	9
30.	प्लाईवुड	12	1699	6	583	1	360	1
31.	रबड़ उत्पाद	38	26286	16	9694	6	2709	5
32.	पेंसिल उद्योग	—	—	—	—	1	250	1
33.	ग्रामीण श्रमिक	5	1353	2	340	2	205	—
34.	विविध	19	5601	9	1680	153	55696	106
	कुल :	3457	3509326	1604	2236128	1725	1879728	1333

10	11	12	13	14	15	16	17	18
55005	80	57146	30	7601	8	5427	6	3646
20090	40	21421	12	4187	4	404	4	394
36816	2	292	—	—	1	30	1	30
3248	26	156305	19	98234	—	—	—	—
—	6	1526	2	97	1	250	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
1643	4	992	2	807	1	507	—	—
180	—	—	—	—	—	—	—	—
1501	1	3000	—	—	—	—	—	—
50	—	—	—	—	—	—	—	—
205	—	—	—	—	—	—	—	—
47174	85	48885	22	35669	12	5682	9	341
1211345	1122	1848147	426	762882	154	[illegible]	[illegible]	[illegible]

सारणी

क्र० सं०	उद्योग	एन० एल० ओ०			
		क्लेम की गई		सत्यापित	
		संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता
1	2	3	4	5	6
1.	वस्त्र	50	209977	42	176169
2.	लोहा और इस्पात	2	2000	1	200
3.	धातु व्यवसाय	1	53	—	—
4.	इंजीनियरिंग	17	16380	11	7202
5.	बिजली, गैस और भाप ऊर्जा	7	6044	7	3568
6.	परिवहन	18	19050	17	15046
7.	बागान	3	2181	1	81
8.	खनन	4	7820	3	3996
9.	उत्खनन	—	—	—	—
10.	कृषि	4	66695	1	3529
11.	चीनी	4	1044	2	661
12.	सीमेंट	2	682	2	674
13.	रसायन	14	8117	11	5948
14.	भवन, सिविल इंजीनियरिंग और सार्वजनिक कार्य	5	825	2	269
15.	खाद्य और पेय	10	7576	6	6549
16.	तम्बाकू	4	1453	2	199
17.	चर्मशोधन शालाएं और चमड़े का सामान बनाना	3	2050	2	1350

एन० एफ० आई० टी० यू०				टी० यू० सी० सी०			
क्लेम की गई		सत्यापित		क्लेम की गई		सत्यापित	
संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता
7	8	9	10	11	12	13	14
13	72981	9	2182	35	54529	8	4081
7	13480	5	175	1	3784	—	—
6	2953	3	359	1	533	1	503
24	29357	14	19094	56	12094	23	2603
8	40880	3	15217	3	797	2	314
10	22346	1	250	11	7149	2	561
2	29544	—	—	—	—	—	—
8	27838	2	1970	2	13500	—	—
1	2000	—	—	—	—	—	—
8	81673	1	34895	3	117501	1	102478
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
13	8580	11	1094	7	1100	6	652
1	6000	—	—	—	—	—	—
19	73737	10	[illegible]70	5	3054	4	1897
1	169	1	169	3	600	1	250
1	3917	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6
18.	कागज और कागज उत्पाद	1	80	1	39
19.	मुद्रण और प्रकाशन	3	478	1	33
20.	स्थानीय निकाय	33	10723	19	5028
21.	शीशे और मिट्टी के बर्तन	5	2151	3	945
22.	पेट्रोलियम	1	1600	—	—
23.	वेतनभोगी कर्मचारी और व्यावसायिक श्रमिक	12	3616	7	2074
24.	वैयक्तिक सेवाएं	7	1610	3	515
25.	बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान	3	792	—	—
26.	पत्तन, गोदी और समुद्रीय	4	461	3	217
27.	नारियल रेशा	—	—	—	—
28.	ईंट और भट्ठे	—	—	—	—
29.	लकड़ी और लकड़ी उत्पाद	1	70	1	100
30.	प्लाईवुड	—	—	—	—
31.	रबड़ उत्पाद	2	1765	3	2220
32.	पेंसिल उद्योग	—	—	—	—
33.	ग्रामीण श्रमिक	—	—	—	—
34.	विविध	29	29896	21	9928
	कुल :	249	405189	172	246540

7	8	9	10	11	12	13	14
2	14614	—	—	2	195	2	140
4	1901	1	21	2	1784	2	374
2	7400	—	—	—	—	—	—
3	239	3	239	4	6401	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
9	24259	1	31	—	—	—	—
1	667	—	—	2	1155	—	—
1	3613	1	4000	—	—	—	—
	17487	2	618	2	24000	—	—
2	340	2	242	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
2	9742	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	280	1	174
3	90	3	77	2	98	1	58
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
13	31568	7	2520	39	23675	11	8963
166	527375	80	84123	182	272229	65	123048

सारणी

क्र० सं०	उद्योग	यू० टी० यू सी०			
		क्लेम की गई		सत्यापित	
		संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता
1	2	3	4	5	6
1.	वस्त्र	37	50286	14	3937
2.	लोहा और इस्पात	3	3130	—	—
3.	धातु व्यवसाय	14	21[illegible]2	2	175
4.	इंजीनियरिंग	85	45582	26	17389
5.	बिजली, गैस और भाप ऊर्जा	9	8779	—	—
6.	परिवहन	36	22349	9	1821
7.	बागान	24	127501	8	92733
8.	खनन	13	44113	4	2074
9.	उत्खनन	—	—	—	—
10.	कृषि	[illegible]2	76879	1	21
11.	चीनी	19	10264	9	2116
12.	सीमेंट	2	132	—	—
13.	रसायन	39	7491	15	1205
14.	भवन, सिविल इंजीनियरिंग और सार्वजनिक कार्य	14	9575	6	1010
15.	खाद्य और पेय	57	62326	10	4037
16.	तम्बाकू	7	10258	1	79
17.	चर्म शोधन शालाएं और चमड़े का सामान बनाना	12	8862	1	200

ए० आई० टी० यू० सी०				सी० आई० टी० यू०			
क्लेम की गई		सत्यापित		क्लेम की गई		सत्यापित	
संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता	संघों की सं०	सदस्यता
7	8	9	10	11	12	13	14
207	197233	142	42814	178	209126	122	27515
26	52339	16	3313	30	47684	21	4521
42	11800	37	4393	29	25154	23	9382
150	98123	109	22973	393	150595	352	71039
21	48846	11	2939	36	37767	24	9425
67	73699	55	10328	124	90877	104	24177
11	59611	6	27852	27	99024	15	5847
34	154400	19	65061	25	63901	15	12484
—	—	—	—	—	—	—	—
20	14842	18	9478	16	6317	14	2212
50	17375	41	8160	38	7918	35	5812
23	11668	15	2676	11	2690	10	2084
71	25214	59	7409	118	20720	113	16667
45	37022	36	19554	33	10974	27	4355
88	15329	81	12013	87	24731	79	15563
49	29718	44	24802	41	17262	37	11904
13	14572	10	1237	7	1669	7	1669

1	2		4	5	6
18.	कागज और कागज उत्पाद	5	2354	1	125
19.	मुद्रण और प्रकाशन	19	24815	7	21291
20.	स्थानीय निकाय	19	9270	5	1575
21.	पेट्रोलियम	2	460	1	218
22.	शीशे और मिट्टी के बर्तन	10	11818	4	790
23.	वेतन भोगी कर्मचारी और व्यावसायिक श्रमिक	31	9433	5	2019
24.	वैयक्तिक सेवाएं	27	8319	11	3079
25.	बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान	—	—	—	—
26.	पत्तन, गोदी और समुद्रीय	4	4702	2	1446
27.	नारियल रेशा	3	7095	—	—
28.	ईंट और भट्टे	—	—	—	—
29.	काष्ठ और काष्ठ उपदाद	—	—	—	—
30.	प्लाईवुड	4	841	1	0
31.	रबड़ उद्योग	4	1033	1	26
32.	पेंसिल उद्योग	—	—	—	—
33.	ग्रामीण श्रमिक	—	—	—	—
34.	विविध	97	38193	31	8248
	कुल :	618	608052	175	165614

*आर० टी० यू० के अभिलेखों के अनुसार

7	8	9	10	11	12	13	14
23	5700	21	4894	29	8063	26	4854
26	8355	22	3814	44	11975	39	5839
41	48063	32	6059	38	17261	31	6214
11	5904	6	1150	4	643	3	473
10	6406	8	4789	40	14408	37	7988
66	13910	57	7804	62	13337	57	8598
27	4929	22	2236	58	14216	54	9568
2	708[illegible]	1	32	4	1335	4	1325
15	25676	15	14630	8	29200	7	14520
0	1240	4	824	4	[illegible]804	4	2285
12	3499	10	2125	5	9241	2	3362
20	3084	18	1781	18	2413	18	2413
8	1066	8	1066	5	1264	5	1264
8	2915	6	1229	30	13399	23	65[illegible]2
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	1	60	1	60
174	61038	151	27341	194	77404	165	310
1366	1064330	1080	344746	1737	1033432	1474	331031

फिल्म उद्योग में कालेधन की भूमिका

[अनुवाद]

712. **श्री रूपचन्द मुरमु :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म उद्योग में कालेधन की भूमिका के बारे में कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) काले धन को फिल्म उद्योग में लगाने से रोकने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) फिल्म उद्योग में कालेधन के बारे में न तो कोई अधिकारिक अनुमान लगाया गया है और न ही कोई मूल्यांकन किया गया है। आर्थिक नीतियों में आर्थिक नियंत्रणों का उदारीकरण करने, लाइसेंस समाप्त करने तथा कर की दरों में कमी करने जैसे उपायों के अलावा काले धन की समस्या की रोकथाम के लिए विविध कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। अतः आयकर अधिनियम की धारा 44एए में सांविधिक उपबंध बनाए गए हैं जिनके अंतर्गत व्यवसाय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा कानून द्वारा विहित लेखों को रखना तथा उन्हें तैयार करना अपेक्षित होता हैं और इनकी जांच-पड़ताल कर-निर्धारणों की संवीक्षा के समय की जाती है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने फिल्मी कलाकारों, कैमरामैनों, निर्देशकों, आदि को व्यावसायिक के रूप में अधिसूचित किया है, जिन्हें धारा 44एए के अधीन लेखों को रखना अपेक्षित होता है। ऐसे व्यक्तियों का कर-निर्धारण करने के लिए विशिष्टता प्राप्त फिल्मी सर्किलों का सृजन किया गया है। जिससे ऐसे मामलों में कर अपवंचन पर बेहतर ढंग से कार्रवाई करने तथा उनका पता लगाने में सुविधा हो सके। फिल्म-प्रोड्यूसरों द्वारा की गई 5,000/- रुपये से अधिक की अदायगियों के बारे में समसामयिक विवरण प्रस्तुत करने के बारे में धारा 285बी में सांविधिक उपबंध बनाए गए हैं। इनकी जांच-पड़ताल कर-निर्धारणों की संवीक्षा करते समय की जाती है। आयकर जांच-स्कंध भी 10,000/- रुपये से अधिक की ऐसी अदायगियों के मामले में प्रति-सत्यापन करता है। इस प्रकार के मामलों में तलाशी लेने, सर्वेक्षण करने तथा अन्य जांच-पड़ताल करने जैसे तरीकों से उस स्थिति में कार्यवाही की जाती है जब कर- अपवंचन की कोई विशिष्ट सूचना प्राप्त होती है।

जीवन बीमा निगम की आवास योजनाएं

713. **श्री धर्मभिक्षम :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने बड़े पैमाने पर आवास योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में ऐसी कितनी योजनाएं शुरू की गई हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) उपयुक्त भूमि, आंतरिक

जनशक्ति और तकनीकी संसाधनों आदि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम ने पालिसीधारक आवासीय योजना शुरू की है। पालिसीधारक आवास योजना के अंतर्गत जीवन बीमा निगम ने अब तक निम्नलिखित स्थानों पर 3710 आवासीय यूनिट बनाए हैं जिनमें बम्बई में 1538 यूनिट, हैदराबाद में 107 यूनिट, कानपुर में 150 यूनिट, अहमदाबाद में 324 यूनिट और बंगलौर में 1592 यूनिट हैं। आज की तारीख तक बंगलौर में 429 यूनिट और मद्रास में 800 यूनिट निर्माणाधीन हैं।

(ग) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद में पालिसीधारक आवास योजना के अन्तर्गत 106 आवासीय यूनिट बनाए गए हैं। विशाखापत्तनम में 200 रिहायसी यूनिटों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

बिहार को जीवन बीमा निगम की सहायता

[हिन्दी]

714. **श्री लाल बाबू राय** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जीवनबीमा निगम बिहार में किन-किन परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : जीवन बीमा निगम द्वारा बिहार राज्य में राज्य सरकार आवास योजना, राज्य बिजली बोर्ड तथा शीर्ष सहकारी आवास वित्त समिति से सम्बन्धित परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में भी पूंजी निवेश करता है।

मकानों के निर्माण और मरम्मत हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा मध्य प्रदेश को सहायता

715. **श्री खेलन राम जांगड़े** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण बैंक को मकानों के निर्माण और मरम्मत के लिए पुनः वित्त पोषण की सुविधा दी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया हैं कि उसकी पुर्नवित्त योजना को पहली जनवरी, 1989 से अनुसूचित राज्य सहकारी बैंकों पर लागू किया गया था। राष्ट्रीय आवास बैंक ने जुलाई 1989 में मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को पुर्नवित्त के रूप में 3.90 लाख रुपये और 1992-93 (5 अगस्त, 1992 तक) में 78.18 लाख रुपए प्रदान किए थे। प्राथमिक ऋण दाताओं से आवेदन प्राप्त होने पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा पुर्नवित्त सहायता प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड से कोई आवेदन पत्र प्राप्त न होने के कारण उसे 1991-92 के दौरान कोई पुर्नवित्त सहायता प्रदान नहीं

की गई थी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

716. **श्री छीतू भाई गामित :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गुजरात में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन बैंकों द्वारा कितनी राशि जमा की गई और कितनी बांटी गई थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और भारतीय रिजर्व बैंक ग्रामीण बैंकों के कार्यकरण की लगातार समीक्षा करते रहते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित मुख्य मुद्दा उनकी कमजोर अर्थक्षमता है जो राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के पंचाट और समीकरण समिति की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के वेतन मानों में हुए संशोधन के कारण और भी गम्भीर हो गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर गठित कार्य दल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा की थी और उन के प्रचालन में सुधार लाने हेतु कुछ उपाए सुझाए थे। हाल ही में, वित्तीय प्रणाली पर समिति द्वारा प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में उन्होंने सिफारिश की है कि अर्थक्षमत को बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार के कार्यकलापों को करने की अनुमति दी जानी चाहिए तथापि, उनका फोकस लक्ष्य समूहों पर टिका रहना चाहिए। इसके अलावा, समिति ने यह भी सिफारिश की है कि एक तंत्र तैयार किया जाए जिसके तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नाबार्ड के पास अपनी अधिशेष पूंजी को रख सकें या फिर इस परियोजना के लिए विशेष संघीय किस्म के अभिकरण का गठन किया जाए ताकि अधिक लाभ वाली परिसम्पत्तियों के लिए निवेश किया जा सके। नाबार्ड ने सितम्बर 1992 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा था कि यद्यपि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लक्ष्य समूहों और कमजोर वर्गों पर ध्यान केन्द्रित रखा जाएगा, तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने अपने विवेक के अनुसार अपने वृद्धिशील ऋण के 40% से अनधिक भाग और लक्ष्यगत समूहों के वित्त पोषण पर लगा सकते हैं। उनसे कहा गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार के ऋण केवल उत्पादक और विकास के प्रयोजनार्थ हों और सामान्य बैंकिंग मानदण्डों के अधीन हों। सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए विचार-विमर्श प्रारम्भ कर दिया है।

(ग) जैसाकि नाबार्ड ने सूचित किया है पिछले तीन वर्षों के दौरान गुजरात में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा राशियों और संवितरण निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपये)

मार्च के अंत में जमाराशियां			(अप्रैल-मार्च) के दौरान संवितरित ऋण		
1990	1991	1992	1989-90	1990-91	1991-92
6822.68	8040.54	10594.2	2782.59	2438.96	3111.31

कोयले का उत्पादन और विक्रय

[अनुवाद]

717. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार कोयला उत्पादन कंपनियों के पास कोयला खान उठाने पर कोयले का कुल भण्डार कितना है;

(ख) वर्ष 1992-93 के पहले छ: महीने के दौरान कोयले का कितना उत्पादन हुआ और वर्ष 1991-92 के लिए इस सम्बन्ध में तदनुरूप आंकड़े क्या हैं;

(ग) इस अवधि के दौरान कोयले की कुल बिक्री कितनी हुई और पिछले वर्ष की तद्नुरूप अवधि में कितनी बिक्री हुई है; और

(घ) अप्रैल, 1992, जुलाई, 1992 और अक्तूबर, 1992 के त्रैमासिक अन्तरालों में कोयले का खान बाह्य मुहाना मूल्य क्या था तथा इस सम्बन्ध में पिछले दो वर्षों के तद्नुरूप आंकड़े क्या हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) दिनांक 1-4-92 की स्थिति के अनुसार कोल इन्डिया लिमिटेड और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में कोयले का कुल स्टाक नीचे दिया गया है :—

(मिलियन टन में)

को० इ० लि०	47.80
सि० को० क० लि०	0.70

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० में अप्रैल, से सितम्बर, 92 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में किया गया कोयले का उत्पादन तथा कोयले का पोषण नीचे दर्शाया गया है :—

मिलियन टन में)

(आंकड़े अनन्तिम)

	उत्पादन		प्रेषण	
	अप्रैल	सितम्बर	अप्रैल	सितम्बर
	1992-93	1991-92	1992-93	1991-92
कोल इं० लि०	85.38	82.26	94.83	91.39
सि० को० क० लि०	9.04	8.91	9.10	9.14

(घ) कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के लिए प्रति टन औसत पिटहैड कोयले की चालू वर्ष में तथा पिछले दो वर्षों की कीमत को नीचे दिया गया है :—

दिनांक	1992		1991		1990	
	को०इ० लि०	सिं०को० क०लि०	को०इ० लि०	सिं०को० क०लि०	को०इ० लि०	सिं०को० क०लि०
1 अप्रैल का कीमत	322रु०	388रु०	249रु०	297रु०	249रु०	297रु०
1 जुलाई की कीमत	322रु०	388रु०	249रु०	297रु०	249रु०	297रु०
1 अक्तूबर की कीमत	322रु०	388रु०	249रु०	297रु०	249रु०	297रु०

सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को सुविधाएं

718. **श्री पी० सी० थामस :**

श्री ए० चार्ल्स :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों से उन्हें पेंशन और अन्य सुविधाएं देने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। सेवानिवृत्त हुए बैंक अधिकारियों/कर्मचारियों की फैडरेशन/एसोसिएशन ने अपने अभ्यावेदनों में सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए पेंशन, चिकित्सा सुविधा, यात्रा रियायत सुविधा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जमा-राशियों पर अधिक ब्याज दर, बैंकों में भर्ती के लिए कर्मचारियों के बच्चों को वरीयता, राष्ट्रीय बचत पत्रों के बदले ऋण प्राप्त करने की सुविधा आदि की मांग की थी। सामान्यतः बैंक अधिकारी/कर्मचारी सी० पी० एफ० और सेवा उपदान के लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। इन लाभों को सरकारी कर्मचारियों और सरकारी क्षेत्र के दूसरे उपक्रमों के कर्मचारियों को प्राप्त सेवा-निवृत्ति के लाभों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त और तुलनीय लाभ माना जाता है। सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अपने कर्मचारियों को पेंशन, उपदान और सामान्य भविष्य निधि ही प्रदान करते हैं। चूंकि अपनी सेवा के दौरान बैंक कर्मचारी पेंशन के क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं इसलिए सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारियों को पेंशन सम्बन्धी लाभ देना सम्भव नहीं हुआ है। इसके साथ ही बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवा शर्तें द्विपक्षीय बातचीत/अधिकारी सेवा विनियमों के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं और इन समझौतों/विनियमों में बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों को लाभ प्रदान किए जाते हैं।

अमृतपुरी से केन्द्रीय सचिवालय के लिए डी० टी० सी० बस सेवा

[हिन्दी]

719. **श्री केशरी लाल** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "बी" ब्लाक अमृतपुरी "डी" ब्लाक ईस्ट आफ कैलास, कैलास हिल और संत नगर में रहने वाले कर्मचारियों को इन स्थानों से केन्द्रीय सचिवालय के लिए सीधी बस सेवा न होने के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार का इन स्थानों से केन्द्रीय सचिवालय के बीच सीधी बस सेवा शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ये बसें कब से चलनी शुरू हो जाएंगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) अमृतपुरी, "डी" ब्लाक ईस्ट आफ कैलास, कैलास हिल और संतनगर में रहने वाले व्यक्ति दिल्ली परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई बस सुविधा के अन्तर्गत लाजपत नगर/श्रीनिवासपुरी में एक ही बार बस बदलकर केन्द्रीय सचिवालय पहुंच सकते हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रत्यक्ष कर वसूली

[अनुवाद]

720. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक प्रत्यक्ष कर वसूली के कार्य निष्पादन के सम्बन्ध में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौराम अब तक कितना प्रत्यक्ष कर वसूल किया गया; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के दौरान प्रत्यक्ष कर वसूली में और अधिक सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल—अक्तूबर, 1992 के दौरान प्रत्यक्ष कर की वसूली की अप्रैल—अक्तूबर, 1991 के दौरान हुई तदनुरूपी वसूली से तुलना करने पर काफी संतोषजनक है। बजट अनुमानों (1992-93) के संदर्भ में भी स्थिति संतोषजनक है।

(ग) वित्त वर्ष 1992-93 (दिनांक 31 अक्तूबर, 1992 तक) के दौरान विविध प्रत्यक्ष

करों से हुई वसूली के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

	(करोड़ रु० में)
निगम कर	3406
आय कर	3344
धन कर	239
ब्याज कर	158
व्यय कर	64
दान कर	5
सम्पदा शुल्क	1

(घ) कर वसूलियों की स्थिति में सुधार करने के लिए समुचित कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय निरन्तर किए जाते हैं। अपेक्षाकृत बड़ी अपीलों का यथाशीघ्र निपटान करने तथा बकाया मांगों की वसूली करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्य आयकर आयुक्तों तथा आयकर महानिदेशकों से भी यह कहा गया है कि वे स्रोत पर कर की कटौती करने के मामले में अधिक ध्यान दें। निर्धारित किये गये लक्ष्यों के संदर्भ में क्षेत्रवार कार्य-निष्पादन पर निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

मध्य प्रदेश में सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक में लाभ और हानि

[हिन्दी]

721. **श्री शिवराज सिंह चौहान :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष हुए औसत लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) भविष्य में ये बैंक हानि में न चलें, यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1988-89, 1989-90 और 1990-91 (अद्यतन उपलब्ध) में प्रत्येक वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों के औसत लाभों और हानि उठाने वाले केन्द्रीय सहकारी बैंकों की औसत हानियों की सूचना निम्नानुसार दी गई है :—

(लाख रुपये)

	लाभ	हानि
1988-89	8.17	19.08
1989-90	13.78	20.86
1990-91	13.16	उपलब्ध नहीं

मध्य प्रदेश में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में, पिछले तीन वर्षों के आंकड़े निम्नानुसार हैं :—

(लाख रुपये)

	लाभ	हानि
1989-90	शून्य	54.05
1990-91	शून्य	52.49
1991-92	शून्य	120.36

(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों को, कारोबार सम्बन्धी कम लेन-देन, प्रबन्ध की उच्च लागत, न्यून परिचालन मार्जिन, ऋण पोर्टफोलियो के विविधीकरण के अभाव, निधियों का विवेकपूर्ण ढंग से प्रबन्ध करने में असफलता और कम वसूली आदि जैसी बातों के कारण हानि उठनी पड़ी। केन्द्रीय सहकारी बैंक राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आते हैं और राज्य के सम्बन्धित सहकारी कानूनों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं। केन्द्रीय सहकारी बैंकों का निरीक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भी उनका सांविधिक निरीक्षण करता है और उपचारी उपायों के लिए सुझाव देता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य-निष्पादन पर नाबार्ड तथा भारत सरकार द्वारा नियमित अन्तरालों पर निगरानी रखी जाती है। वित्तीय प्रणाली सम्बन्धी समिति, जिसने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यह सिफारिश की है कि अर्थक्षमता लाने की दृष्टि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए हालांकि उनका ध्यान लक्ष्यगत समूहों पर केन्द्रित रहना चाहिए। नाबार्ड ने सितम्बर, 1992 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से यह कहा था कि वे अपने विवेकानुसार, अपने वृद्धिशील ऋण का 40% हिस्सा लक्ष्यगत समूहों के वित्तपोषण के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सम्बन्ध में चुकता पूंजी भी 50 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है देश में स्थित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का राष्ट्रीय ग्रामीण बैंकों के रूप में विलय करने का प्रस्ताव भी विवादास्पद है।

विश्व बैंक के अध्यक्ष की यात्रा

[अनुवाद]

722. **श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :**

श्री आनन्द अहिरवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष हाल ही में भारत की यात्रा पर आये थे; और

(ख) उनके साथ हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विश्व बैंक के अध्यक्ष,

श्री लुईस टी० प्रेस्टन ने 10 से 15 नवम्बर, 1991 तक भारत का दौरा किया। उनके आगमन के दौरान भारत में विश्व बैंक की परियोजनाओं के पोर्टफोलियो पर और वृहद-आर्थिक स्थिरीकरण की पुन: प्राप्ति में भारत द्वारा की गई प्रगति की आम सहमति को देखते हुए विश्व बैंक से लगातार और बढ़ी हुई सहायता की सम्भावनाओं पर उनके साथ चर्चा की गई थी।

बिहार में पुलों का निर्माण

[हिन्दी]

723. **श्री राम लखन सिंह यादव** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में वर्ष 1992-93 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों की मरम्मत की जा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत पर हुए खर्च का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :

(क) 3 (तीन)

(ख) 2 (दो)

(ग) पुलों की मरम्मत के लिए पिछले 3 वर्षों के दौरान किये गये आवंटन के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष	सामान्य मरम्मत	विशेष मरम्मत (बाढ़ से क्षति)
	(लाख रु०)	(लाख रु०)
1989-90	41.00	19.74
1990-91	28.00	10.08
1991-92	29.70	25.47

कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना के तहत बिहार को धनराशि दिया जाना

724. **श्री नवल किशोर राय** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 नवम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार कृषि तथा ग्रामीण ऋण राहत योजना 1990 के तहत बिहार को कितना धन दिया गया;

(ख) इसके परिणामस्वरूप कितने लोगों को लाभ पहुंचा है;

(ग) क्या उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत धन की पूरी राशि बिहार को दे दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) बाकी राशि के कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 16-11-92 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से 37.45 लाख लोगों की सहायता उपलब्ध कराई गई है जिसमें 828 करोड़ रुपये की धनराशि अन्तर्ग्रस्त है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि योजना के अन्तर्गत बिहार में सहकारी बैंकों को ऋण और अनुदान के रूप में 274.75 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत तथा जारी की गई है।

(ग) से (ङ) नाबार्ड ने सभी राज्य सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके द्वारा प्रदान की गई राहत की 100 प्रतिशत जांच करने और अपात्र ऋण-कर्ताओं से सम्बद्ध दावों को छोड़ने के पश्चात संशोधित दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा है। नाबार्ड सहकारी समितियों से अन्तिम दावों से सम्बन्धित विवरणों की प्राप्ति के पश्चात् और धनराशि जारी करने पर विचार करेगा।

रामागुंडम चरण-दो परियोजना

[अनुवाद]

726. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामागुंडम चरण-दो परियोजना अभी भी निकट भविष्य में शुरू किए जाने के लिए तैयार नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) परियोजना के लिए कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई तथा अब तक कितनी धनराशि वास्तव में खर्च की गई है; और

(घ) इसके कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क), (ख) और (घ) रामागुंडम चरण-II परियोजना को सरकार द्वारा दी गई अद्यतन स्वीकृति से मार्च, 1995 तक चालू किए जाने का कार्यक्रम है। परियोजना का विकास कार्य प्रगति पर है और सामान्य ठेकेदार के साथ परियोजना का कार्यान्वियन का ठेका दिनांक 13 मई, 1992 से प्रभावी हुआ है। अब परियोजना को वर्ष 1995 के अन्त तक चालू होने की सम्भावना है।

(ग) प्रोतोकोल करार में इस परियोजना के लिए उपलब्ध किए गए 172.39 मिलियन डच मार्क की जर्मन ऋण की राशि में 14.05 मिलियन डच मार्क की राशि का अभी तक प्रयोग कर लिया गया है।

कोयला आपूर्ति

[हिन्दी]

720. **श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 में देश में खानों से निकाले जाने वाले कोयले की कुल मात्रा कितनी है तथा इसमें से रेल तथा सड़क यातायात द्वारा कितनी मात्रा ले जायी जाती है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान मात्रावार कोयले की मात्रा की आपूर्ति की जाती है; और

(ग) इस अवधि के दौरान आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा, गुणवत्ता का उद्योग-वार ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० को वर्ष 1991-92 में रेल, सड़क और अन्य साधनों से कोयले के प्रेषण की कुल मात्रा नीचे दी गई है :—

(मिलियन टन में)

रेल द्वारा		सड़क द्वारा		अन्य साधनों द्वारा	
को० इं० लि०	सिं० को० कं० लि०	को० इं० लि०	सिं० को० कं० लि०	को० इं० लि०	सिं० को० कं० लि०
104.75	10.39	27.55	5.75	62.23	4.45

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान गुणवत्ता के आधार पर कोयले का प्रेषण नीचे दर्शाया गया है :—

कोककर कोयला

गुणवत्ता*

(मिलियन टन में)

	को० इं० लि०	सिं० को० कं० लि०
मिश्रण योग्य	0.742	शून्य
अन्य कोककर	2.341	शून्य
इस्पात/वाथरी	24.836	शून्य
एन०एल०डब्ल्यू० (भा०को०को०लि०)	9.337	शून्य
मध्यम कोककर	0.598	शून्य

	को०इं०लि०	सिं०को०कं०लि०
एन०एल०डब्ल्यू० (वे०को०लि०)	0.067	शून्य
एन०एल०डब्ल्यू० (सा०ई०को०लि०)	0.087	शून्य
अकोककर कोयला		
ग्रेड "ए"	3.813	
ग्रेड "बी"	20.374	
ग्रेड "सी"	42.006	3.627
ग्रेड "डी"	18.134	4.786
ग्रेड "ई"	24.508	7.352
ग्रेड "एफ"	47 208	4.231
ग्रेड रहित/एन० एस० सी०	0.479	0.594

*आंकड़े अनन्तिम

(ग) कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा विभिन्न क्षेत्रों को वर्ष 1991-92 के दौरान कोयले की आपूर्ति नीचे दी गई है :—

(मिलियन टन में)

	विद्युत उपयोगिताएं	इस्पात	रेलवे	सीमेंट	उर्वरक	अन्य
को० इं० लि०	120.69	20.77	3.92	7.83	3.64	37.68
सिं० को० कं० लि०	14.08	—	0.49	2.12	0.67	3.25

उद्योग अनुसार आपूर्ति किए गए कोयले की गुणवत्ता का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा लघु उद्योगों को सहायता

729. **श्री राजेश कुमार :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्रीमती शीला गौतम :

श्री खेलन राम जांगड़े :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने हाल ही में लघु उद्योगों की सहायता हेतु एक

नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान किए जाने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बैंक द्वारा राज्यों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में इन योजनाओं से उद्योगों को सहायता प्राप्त हुई है और उन्हें सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने सूचित किया है कि ठीक ढंग से चल रहे विद्यमान लघु उद्योगों के आधुनिकीकरण, तकनीकी उन्नयन, विस्तार और अभिमुखीकरण के लिए देशी और आयातित दोनों प्रकार की नई मशीनरी/उपस्कर प्राप्त करने हेतु जो किसी विशेष परियोजना से सम्बद्ध नहीं है, उसने हाल ही में एक प्रत्यक्ष वित्त योजना शुरू की है। ऐसी सभी इकाइयां जो सिडबी से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं, वे भी योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकती हैं बशर्ते कि, वे कम से कम तीन वर्षों से प्रचालन में हों और लाभ अर्जित किया हो या प्रस्तावित योजना शुरू करने के बाद पिछले दो वर्षों के दौरान लाभांश की घोषणा की हो।

(ग) और (घ) अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत सिडबी सारे देश में अति लघु और लघु उद्योगों को चाहे वह किसी भी राज्य में क्यों न हो सहायता प्रदान करता है। पिछले दो वर्षों के दौरान सिडबी द्वारा दी गई राज्यवार सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा संवितरित राज्यवार सहायता*

करोड़ रुपए

राज्य	अप्रैल मार्च संवितरित	अप्रैल मार्च संवितरित
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	139.12	135.89
अरुणाचल प्रदेश	0.80	0.25
असम	11.25	10.06
बिहार	43.78	34.33
गोवा	17.33	25.47

1	2	3
गुजरात	207.30	270.14
हरियाणा	53.22	58.64
हिमाचल प्रदेश	23.13	24.67
जम्मू व कश्मीर	26.02	18.71
कर्नाटक	159.89	182.35
केरल	95.35	107.87
मध्य प्रदेश	85.45	90.25
महाराष्ट्र	227.26	285.35
मणिपुर	2.23	3.46
मेघालय	2.80	1.68
मिजोरम	3.65	1.44
नागालैण्ड	2.75	1.12
उड़ीसा	45.55	44.80
पंजाब	85.71	81.65
राजस्थान	78.20	90.82
सिक्किम	1.62	1.97
तमिलनाडू	208.27	213.25
त्रिपुरा	2.06	189
उत्तर प्रदेश	165.53	138.20
पश्चिम बंगाल	85.18	83.27
संघ राज्य क्षेत्र	54.45	108.83
कुल जोड़	1817.90	2016.36

(*)—एन० एस० आई० सी० फैक्टरिंग और अल्पावधिक बी० आर० एस० के अतिरिक्त सिडबी की सभी योजनाओं के अधीन सहायता।

तिरुप्पुर से हौजरी के सामान का निर्यात

730. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुप्पुर से हौजरी के सामान का निर्यात होता है;

(ख) क्या ऐसी किस्म की वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु कोई केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस क्षेत्र में लगे व्यक्तियों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई दिशा-निर्देश दिए गए हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सरकार ने पिछले कुछ समय में हौजरी सहित परिधान निर्यात में वृद्धि करने के लिये अनेक कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं : उदारीकृत विनिमय दर प्रबन्ध प्रणाली शुरू करना, परिवर्तनशील मुद्राओं के सन्दर्भ में कोटा मदों के फ्लोर मूल्य निर्धारित करना, लाइसेंस की आवश्यकताओं के बिना नई वस्त्र और परिधान मशीनरी के आयात को सुकर बनाना, कुछ शर्तों के अधीन लाइसेंस की आवश्यकता के बिना परिधान, हौजरी और मेड-अप्स क्षेत्रों द्वारा आवश्यक पुरानी मशीनरी का आयात करना, निर्यात संवर्धन (पूंजीगत माल) योजना शुरू करना जिसके अन्तर्गत निर्यात दायित्व के अधीन पूंजीगत माल का रियायती सीमा शुल्क पर आयात किया जा सकता है, विशेष मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना शुरू करना, वस्त्र और परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति के अन्तर्गत उचित नीतिगत उपायों के जरिये विनिर्माता-निर्यातकों और गैर-कोटा निर्यातकों को प्रोत्साहन देना आदि।

ईंट और कपड़ा उद्योग को कोयले की आपूर्ति

[हिन्दी]

731. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ईंट और कपड़ा उद्योग को निर्धारित दर पर नियमित रूप से कोयले की आपूर्ति करने की योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) कोल इण्डिया लि०, ईंट तथा टाइल उद्योगों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए एक सुविचारित निर्धारित नीति का अनुसरण कर रही है। रेलवे विभिन्न राज्यों में ईंट-भट्ठा उद्योग को कोयले के रैकों के संचलन के लिए अधिकतम सीमा में वैगनों का निर्धारण करता रहा है। रेल द्वारा कोयले का संचलन किए जाने के अलावा कोल इंडिया लि० ने विभिन्न राज्यों के ईंट-भट्ठा उद्योगों को वर्ष 1992-93 के लिए 9.73 लाख टन स्लैक कोयला प्रति माह सड़क मार्ग द्वारा आपूर्ति किए जाने की पेशकश की है। सड़क तथा

रेल द्वारा निर्धारित मात्रा में कोयले की आपूर्ति प्रत्येक राज्य के सम्बन्धित प्रायोजन अधिकारी द्वारा किए गए प्रायोजन के आधार पर की जाती है।

प्रायोजन के आधार पर रेल तथा सड़क द्वारा कोयले की आपूर्ति किए जाने के अलावा, कोयले की आपूर्ति "उदारीकत बिक्री योजना" के अन्तर्गत विभिन्न स्रोतों से भी की जाती है। कोई भी कोयले का खरीददार, जिसमें ईंट-भट्ठा मालिक भी शामिल हैं, किसी भी विनिर्दिष्ट स्रोत से एक बार में 1000 मी० टन तक कोयले की आपूर्ति प्राप्त कर सकता है।

गुजरात में रक्षा भूमि का वाणिज्यिक उद्योग

732. **श्री काशीराम राणा** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में अतिरिक्त रक्षा-भूमि को बेचने या उसका वाणिज्यिक उपयोग करने का कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाए जा रहे मानदंडों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, नहीं। गुजरात में कोई रक्षा भूमि फालतू नहीं पाई गई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

जनता कपड़े की बिक्री

733. **श्री महेश कनोडिया** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत जनता कपड़े/कंट्रोल के कपड़े के उचित वितरण हेतु कोई निर्देश/दिशा निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त योजना के ठीक से काम न करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) हथकरघा क्षेत्र में जनता कपड़ा योजना का कार्यान्वियन केन्द्र सरकार द्वारा सभी कार्यान्वियन राज्यों को जारी की गई व्यापक मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाता है। इस मार्गदर्शिका के अनुसार प्रत्येक कार्यान्वियन अभिकरण को अपने उत्पादन का कम से कम 15% उपभोक्ता सहकारिताओं/लोक वितरण प्रणाली की परिभाषा के अनुरूप अन्य ऐसे अभिकरणों के माध्यम से वितरित करना होता है। मुख्य सचिव/हथकरघा प्रभारी सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तर की कार्यान्वियन समितियां जिनमें नागरिक आपूर्ति विभाग, गैर-सरकारी संगठन, उपभोक्ता प्रतिनिधि, अन्य विशेषज्ञ आदि को शामिल किया गया है, को उनके राज्य में जनता कपड़े के वितरण की व्यवस्था की देख-रेख के कार्य सौंपे गये हैं।

मिल द्वारा निर्मित कंट्रोल कपड़े का वितरण राष्ट्रीय वस्त्र निगम के विक्रय केन्द्रों, उनके प्राधिकृत डीलरों और राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ के माध्यम से वितरित किया जाता है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा कंट्रोल कपड़े की बिक्री की नियमित देख-रेख की जाती है।

(ग) जी हां,

(घ) यद्यपि कोई विशेष शिकायत मिलने पर कठोर कार्यवाही की जाती है और इसके साथ-साथ दीर्घावधिक उपायों के रूप में मार्गदर्शिका के प्रावधानों में भी समय-समय पर संशोधन किया जाता है।

विदेशी ऋण चुकता करना

[अनुवाद]

734. **श्री संदीपान भगवान थोरात :**

श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी ऋणों तथा वाणिज्यिक ऋणों के लिए गत दो वर्षों में वर्ष वार इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष के दौरान चुकता किए जाने वाले विदेशी ऋण की लागत का अद्यतन अनुमान क्या है;

(ख) इसके कारण गत तीन वर्षों के दौरान और इस वर्ष आज तक, प्रत्येक के दौरान अनुमानित कुल कितनी विदेशी मुद्रा बाहर गई;

(ग) उक्त अवधि के दौरान व्यापार से कुल अनुमानित कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है;

(घ) सरकारी और गैर-सरकारी खातों में अतिरिक्त ऋण के जरिए चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने का अनुमान है;

(ङ) अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में आई कमी का ऋण चुकाने की लागत पर क्या असर पड़ा है;

(च) क्या ऋण चुकाने की राशि का अनुपात अप्रत्याशित स्तर तक पहुंच गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसे सीमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विदेशी ऋणों पर मूल की वापसी-अदायगी और ब्याज के भुगतान की बकाया राशियां वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 में क्रमशः 8464 करोड़ रुपए, 9693 करोड़ रुपए और 13759 करोड़ रुपए थी। इसके चालू वित्त वर्ष में 17609 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यापार द्वारा विदेशी मुद्रा की कुल आय वर्ष 1989-90 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमशः 28229 करोड़ रुपए, 33178 करोड़ रुपए और 44706 करोड़ रुपए थी।

(घ) चालू वर्ष (सितम्बर, 1992 तक) के दौरान विदेशी मुद्रा का सरकारी और गैर-

सरकारी खातों पर अतिरिक्त उधार द्वारा अन्तः प्रवाह 7008 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ङ) पूरे विदेशी ऋण का अमरीकी डालर में तो नहीं परन्तु मिश्रित मुद्राओं में उल्लेख किया जाता है। जबकि रुपए में व्यक्त ऋण भार अमरीकी डालर की तुलना में रुपए के विनिमय दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप परिवर्तित हो जाएगा, वहीं सम्बन्धित विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित ऋण अमरीकी डालर के विनिमय दरों में ऐसे परिवर्तन द्वारा प्रभावित नहीं होता है।

(च) और (छ) देश का विदेशी ऋण भार और ऋण शोधन देयता नियंत्रणीय सीमा के भीतर है। सरकार को देश की ऋण-शोधन देयता के बारे में जानकारी है और यह आर्थिक सुधारों का एक कार्यक्रम लागू कर चुकी है, जो देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा और हमारी निर्यात अर्जन क्षमता सहित विकास प्रक्रिया को पुनर्जीवित करेगा ताकि ऋणों को वापस-अदा करने की हमारी क्षमता में वृद्धि हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि यह ऋण-शोधन बोझ ऐसे ऋण के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक न हो जाए।

बाल श्रमिक विधियां

735. **श्री बीर सिंह महतो :**

श्री चित्त बसु :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बाल श्रमिक विधियां बाल श्रमिकों की सामाजिक बुराई को दूर करने के बजाए इसे विधिसम्मत बना रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इनकी समीक्षा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एल० पी० जी० गैस के आयात के लिए बड़े पत्तनों पर सुविधाएं जुटाना।

736. **श्री अनंतराव देशमुख :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अपर्याप्त पत्तन सुविधाओं के कारण एल०पी०जी० की और अधिक मात्रा का आयात करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न बड़े पत्तनों पर एल०पी०जी० के आयात की अतिरिक्त पत्तन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) बम्बई और विजाग में सुविधाओं का नवीनीकरण करके मौजूदा पत्तनों के माध्यम से एल० पी० जी० आयात क्षमता में वृद्धि करने के प्रस्ताव है। कांडला और मंगलौर में नई आयात सुविधाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

चुंगी कर हटाना

737. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चुंगी कर और पथकर से सम्बन्धित सभी आय की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति के गठन और इसके निर्देश पदों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) समिति का गठन इस प्रकार किया गया :—

1.	जल-भूतल परिवहन राज्य मंत्री	—	अध्यक्ष
2.	शहरी विकास राज्य मंत्री भारत सरकार	—	सदस्य
3.	शहरी विकास मंत्री, महाराष्ट्र सरकार	—	सदस्य
4.	शहरी विकास मंत्री, गुजरात सरकार	—	सदस्य
5.	शहरी विकास मंत्री, राजस्थान सरकार	—	सदस्य
6.	परिवहन मंत्री, हरियाणा सरकार	—	सदस्य
7.	परिवहन मंत्री उड़ीसा सरकार	—	सदस्य
8.	परिवहन मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार	—	सदस्य
9.	सचिव, जल-भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार	—	सचिव एवं संयोजक

यह समिति चुंगी और पथकर से सम्बन्धी सभी मुद्दों विशेष रूप से परिवहन आपरेटरों को पेश आई समस्याएं तथा उनके समाधान के लिए किए जाने वाले आवश्यक प्रयासों की जांच करेगी ।

(ग) समिति से कहा गया है कि वह 23 अक्टूबर, 1992 से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट दे ।

डी०टी०सी० को घाटा

738. श्री पी० एम० सईद :

श्री एन० जे० राठवा :

श्री गुरुदास कामत :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्हाईट लाइन एक्सप्रेस तथा रैड लाइन एक्सप्रेस बस सेवाएं आरंभ करने के बाद दिल्ली परिवहन निगम को भारी घाटा हो रहा हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सितम्बर और अक्टूबर, 1992 में दिल्ली परिवहन निगम की नगर सेवाओं से होने वाली दैनिक आय में कमी आई है। सितम्बर, 1992 के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को 44.29 लाख रु० की दैनिक औसत आय हुई जबकि अक्टूबर, 1992 में उक्त आय केवल 40.67 लाख रु० थी।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम के काम काज में सुधार करने की दृष्टि से सरकार नियमित रूप से इसके निष्पादन पर निगरानी रखती है। ईधन की बचत, और टायरों की आयु में वृद्धि, बेहतर रख-रखाव द्वारा ब्रेक-डाऊन की संख्या में कमी, तथा खर्चे में कमी इत्यादि जैसे उपाय नियमित रूप से किए जा रहे है। राजस्व की चोरी को रोकना एक अन्य उपाय है जो दिल्ली परिवहन निगम प्रभावी चेकिंग के जरिए कर रही है। अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम स्क्रैप का शीघ्र निपटान, रूटों का युक्तिकरण जैसे अन्य उपाय भी कर रही है।

विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाएं

[हिन्दी]

739. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** :

प्रो० रासा सिंह रावत :

श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक/अन्य विदेशी एजेंसियों से 1991 तथा 1992 के दौरान अब तक प्राप्त धनराशि का परियोजना वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन ऋणों पर कुल कितनी धनराशि वार्षिक ब्याज के रूप में दी जाएगी;

(ग) क्या सरकार ने इन ऋणों की अदायगी के लिए कोई नियम बनाएं हैं; और

(घ) इन ऋणों की अदायगी, परियोजना-वार कितने बर्षों में की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर):(क) वर्ष 1991 और 1992 के दौरान विश्व बैंक और अन्य बहुपक्षीय अभिकरणों द्वारा वचनबद्ध सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्याज के लिए देय राशि, संवितरण, सम्भावित निरसन और सहायता के अन्तर्गत वापसियों पर निर्भर करती है और इसलिए इसका परिमाण बताना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) सरकार ने वापसी अदायगी के देय कार्यक्रमों के अन्दर ऋण किस्तों की वापसी अदायगी के लिए एक उपयुक्त ऋण परिशोधन नीति का विकास किया है।

परियोजना का नाम	विवरण दाता अभिकरण	 सहायता की राशि
1	2	3
1991		(मिलियन अमेरिकी डालर)
महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति और पर्यावरण सफाई परियोजना	आई०डी०ए	109.9
द्वितीय तकनीकी शिक्षा परियोजना	—वही—	307.1
औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना	आई०बी०आर०डी०/ आई०डी०ए०	155.6
द्वितीय सड़क परियोजना	ए०डी०बी०	250.0
निजी उपयोगिताएं (बी०एस०ई०एस०)		20.00
बांध सुरक्षा परियोजनाएं	आई०बी०आर०डी०/ आई०डी०ए०	154.37
1992		
आई०डब्लू०डी० (मैदान) परियोजना	आइ०बी०आर०डी०	58.17 (7.00 मिलियन अमेरिकी डालर का आई०बी०आर०डी० का ऋण निरस्त कर दिया गया)
आई०डब्लू०डी० (पर्वत) परियोजना	आई०बी०आर०डी०	77.56 13 मिलियन अमेरिकी डालर का आई०बी०-आर० डी० का ऋण निरस्त कर दिया गया
ए०डी०पी० तमिलनाडू	आई०डी०ए०/ आई०बी०आर०डी०	107.53
झींगा और मत्स्य पालन	—वही—	85.0
महाराष्ट्र वानिकी	—वही—	124.0
पश्चिम बंगाल वानिकी	—वही—	34.0

1	2	3
बाल उत्तरजीविता और मातृत्व सुरक्षा	आई०डी०ए०	219.7
राष्ट्रीय ऐड्स नियंत्रण परियोजना	—वही—	84.0
द्वितीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	आई०डी०ए०/आई०बी०आर०डी०	306.0
द्वितीय रेलवे परियोजना	ए०डी०बी०	225.0
विद्युत उपयोगिता दक्षता सुधार परियोजना		260.0
महाराष्ट्र विद्युत (द्वितीय)		350.0

राष्ट्रीय कृत बैंकों द्वारा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिया जाने वाला ऋण

740. **डा० महावीपक सिंह शाक्य :**

श्री नीतीश कुमार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेश दिये हैं कि उनके द्वारा दी जाने वाली ऋण की कुल धनराशि में से गैर सरकारी क्षेत्र का हिस्सा 40% से कम नहीं होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के पहले छः महीनों के दौरान प्रत्येक महीने इन बैंकों द्वारा दिये गए कुल ऋण की तुलना में कृषि क्षेत्र, लघु उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों को अलग-अलग कितना प्रतिशत ऋण स्वीकृत किया गया है; और

(ग) पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र, लघु और बड़े उद्योगों को दिए गए ऋण की तुलना में यह ऋण कितना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए मार्गनिर्देशों के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने निवल बैंक ऋण का कम से कम 40 % प्राथमिकता क्षेत्र को ऋणों के रूप में देना होता है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंकों की सूचना प्रणाली में मांगे गए ढंग से सूचना एकत्र नहीं की जाती है। तथापि, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का बकाया बैंक ऋण और साथ ही कृषि, लघु उद्योगों और मध्यम तथा बड़े उद्योग को उनके द्वारा दिया गयां अग्रिम निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपए)

	मार्च 1990	मार्च 1991	मार्च 1992	1990-91 के दौरान	1991-92 घट-बढ़
	1	2	3	4	5
बैंक ऋण	95132	109298	118024	14166	8726

	1	2	3	4	5
कृषि	16526 (17.4)	16750 (15.3)	18187 (15.4)	224	1437
लघु उद्योग	15543 (16·3)	17181 (15.7)	18158 (15.4)	1638	977
उद्योग (मध्यम और बड़े)	38262 (40.2)	44508 (40.7)	473.30 (40.1)	6246	2822

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल ऋण की तुलना में प्रतिशत हिस्से को दर्शाते हैं)

बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेस का निजीकरण

[अनुवाद]

741. **श्री अजय मुखोपाध्याय** :

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती :

श्री शिवाजी पटनायक :

डा० असीम बाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नासिक और देवास में राज्यकीय बैंक नोट प्रिंटिंग प्रेसों का निजीकरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार नोटों की छपाई हेतु स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सभी करेंसी/बैंक नोट देश में ही बैंक नोट प्रेस, देवास और करेंसी नोट प्रेस, नासिक में मुद्रित किए जा रहे हैं।

न्यूनतम वेतन

742. **श्री शंकर सिंह वाघेला** :

श्री मंजय लाल :

श्री रामसागर :

श्री रामदेव राम :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक श्रमिक के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन दर कितनी हैं;

(ख) क्या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में संशोधन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो इसके कब तक संशोधित होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण/संशोधन के लिए समुचित सरकारें हैं।

(ख) से (घ) यदि परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं है तो दो वर्ष की अवधि के भीतर मजदूरी में संशोधन करने के लिए सरकार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहीं है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन होने तक राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े परिवर्तनीय महंगाई भत्ते के घटक के साथ न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है ।

पत्तनों का विकास

743. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 और आठवीं योजना में पत्तनों की क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न प्रमुख पत्तनों पर अनेक आधुनिकीकरण उपाय भी शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो पत्तन-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां । महापत्तनों के आधुनिकीकरण की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 8वीं योजना में महापत्तनों के लिए 2978 करोड़ रु० के परिव्यय का अस्थाई तौर पर प्रावधान किया गया है और वार्षिक योजना 1992-9 में 541.66 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। इन परिव्ययों का पत्तन-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

महापत्तनों की विकास योजनाओं के लिए 8वीं योजना 1992—97 में प्रदान किए गए अस्थाई परिव्यय और वार्षिक योजना 1992-93 में किए गए प्रावधानों के ब्यौरे

परिव्यय (करोड़ रु०)

क्र०सं०	पत्तन	आठवी योजना 1992-93 अस्थाई	वार्षिक योजना 1992-93
1	2	3	4
1.	(क) कलकत्ता	180.00	45.00
	(ख) हल्दिया	175.00	45.00
	(ग) नदी से सम्बन्धित योजनाएं	76.00	40.58
	जोड़ : कलकत्ता	431.00	130.58
2.	बम्बई	251.00	70.43
3.	जवाहर लाल नेहरू	290.00	57.30
4.	मद्रास	639.39	34.89
5.	कोचीन	96.54	4[illegible].17
6.	विजाग	234.46	65.57
7.	कांडला	220.00	40.00
8.	मुरगांव	123.13	11.76
9.	पारादीप	568.48	67.00
10.	एन०एम०पी०टी०	59.00	4.91
11.	तूतीकोरिन	65.00	17.05
	जोड़-महापत्तन :	2978.00	541.66

उड़ीसा में नये बैंकों की शाखाएं

744. **श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान उड़ीसा में विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों की और अधिक नई शाखाएं खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा राज्य में कहां-कहां पर इन शाखाओं को खोलने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने उड़ीसा के शहरी/महानगरीय/पत्तन केन्द्रों में निम्नलिखित शाखाएं आवन्टित की हैं :—

केन्द्रों का नाम	आबन्टित बैंक शाखाओं की संख्या	खोली गई शाखाओं की संख्या
कटक	11	4
गंजम	3	—
भुवनेश्वर	14	6
पुरी	5	2
सम्बलपुर	5	1
सुन्दरगढ़	6	1
कुल :	44	14

जहां तक अर्ध-शहरी केन्द्रों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को एक निर्दिष्ट संख्या में अर्ध-शहरी केन्द्रों आबन्टित किए हैं जिनके अन्दर वे अपनी पसन्द के केन्द्र में शाखाएं खोल सकते हैं ।

ग्रामीण केन्द्रों के सम्बन्ध में अलग-अलग बैंकों को अपने सेवा क्षेत्र के अन्दर आने वाले केन्द्रों का पता लगाना होता है और आवश्यक विवरणों सहित इन केन्द्रों की सूची उस जिले के लीड बैंक को भेजी होती है । लीड बैंक सूची का समेकन करने के बाद उसे सिफारिशों के लिए और सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को आगे प्रेषित करने के लिए जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करता है । भारतीय रिजर्व बैंक को अब तक राज्य सरकार के माध्यम से केवल क्योंझर, सम्बलपुर और मयूरभंज जिलों में शाखाएं खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ।

विदेशी सहायता की निवल राशि

745. **डा० के० डी० जेस्वाणी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विदेशी सहायता की निवल प्राप्ति की दर क्या है;

(ख) क्या विदेशी सहायता की निवल प्राप्ति की दर में प्रत्येक वर्ष कोई कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस निवल प्राप्ति में कमी को दूर करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान विदेशी सहायता (मूलधन की वापसी/अदायगी को घटाकर) के निवल अन्तर्प्रवाह की राशि क्रमशः 3815 करोड़ रुपये, 4375 करोड़ रुपये और 7965 करोड़ रुपये थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने और विदेशी सहायता के इस्तेमाल के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें विदेशी मुद्रा जारी करना और निविदा (टेंडर) मूल्यांकन की प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना, राज्यों को शत-प्रतिशत विदेशी सहायता देना और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम राशि जारी करना शामिल है। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं का अनुवीक्षण कार्य भी तेज कर दिया गया है।

कोल इंडिया लिमिटेड को घाटा

746. **श्री अनिल बसु :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० को कुल कितना घाटा हुआ है;

(ख) स्टाक की जांच के बाद सहायक कम्पनीवार कितना कोयला बट्टे खाते डाला गया और बट्टे खाते में डाले गए इस स्टाक का संगत मूल्य कितना है; और

(ग) घाटे को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोल इंडिया लि० द्वारा दी गई सूचना के अनुसार को० इं० लि० को वर्ष 1991-92 तक कुल संचित हानि 2353.99 करोड़ रुपये (अनन्तिम) की हुई।

(ख) कोयला कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1991-92 के दौरान

ई० को० लि० ने 2.43 लाख टन कोयला तथा भा० को० को० लि० ने 0.79 लाख टन कोयला बट्टा खाते में डाल दिया है। कोयले की औसत मूल्य को 322 रुपये प्रति टन मानते हुए भी कोयले के बट्टे खाते डाले स्टाक का मूल्य 10.37 करोड़ रुपये आता है।

(ग) कोल इंडिया लि० को हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के लिए उठाए गए कदम/उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदम नीचे दिए गए हैं :—

(1) उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि।

(2) प्रभावी रूप में नियंत्रण तथा उत्पादन लागत पर रोक ताकि निरन्तर विकास के लिए पर्याप्त अन्तराल रखा जा सके।

(3) कोयले की बिक्री से बेहतर वसूली प्राप्त करने के लिए "कैश एण्ड कैरी स्कीम" का क्रियान्वयन।

(4) श्रमशक्ति आयोजन में सुधार, जिसमें फालतू श्रमिकों के पुर्नानियोजन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए रिक्त पदों के एवज में नये कामगारों के नियोजन पर प्रतिबन्ध शामिल है।

(5) स्वैक्षिक सेवानिवृत्ति के जरिए श्रमशक्ति में कमी।

(6) प्रयोगात्मक आधार पर "आल मैन—आल जाब" की संकल्पना का प्रयोग किया जा रहा है।

(7) पर्याप्त रूप में वर्क-शाप स्पोर्ट मोहिया करके हैम मशीनों के प्रयोग तथा उपलब्धता में सुधार, कलपुर्जों के प्रबन्धन में सुधार और उपकरणों की समय पर व्यवस्था।

(8) हैम मशीनों की खरीद तथा अन्य उपकरणों की खरीद की घनिष्ठतम समीक्षा ताकि संयंत्र तथा मशीनरी में अतिरिक्त उपकरणों को न्यूनतम किया जा सके।

(9) उत्पादकता तथा लाभकारिता में सुधार किए जाने के लिए भूमिगत खानों पर विशेष बल।

(10) राज्य सरकारों तथा उपर्युक्त प्राधिकारियों के साथ अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण किये जाने के लिए बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि खनन क्रियाकलापों को कार्यक्रम के अनुसार शुरू किया जा सके।

(11) अल्पावधि की दीर्घावधिक उत्पादन की सम्भावनाओं को अस्त-व्यस्त किए बिना पूंजीकृत व्यय में कमी ताकि उत्पादन की भावी लागत में ब्याज तथा मूल्यह्रास की प्रभावकारिता को न्यूनतम किया जा सके।

(12) लागत को संराशिकृत किए जाने के लिए कोयला/कोक की कीमतों में समय-समय पर संशोधन।

भारतीय स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंकों की स्टेट बैंक आफ हैदराबाद के साथ मिलाना

747. **श्री पृथ्वी राज डी० चव्हाण** :

श्री राम बदन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्टेट बैंक आफ इंडिया के सहायक बैंकों को स्टेट बैंक आफ हैदराबाद में विलय कर देने का है, जैसा कि 29 अगस्त, 1992 के इकोनामिक टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सात अनुषंगी बैंकों का विलय कर एक अनुषंगी बैंक बनाने का प्रस्ताव सरकार को भारतीय स्टेट बैंक से मिला है। सरकार ने इस प्रस्ताव पर भारतीय रिजर्व बैंक के विचार मांगे हैं। इस स्तर पर, प्रस्ताव पर निर्णय लेने सम्बन्धी समय-सीमा को बताना सम्भव नहीं होगा।

कोयला खानों के समीप रहने वाले लोगों की सुरक्षा

748. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या सरकार को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की पश्चिम बंगाल स्थित कोयला खानों में प्रत्येक दुर्घटना के पश्चात् बार-बार भूमि के धंसने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोयला खानों के समीपस्थ गांवों के लोगों को बचाने के लिए कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से, यह आवश्यक नहीं है कि भू-धंसन की स्थिति ही पैदा हो। कई बार, छत अचानक गिर जाने अथवा भूमिगत विकसित सीम के बीच दरार से भूमि धंस जाती है, जैसा कि मधुसुदनपुर कोलियरी में दिनांक 21-9-92 को दुर्घटना हुई थी। दिनांक 17-9-92 को जमबाद टाप तथा जमबाद बाटम सैक्शनों के मध्य स्थान के ढह जाने से कोलियरी में दुर्घटना हुई। इससे ऊपरी कजोरा सीम की जल-प्लावित बन्द पड़ी खानों का संतुलन प्रभावित हुआ और इसने भी सतह के धंसाव में अपनी भूमिका निभायी।

(ग) से (ङ) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के प्रचालन क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर, जो कि पुरानी

बन्द पड़ी खानों का क्षेत्र है, वहां धंसाव की आशंका बनी रहती है तथा इसीलिए खान सुरक्षा महा-निदेशक द्वारा 1950 में इन्हें असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। इन असुरक्षित क्षेत्रों पर आवासों की वृद्धि को नियंत्रित करने की दृष्टि से पश्चिम बंगाल सरकार ने इन असुरक्षित क्षेत्रों में निर्माण कार्य पर रोक लगाने के लिए 1979 में कानून पास किया था।

गैर अभिगमित, जल प्लावित, पुरानी बन्द पड़ी खानों को सुदृढ़िकृत किये जाने की कोई प्रमाणित विधि विद्यमान नहीं है। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० ने आर० एण्ड डी० के माध्यम से जल प्लावित गैर-अभिगमित खानों को सुदृढ़ किये जाने की दृष्टि से एक हाइड्रो-न्यूमैटिक रेत भराई प्रणाली विकसित की है तथा वर्तमान में पश्चिम बंगाल सरकार तथा कोल इंडिया लि० द्वारा गठित एक एपेक्स निरीक्षण समिति के पर्यवेक्षण तथा मार्गनिर्देश में रानीगंज टाउनशिप का एक भाग को सुदृढ़ीकृत किये जाने का कार्य शुरू किया गया है। ई० सी० एल० द्वारा भू-धंसाव की घटना से प्रभावित व्यक्तियों को दूसरे स्थान पर ले जाने के उपचारात्मक उपाय आवश्यकता अनुसार किए जाते हैं।

औद्योगिक विधि में संशोधन

749. **श्री वी० धनंजय कुमार :**

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

श्री मृत्युंजय नायक :

श्री आनन्द अहिरवार :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1992 में आयोजित श्रम मंत्रियों के 40वें सम्मेलन के दौरान औद्योगिक विधि सम्बन्धी रामानुजम समिति के निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने रामानुजम समिति और इसकी सिफारिशों का अध्ययन करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में नये विधेयक को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो नये औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं; और

(ङ) प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी के सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकार की नीति क्या है?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) फरवरी, 1992 में आयोजित श्रम मंत्रियों के 40वें सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसरण में नये औद्योगिक सम्बन्ध विधान पर रामानुजम समिति की रिपोर्ट के असहमति वाले क्षेत्रों की जांच करने के लिए श्रम एवं कोयला राज्य मंत्री की अध्यक्षता में पांच राज्यों के श्रम मंत्रियों का एक दल गठित किया गया था। दल के द्वारा व्यक्त किये गये विचारों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) इस मामले को सितम्बर, 1992 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन में रखा गया था। सम्मेलन में लिये गये निणय के अनुसरण में, व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन करने, विधेयक की रूपरेखा तैयार करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(ङ) सरकार की नीति प्रबन्ध में कर्मकारों की भागीदारी को बढ़ावा देने की है। विगत में इस संबंध में अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं। इस समय प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीगारी योजना, 1983 नामक एक योजना चल रही है। इस योजना को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने राज्य सभा में 1990 में "प्रबन्ध में कर्मकार सहभागिता विधेयक, 1990" पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शाप-फ्लोर, प्रतिष्ठान तथा बोर्ड स्तरों पर प्रबन्ध में कर्मकारों की अर्थपूर्ण भागीदारी की व्यवस्था है।

विवरण

रामानुजम समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों पर मंत्रियों के दल के विचार

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926

(i) **जाति, पंथ आदि के आधार पर व्यवसाय संघों की मान्यता पर प्रतिबन्ध**

दल की यह सर्वसम्मत राय थी कि जाति, पंथ, समुदाय और धर्म पर आधारित व्यवसाय संघों के पंजीकरण पर रोक लगाई जानी चाहिए। तथापि शिल्प या व्यवसाय पर आधारित व्यवसाय संघों के मामले इसके अपवाद हो सकते हैं।

(ii) **बाहरी व्यक्तियों का व्यवसाय संघ का पदाधिकारी बनाया जाना**

दल इस बात पर भी सर्वसम्मत था कि बाहरी व्यक्तियों की संख्या को पदाधिकारियों की कुल संख्या के $\frac{1}{3}$ तक सीमित कर दिया जाए, जैसी कि रामानुजम समिति ने सिफारिश की थी। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री को छोड़कर सभी श्रम मंत्री केन्द्र या राज्यों के मंत्रियों को व्यवसाय संघ का पदाधिकारी बनाए जाने के विरुद्ध थे।

(iii) **अपात्रता**

मंत्रियों का दल अधिनियम के विद्यमान उपबन्धों को बनाए रखने के पक्ष में था। तथापि, पश्चिम बंगाल ने इससे असहमति व्यक्त की और कहा कि अपात्रता केवल संघ कोष के गबन में दोष-सिद्धि अथवा भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर ही होनी चाहिए।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

(i) **"उद्योग" की परिभाषा**

पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री को छोड़कर बाकि सभी मंत्री अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं के लिए अलग विधान/शिकायत निवारण तंत्र बनाए जाने के पक्ष में थे। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री का यह विचार था कि 1982 का संशोधन छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों की सूची में से अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को निकालने के बाद ही लागू किया जाए और राज्य सरकारें अस्पताल के कर्मचारियों को दिन-प्रति-दिन की शिकायतों के लिए त्रिपक्षीय समिति बनाएं।

(ii) **कर्मचारियों को शामिल किया जाना**

दल सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत था कि और अधिक कर्मचारियों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए 1600/- रु० की वर्तमान वेतन सीमा को बढ़ाकर 3000/- रु० प्रति माह कर दिया जाए। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री का यह सुझाव था कि पर्यवेक्षी कर्मचारियों के लिए कोई वेतन सीमा नहीं होनी चाहिए। इस बात पर भी सहमति थी कि प्रबन्धन और प्रशासकीय स्तर पर कार्य कर रहे कर्मचारी प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत शामिल नहीं किये जाने चाहिए, जैसी कि अधिनियम में पहले से ही व्यवस्था है।

(iii) **छूट**

पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्य इस बात से सहमत थे कि बम्बई औद्योगिक संबंध अधिनियम जैसे राज्य कानूनों को इससे छूट मिलना जारी रहना चाहिए। तथापि, राज्यों के कानूनों में सामान्य रूप से एकरूपता होनी चाहिए।

(iv) **"समुचित सरकार"**

पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु औद्योगिक विवाद अधिनियम में समुचित सरकार से संबंधित विद्यमान उपबन्धों को बनाये रखने के पक्ष में थे। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का यह विचार था कि जिन कम्पनियों की 51% पेड-अप पूंजी केन्द्र सरकार के पास है, उनके लिए समुचित सरकार केन्द्र सरकार होनी चाहिए।

इस बात पर सर्वसम्मति थी कि निगमित निकाय के स्वामित्व वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान, चाहे वह एक से अधिक राज्यों में कार्य कर रहे हैं, के लिए राज्य सरकारों को ही समुचित सरकार के रूप में काम करते रहना चाहिए।

(v) **स्वैच्छिक माध्यस्थम**

इस बात पर सर्वसम्मति थी कि विद्यमान प्रावधानों को जारी रखा जाये।

(vi) **औद्योगिक सम्बन्ध आयोग**

दल ने औद्योगिक संबंध आयोग गठित करने के संबंध में रामानुजम समितिकी सिफारिश को अस्वीकार कर दिया।

(vii) **हड़तालें और तालाबन्दियां**

पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्य आवश्यक और गैर-आवश्यक दोनों ही सेवाओं में हड़ताल और तालाबन्दी के लिये एक महीने का नोटिस देने की बात पर सहमत थे। पश्चिम बंगाल आवश्यक सेवाओं के लिये 14 दिन का नोटिस देने के विद्यमान प्रावधान को जारी रखे जाने के पक्ष में था।

संराधन की प्रक्रिया के लम्बित रहने के दौरान किसी हड़ताल या तालाबन्दी की अनुमति न दी जाये। तथापि, ऐसे प्रावधान का सम्बन्ध संराधन मामलों के मुद्दों से संबंधित होना चाहिए।

(viii) **छंटनी प्रतिपूर्ति**

इस बात पर सर्वसम्मति थी कि छंटनी प्रतिपूर्ति सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये 15 दिन की मजदूरी से बढ़ाकर 45 दिन की मजदूरी की जानी चाहिए।

(ix) **अध्याय-V ख**

(क) इस बात पर सहमति थी कि अध्याय-V ख (ले० आफ, छंटनी और बन्दी से संबंधित विशेष प्रावधान) के प्रावधानों के कवरेज का विस्तार कारखानों, खानों और बागानों के अलावा "अन्य स्थापनाओं' के लिये भी किया जाना चाहिए।

(ख) कर्मचारियों के कवरेज का आधार 100 कर्मकारों से घटाकर 50 कर्मकार कर दिया जाना चाहिए।

(x) **धीमी गति से कार्य करना**

दल का यह दृष्टिकोण था कि धीमी गति से कार्य करने की भावना को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी राज्य इस बात पर सहमत थे कि धीमी गति से कार्य करने के कारण उत्पादन में हुई हानि के लिये मजदूरी में समानुपातिक कटौती करने के लिए प्रावधान किए जाएं। पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री का यह दृष्टिकोण था कि इस विषय पर दल को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए क्योंकि रामानुजम समिति ने इस संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है।

(xi) **यूनियनों की मान्यता**

यूनियनों की मान्यता के सत्यापन और वार्ताकारी एजेंट का पता लगाने की पद्धति के बारे में मंत्रियों का दल गुप्त मतदान के पक्ष में था। पश्चिम बंगाल का यह विचार था कि ट्रेड यूनियनों को उनके पंजीकरण की तारीख से ही वार्ताकारी परिषद में स्थान के लिये चुनाव लड़ने का पात्र बनाया जाये। पश्चिम बंगाल का यह भी विचार था कि सदस्यता के सत्यापन के लिये तंत्र बनाने की पद्धति का निर्णय राज्य-विशेष पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए।

(xii) **वैयक्तिक शिकायत पद्धति**

वार्ताकारी परिषदों आदि से संबंधित सिफारिशों को भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा विचार किये जाने के लिए छोड़ दिया गया।

बैंकों के प्रबंध हेतु निदेशक बोर्ड का गठन

[हिन्दी]

750. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए निदेशक बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन बोर्डों में अन्य लोगों के साथ कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को भी

शामिल किया गया है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निदेशक मण्डलों का निरंतर चलने वाला अस्तित्व है और इसमें हुई रिक्तियां समय-समय पर भरी जाती हैं।

सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मण्डलों में गैर-कर्मकार (अधिकारी) निदेशकों की नियुक्ति से है जिस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 14-8-1989 को आदेश पारित किए थे। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में 23 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पहले ही गैर-कर्मकार निदेशकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं। सरकार ने शेष 5 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में गैर-कर्मकार निदेशकों की नियुक्ति के लिए पहले ही आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।

कोयला धोवनशालाओं का आधुनिकीकरण

[अनुवाद]

751. **श्री प्रकाश वी० पाटील** :

श्री एन० जे० राठवा :

श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० की कोयला धोवनशालाओं की कुल क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार का कोल इंडिया लि० की सभी कोयला धोवनशालाओं का आधुनिकीकरण करने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक कोयला धोवनशाला पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का कोल इंडिया लि० के अंतर्गत कुछ नई कोयला धोवनशालाएं बनाने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) वर्तमान में कोल इंडिया लि० में कोककर कोयले की वाशरियों की प्रतिवर्ष कुल स्थापित क्षमता 27.74 मि० टन है जिसमें से भारत कोकिंग कोल लि० की वाशरियों की स्थापित क्षमता 14.25 मि० टन प्रति वर्ष है।

(ख) से (घ) विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार वर्तमान कोककर कोयला वाश-

रियों में आधुनिकी/सुधारात्मक कार्य शुरू किया गया है, जिसमें डिशेलिंग संयंत्रों की स्थापना, उत्तम कोयले के परिष्करण का प्रावधान और औजारीकरण/स्वचलन पद्धति की शुरूआत किया जाना शामिल है। इसमें होने वाला व्यय जिसमें आधुनिकीकरण कार्य का पूरा होने का कार्यक्रम शामिल हैं, वाशरी-वार नाम दिया गया है :—

वाशरी		प्रक्षिप्त व्यय	प्रत्याशित अवधि
		(करोड़ रु० में)	
भोजूडीह (भा०को०को०लि०)		18.8	दिसम्बर, 93
दुग्दा I	—वही—	12.3	दिसम्बर, 93
दुग्दा II	—वही—	6.2	जुलाई, 93
सुदामडीह	—वही—	8.8	जुलाई, 93
पाथरडीह	—वही—	29.5	जून, 95
मूनीडीह	—वही—	0.3	पूरा मार्च, 91
कारगली	(से० को० लि०)	20.0	अक्तूबर, 94
कथारा	—वही—	15.6	मार्च, 94
गिडी	—वही—	20.0	दिसम्बर, 94
स्वांग	—वही—	2.5	मार्च, 93
राजरप्पा	—वही—	2.2	परीक्षाधीन

भारत कोकिंग कोल लि० में स्वचालन के कार्य के अलावा वाशरियों में 12.0 करोड़ रु० का खर्च आएगा तथा इस कार्य के जून, 95 तक पूरा होने की संभावना है।

(ङ) और (च) कोल इंडिया लि० के अंतर्गत नई कोयला वाशरियां, जो कि वर्तमान में स्थापित की जा रही हैं, का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वाशरी	क्षमता	टिप्पणी
1	2	3
	(मि०ट०प्र० वर्ष)	
मधुबंध (भा०को०को०लि०)	2.5	इस्पात संयंत्रों की आपूर्ति किए जाने वाला कोककर कोयला
केडला (से०को०लि०)	2.6	—तदैव—
बीना (ना०को०लि०)	4.5	विद्युत गृह को आपूर्ति किए जाने वाला अकोककर कोयला

1	2	3
पिपरवार (से०को०लि०)	6.5	विद्युत गृह को आपूर्ति किए जाने वाला अकोककर कोयला
कलिंगा (म०को०लि०)	8.0	—तदैव—

रुपए का मूल्य

[हिन्दी]

752. **श्री राम पूजन पटेल :**

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री सत्यगोपाल मिश्र :

श्री शिवाजी पटनायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 को आधार वर्ष मानते हुए रुपए का वर्तमान आंतरिक मूल्य क्या है;

(ख) प्रमुख विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए का वर्तमान विनिमय मूल्य क्या है; और

(ग) प्रमुख विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष में रुपए के गिरते हुए मूल्य का देश के व्यापार, अर्थ-व्यवस्था और भुगतान-संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) 1947 को आधार वर्ष मानते हुए औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के व्युत्क्रम द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार रुपए का आंतरिक मूल्य सितम्बर, 1992 में 5.98 पैसे रहा है।

(ख) अक्तूबर, 1992 मास के लिए चयनित प्रमुख मुद्राओं की तुलना में रुपए का औसत विनिमय मूल्य निम्नानुसार रहा है :—

मुद्रा	सरकारी दर	बाजार दर
अमरीकी डालर	25,8900	30,0471
पौण्ड स्टर्लिंग	42,8616	49.8933
ड्यूश मार्क	17,4242	20,2505
जापानी येन	0,2136	0,2481
फ्रेंच फ्रांक	5,1352	5,9597

+ एफ०ई०डी०ए० का अर्थ सांकेतिक सूचक दर

(ग) रुपए का मूल्यह्रास देश में विदेशी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात, आयात-प्रतिस्थापन और अदृश्य प्राप्ति को बढ़ावा मिलता है और उसके द्वारा भुगतान संतुलन में सुधार होता है। यह भुगतान संतुलन में घाटे वाली किसी अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक है।

पटसन की मजबूरन बिक्री

[अनुवाद]

753. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री के० प्रधानी :

श्री जितेन्द्र नाथ दास :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

डा० असीम बाला :

श्री सुब्रत मुखर्जी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के छोटे और सीमान्त उत्पादकों को अपने उत्पाद को समर्थन मूल्य पर वेचने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसके परिणामस्वरूप उनके पास बिना बिके पटसन का बफर स्टाक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि घरेलू बाजार में पटसन के मूल्य में तेजी से गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने वाले हैं;

(ङ) क्या सरकार ने हाल ही में भारतीय पटसन निगम को निदेश दिया है कि वह पटसन उत्पादक राज्यों विशेषतः प० बंगाल के किसानों से समर्थन मूल्य पर कच्चे पटसन की सीधी खरीद करे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत): (क) से (च) भारतीय पटसन निगम ने अपने एजेंटों के सहयोग से वर्ष 1992-93 के पटसन मौसम के दौरान 15-11-92 तक कच्चे पटसन की ?,77,554 गांठों की खरीदारी की ताकि पटसन उपजाने वाले किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। भारतीय पटसन निगम के सामान्य मुद्रा क्षेत्र के देशों को कच्चे पटसन की 1.5 लाख गांठों के निर्यात के लिए कोटा रिलीज करने के साथ समय पर हस्तक्षेप करने तथा पटसन मिलों को इस आशय के अनुदेश जारी करके कि वे 10 सप्ताह के लिए अपनी खपत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी सामान सूची को बढ़ाए, कच्चे पटसन की कीमतों में गिरावट आने की प्रवृत्ति को रोकने में मदद मिली है। यह पटसन राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए पटसन कार्डों के आधार पर किसानों से सीधे ही खरीदी गई है।

बिहार में परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता

[हिन्दी]

754. **श्री शिव सोरेन** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पपाड़ी और आदीवासी क्षेत्रों के विकास और बिहार में अनेक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से विदेशी सहायता प्राप्त की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दक्षिणी बिहार के विकास से सम्बन्धित वे परियोजनाएं कौन सी हैं जिनके लिए 1 जनवरी, 1990 से अब तक धनराशि प्राप्त की गई है और उनके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(घ) अपेक्षित धनराशि प्राप्त न हो पाने के कारण ऐसी कितनी परियोजनाएं चालू नहीं की जा सकीं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही शुरू की गई है; और

(च) यदि हां- तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) जी, हां। 807 लाख विशेष आहरण अधिकार (1170 लाख अमेरिकी डालर के बराबर) के अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ऋण के लिए बिहार पठार विकास परियोजना के बारे में हाल ही में विश्व बैंक के साथ बातचीत की गई है। यह परियोजना नाजुक क्षेत्र, जिसमें संरचना, कृषि, लघु सिंचाई ग्रामीण सड़कें और पेय जल शामिल हैं के लिए निवेश प्रावधान करके दक्षिण बिहार के पठारीय क्षेत्र में ग्रामीण आय में वृद्धि करेगी।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

कालीन उद्योग में कार्यरत बाल श्रमिक

[अनुवाद]

755. **श्री विजय कृष्ण हाण्डिक** :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इन्डिया कारपेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसियेशन और बाल श्रम उन्मूलन समिति के बीच दिसम्बर, 1991 में कालीन उद्योग को प्रवासी बाल श्रमिकों से मुक्त करने हेतु समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते के कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कालीन आयातक देशों द्वारा उन भारतीय कालीन निर्माताओं के कालीनों का संगठित रूप से बहिष्कार करने का है जो अपने यहां बाल श्रमिकों

को नियोजित करते हैं और इस हेतु निर्माताओं को 18 सितम्बर, 1992 तक का समय दिया गया था और;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) :(क) और (ख) प्रवासी बाल श्रमिकों को 31-3-92 तक उनके मूल स्थानों को वापस भेजने के बारे में 17-12-1991 को आल इन्डियन कारपेट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (ए०आई०सी०एम०ए०)और गैर सरकारी संगठनों(एन०जी०ओ०) के बीच एक समझौता हुआ था। सरकार इस समझौते से पक्षकार नहीं थी।

(ग) और (घ) आयातक देशों द्वारा भारतीय गलीचों के किसी संगठित बहिष्कार की सरकार को जानकारी नहीं है। तथापि संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट में एक विधेयक पेश किया गया था जो कि अब समाप्त हो गया हैं। देश के अन्दर ही समस्या का समाधान करने और विदेशों में स्थिति की वास्तविकता को बताने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

विदेशी ऋण

756. **श्री शरद दिघे** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश पर विदेशी ऋण कितना है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान अब तक एशिया विकास बेंक से प्राप्त वार्षिक सहायता की राशि कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पेरिस स्थित भारत सहायता कोष (एड इन्डिया कंसोर्टियम) से प्राप्त सहायता की राशि कितनी है; और

(घ) माल और सेवाओं के निर्यात और सकल घरेलू उत्पाद को देखते हुए ऋण के अनुपात का विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सितम्बर, 1992 के अन्त तक बकाया विदेशी ऋणों के 57125 मिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है, जो उस तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर 171310 करोड़ रुपए के समतुल्य है।

(ख) वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 (सितम्बर, 1992 तक) के दौरान एशियाई विकास बेंक से प्राप्त विदेशी सहायता क्रमश: 325 करोड़ रुपए, 763 करोड़ रुपए और 67 रुपए थी।

(ग) पेरिस स्थित भारत सहायता संघ के सदस्यों ने उनके सम्बन्धित कानून और विनियमनों के अन्तर्गत अनुमोदन के अधीन वर्ष 1992-93 के लिए 7.2 बिलियन अमरीकी डालर की सहायता देने का वचन दिया है।

(घ) समान्यत: ऋण शोधन अनुपात अर्थात चालू प्राप्तियों का परिकलन ऋण शोधन भुगतान अर्थात चालू प्राप्तियों अर्थात सामग्रियों और सेवाओं केनिर्यात के प्रतिशतता के रूप में मूल की वापसी-अदायगी और ब्याज के भुगतान के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर, वर्ष 1991-92 के

दौरान ऋण शोधन अनुपात 21.3 प्रतिशत और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में बकाया ऋण अनुमात 27.4 प्रतिशत था।

बैंक कर्मचारियों की छंटनी

[हिन्दी]

757. **श्री राम बदन** :

श्री विलास मुत्तेमवर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों के बहुत बड़ी संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की छंटनी करने का है जैसाकि दिल्ली से प्रकाशित 2 सितम्बर, 1992 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) छंटनी किए गए कर्मचारियों का पुनर्वास करने हेतु किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं। बैंक कर्मचारियों की छंटनी के सम्बन्ध में कोई योजना लम्बित नहीं है। तथापि, भारतीय बैंक संघ, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के लिए एक योजना की सम्भावना तथा प्रासंगिकता की जांच कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

कर्मचारी कल्याण समिति

[अनुवाद]

758. **श्री परसराम भारद्वाज** :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने के लिए श्रम राज्य मंत्रियों की दो अलग समितियां गठित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पबन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) 13-8-1992 को आयोजित श्रम मंत्रियों के 41वें सम्मेलन ने श्रम मंत्रियों की निम्नलिखित दो समितियां गठित की हैं :—

(i) श्रम मंत्रियों की एक समिति जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच करेगी :

(क) सामाजिक सुरक्षा;

(ख) कृषि कर्मकारों के लिए केन्द्रीय विधान;

(ग) निर्माण कर्मकारों के लिए केन्द्रीय विधान; और

(घ) राष्ट्रीय बंधुआ श्रम आयोग का गठन।

संघटन

अध्यक्ष : श्रम मंत्री, महाराष्ट्र सरकार

सदस्य : आन्ध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश (12 राज्यों) के श्रम मंत्री

(ii) कार्यसूची की मद संख्या 12 से 47 (संलग्न विवरण के अनुसार) में दिए गए सुझावों पर विचार करने के लिए श्रम मंत्रियों की एक उच्च अन्य समिति जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है :

संघटन

अध्यक्ष : श्रम मंत्री, पश्चिम बंगाल

सदस्य : असम, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, पांडिचेरी राजस्थान तथा सिक्किम (10 राज्यों) के श्रम मंत्री।

विवरण

दिनांक 13-8-92 को नई दिल्ली में आयोजित श्रम मंत्रियों का 41वां सम्मेलन
कार्यसूची

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....
9. ....
10. ....
11. ....
12. न्यूनतम मजदूरी के बारे में एक समान नीति।

13. बीड़ी कर्मकारों के लिए क्षेत्रीय आधार पर न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण।

14. अनुचित श्रम पद्धतियां, श्रम न्यायालय/अधिकरण के समक्ष न्याय-निर्णयन।

15. औद्योगिक विवादों के लिए दोहरे प्रतिविधान।

16. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (धारा 20)।

17. चुनाव सम्बन्धी विवाद के बारे में श्रम न्यायालयों/अधिकरणों को शक्तियां प्रदान करने के लिए व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926।

18. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(ढ़) (VI) के अन्तर्गत लोकोपयोगी सेवाओं की घोषणा करने के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश।

19. सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी उपायों के लिए दिशा-निर्देश।

20. प्रबन्ध में कर्मकारों की भागीदारी (औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा ङ-क)।

21. असंगठिक श्रमिकों की रक्षा।

22. विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत वसूलियों/सीमाओं पर पुनर्विचार।

23. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम के अन्तर्गत तैयार किए गए विषय।

24. महिला कर्मकारों के लिए विशेष प्रावधान।

25. असंगठित क्षेत्र के लिए कल्याण निधियां।

26. राज्य श्रम संस्थानों के कामकाज में सुधार।

27. डाटा प्रयोग करने वाले एन० आई० सी० एन० ई० टी० का कम्प्यूटरीकरण।

28. भारत से सरप्लस श्रमिकों को बाहर भेजे जाने के बारे में भारतीय दूतावास द्वारा संपर्क कार्य।

29. न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण में न्यायालय के क्षत्राधिकार पर रोक लगाने के लिए नवीं अनुसूची में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का शामिल किया जाना।

30. असंगठित श्रमिकों के लिए उपाय।

31. बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि को राज्य सरकार में स्थानांतरित किया जाना।

32. श्रम अपीलीय अधिकरण को पुनरुज्जीवित करना।

33. कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार का अंशदान।

34. कतिपय प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में अधिसूचना आदेश का वापस लिया जाना।

35. कोयले के माल भाड़ा समानीकरण को समाप्त करना।

3 . भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि की वसूली करने के लिए प्रभावी उपाय करना।

37. रुग्णता तथा प्रसूति के लिए नकद लाभ-अंशदान अवधि तथा लाभ अवधि के बीच समय-अंतराल को समाप्त करना ।

38. जब नियोजक अंशदान जमा कराने में चूक कर रहे हो उस अवस्था में कर्मचारी राज्य बीमा लाभों का विस्तार करना ।

39. अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार अधिनियम में संशोधन ।

40 मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 में संशोधन ।

41. बोनस संदाय अधिनियम में संशोधन ।

42. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2-क के साथ पठित धारा 10(1) (ग) में संशोधन ।

43. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2-क के साथ पठित धारा 36 में संशोधन ।

44. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 22 (क क) में संशोधन ।

45. मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 की धारा 20(I) तथा 21(II) में संशोधन ।

46. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 26(I) और 26(II) में संशोधन ।

47. कर्मकार प्रतिकर अधिनियम में संशोधन ।

शेयरों के जारी करने और उनकी बिक्री करने सम्बन्धी प्रक्रिया

759. **प्रो० रीता वर्मा :**

श्री नरेश कुमार बालियान :

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने पिछले दो महीनों के दौरान कम्पनियों द्वारा शेयर जारी करने और आवंटितियों द्वारा शेयरों की बिक्री के बारे में कुछ परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप निवेशकों को प्राप्त होने वाले मुख्य लाभों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ कम्पनियां लोगों में शेयर जारी करते समय भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्धारित मानदण्डों/दिशा निदेशों का पालन नहीं करतीं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई अथवा की जाने वाली है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की समाप्ति के साथ ही, कम्पनियां, सेबी के द्वारा 11 जून, 1992 को जारी प्रकटीकरण और निवेशक सुरक्षा के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों और तत्पश्चात् इसके स्पष्टीकरणों का अनुपालन करने के अधीन शेयरों को जारी करने के लिए स्वतन्त्र हैं। मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रमुख विशेषताओं में बाजार से पूंजी एकत्र करने वाले प्रवर्तकों से अंशदान का एक विशेष न्यूनतम प्रतिशत, प्रवर्तक अंशदान के लिए 5 वर्ष की लाक-इन अवधि और एक प्रतिबन्ध यह होगा कि प्रवर्तक अंशदान को बाजार मध्यस्थों की मार्फत असम्बद्ध निवेशकों से निजी व्यवस्था के जरिए प्राप्त नहीं करेगा, शामिल हैं जहां तक आबंटियों के द्वारा शेयरों की बिक्री का सम्बन्ध है, सेबी ने उन आबंटियों के द्वारा शेयरों की बिक्री पर कुछेक प्रतिबन्ध लगाए हैं जिन्होंने आबंटन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पक्के आबंटन के जरिए शेयरों को प्राप्त किया है।

(ग) जो लाभ निवेशकों को मिलने की सम्भावना है, वे निम्न प्रकार हैं :

प्रवर्तकों द्वारा एक न्यूनतम साझेदारी लेने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि प्रवर्तक भी परियोजना में वित्तीय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। प्रवर्तकों को आबंटित शेयरों के लिए लाक-इन अवधि को वाणिज्यिक उत्पादन के साथ जोड़ने से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि प्रवर्तक परियोजना को समय पर कार्यान्वित करने की ओर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं। इस प्रकार के लाक-इन से प्रवर्तकों द्वारा पक्के आबंटन के आधार पर प्राप्त शेयरों की विशाल मात्रा को जमा होने से भी बचाने में मदद मिलेगी जिसमे खुले बाजार में इनके सूचीबद्ध होने पर शेयर कीमत कम न हो जाए। बाजार मध्यस्थों के जरिए असम्बन्धित निवेशकों के साथ शेयरों की निजी व्यवस्था पर प्रतिबन्ध प्रवर्तकों द्वारा किए गए वाक्यों से भोले-भाले निवेशको को बचाने की दृष्टि से लगाया गया है।

(घ) और (ङ) ये मार्गदर्शी सिद्धान्त 11 जून, 1992 को ही लागू हुए हैं। अतः इतनी जल्दी यह निर्धारित करना कठिन है कि मार्गदर्शी सिद्धान्तों का कम्पनी/कम्पनियों द्वारा किसी प्रकार का उल्लंघन हुआ है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

जानकी रामन समिति की तीसरी रिपोर्ट

760. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया** :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकी रामन समिति ने अपनी तीसरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जानकी रमन समिति की तृतीय रिपोर्ट में सिटी बैंक, बैंक आफ अमेरिका, आन्ध्र बैंक, बैंक आफ कराड़ (परिसमापनाधीन) मैट्रोपोलिटन को आपरेटिव बैंक लि० (परिसमापनाधीन), सिंडिकेट बैंक, बम्बई मर्केन्टाइल सहकारी बैंक लि०, नीडुनगेडी बैंक लि० तथा लोक ऋण कार्यालय की

कार्य प्रणाली से सम्बद्ध प्रतिभूतियों के लेन-देनों से अनियमितताओं के सम्बन्ध में निष्कर्षों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के द्वितीय अध्याय में उसके निष्कर्षों का सारांश दिया गया है। रिपोर्ट की प्रतियां लोक सभा सचिवालय के पुस्तकालय में रख दी गई हैं तथा सदन के माननीय सदस्यों में वितरण के लिए लोकसभा सचिवालय को इसकी पर्याप्त प्रतियां दी गई हैं।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम पर बकाया बिक्री कर

761. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :**

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने कृपा की करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम द्वारा देय बकाया धनराशि वसूल करने हेतु उसे नीलामी नोटिस भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हिन्दुस्तान शिपयार्ड के प्रबन्धन ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्रवाई की है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, हां।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग ने 9.82 करोड़ रु० की बकाया बिक्री कर राशि की वसूली के लिए हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की कुछ अचल सम्पत्तियों की सार्वजनिक नीलामी के लिए 25-5-1992 को हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को नीलामी का नोटिस भेजा है।

(ग) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बिक्री कर देयता को माफ करने और बिक्री कर की बकाया राशि वसूल करने के लिए कोई बाध्यताकारी कार्रवाई न करने के लिए राज्य सरकार से कई बार अनुरोध किया। इस मंत्रालय द्वारा भी उच्चतम स्तर पर राज्य सरकार से ऐसे ही अनुरोध किए गए हैं।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

762. **श्री रामविलास पासवान :**

श्रीमती सरोज दुबे :

श्री शरद यादव :

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :

श्री मनोरंजन भक्त :

क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दस महीनों में दिल्ली में हुई सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन दुर्घटनाओं में मृत/घायल व्यक्तियों की संख्या कितनी है और इन दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों में से कितनी दिल्ली परिवहन निगम की बसें/दि० प० नि० के अधीन चलने वाली बसें हैं तथा कितने सरकारी वाहन हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या थे; और

(घ) सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) वर्ष 1992 के पहले 10 महीनों के दौरान दिल्ली में 7116 सड़क दुर्घटनाओं की सूचना दी गई थी।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 1493 व्यक्ति मारे गए और 6987 व्यक्ति जख्मी हुए।

इनमें अन्तर्ग्रस्त दिल्ली परिवहन निगम की बसों/दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालनाधीन बसों और सरकारी वाहनों की संख्या नीचे दी गई है :—

1.	दिल्ली परिवहन निगम	—	710 बसें
2.	दिल्ली परिवहन निगम के प्रचालनाधीन निजी बसें	—	102 बसें
3.	सरकारी वाहन	—	15

(ग) इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारण ये हैं :

1. अंधाधुंद और लापरवाही से गाड़ी चलाना।
2. यांत्रिक खराबी।
3. सड़क पर चलने वालों में सड़क सम्बन्धी ज्ञान की कमी।
4. निर्णय लेने में गलती।
5. मिले-जुले यातायात की स्थिति।
6. सड़कों की खराब हालत।
7. यात्रियों द्वारा बसों में असावधानीपूर्वक उतरना/चढ़ना।
8: दिल्ली की सड़कों पर भारी भीड़-भाड़।

(घ) दिल्ली में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. यातायात नियमों और विनियमों को सख्ती से लागू करना।
2. अंधाधुंद और लापरवाही से गाड़ी चलाने का उल्लंघन करने, बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, लाल बत्ती पार करने आदि के विरुद्ध विशेष अभियान आयोजित करना।
3. नोटिस जारी करके उल्लंघन कर्त्ताओं का नियमित अभियोजन।
4. स्कूल के बच्चों को सड़क सुरक्षा शिक्षा देना।

5. समाचार पत्रों, आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से सड़क सुरक्षा सम्बन्धी विज्ञापन ।

6. दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में यातायात संकेत/ब्लिंकर लगाना ।

7. दुर्घटना बहुल क्षेत्रों में पुलिस की अधिक उपस्थिति ।

8. यातायात प्रबन्ध तकनीकों अर्थात् प्रतिबन्ध/एकतरफा यातायात गति सीमाएं, वाहन मोड़ने पर प्रतिबन्ध लागू करना, आदर्श प्रवाह प्रचालन लागू करना ।

9. यातायात संकेतों को एक नेटवर्क में समकालिक बनाना ।

10. राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलती-फिरती विशेष जांच ।

11. अत्याधुनिक उपकरणों अर्थात् अलको मीटर राडार गनों के माध्यम से अभियोजन ।

12. साईकिल मार्गों, येलो बाक्सों और बस बाक्सों आदि की पेंटिंग ।

13. दिल्ली परिवहन निगम के पूरे बेड़े को अंशकित और दिल्ली में 40 किमी० प्रति घंटा की गति पर प्रतिबन्धित करने के लिए नियंत्रित किया गया है ।

14. दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ड्राइवरों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है । इस सम्बन्ध में भाषण दिए जाते हैं और यातायात नियमों पर विडियो फिल्में दिखाई जा रही हैं ।

15. ड्राइविंग पृष्ठभूमि का ज्ञान रखने वाले निरीक्षकों के विशेष दस्ते द्वारा सड़क अनुशासन को लागू करना ।

16. बसों की उचित पार्किंग और यात्रियों के बसों में सुरक्षित ढंग से उतरने/चढ़ने को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण बस स्टेंडों पर व्यस्त समय के दौरान यातायात निरीक्षण कर्मचारियों को तैनात किया गया है ।

17. गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त कड़ी विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

मेरठ में जीवन बीमा निगम के फर्जी बीमे

[हिन्दी]

763. **श्री तेज नारायण सिंह** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम के मेरठ डिवीजन में बीमा के फर्जी मामलों की जानकारी है जैसाकि 31 अक्तूबर, 1992 के दैनिक समाचारपत्र "जनसत्ता" में छपा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम ने मेरठ मंडल में बढ़ाचढ़ाकर बताए गए 100 करोड़ रुपए तक के कारोबार सम्बन्धी आंकड़ों और अखबार में प्रकाशित अन्य शिकायतों के सम्बन्ध में जोनल प्रबन्धक कानपुर को जांच करने का निदेश दिया है। जहां तक गाजियाबाद शाखा के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक, श्री बी० बी० टंडन द्वारा आयकर छूट के लिए ली गई जीवन अक्षय पालिसियों के लिए 35,000/- रुपए के चैक के डिसआनर होने के आरोप का सम्बन्ध है, भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करते हुए इस अधिकारी के विरुद्ध भारी दण्ड स्वरूप कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दी गई सलाह के अनुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

जीवन बीमा निगम के शेयरों का बेचा जाना

[अनुवाद]

764. **श्री ओस्कार फर्नान्डीज** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास एल० आई० सी० के कितने मूल्य के शेयर हैं;

(ख) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के शेयरों को बेचने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार ने 1956 में जीवन बीमा निगम की स्थापना के लिए मूल पूंजी के रूप में 5 करोड़ रुपए प्रदान किए थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

765. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई और वर्ष 1992-93 के दौरान इसका कितना उपयोग हुआ; और

(ख) शुरू किये गये विकास कार्यों का तथा पूरा किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान 31 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। जैसाकि राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा सूचित किया गया है, इसकी तुलना में सितम्बर, 1992 की समाप्ति तक 24.98 करोड़ रु० खर्च किए जा चुके हैं।

(ख) सितम्बर, 1992 के अन्त में महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 185.09 करोड़ रु०

की अनुमानित लागत से 204 विकास कार्य विभिन्न स्तरों पर चल रहे थे और राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार इन कार्यों पर 89.24 करोड़ रु० खर्च हो चुके थे ।

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस दिए जाने के लिए निर्धारित वेतन सीमा

[हिन्दी]

766. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2500 रु० से कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो को ही बोनस दिया जाता है;

(ख) इस सीमा का निर्धारण कब किया गया था;

(ग) इस सीमा का निर्धारण होने तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी वृद्धि की गई है;

(घ) क्या सरकार का विचार बोनस दिए जाने के लिए निर्धारित वेतन-सीमा में भी आनुपातिक रूप से वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) :(क) रेलवे के कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्र सरकार के केवल वे ही कर्मचारी बोनस के हकदार हैं, जिनकी कुल परिलब्धियां, जिसमें मूल वेतन, वैयक्तिक वेतन, विशेष वेतन, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता तथा महंगाई भत्ता शामिल हैं, 2500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो ।

(ख) नवम्बर, 1985 ।

(ग) 1-1-86 से पूर्व महंगाई भत्ता पुराने फार्मूले के तहत विनियमित किया जाता था । चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिए जाने के परिणामस्वरूप महंगाई भत्ता नए फार्मूले के अनुसार विनियमित किया जाता है । ये दोनों फार्मूले तुलनीय नहीं हैं । 1-7-92 से महंगाई भत्ते की दरें निम्न प्रकार से हैं :

वेतन रेंज	महंगाई भत्ते की प्रतिमाह दर
3500/- रुपये प्रति माह तक मूल वेतन	वेतन का 83%
3500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक तथा 6000/- रुपये प्रति माह तक	वेतन का 62% किंतु कम से कम 2905/- रुपये ।
6000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक मूल वेतन	वेतन का 54% किंतु कम से कम 3720/- रुपये ।

(घ) बोनस की गणना के प्रयोजन के लिये वेतन सीमा में वृद्धि किए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विद्युत संयंत्रों हेतु कोयले की कमी

[अनुवाद]

767. **श्री हरिसिंह चावड़ा :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पश्चिम क्षेत्र विद्युत बोर्ड को अपने विद्युत संयंत्रों में विद्युत उत्पादन के लिए कोयले की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस बोर्ड ने प्राथमिकता आधार पर कोयले की मांग करते हुए सरकार को कोई अभ्यावेदन दिए हैं; और

(ग) पश्चिम क्षेत्र में प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड के लिए कोटा और विगत दो वर्षों के दौरान उन्हें सप्लाई किए गए कोयले की मात्रा कितनी है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्याम गौड): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सूचित किया है कि पश्चिमी क्षेत्र के कुछ तापीय विद्युत गृह कोयले के सामरिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं तथा कुछ तापीय विद्युत गृहों में कोयले की कमी होने के कारण उत्पादन में हानि हो रही है।

(ख) तापीय विद्युत गृहों की कोयले की आवश्यकताओं का निर्धारण स्थाई संयोजन समिति (एस० एल० सी०) द्वारा की तिमाही आधार पर किया जाता है जिसमें राज्य विद्युत बोर्डों, कोयला मंत्रालय और रेल मंत्रालय, ऊर्जा विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ग) कोयला कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार पश्चिमी क्षेत्रों में राज्य विद्युत बोर्डों की वार्षिक कोयले की आवश्यकता और वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के वर्षों के दौरान आपूर्ति किए गए कोयले की मात्रा को नीचे दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

राज्य विद्युत बोर्ड का नाम	वर्ष 1990-91 के दौरान विद्युत का उत्पादन किए जाने के लिए वार्षिक आवश्यकता	वर्ष 1990-91 के दौरान आपूर्ति किया गया कोयला	वर्ष 1991-92 के दौरान विद्युत का उत्पादन किए जाने के लिए वार्षिक आवश्यकता	वर्ष 1991-92 के दौरान आपूर्ति किया गया कोयला
1	2	3	4	5
गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड (4 तापीयविद्युत गृह)	7.82	8.40	9.01	9.27

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड (4 तापीय विद्युत गृह)	11.61	[illegible].8[illegible]	10.35	9.72
महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड (7 तापीय विद्युत गृह)	19.1	17.51	20.16	20.31

मधुसूदनपुर कोयला खान में दुर्घटना

768. **श्री हाराधन राय :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कजोरा क्षेत्र में मधुसूदनपुर कोयला खान में हाल ही में कोई दुर्घटना हुई जिसमें श्रमिकों की मृत्यु हो गई, और कई अन्य घायल हुए तथा भूमि धंस जाने के कारण पड़ोस के गांवों को क्षति हुई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रभावित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) दिनांक 17-9-92 को मधुसूदनपुर कोलियरी की जामबाद सीम के टाप तथा बाटम सैक्शनों के अलग हो जाने से हुए गिराव के कारण एक कामगार की मृत्यु हो गई और एक अन्य कामगार को चोट आई। मृतक कामगार के परिवार को अनुग्रह राशि की अदायगी तथा अन्त्येष्ठी खर्च की अदायगी कर दी गई है और नियमों के अन्तर्गत देय मुआवजे की राशि को मृतक के आश्रितों को अदा किए जाने के लिए कामगार मुआवजा आयुक्त के पास जमा कर दिया गया है।

दिनांक 21-9-92 को उपर्युक्त कोलियरी में धंसाव की एक दुर्घटना हुई जिसके कारण कुछ मिट्टी की कुछ झोपड़ियों में और समीप के एक गांव के दो ईंटों के मकानों में दरार आ गई। इससे प्रभावित परिवारों को वहां से खाली करा लिया गया है और उनका अस्थाई रूप में पुनर्वास करके उन्हें पूरी सुविधाएं दे दी गई हैं, यह कार्रवाई प्रभावी परिवारों के साथ परामर्श करके स्थाई रूप में पुनर्वास की व्यवस्था किए जाने तक की गई है।

असम के चाय बागानों में कर्मचारी की भविष्य निधि

769. **श्री प्रवीन डेका :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ औद्योगिक उपक्रमों ने जिनमें असमें के चाय बागान भी शामिल हैं, कर्मचारी

भविष्य निधि की वर्तमान में काटी जा रही राशि और बकाया राशि क्षेत्रीय भविष्य निधि उपायुक्त के पास जमा नहीं करवाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

निजी क्षेत्र नए बैंक

770. डा० जी०एल० कनोजिया :

श्री के० तुलसिएेया वान्डायार :

श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक का निजी क्षेत्र में नए बैंक खोलने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बैंकों को लाइसेंस देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी;

(ग) अब तक भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसे कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इसका ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) निजी क्षेत्रों में इन प्रस्तावित बैंकों से बैंकिंग व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) (ख), से (घ) भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में कई गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक शामिल हैं और सरकार का हमेशा यही मत रहा है कि इन बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। नये गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगी हुई है, हालांकि यह सच है कि कई वर्षों से नये बैंकों ने प्रवेश नहीं किया है। बैंकिंग प्रणाली से संबंधित नीति की नरसिंहम समिति द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की गई है। समिति ने यह सिफारिश की है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के नये बैंकों को प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए बशर्ते कि वे पूंजी पर्याप्तता सहित सुस्पष्ट विवेकपूर्ण मानदण्डों को पूरा कर सके। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और यह निर्णय लिया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के नये बैंकों को उसी सूरत में वित्तीय क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी यदि वे उन व्यापक तथा सुस्पष्ट अपेक्षाओं को पूरा करते हों जिन पर भारतीय रिजर्व बैंक मार्गनिर्देश जारी करेगा।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसे 59 पूछताछ के मामले/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के वास्ते अनुमति/आवेदन संबंधी अनुरोध भी शामिल हैं। उक्त नीति के सन्दर्भ में इसकी जांच की

जाएगी।

(ङ) भारतीय मुद्रा बाजार बढ़ रहा है और विकसित हो रहा है तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों आदि जैसे नये बिचौलिए, अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कारगर ढंग से अभिनियोजन करने के लिए उन्हें जुटाने में मदद कर सकते हैं।

भारतीय ग्रामीण बैंक की स्थापना

771. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**

श्री संतोष कुमार गंगवार :

श्री बलराज पासी :

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैंक अपना कार्य कब तक शुरू कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनेक माडल तैयार किए गए हैं तथा इनमें से प्रत्येक की कारगरता की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। इसमें, सभी वर्तमान 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एन०आर०बी०आई०) की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार किया जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि की जा सके। तथापि, इस विषय में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

महंगाई भत्ता स्थगित किया जाना

772. **श्री के० प्रधानी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महंगाई भत्ते की किस्तें प्रदान करने के मुद्दे को स्थगित करना है;

(ख) यदि हां, तो महंगाई भत्ता कितनी अवधि तक स्थगित रखे जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में चालू वित्त वर्ष के दौरान मितव्ययिता संबंधी अन्य क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान जो मितव्ययिता सम्बन्धी उपाय प्रचलन में थे उन्हें चालू वित्त वर्ष में भी जारी रखा जा रहा है। व्यय पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयास करना एक सतत् प्रक्रिया रही है।

उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता राशि जारी करना

[हिन्दी]

773. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार राज्य में विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाओं के लिए अपना अंशदान देने में असमर्थ है;

(ख) क्या इससे इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से भारत सरकार को मिलने वाली वित्तीय सहायता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (घ) राज्यों में, विश्व बैंक की सहायता-प्राप्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और विश्व बैंक के बीच निष्पन्न करारों के आधार पर किया जाता है। वास्तविक रूप में किए गए व्यय के आधार पर राज्य सरकारों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का प्रावधान करके उस व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। परियोजना के बिना सहायता वाले भाग के लिए धन राज्य सरकार के बजट में प्रदान किए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बंधुआ मजदूर आयोग

774. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**

श्री वी० देवराजन :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल :

श्री गोविन्दराम मिकाम :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग के समान राष्ट्रीय बन्धुआ मजदूर आयोग नियुक्त करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) राज्यों के बंधुआ श्रमिकों के बारे में राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रस्ताव अगस्त, 1992 में आयोजित राज्यों के श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के समक्ष रखा गया था, जिसे महाराष्ट्र के श्रम मंत्री की अध्यक्षता में गठित 11 राज्यों के श्रम मंत्रियों के दल को सौंप दिया गया था। दल की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर सरकार उस पर अंतिम दृष्टिकोण व्यक्त करेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना में संशोधन

775. **श्री वी० कृष्णा राव** :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि योजना में कतिपय महत्वपूर्ण संशोधन, जैसे कर्मचारियों के अपने जमा धन में से और अधिक धनराशि निकालना, किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों और आम जनता के लिए उपलब्ध भविष्य निधि योजना को और अधिक कारगर बनाने का और इनमें व्यापक सुधार लाने का है; जिसमें विभिन्न आवश्यकताओं जैसे आवास और स्वास्थ्य रक्षा को भी शामिल किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कर्मचारी भविष्य निधि योजना के उपबन्धों की केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा आवाधिक समीक्षा की जाती है और जब भी आवश्यक समझा जाता है योजना में संशोधन किया जाता है। हाल ही में सरकार ने बीमारी के मामले में अग्रिम राशि के रूप में 3 माह का मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते से 6 महीने तक का मूल वेतन और महंगाई भत्ते अथवा सदस्य के भविष्य निधि में किए गये अंशदान का भाग जिसमें ब्याज भी शामिल है इसमें से जो भी कम हो, बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने कर्मचारियों को अपना मकान बनाने के लिए भू-स्थल खरीदने के लिए 24 माह तक के मूल वेतन और महंगाई भत्ते के बराबर भविष्य निधि से अलग से निकालने का भी निर्णय लिया है। जहां तक लोक भविष्य निधि योजना का सम्बन्ध है इसे सरल बनाने और योजना में व्यापक सुधार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मारुति वाहनों की कथित चोरी के मामलों की जांच

776. **श्री तारा चन्द खंडेलवाल** :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग ने मारुति वाहनों की चोरी के कारण उत्पाद शुल्क की कथित अपवंचना की जांच आरम्भ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रारम्भिक जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और जांच का कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) सरकार का विचार भविष्य में इस प्रकार की अपवंचना को रोकने के लिए क्या कारंवाई करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) 30 सितम्बर, 1992 को एक समाचार पत्र में इस आशय की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय, दिल्ली के अधिकारियों ने चुराये गये वाहनों के बारे में पहली अक्तूबर, 1992 को गुड़गांव पुलिस के साथ सम्पर्क स्थापित किया। एस० एस० पी०, गुड़गांव ने सूचित किया कि मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड से 7 (सात) वाहन चुराए गए थे और इस समय वे पुलिस की अभिरक्षा में हैं, क्योंकि यह दिनांक 31-8-92 को एफ० आई० आर० संख्या 611 के तहत दर्ज रिपोर्ट का मामला है। मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड से पूछ-ताछ करने पर, यह पता चला कि इनमें से 4 वाहनों पर कोई उत्पाद शुल्क अदा नहीं किया गया था और दो वाहनों की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की अदायगी करने पर निकासी की गई थी। सातवें वाहन के बारे में सूचना की अभी प्रतीक्षा की जा रही है। एस० एस० पी०, गुड़गांव को 7 अक्तूबर, 1992 को सूचित कर दिया गया था कि शुल्क अदा न किए गये 4 वाहन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम के तहत जब्त रहेंगे। उन्होंने यह जवाब दिया है कि वे उन वाहनों को तब तक रिलीज नहीं करेंगे जब तक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी। मारूति उद्योग लिमिटेड के महाप्रबन्धक (उत्पादन), से पूछताछ करने पर यह सूचित किया गया था कि वाहनों के सयोजन के बाद हर वाहन का परीक्षण किया जाता है और यदि यह पाया जाता है कि वाहन में किसी प्रकार की कोई ऐसी खराबी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है, तो उसका विघटन कर दिया जाता है। कुछेक वाहनों को जिन्हें विघटित किया गया दिखाया गया है, वास्तव में, चुरा लिए गए थे। जांच-पड़ताल को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रकार के प्रयास जारी हैं।

(ग) जांच-पड़ताल के परिणाम के आधार पर ही आगे की कार्रवाई के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली में मोटर साईकिल टैक्सी सेवा का आरम्भ

[हिन्दी]

777. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में जल्द ही मोटर साईकिल टैक्सियां चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) वे कौन से रूट हैं जिन पर आरम्भ में वे मोटर साईकिल टैक्सियां चलेंगी; और

(घ) इन मोटर साईकिल टैक्सियों में प्रति व्यक्ति कितना किराया लिया जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली में मोटर साईकिल टैक्सी सेवा के प्रचालन की योजना राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा इस आशय का निर्णय लिए जाने के पश्चात् ही तैयार की जानी है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कपास एकाधिकार खरीद योजना

778. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कुछ राज्य सरकारों से कपास एकाधिकार खरीद योजना को शुरू करने/जारी रखने हेतु अनुमति देने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई, 1990 से 10 वर्ष की अवधि के लिए राज्य में कपास एकाधिकार खरीद योजना को बढ़ाने का अनुरोध किया था। सरकार ने 1 जुलाई, 1990 से 3 वर्ष की अवधि के लिए मौजूदा शर्तों पर इस योजना को बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। अभी तक कोई और अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

नई सूती/कताई/धागा मिलों की स्थापना

[अनुवाद]

779. **श्री सुबास चन्द्र नायक :**

श्री काशीराम राणा :

श्री तेजसिंह राव भोंसले :

श्री कालका दास :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा/विद्युतकरघा क्षेत्रों की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए धागे का उत्पादन बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को आठवीं पंचवर्षीय योजना और चालू वर्ष के दौरान सहकारी क्षेत्र में नई सूती/कताई/धागा मिलों की स्थापना के लिए कुछ राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो उन मिलों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है तथा स्वीकृत मिलों की अनुमानित लागत कितनी हैं और प्रत्येक एकक की क्षमता, राज्यवार कितनी है; और

(ङ) लम्बित प्रस्ताव को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं तथा इन्हें कब तक एकक-वार और राज्य-वार, स्वीकृति प्रदान की जाएगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) नई औद्योगिक नीति के परिणामस्वरूप वस्त्र उद्योग का लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है और इस प्रकार यार्न की उपलब्धता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन० सी० डी० सी०) के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में केन्द्रीय रूप से प्रायोजित/केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत 12.5 लाख तकुए स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) चालू वर्ष 1992-93 के दौरान एन० सी० डी० सी० को कर्नाटक में 4 सहकारी कताई मिलें तथा तमिलनाडु में 1 मिल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के लिए 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 40 मिलों की स्थापना की जानी है। इसके प्रायोगिक राज्यवार ब्यौरे निम्नोक्त अनुसार हैं—आन्ध्र प्रदेश-4, महाराष्ट्र-8, हरियाणा-2, राजस्थान-2, कर्नाटक-4, तमिलनाडु-2, पंजाब-2, पश्चिम बंगाल-2, उत्तर प्रदेश-2, केरल-2, असम-2, उड़ीसा-2, बिहार-1, त्रिपुरा-1 तथा मध्य प्रदेश-4। पांच मिलों में से 4 मिलें कर्नाटक में हैं जिन्हें अभी निश्चित रूप दी जाने वाली एन० सी० डी० सी०-4 योजना के अन्तर्गत सहायता दी जानी है। बाकी एक प्रस्ताव को एन० सी० डी० सी० ने तमिलनाडु की राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ वापिस कर दिया है कि वह ऋण सहायता का लाभ उठाए बिना वित्तीय संस्थानों से अनुरोध करे तथा बाद में शेयर पूंजी ऋण सहायता के लिए एन० सी० डी० सी० से सम्पर्क करे।

चूंकि एन० सी० डी० सी०-4 योजना के बारे में विश्व बैंक तथा सरकार द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है, इसलिए ऐसे समय के बारे में सूचित कर पाना सम्भव नहीं है कि इस प्रस्ताव को कब तक अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में बैंकों में जमा राशि

[हिन्दी]

780. **श्री परशुराम गंगवार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो वर्षों में उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल कितनी जमा राशि है तथा उनके द्वारा वर्षवार कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है;

(ख) क्या स्वीकृत ऋण राशि लक्ष्य के अनुरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए ऋणों की राशि को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) गत दो वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए जमाराशियां (अन्तर बैंक जमाराशियों को छोड़कर) और बकाया सकल ऋण इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रुपये)

	जमाराशियां	ऋण
मार्च, 1991	13020.39	5656.00
मार्च, 1992	14140.78	5971.02

(ख) बैंकों द्वारा ऋण संवितरणों या किसी निर्धारित ऋण-जमा अनुपात के रख-रखाव के लिए कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। बहरहाल, अखिल भारत आधार पर सम्पूर्ण रूप से बैंक के लिए ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 60% के ऋण-जमा अनुपात के स्तर को प्राप्त किया जाना है।

(ग) उक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंक

781. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1992 को बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं की संख्या बैंकवार कितनी है; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इन बैंकों द्वारा राज्य में कितने लघु एककों को ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 31-3-1992 की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) बिहार में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की बैंकवार संख्या संलग्न विवरण में दी है।

(ख) पिछले दो वर्षों से सम्बन्धित (अद्यतम उपलब्ध), बिहार में लघु औद्योगिक एककों (एस० एस० आई०) के सम्बन्ध में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदान किया गया कुल बकाया अग्रिम निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपये)

अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार	एककों की संख्या	बकाया धनराशि
मार्च, 1990	179298	496
मार्च, 1991	199780	564

विवरण

31-3-1992 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार बिहार में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं की बैंकवार संख्या दर्शाते हुए विवरण

	बैंक का नाम	शाखाओं की संख्या
1.	भारतीय स्टेट बैंक	900
2.	भारतीय स्टेट बैंक के अनुषंगी	8
3.	इलाहाबाद बैंक	222
4.	आन्ध्रा बैंक	3
5.	बैंक आफ बड़ौदा	96
6.	बैंक आफ इंडिया	382
7.	बैंक आफ महाराष्ट्र	1
8.	केनरा बैंक	94
9.	सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	365
10.	कार्पोरेशन बैंक	2
11.	देना बैंक	9
12.	इण्डियन बैंक	24
13.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	14
14.	न्यू बैंक आफ इंडिया	10
15.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	2
16.	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	10
17.	पंजाब नेशनल बैंक	
18.	सिंडिकेट बैंक	413
19.	यूको बैंक	22
20.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	204
21.	यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	72
22.	विजया बैंक	7
23.	अन्य अनुसूचित बैंक	4
24.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1888

गुजरात में बुनकरों को कच्ची सामग्री की आपूर्ति

[अनुवाद]

782. श्री हरिन पाठक :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात को प्रतिमाह कच्चे धागे की आपूर्ति में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) वर्तमान में गुजरात के बुनकरों को उपलब्ध कच्चे धागे की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सूती धागे, रंग-सामग्री और रसायनों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है जिसके कारण बुनकर बिना केन्द्रीय सहायता के खुले बाजार से इन वस्तुओं को खरीदने की स्थिति में नहीं है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने गुजरात में हथकरघा बुनकरों को सहायता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया है जिससे उन्हें भुखमरी से बचाया जा सके और उनके जीवन स्तर में सुधार किया जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा गुजरात के बुनकरों को वर्षवार उपलब्ध कराई गई सहायता/निधियों का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) सरकार देश में बुनकरों को सीधा सूती धागा सप्लाई नहीं करती है। प्राइवेट साधनों के अतिरिक्त केन्द्र सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता वाले कई राज्य अभिकरण गुजरात में बुनकरों को सूती धागे की आपूर्ति का कार्य कर रहे हैं। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम भी राज्य हथकरघा अभिकरणों के सूत सप्लाई के कार्यकलापों में सहयोग दे रहा है।

(ख) चूंकि सूत राष्ट्रीय बाजार का एक उत्पाद है और इसका व्यापार और उपभोग अधिकांश रूप से विकेन्द्रीकृत प्राइवेट क्षेत्र में होता है इसलिए गुजरात में बुनकरों को कितना सूत सप्लाई किया गया यह बताना सम्भव नहीं है।

(ग) सूत, रंजक व रसायन के मूल्यों में बढ़ोत्तरी होने के कारण इसके व्यापार में अवश्य ही असर हुआ है लेकिन सूत और रंजक व रसायन की कमी की कोई रिपार्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) गुजरात में बुनकरों के लिए कार्यशाला-सह-आवास योजना, थ्रिफ्ट फंड योजना, विपणन विकास सहायता, जनता कपड़ा योजना और विशेष पैकेज योजना लागू की गई है। अहमदाबाद में स्थित बुनकर सेवा केन्द्र बुनकरों को नये-नये डिजाइन उपलब्ध करा रहा है ताकि उनके उत्पादों के विपणन में बढ़ोत्तरी हो सके। मिले-गेट मूल्यों पर सूत की आपूर्ति की एक योजना अभी हाल ही में आरम्भ की गई है जिसके अन्तर्गत वर्ष 1992-93 में गुजरात सहित देश के हथकरघा बुनकरों को 10 मिलियन किलोग्राम सूत की आपूर्ति की जाएगी।

(ङ) हथकरघा के विकास के लिए लागू की गई विभिन्न वर्तमान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गुजरात सरकार को पर्याप्त सहायता दी गई है जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	दी गई सहायता
1989-90	641.38
199 -91	634.24
1991-92	141.84

आयकर और उत्पाद-शुल्क की बकाया राशि

783. **श्री के० वी० तंगकाबालू :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 अक्तूबर, 1992 तक आयकर और उत्पाद-शुल्क की कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) दोषियो का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने करदाताओं से आयकर और उत्पाद शुल्क की बकाया देयों की वसूली करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप बजट घाटे में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितनी कमी होने की आशा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) दिनांक 30 सितम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार आयकर (निगम कर सहित) तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की बकाया मांगें क्रमश: 6992 करोड़ रुपये तथा 1718 करोड़ रुपये की थी। दिनांक 31-10-1992 तक के आंकड़ों को अभी संकलित नहीं किया गया है।

(ख) दिनांक 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार आयकर-मांग की 37,10,724 बकाया प्रविष्टियां थीं तथा दिनांक 30 सितम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार उत्पाद-शुल्क-मांग के 124603 मामले थे।

(ग) आयकर तथा उत्पाद-शुल्क की बकाया मांगों की वसूली के लिए समुचित कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय निरन्तर किए जाते हैं।

(घ) बजट घाटा प्राप्तियों तथा व्यय के अनेक लेन-देनों का सकल परिणाम है और इसलिए, बजट घाटे से बकाया की वसूली का कोई विशिष्ट परस्पर सम्बन्ध जोड़ना सम्भव नहीं है।

सीमा शुल्क विभाग द्वारा सोना पकड़ा जाना

[हिन्दी]

784. **श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा कितनी मात्रा में सोना पकड़ा गया; और

(ख) गत छह महीनों के दौरान कितने व्यक्तियों के विरुद्ध अदालतों में मामले लम्बित हैं अथवा उन्हें दंडित किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) मई से अक्तूबर, 1992 के पिछले 6 महीनों के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत *1372 किलोग्राम सोना पकड़ा गया है।

(ख) 31 अगस्त, 1992 की स्थिति के अनुसार सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अभियोजन के *6510 मामले अनिर्णीत पड़े हैं। मई से अक्तूबर, 1992 के गत 6 महीनों के दौरान न्यायालयों द्वारा सीमाशुल्क के मामलों में *209 व्यक्तियों को अपराधी घोषित किया गया है।

मजदूरों में बेरोजगारी

785. **श्री साईमन मरान्डी** :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल काउन्सिल आफ अप्लाईड इकोनोमिक रिसर्च द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार सरकार के हाल के आर्थिक सुधारों के परिणामस्वरूप बहुत से मजदूरों के बेरोजगार हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्य शक्ति की बेरोजगारी को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केरल में भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतें

[अनुवाद]

786. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल से कैंटीन सुविधाओं, पेंशन अस्पताल सुविधाओं तथा अन्य कल्याण और सेवानिवृत्ति सुविधाओं के सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिकों की कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी शिकायतों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) केरल के भूतपूर्व सैनिकों से कई अभ्यावेदन उपलब्ध हुए हैं। इनमें से अधिकांश अभ्यावेदन पेंशन सम्बन्धी मामलों के बारे में होते हैं। इन अभ्यावेदनों पर मंत्रालय, सेना मुख्यालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में गठित पेंशन शिकायत एककों में तत्काल कारंवाई की जाती है। प्राप्त अभ्यावेदनों में से कुछ अभ्यावेदन द्वितीय विश्व युद्ध में छटनी

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

किए गए कार्मिकों के हैं जो पेंशन और सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में हैं। छटनी किए गए ये कार्मिक पेंशन सम्बन्धी किसी भी लाभ को पाने के हकदार नहीं हैं और उन्हें उनके मामलों की स्थिति के बारे में सूचित कर दिया गया है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन नहीं है। पथनमथिट्टा में कैंटीन खोलने के बारे में एक अभ्यावेदन आया है जिसे व्यावहारिक नहीं समझा गया।

कपड़ा उद्योग का विकास

787. **श्रीमती सरोज दुबे :**

श्री मनोरंजन भक्त :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग वित्तीय और कच्चे माल के संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को कपड़ा मिलों के लिए कच्चे माल आदि की आवश्यकता पूरी करने के हेतु वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए किन्हीं राज्य सरकारों विशेष रूप से मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कपड़ा उद्योग देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला प्रमुख उद्योग है; और

(च) यदि हां, तो घरेलू कपड़ा उद्योग के विकास के लिए क्या उपाय किए गए हैं। किए जाने का विचार है?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां।

(च) सरकार ने वस्त्र उद्योग के विकास के लिये अनेक उपाय किये हैं जैसे कि :

(1) सरकार द्वारा 25-7-91 को घोषित की गई उदारीकृत औद्योगिक नीति के अनुसार स्थान संबंधी कुछ दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए वस्त्र एककों की स्थापना पर से प्रतिबन्ध हटा लिया गया है।

(2) घरेलू उद्योग के विकास के लिये पुरानी मशीनरी सहित सभी पूंजीगत वस्तुओं के आयात को ओ० जी० एल० के० अन्तर्गत रखा गया है। पूंजीगत वस्तुओं को 15 प्रतिशत और

5 प्रतिशत की दर से रियायती सीमा शुल्क पर आयात करने की अनुमति दी गई है बशर्ते कि 5 वर्षों में आयातित वस्तुओं के सी० आई० एफ० मूल्य का चार गुना और 4 वर्षों में आयातित सामान के सी० आई० एफ० मूल्य का तिगुना निर्यात दायित्व वहन किया जाए।

(3) वस्त्र मशीनरी पर आयात शुल्क को 85 प्रतिशत से कम करके 55 प्रतिशत कर दिया गया है।

हस्तकरघा उद्योग का आधुनिकीकरण तथा बुनकरों का पुनर्वास

78. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1992 में मद्रास में हस्तकरघा बुनकरों का कोई सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त सम्मेलन से हस्तकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा बुनकरों के पुनर्वास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक कौन-कौन से कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सिफारिश की गई थी कि करघों के आधुनिकीकरण के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता को 10,000/- रुपये तक बढ़ा दिया जाए। सरकार ने करघों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सहायता में वृद्धि कर दी है। जकार्ड/पैडल करघों के लिए यह सहायता 8,000/-रु० तक उपलब्ध है।

बुनकरों के पुनर्वास के लिए व्यापक प्रयत्नों के लिए की गई सामान्य सिफारिश से सरकार सहमत है और सरकार ने हथकरघा बुनकरों को नियमित व निरन्तर रोजगार दिलवाने के उद्देश्य से कल्याण और विकासात्मक योजनाओं के लिए पर्याप्त परिव्यय किया है।

तमिलनाडु में योजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता

789. **श्रीमती के० एस० सौन्द्रम** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा तमिलनाडु में विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए कुल कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ख) इन योजनाओं पर, योजनावार अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या कुछ योजनाएं अब भी अधूरी पड़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपाय कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और अन्य बहुपक्षीय अभिकरणों द्वारा वचन-बद्ध की गई सहायता और इन स्कीमों के लिए संवितरित की गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विदेशी सहायता विशिष्ट परियोजनाओं से आबद्ध होती है इसलिए संवितरण परियोजना कार्यान्वयन की गति परियोजना अनुसार भिन्न-भिन्न होती हैं हालांकि किसी विशेष वित्तीय वर्ष के दौरान प्रयोग न की गई ऋण की राशि सामान्यतया व्यपगत नहीं होती और अनुवर्ती वर्षों में उपयोग के लिए आगे ले जाई जाएगी।

(ङ) सरकार ने विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन और विदेशी सहायता के उपयोग में तेजी लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इनमें विदेशी मुद्रा जारी करने और टेंडर मूल्यांकन के लिए प्रक्रियाओं का सरलीकरण, राज्यों को 100 प्रतिशत विदेशी सहायता देना और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अग्रिम जारी करना शामिल हैं। विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरिंग भी तेज की गई है।

विवरण

परियोजना का नाम	सहायता की राशि	31-10-92 तक संचयी संवितरण
1	2	3
1. तमिलनाडू महिला विकास	17.00 मिलियन अमरीकी डालर	2.73 मिलियन अमरीकी डालर
2. द्वितीय तमिलनाडु पोषाहार	90.26 मिलियन अमरीकी डालर	8.48 मिलियन अमरीकी डालर
3. द्वितीय तकनीशियन शिक्षा	291.54 मिलियन अमरीकी डालर	17.357 मिलियन अमरीकी डालर (बहुराज्यीय-राज्य विशेष के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।)
4. व्यवसायिक प्रशिक्षण	218.07 मिलियन अमरीकी डालर	44.43 मिलियन अमरीकी डालर (बहुराज्यीय-राज्य विशेष के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।)
5. शिशु उत्तर जीविता और सुरक्षित मातृत्व	219.72 मिलियन अमरीकी डालर	29.40 मिलियन अमरीकी डालर बहुराज्यीय-राज्य विशेष के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।)

1	2	3
6. ए०डी०आर० तमिलनाडु	आई०डी०ए० 87.53 मिलियन अमरीकी डालर आई०बी०आर०डी० 20.0 मिलियन अमरीकी डालर	6.84 मिलियन अमरीकी डालर
7. एन०ए०आर०पी० -II	एस०डी०आर० 57.80 मिलियन (एस०डी०आर० 11.80 मिलियन रद्द) 78.93 मिलियन अमरीकी डालर	39.75 मिलियन अमरीकी डालर
8. द्वितीय राष्ट्रीय डेयरी परियोजना	आई०डी०ए० 16.00 मिलियन अमरीकी डालर ऋण आई०बी०आर०डी० 200.0 मिलियन अमरीकी डालर उधार	126.3 मिलियन अमरिकी डालर
9. राष्ट्रीय रेशम उत्पादन परियोजना	एस०डी०आर० 133.8 मिलियन (147 मिलियन अमरीकी डालर के बराबर)	44.691 मिलियन अमरीकी डालर
10. बांध सुरक्षा परियोजना	आई०डी०ए० ऋण 130.0 मिलियन अमरीकी डालर आई०बी०आर०डी० उधार 23.0 मिलियन अमरीकी डालर	9.269 मिलियन अमरीकी डालर

उत्पाद तथा सीमाशुल्क अधिकारियों को पुरस्कृत किया जाना

790. **श्री शरद यादव** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी-अक्तूबर 1992 के दौरान 1991 की अवधि से तुलना में पकड़े गए निषिद्ध माल का अनुमानित मूल्य क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सूचना देने वालों को दिए गए पुरस्कार की अनुमानित राशि सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों को दिए गए पुरस्कार की तुलना में कितनी है;

(ग) क्या सूचना देने वालों को दिए जाने वाले पुरस्कार की राशि की दर के बढ़ाए जाने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जनवरी से अक्तूबर, 1992 की अवधि के दौरान लगभग *426 करोड़ रुपए के मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया है जबकि वर्ष 1991 में

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

इसी अवधि के दौरान लगभग *642 करोड़ रुपए के मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया था।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा में जमा राशियों पर ब्याज की दरें

[हिन्दी]

792. श्री शिबू सोरेन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा जमाराशियों पर ब्याज की दरों में 1 जनवरी, 1990 से किस-किस तिथि को वृद्धि/कमी की गई है;

(ख) ब्याज दरों में हर बार किए गए परिवर्तन का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है;

(घ) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में "विदेशी मुद्रा अनिवासी लेखा योजना" के अंतर्गत अमेरिकी डालरों में जमा की गयी राशियों पर 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज तथा अन्य विदेशी मुद्राओं में जमा की गई राशियों पर ब्याज की दर घटाने की घोषणा की हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; और

(च) उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अंतर्गत एक जनवरी, 1990 से ब्याज-दरों में परिवर्तन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1990-91 में 1648.8 लाख अमेरिकी डालर निवल राशि देश के भीतर आई और वित्तीय वर्ष 1991-92 में 16877.5 लाख अमेरिकी डालर की निवल राशि देश से बाहर गई। लेकिन, 1991-92 में धन राशि के बहिर्गमन का कारण यह हो सकता है कि अनिवासी भारतीयों को भारत सरकार द्वारा घोषित नई योजनाओं अर्थात (1) भारत विकास बांड (2) विदेशी मुद्रा (सामान्य अप्रत्यावर्तनीय) जमा योजनाओं और (3) अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया जमा योजना के अंतर्गत निवेश करने के लिए अपनी विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाराशियों में से निकासी करने की अनुमति दी गई थी। 1-4-1992 से 13-11-1992 की अवधि के दौरान 2811.2 लाख अमरीकी डालर की राशि का बहिर्गमन निश्चय ही बहुत कम है।

(घ) से (च) जी हां, विदेशी बाजारों में तुलनात्मक परिपक्वता वाली अमरीकी डालर जमा राशियों पर देय ब्याज की दरों में जैसे ही वृद्धि हुई, विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते की अमरीकी डालर जमाराशि पर देय ब्याज की दर के प्रति आकर्षण कम हो गया है। इसलिए, इस ब्याज विभेदक को

* ये आंकड़े अनन्तिम हैं।

बहाल करने की जरूरत थी और इस प्रकार सभी प्रकार की परिपक्वता वाली अमरीकी डालर जमाराशि पर ब्याज की दरें बढ़ा दी गई हैं। दूसरी ओर, पौंड स्टार्लिंग और ड्यूश मार्क जमाराशियों के सम्बन्ध में ब्याज दरें कम कर दी गई चूंकि विदेशी बाजारों में तुलनात्मक परिपक्वता वाली ऐसी जमा राशियों पर देय ब्याज की दरों में गिरावट आ गई थी।

विवरण

विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना के अंतर्गत एक जनवरी, 1990 से ब्याज दरों में परिवर्तन दर्शाने वाला विवरण

निम्नलिखित तारीख से प्रभावी	निम्नलिखित अवधियों के लिए पौंड स्टार्लिंग जमाराशियों पर ब्याज की दरें			
	6 माह	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष
1	2	3	4	5
27-12-1989	11.50	11.75	12.0	12.00
17-1-1990	11.50	11.75	12.00	12.00
31-1-1990	11.50	11.75	12.00	12.00
20-2-1990	11.50	11.75	12.00	12·00
12-3-1990	11.50	11.75	12.00	12.00
27-3-1990	11.50	11.75	12.00	12.00
4-5-1990	11.50	11·75	12.00	12.00
30-5.1990	11.50	11.75	12·00	12.00
19-7-1990	11.50	11.75	12.00	12.00
13-8-1990	11.50	11.75	12.00	12.00
3-9-1990	11.50	11.75	12.00	12.00
25-9-1990	11.50	11.75	12.00	12.00
26-10-1990	11.50	11.75	12.00	12.00
4-12-1990	11.50	11.75	12.00	12.00
14-1-1991	11.50	11.75	12.00	12.00
8-2-1991	13·25	13.25	13.25	13.25

1	2	3	4	5
12-12-1991	12.00	12.00	12.00	12.00
27-1-1992	12.00	12.00	12.00	1[illegible].00
27-3-1992	12.00	12.00	12.00	12.00
13-7-1992	11.00	11.00	11.00	11.00
12-10-1992	9.75	10.00	10.00	10.25
21-1-1992	8.00	8.00	8.75	9.25
27-12-1989	8.75	8.75	9.25	9.50
17-1-1990	8.75	9.00	9.50	9.75
31-1-1990	8.75	9.00	9.50	9.75
20-2-1990	8.75	9.00	9.50	9.75
12-3-1990	9.00	9.25	9.75	10 00
27-3-1990	9.25	9.50	10.00	10.25
4-5-1990	9.25	9.75	10.25	10.50
30-5-1990	9.00	9.50	10.00	10.25
19-7-1990	9.00	9.50	10.00	10.25
13-8-1990	9.00	9.25	9.75	10.00
3-9-1990	9.00	9.25	9.75	10.00
25-9-1990	9.00	9.25	9.75	10.00
26-10-1992	9.00	9.25	9.75	10.00
4-12-1990	8.75	9.00	9.50	9.75
14-1-1991	8.25	8.50	9.00	9.25
8-2-1991	7.50	8-00	8.50	9.00
12-12-1991	6.50	6.75	7.00	8.00
27-1-1992	5.50	5.75	6.75	7.50
27-3-1992	5.75	6.25	7.50	8.25
13-7-1992	4.75	5.25	6.25	7.00
12-10-1992	4.00	4.50	5.50	6.25

1	2	3	4	5
2-11-1992	4.50	5.00	6.00	6.75
27- 2-1989	8.75	8.75	9.00	9.00
17-1-1990	9.00	9.00	9.00	9.00
31-1-1990	9.00	9.25	9.25	9.25
20-2-1990	9.25	9.75	9.75	9.75
12-3-1990	9.25	9-75	10.00	10.00
27-3-1990	9.25	9.75	9·75	9.75
4-5-9990	9.25	9.75	9.75	9.75
30.5-1990	9.00	9.50	9.75	9.75
19-7-1990	9.00	9·50	9.75	9.75
13-8-1990	9.00	9.50	9.75	9.75
3-9-1990	9.00	9.50	9.75	9.75
25-9-1990	9.25	9.75	10.00	10.00
26-10-1990	9.25	9.75	10.00	10.00
4-12-1990	9.50	9.75	10.00	10.00
14-1-1991	10.00	10.25	10.50	10.00
8-2-1991	10.00	10.25	10.50	10.50
12-12-1991	10.00	10.25	10.50	10.50
27-1-1992	10.25	10.25	10.50	10.50
27-3-1992	10.50	10.50	10.50	10.50
13-7-1992	10.50	10.50	10.50	10.50
12-10-1992	9.75	9.75	9.75	9.75
1-21-1992	9.00	9.00	9.00	9.00
27-12-1989	7.25	7.25	7.25	7.25
17-1-1990	7.50	7.50	7.50	7.50
31-1-1990	7·75	8.00	8.00	8.00

1	2	3	4	5
20-2-1990	7.75	8.00	8.00	8.00
12-3- 990	8.00	8.25	8.25	8.25
27-3-1990	8.25	8.50	8.50	8.50
4-5-1990	8.00	8.25	8.25	8.25
30-5-1990	7.75	8.00	8.00	8.00
19-7-1990	8.25	8.25	8.25	8.25
13-8-1990	8.50	8.50	8.50	8.50
3-9-1990	9.00	9.25	9.25	9.25
25-9,1990	9.25	9.50	9.75	9.75
26-10-1990	9.00	9.25	9.25	9.25
4-12 1990	9.00	9.00	9.00	9.00
14-1-1991	8.50	8.50	[illegible].50	8.50
8-2-1991	8.50	8.50	8.50	8.50
12-12-1991	7.50	7.50	7.50	7.50
27-1-1992	7.00	7.00	7.00	7.00
27-3-1992	6.00	6.00	6.50	7.00
13-7-1992	5.75	6.00	6.00	6.50
12-10-1992	4.75	5.00	5.25	5.75
2-11-1992	4.75	5.00	5.25	5.75

हथकरघा क्षेत्र का विकास

[अनुवाद]

793. डा० वसीम बाला :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र में बुनकरों के लिए जो वर्ष 1990-91 और 1991-92 में गरीबी रेखा के नीचे थे, के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के सम्बन्ध में कार्य

योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान हथकरघा वस्तुओं का वर्षवार उत्पादन कितना है;

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान, राज्यवार कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया;

(ङ) हथकरघा उत्पादकों को निर्यात किए जाने वाले देशों का ब्यौरा क्या है; और

(च) निर्यात से कुल कितने रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित हुई ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) और (ख) यद्यपि हथकरघा बुनकरों के लिए तैयार की गई योजनाएं सभी आय के हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए बनाई गई हैं लेकिन कुछ योजनाएं जैसे जनता कपड़ा योजना अन्य के साथ-साथ कम आय के बुनकरों के लिए बनाई गई हैं। 1991-92 के दौरान विशेष रूप से गरीबी की रेखा से नीचे के बुनकरों के लाभ के लिए "निःसहाय बुनकरों के लिए मार्जिन मनी" नामक एक योजना आरम्भ की गई।

(ग) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान लगभग क्रमशः 4217 मिलियन मीटर और 4170 मिलियन मीटर हथकरघा कपड़े का उत्पादन हुआ।

(घ) 1991-92 के दौरान हथकरघा क्षेत्र में लगभग 96.02 लाख लोगों के लिए रोजगार अर्जित किए गए। इस सम्बन्ध में, तथापि राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ङ) भारतीय हथकरघा उत्पादों का आयात करने वाले देशों के नाम इस प्रकार हैं :

1. अमेरिका
2. जापान
3. यू० के०
4. जर्मनी
5. इटली
6. स्वीडन
7. आस्ट्रेलिया
8. सिंगापुर
9. फ्रांस
10. डेन्मार्क
11. नार्वे
12. केनेडा

(च) वर्ष 1991-92 के दौरान 1188 करोड़ रु० मूल्य के हथकरघा वस्त्र का निर्यात।

निर्यात किए गए।

द्विपक्षीय भारत-जर्मनी समझौता

794. श्री मनोरंजन भक्त :

श्री शरतचन्द्र पटनायक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जर्मनी के साथ हाल ही में कोई द्विपक्षीय समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ के निकायों आदि जैसी बहुराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता देने का वायदा किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां ;

(ख) भारत सरकार और जर्मन संघीय गणराज्य के बीच वर्ष 1992 के लिए कुल 427.3 मिलियन ड्यूश मार्क के एक वित्तीय सहयोग करार पर 12-10-92 को हस्ताक्षर किए गए। इस राशि में 296.6 मिलियन ड्यूश मार्क का उदार शर्तों पर ऋण, 55.7 मिलियन ड्यूश मार्क की अनुदान सहायता एवं 75.0 मिलियन ड्यूश मार्क का निर्यात उधार शामिल है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त वित्तीय सहायता किसी भी बहुराष्ट्रीय संस्था द्वारा देने का वायदा नहीं किया गया है।

मुम्बई में कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण

795. श्री अन्ना जोशी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मुम्बई की एन० टी० सी० प्रबंधाधीन कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं। क्योंकि सरकार ने एन० टी० सी० द्वारा प्रबंधित अधिगृहीत मिलों की भावी व्यवस्था के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में संशोधन

796. डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली श्रमिकों को वापस भेजने और

शिकायतों के शीघ्र निपटाने के लिए मन्त्रालय में कोई निगरानी और समन्वय प्रकोष्ठ बनाने का है;

(ख) 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रणाली श्रम बल का राज्यवार प्रतिशत कितना था;

(ग) क्या सरकार को कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 में संशोधन करने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव मिला है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी नहीं।

(ख) 1981 की जनगणना में दिए गये अनुसार प्रवासी श्रमशक्ति की राज्यवार प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। 1990-91 और 1991-92 के दौरान श्रमशक्ति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) उड़ीसा सरकार ने अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों के कर्मकार के क्षतिपूर्ति के मामलों को सम्बन्धित कर्मकार के मूल राज्य के कर्मकार क्षतिपूर्ति आयुक्त को स्थानांतरित करने के लिए राज्य सरकार को शक्तियां देते हुए धारा 21 में उपयुक्त प्रावधान करने का सुझाव दिया है। राज्य सरकार का सुझाव विचाराधीन है।

विवरण

राज्य का नाम	कुल प्रवासी	प्रवासी श्रम शक्ति	प्रतिशतता
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	12,35,282	2,667,193	21.62
असम	33,82,837	28,787	17.71
बिहार	24,34,510	8,51,023	34.88
गुजरात	10,65,311	2,37,525	22.28
हरियाणा	11,99,243	2,12,675	17.77
हिमाचल प्रदेश	2,80,943	82,786	29.44
जम्मू और कश्मीर	1,06,574	28,719	26.93
कर्नाटक	13,33,180	2,88,755	19.99
केरल	9,62,732	3,67,750	38.19
मध्य प्रदेश	15,12,443	2,22,612	14.71

1	2	3	4
महाराष्ट्र	15,24,900	3,05,612	20.03
मणिपुर	20,399	3,803	18.64
मेघालय	18,547	4,046	22.02
नागालैण्ड	9,354	1,983	21.24
उड़ीसा	5,36,030	1,63,367	30.42
पंजाब	13,21,635	2,94,974	22.69
राजस्थान	15,33,894	3,85,371	23.57
सिक्किम	12,118	1,701	14.12
तमिलनाडु	13,49,589	3,94,945	29.26
त्रिपुरा	25,506	4,079	16.16
उत्तर प्रदेश	46,46,734	17,19,461	37.01
पश्चिम बंगाल	10,21,9[illegible]2	2,07,006	20.25

उड़ीसा में टसर बुनकरों को कच्चे माल की आपूर्ति

797. **श्री शरतचन्द्र पटनायक** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी उड़ीसा के कई बुनकरों को कच्चे माल, जैसे टसर, की आपूर्ति न होने के कारण कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलौत) : (क) कच्चा माल उपलब्ध नहीं है ऐसी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन सरकार को यह विदित है कि टसर का पालन पोषण जंगली प्रकृति का है इसलिए चरखी पर लपेटने वाले टसर की उपलब्धता प्रत्येक वर्ष मौसम के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है।

(ख) टसर कोकून के उत्पादन में वृद्धि के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से एक अन्तरराज्य टसर परियोजना लागू की है। उड़ीसा राज्य टसर व रेशम सहकारी समिति टसर कोकून बहुमात्रा में उपलब्ध करके प्राथमिकता आधार पर राज्य की बुनकर सहकारी समितियों को सप्लाई करती है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निवेश

798. **श्री बलराज पासी** :

श्री महेश कनोडिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने विगत तीन वर्षों से कोष में भारी वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किए गए निवेश की धनराशि का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान किन-किन क्षेत्रों में इस धनराशि का निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान प्राप्त निवेश योग्य संसाधनों की राशि के सम्बन्ध में विवरण नीचे दिया गया है :

वर्ष (जुलाई-जून)	निवेश योग्य धन (करोड़ रुपयों में)
1989-90	5,816
1990-91	3,725
1991-92	10,430

(ग) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के निवेश योग्य धन को विभिन्न योजनाओं में लगाया गया है, तथा, इक्विटी, डिबेंचर, ऋण, कम्पनियों के पास जमा, सरकारी प्रतिभूतियां और मुद्रा बाजार योजनाएं (इन्वेस्ट्मेंट्स)। पिछले तीन वर्षों के दौरान निवेश का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा निवेश

क्र०सं०	निवेश का प्रकार	निवेश की गई राशि (करोड़ रुपयों में) निम्न तारीख को समाप्त वर्ष		
		30-6-90	30-6-91	30-6-92
1	2	3	4	5
1.	इक्विटी शेयर	3494.55 (19.8)	4234.01 (19.8)	8861.78 (27.9)
2.	तरजीही शेयर	14.3 (0.1)	19.13 (0.1)	21.93 (0.1)
3.	डिबेंचर	3767.83 (21.3)	4430.88 (20.7)	6185.46 (19.4)

1	2	3	4	5
4.	आवधिक ऋण	1230.04 (7.0)	1756.94 (8.2)	2788.18 (8.5)
5.	निवेश वचनबद्धताओं के लिए अग्रिम जमा	48.05 (0.3)	99.54 (0.5)	105.36 (0.3)
6.	विशेष जमा राशियां	889.73 (5.0)	1623.67 (7.6)	2659.48 (8.4)
7.	सावधिक जमा राशियां	283.11 (1.6)	472.27 (2.2)	767.20 (2.4)
8.	ब्रिज फाइनेंस	18.73 (0.1)	112.81 (0.5)	67.24 (0.2)
9.	एप्लीकेशन मनी	12.94 (0.1)	2.49 (0.0)	17.42 (0.1)
10.	साधारण शेयरों के लिए अग्रिम मांग जमाराशियां	0.05 (0.0)	0.05 (0.0)	0.00 (0.0)
	निगमित क्षेत्र में कुल निवेश (1-10)	9759.33 (55.3)	12751.69 (59.7)	21374.05 (67.2)
11.	अनुसूचित बैंकों में बिल, मांग जमा और अन्य निवेश	4572.33 (25.9)	3514.94 (16.4)	4676.16 (14.7)
12.	सरकारी प्रतिभूतियां	3319.26 (18.8)	5109.85 (23.9)	5755.47 (18.1)
	कुल अन्य निवेश	7891.59 (44.7)	8624.79 (40.3)	10431.63 (32.8)
	कुल निवेश-योग्य धन	17650.92 (100.0)	21376.48 (100.0)	31805.68 (100.0)

(ब्रैकेट में दी गई रकमें कुल योग का प्रतिशत हैं)

ट्रांसपोर्टरों द्वारा हड़ताल

799. **श्री जनार्दन मिश्र** :

श्री आनन्द अहीवार :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रक-मालिकों ने पुनः 1 जनवरी, 1993 से राष्ट्र-व्यापी हड़ताल करने की धमकी दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें हड़ताल करने से रोकने के लिए उनकी मांगों पर गम्भीरता से विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस ने दिनांक 1-1-93 से राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने की धमकी दी है ।

(ख) से (घ) अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की मांगों और उन मांगों का ब्यौरा जिन्हें सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः स्वीकार कर लिया गया है, संलग्न है (विवरण-1 तथा 2) ।

सरकार ने अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल करके एक समिक्षा समिति गठित की है जो अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस की विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों की प्रगति पर लगातार निगरानी रखती है। सरकार द्वारा अखिल भारतीय मोटर परिवहन कांग्रेस को इस बात से सहमत करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे कि वह अपनी वह हड़ताल न करे जिसकी धमकी दी गई है ।

विवरण-1

अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की मुख्य मांगे निम्नलिखित हैं :

1. हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पथकर समाप्त करना ।
2. 31-5-92 से देश के सभी भागों से चुंगीकर समाप्त करना और दिल्ली में टर्मिनल कर समाप्त करना ।
3. बीमा प्रीमियम कम करना ।
4. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के लिए बहुल प्रवर्तन एजेंसियां हटाना ।
5. ओवर लोडिंग विरोधी प्रावधानों को सख्ती से लागू करना ।
6. वाहनों के लाइसेंस जारी करने के लिए ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण स्कूल खोलना ।

7. सड़क परिवहन सम्बन्धी कराधान के सिद्धान्त निर्धारित करना।

8. राजमार्ग पर होने वाली लूटमार पर नियंत्रण।

9. अन्तर्राज्जीय प्रचालनों के लिए परमिट समाप्त करना और कुछ शर्तों में परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय परमिटों का नाम बदलना।

10. परमिटों से वाहनों की आयु सम्बन्धी प्रतिबंध हटाना।

11. वाहक अधिनियम को अद्यतन बनाना।

12. खाड़ी युद्ध और बंगलादेश युद्ध के दौरान डीजल पर लगाया गया अधिभार समाप्त करना।

13. प्रचालकों की एसोसिएशनों और को-आपरेटिव्स को डीजल आउटलेट्स देना।

14. स्थाई पुलों पर मार्ग कर हटाना।

15. वाहनों और टायरों की कीमतों पर नियंत्रण।

16. वाणिज्यिक वाहनों पर उत्पाद शुल्क कम करना।

विवरण-II

उन मांगों की सूची जिन्हें सरकार द्वारा पूरी तरह से या
आंशिक रूप से स्वीकार किया गया

1. पथकर एवं चुंगीकर

पथकर समाप्त करने की मांग के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस द्वारा दायर रिट याचिका में यह मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। सरकार इस मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेगी।

सरकार ने अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी संघ शासित क्षेत्रों से चुंगी समाप्त करने का निर्णय लिया है।

सरकार ने एक समिति का गठन किया है, जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो चुंगीकर और पथकर से संबंधित सभी मुद्दों की जांच कर रही है।

2. **बहुल प्रवर्तन एजेंसियां**

इस बात पर सहमति थी कि निम्नलिखित मामलों में पुलिस की शक्तियों को वापस लेने के लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे :—

(1) ओवरलोडिंग,

(2) परमिटों की जांच,

(3) परमिट शर्तों की जांच,

(4) बीमा प्रमाणपत्रों की जांच,

(5) कंडक्टरों के लाइसेंस,

(6) फिटनेस प्रमाणपत्र (उस स्थिति को छोड़कर जब वाहन दुर्घटना में शामिल हो)

3. वाहनों की ओवरलोडिंग

अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों को यह बताया गया था कि मोटर वाहन अधिनियम में ओवरलोडिंग के लिए सख्त दंड पहले से ही विद्यमान है।

ओवरलोडिंग समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को दिये गए निर्देशों को दोहराया गया है।

4. ड्राइविंग लाइसेंस

इस बात पर सहमति थी कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 7 में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा जिसके द्वारा लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्रता यह होगी कि उसके पास एक वर्ष की अवधि के लिए हल्के या मध्यम मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस हो।

5. राजमार्ग लूटमार

जल भूतल परिवहन मंत्रालय को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस मामले को संबंधित राज्य सरकारों के साथ पहले ही उठाया जा चुका है। जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने राजमार्ग लूटमार के जोखिम को समाप्त करने हेतु एक नीति तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों के पुलिस महानिरीक्षकों की 25-11-1992 को एक बैठक बुलाई है। अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को भी उपर्युक्त बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।

6 परमिट अपेक्षाएं

राष्ट्रीय परमिट के अन्तर्गत चल रहे वाहनों की क्या 9 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए और हां, तो किस सीमा तक, इस बारे में रिपोर्ट देने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।

7. वाहक अधिनियम को अद्यतन बनाना

इसकी जांच की जाएगी।

8. पुलों पर मार्गकर

इस बात पर सहमति थी कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित ऐसे पुलों की सूची, जहां मार्गकर लिया जा रहा है, और संग्रह की वर्तमान स्थिति से अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को अवगत कराया जाएगा।

शहरों का दर्जा बढ़ाना

800. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

श्री अनादि चरण दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अगस्त, 1992 से 31 अक्तूबर, 1992 के दौरान कुछ शहरों का दर्जा बढ़ाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ शहरों, विशेष रूप से गुजरात में जामनगर और उड़ीसा में भुवनेश्वर तथा कटक का दर्जा बढ़ाने सम्बन्धी अनेक अनुरोध सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन पर कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय के उप मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) *: (क) जी, नहीं।*

(ख) ऊपर (क) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) पिछले एक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता दिए जाने के प्रयोजन के लिए जिन शहरों का दर्जा बढ़ाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं उनका विवरण संलग्न विवरण में दिया जा रहा है।

(ङ) मकान किराया भत्ते/नगर प्रतिपूर्ति भत्ते के प्रयोजन के लिए शहरों का दर्जा उन्नयन/पुनर्वर्गीकरण दस वर्षीय जनगणना में उजागर हुए अन्तिम जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। शहरों का दर्जा उन्नयन/पुनर्वर्गीकरण, जहां कहीं भी जरूरी होगा, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त से 1991 के अन्तिम जनसंख्या आंकड़ों के प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही किया जाएगा।

विवरण

क्र० सं०	शहरों/नगरों के नाम	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम
1		3
1.	वारंगल	आन्ध्र प्रदेश
2.	बेलमपल्ली	
3.	भावनगर	गुजरात
4.	जामनगर	
5.	हिम्मतनगर	
6	गांधीनगर	

1	2	3
7.	गोवा	गोवा
8.	तिरूअनंतपुरम	केरल
9.	कसरागोड	
10.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
11.	बेलगांव	कर्नाटक
12.	मंगलौर	
13.	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
14.	रायपुर	
15.	विरार	
16.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
17.	ओसमानाबाद	
18.	कटक	
19.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
20.	पुरी	
21.	कोटा	
22.	गंगापुर शहर	राजस्थान
23.	धौलपुर	
24.	पुलियानगुड़ी	
25.	तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडु
26.	संकरनकोविल	
27.	अगरतला	त्रिपुरा
28.	देहरादून	
29.	अलीगढ़	
30.	हल्द्वानी	उत्तर प्रदेश
31.	पौड़ी	
32.	बड़ौत	
33.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
34.	तुरा	मेघालय

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के संबंध में गठित कार्यदल की रिपोर्ट

[हिन्दी]

802. **श्री गया प्रसाद कोरी :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के कार्यान्वियन के कारण उत्पन्न हुई समस्याओं का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के मुख्य महाप्रबन्धक की अध्यक्षता में गठित किये गये कार्यदल की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण निर्णय और समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणाम-स्वरूप, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारियों के सेवा विनियमों, भर्ती तथा पदोन्नति नीति में कुछ परिवर्तन लाए जाने थे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने तदनुसार ही, सितम्बर, 1991 में एक कार्यदल का गठन किया था जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे :

(I) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी वर्गों के सेवा विनियम तैयार करना,

(II) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती और पदोन्नति नीति तैयार करना, और

(III) समीकरण समिति की रिपोर्ट सहित अधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन संबंधित कोई अन्य मामला।

नाबार्ड, जिसे कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ने सरकार को कर्मचारी सेवा विनियम, भर्ती और पदोन्नति नीति आदि के बारे में सिफारिशों के कार्यान्वयन से सुझाव दिए हैं। कार्यदल की सिफारिशें विचाराधीन हैं और यथासमय उन पर निर्णय लिए जायेंगे।

गेहूं का आयात और विदेशी ऋण

[अनुवाद]

803. **श्री शिवाजी पटनायक :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गेहूं के आयात करने से देश के विदेशी ऋण में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का आयात करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बढ़े हुए विदेशी ऋण पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं। आयात चालू लेखा आय से पूर्णतः वित्तपोषित किए जा रहे हैं।

(ख) 1992-93 के दौरान सरकार ने, मांग और पूर्ति के खर्च असंतुलन को ठीक करने और खुले बाजार में गेहूं की कीमतों पर नियंत्रण बनाए रखने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूर्ति कायम रखने हेतु लगभग 29.90 लाख टन गेहूं के आयात के सम्बन्ध में करार किया है।

(ग) विदेशों से ऋण की आवश्यकता को कम करने के लिए, सरकार ने एक संशोधित विनिमय दर को सुनिश्चित करके, आंशिक परिवर्तनीयता को आरम्भ करके और निर्यात संबंधित अग्रिम लाइसेंसिंग और शुल्क वापसी के द्वारा निर्यात को प्रोत्साहित किया है। सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के चयनित उदारीकरण के द्वारा प्रतिष्ठित भारतीय कम्पनियों को विदेशों में इक्विटी जारी करने की अनुमति देकर, और अनुमोदित विदेशी निवेश संस्थानों को सेवी के विनियमन के अनुसार भारतीय पूंजी बाजार में निवेश की अनुमति देकर गैर-ऋण पूंजी अन्तर्वाहों को भी प्रोत्साहित किया है।

3500/- रुपये से अधिक मल वेतन प्राप्त करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता

[हिन्दी]

804. **डा० लाल बहादुर रावल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल्यों में होने वाली वृद्धि के लिए शीघ्र राहत प्रदान करने हेतु मंहगाई भत्ता दिया जाता है;

(ख) क्या 3500/- रुपये प्रति माह से अधिक मूल वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त नकद नहीं दी जाती है और उनके लिए उस राशि पर आयकर देना अपेक्षित होता है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का इसके परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने का विचार है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते का निर्धारण 608 के औसत सूचकांक से ऊपर औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) (आधार 1960=100) के 12 महीने के औसत में प्रतिशतता वृद्धि के आधार पर किया जाता है।

(ख) से (च) 1.7.90 तथा उसके आगे देय मंहगाई भत्ते के अतिरिक्त किस्त का भुगतान केन्द्रीय सरकार के 3500/- रु० प्रतिमाह से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को नकद रूप में नहीं किया जाता है बल्कि वह राशि उनके अपने-अपने भविष्य निधि खातों में जमा कर दी जाती है। मंहगाई भत्ते की राशि वेतन का भाग होने के कारण आय मानी जाती है और इसलिए कर योग्य है।

तथापि, भविष्य निधि में इस प्रकार की बचत आय कर अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत उपयुक्त कर छूट दिए जाने के योग्य है। इन अनुदेशों में फिलहाल कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

गुजरात में पुलों का निर्माण

[अनुवाद]

805. **श्री चन्दूभाई देशमुख** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत दस वर्षों के दौरान संघ सरकार द्वारा गुजरात में कितने पुलों, उपरि पुलों का निर्माण किया गया;

(ख) उनमें से कितने पुलों पर बन्द पथ कर पूरा हो गया है और कितने पुलों पर अभी भी विद्यमान हैं; और

(ग) सरकार द्वारा पथ कर लगाने के सम्बन्ध में बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) पिछले 10 वर्षों में गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 13 पुल/ओवर ब्रिज पूरे किए गए।

(ख) इन 13 पुलों में से केवल दो पुल शुल्क लगाए जाने योग्य हैं। एक पुल के मामले में शुल्क पहले ही एकत्र किया जा चुका है और दूसरे पुल के मामले में यह कार्य चल रहा है।

(ग) शुल्क का एकत्रीकरण राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थाई पुलों के प्रयोग के लिए शुल्क) नियमावली, 1992 में शामिल है। इन नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ शुल्क की दरें और इसका भुगतान, शुल्क दरों को प्रदर्शित करने का प्रावधान, एकत्रीकरण/वसूली की प्रक्रिया, शुल्क एकत्रीकरण का तरीका, एकत्र शुल्क का प्रेषण शुल्क एकत्र करने की अवधि आदि शामिल हैं।

पंजाब सरकार द्वारा ओवर ड्राफ्ट

806. **श्री गुरुदास कामत** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने संचित ओवर ड्राफ्ट के सम्बन्ध में पंजाब सरकार को चेतावनी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज तक की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों का कुल संचित ओवर ड्राफ्ट कितना है; और

(घ) उन राज्यों के विरुद्ध जिन्होंने सात लगातार कार्य दिवसों की निर्धारित अवधि के भीतर ओवर ड्राफ्ट वापस नहीं किया, क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) 24 अक्तूबर और 31 अक्तूबर, 1992 के बीच जब पंजाब सरकार ओवर ड्राफ्ट में थी, भारतीय रिजर्व बैंक ने

राज्य सरकार को दैनिक स्थिति की सूचना दी थी तथा उन्हें ओवरड्राफ्ट क्लीयर करने हेतु अनुरोध किया था।

(ग) 25 नवम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार, राज्य सरकारों का कुल औसत ओवरड्राफ्ट 11.11 करोड़ रुपये था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

		(करोड़ रुपयों में)
1.	मणिपुर	4.06 (तीसरे दिन)
2.	मिजोरम	0.33 (पहले दिन)
3.	नागालैंड	4.91 (छटे दिन)
4.	पश्चिम बंगाल	1.81 (पहले दिन)
		11.11

(घ) 2 अक्तूबर, 1985 से प्रभावी ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम के अन्तर्गत किसी भी राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सात लगातार कार्य दिवसों से अधिक ओवरड्राफ्ट में रहने की इजाजत नहीं दी गई है। यदि कोई राज्य सरकार सात क्रमिक कार्य-दिवसों से अधिक समय तक ओवरड्राफ्ट में रहती है तो भारतीय रिजर्व बैंक उस राज्य सरकार की ओर से भुगतान नहीं करेगा।

उड़ीसा में पटसन प्रसंस्करण एकक

807. **श्री के० पी० सिंह देव :**

कुमारी फ्रिडा तोपनो :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उड़ीसा में पटसन प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य में ऐसे एककों की संख्या कितनी है तथा ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जायेंगे ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) नई औद्योगिक नीति के अनुसार पटसन उद्योग के लिए लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई है और उड़ीसा सहित देश के किसी भी भाग में पटसन प्रोसेसिंग एककों की स्थापना हेतु सरकार से अब स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है।

उत्तर प्रदेश में ऋण-माफी

[हिन्दी]

808. **श्री राम नगीना मिश्र :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली सरकार ने देश में 10,000 रु० तक के ऋण माफ कर दिए थे;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कितनी धनराशि तक के ऋण माफ किए गए; और

(ग) उसके मुआवजे के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारत सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर० आर० बी०) के ऋणकर्ताओं की चयन की गई श्रेणी के प्रति ऋणकर्ता 10,000/- रुपये तक की ऋण राहत प्रदान करने के लिए कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना (ए० आर० डी० आर०) बनायी थी । राज्य सरकारों ने भी सहकारी समितियों के ऋणकर्ताओं के लिए केन्द्रीय योजना के अनुरूप स्वयं अपनी भी योजनाएं तैयार की थी । जबकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी गई ऋण राहत की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जानी थी । राज्य योजना के तहत प्रदान ऋण राहत के भार को केन्द्र और राज्य सरकारों में 50:50 के आधार पर विभाजित किया जाना था । सहकारी समितियों द्वारा प्रदान की गई ऋण राहत का 50% राज्य सरकारों की ओर से दिए जाने वाले उनके भाग के ऋणों को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई निधियों में से संवितरण किया जा रहा है ।

(ख) 16.11.1992 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध सूचना के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 51.81 लाख व्यक्तियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा कुल 1047.62 करोड़ रुपये की रकम की सहायता दी गई है ।

(ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि 16.11.1992 की स्थिति के अनुसार कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक और उत्तर प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक को ऋणों और अनुदान के रूप में 477.43 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत और संवितरित की गयी है । नाबार्ड ने अब सभी राज्य सहकारी बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके द्वारा प्रदान की गई राहत की 100 प्रतिशत जाँच करने और अपात्र ऋणकर्ताओं से सम्बद्ध दावों को छोड़ने के पश्चात् संशोधित दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा है । नाबार्ड सहकारी समितियों से अन्तिम दावों से संबंधित विवरणों की प्राप्ति के पश्चात् और धनराशि जारी करने पर विचार करेगा ।

बिहार के पलामू जिले में कोयला खानें

809. **श्री रामदेव राम** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पलामू जिले में शुरू की गई तथा बंद की गई कोयला खानों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने गोरे खाने को भी बंद करने का आदेश दिया है;

(ग) गोरे खानों के बंद होने के दौरान कितने श्रमिक विस्थापित हुए; और

(घ) अब तक काम पर लगाए गए श्रमिकों की संख्या कितनी है तथा उन प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं जिनमें उन्हें काम पर लगाया है तथा उन प्रतिष्ठानों के नाम क्या है जहां बाकी श्रमिकों को काम पर लगाया जाएगा ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) बिहार के पलामू जिले में दो विद्यमान कोयला खानों को अर्थात् हुतार तथा राजहारा को राष्ट्रीयकरण के उपरान्त नियंत्रण में ले लिया गया था और सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा एक नई हेरीलॉग खान को स्वीकृति दी गई है, जो कि वर्तमान में कार्यान्वयन अधीन है। उक्त जिले में किसी भी कोयला खान को बंद नहीं किया गया है।

(ख) गौर मैंगनेटाइट खान को उचित ग्रेड की मैंगनेटाइट धातु की अनुपलब्धता के कारण तथा अत्यधिक वित्तिय हानि होने के कारण भी बन्द कर दिया गया है।

(ग) और (घ) गौर मैंगनेटाइट खान में नियोजित 320 श्रमिकों में से सात श्रमिकों को खान में ही काम उपलब्ध करा दिया गया है, जो कि उसकी देखरेख तथा सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। बाकी श्रमिकों की नियुक्ति अन्य संगठनों में निम्नलिखित रूप में की गई है।

1.	कठारा क्षेत्र	—	308
2.	पिपरवार	—	3
3.	बी० एण्ड के०	—	6
4.	राजरघा	—	2
5.	अरगदा	—	1

वाहनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण

810. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रकों तथा अन्य वाहनों द्वारा हॉर्न बजाने से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है,

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है,

(ग) कौन-कौन से क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाया गया है तथा लोगों पर, विशेषतया, उन क्षेत्रों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है; और

(घ) ऐसे ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (घ) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1989-90 में देश के आठ महानगरों में ध्वनि-स्तर संबंधी सर्वेक्षण किया था। अध्ययन में भारी यातायात वाले क्षेत्रों में भी ध्वनि स्तर को मानिटर किया गया था। दिल्ली के रिहायशी, वाणिज्यिक और भारी यातायात वाले क्षेत्रों तथा संवेदनशील क्षेत्रों में औसत परिवेशी

ध्वनि स्तर दिन के समय मानक से अधिक था जबकि औद्योगिक क्षेत्र में ध्वनि स्तर मानक से कम था। रिहायशी, वाणिज्यिक, भारी यातायात वाले क्षेत्रों और साइलेंस जोन्स में ध्वनि के मुख्य स्रोत वाहन ही पाए गए। दिल्ली नगर के विभिन्न क्षेत्रों में परिवेशी ध्वनि स्तर दर्शाने वाला हिस्टोग्राम संलग्न विवरण में दिया गया है। ध्वनि प्रदूषण के, विशेषकर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं पर पड़ने वाले. प्रभाव का कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, अध्ययनों से पता चला कि ऐसी ध्वनि कष्टदायक होती है और इससे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक परिवर्तन होते हैं, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। दिल्ली यातायात पुलिस ने 23 शैक्षिक संस्थाओं, 15 रिहायशी कालोनियों और 32 अस्पतालों के आस-पास के क्षेत्रों को "साइलेंस जोन" घोषित किया है। ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमित रूप से मुकदमा चलाया जाता है। वर्ष के दौरान 1.1.92 से 15.11.92 तक 1,02,918 वाहन चालकों पर ध्वनि प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चलाया गया।

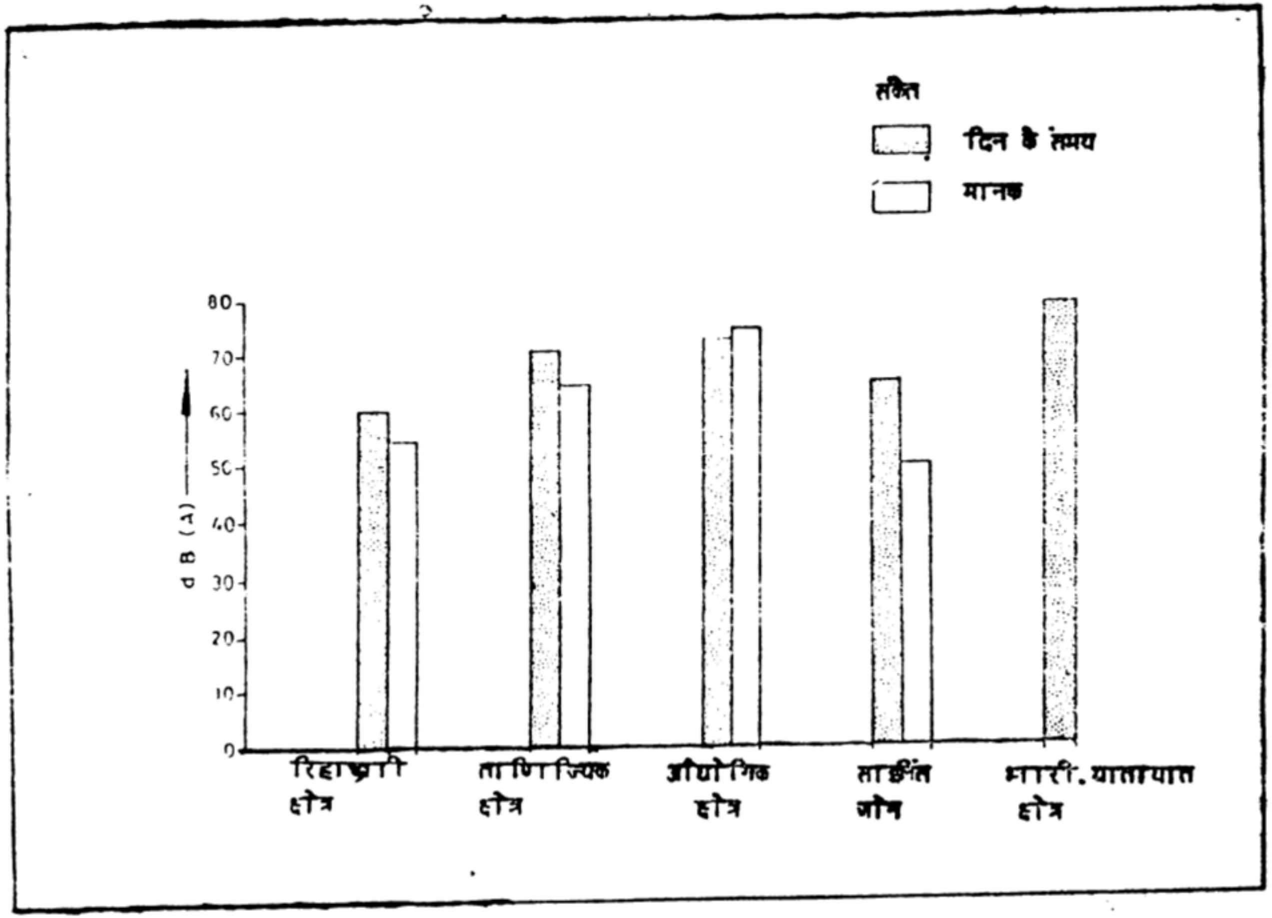

दिल्ली नगर के विभिन्न क्षेत्रों में परिवेशी ध्वनि स्तर दर्शाने वाला हिस्टोग्राम ।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 पर कार्य

[अनुवाद]

811 **श्री अमर रायप्रधान :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 31 पर टोरसा नदी पर नए पुल सहित घोकसरडांग होकर फ्लाकटा से पुंडीबाड़ी तक नए मार्ग पर कार्य में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इसकी अनुमानित लागत कितनी है तथा अब तक कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है; और

(ग) पुल और सड़क का निर्माण पूरा होने की अनुमानित तिथि कौन-सी है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर फ्लाकटा से पुंडीबाड़ी तक 13.72 करोड़ रु० की लागत से नए संरेखण कार्य को, जिसमें तोरसा नदी पर नया पुल शामिल है, दिनांक 10.11.88 को स्वीकृति दी गई। इस कार्य को दो पैकेजों में बाटा गया है, अर्थात् पैकेज I—यह टोरसा पुल से सम्बन्धित है जो अभी शुरू हुआ है और पैकेज II सम्पर्क मार्गों, छोटे पुलों और पुलियों से सम्बन्धित है जिन पर लगभग 20% प्रगति हो चुकी है। इस सम्पूर्ण परियोजना को जनवरी, 1995 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

ऋण राहत योजना

[हिन्दी]

812. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और ऋण राहत योजना के अन्तर्गत ग्रामिण बैंकों द्वारा कुल कितनी धनराशि की राहत दी गयी है;

(ख) क्या इस योजना के अन्तर्गत कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक को केन्द्रीय सरकार की ओर से 200 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त प्राप्त हो चुकी है, किन्तु ग्रामीण बैंको को उनके द्वारा दी गयी राहत के अनुपात में धनराशि नहीं दी गयी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार द्वारा राहत की इस धनराशि को ग्रामीण बैंकों को न देने के कारण उन्हें घाटा हो रहा है और यदि हां, तो इन बैंकों को वर्ष 1991-92 के दौरान कुल कितनी धनराशि का घाटा हुआ ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कुल 798.97 करोड़ रुपये की ऋण राहत प्रदान की गई है। यह आंकड़ा अनन्तिम है क्योंकि नाबार्ड ने बैंकों से प्रदान की गई राहत की शत प्रतिशत जांच करने और अपात्र हिताधिकारियों से संबंधित हिस्से को अलग करने के बाद संशोधित दावे प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

(ख) और (ग) नाबार्ड ने इस योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुदान के रूप में 413.31 करोड़ रुपये जारी किए हैं। उपलब्ध शेष राशि बैंकों से अंतिम/संशोधित दावे प्राप्त, होने के बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके दावों के समानुपातिक आधार पर मंजूर की जाएगी। ऋणों के मात्रा-वार, प्रयोजन-वार और अवधि-वार वर्गीकरण, इन ऋणों पर लिए जाने वाले ब्याज की दर, इन ऋणों को बट्टे खाते डालने की तारीखों आदि जैसे ब्यौरे के अभाव में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा इस सम्बन्ध में उठाई गई हानियों की राशि बताना संभव नहीं है।

डी० टी० सी० भूमि का वाणिज्यिकीकरण

[अनुवाद]

813. **कुमारी फ्रिडा तोपनो :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 17 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1623 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डी० टी० सी० की फालतू भूमि के वाणिज्यिक उपयोग की योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा डी० टी० सी० की फालतू भूमि का डिपो-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक डिपो की फालतू भूमि को किस प्रकार के वाणिज्यिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्र सरकार को धन दिए जाने पर रोक

814. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों पर लगाई गई रोक के समान ही भारतीय रिजर्व बैंक का केन्द्र सरकार को दी जाने वाली अधिकतम राशि पर भी रोक लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के वित्तपोषण की योजना के आधार पर राज्यों को उनके आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय के लिए प्रदान की जाने वाली अपेक्षित सहायता और वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिशें केन्द्रीय घाटे का हिस्सा होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी

राज्यों को उनके अस्थायी नकद घाटों की पूर्ति के लिए अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करता है। इस प्रकार, इनके अतिरिक्त राज्यों से, भारतीय रिजर्व बैंक से लगातार ओवरड्राफ्ट लेने की अपेक्षा नहीं की जाती। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्यों की स्थिति वस्तुतः तुलनीय नहीं है। तथापि, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के ऋण में निवल वृद्धि पर बारीकी से नजर रखती है और इसे उचित सीमाओं मे रखने के लिए हर संभव उपाय करती है।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

815. **श्री थाइल जॉन अंजलोज :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1992-93 के दौरान केरल में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास हेतु कुछ योजनाओं को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितनी लम्बी सड़क का विकास करने की सम्भावना है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि नियत की गई है?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हाँ। वर्ष 1992-93 के दौरान निम्नलिखित परियोजना स्वीकृत की गई है।

परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि
रा० रा०—47 पर अकुलम पुल का निर्माण	4,90,03,000 रु०

(ग) यह स्कीम एक पुल परियोंजना से संबंधित है। चालू वर्ष के लिए इस कार्य हेतु 1 लाख रु० का बजट प्रावधान है।

अप्रवासी भारतीयों की केरल में जमा धनराशि

816. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रवासी भारतीयों की केरल के विभिन्न बैंकों में कितनी धनराशि जमा है; और

(ख) अप्रवासी भारतीयों ने केरल के किस बैंक में अधिकतम राशि जमा की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सांविधिक नकदी अनुपात और नगदी प्रारक्षित अनुपात

817. **श्री के० मुरलीधरण :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बेंक ने वर्तमान सांविधिक नकदी अनुपात और नगदी प्रारक्षित अनुपात कितना निर्धारित किया है; और

(ख) इसमें और कमी लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) दिनांक 3 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार बकाया निवल मांग और सावधि देयताओं (अनिवासी देयताओं को छोड़कर) के स्तर पर अनुसूचित वाणिज्यिक बेंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बेंकों को छोड़कर) की सांविधिक नकदी अनुपात को 38.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया है और दिनांक 3 अप्रैल, 1992 के स्तर से ऊपर की निवल मांग और समय देयताओं में किसी भी वृद्धि के लिए सांविधिक नकदी अनुपात को 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । अनिवासी देयताओं पर सांविधिक नकदी अनुपात 30 प्रतिशत निर्धारित किया गया है भारतीय रिजर्व बेंक ने घोषणा की है कि दिनांक 3 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार देयताओं पर सांविधिक नकदी अनुपात को निम्नानुसार कम किया जाएगा :-

पखवाड़े से शुरू होने वाली प्रभावी तारीख	दिनांक 3 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार निवल मांग और सावधि देयताओं (एफ० सी० एन० आर० और एन० आर० ई० जमा राशियों को छोड़कर) पर निवल मांग और सावधि देयताओं पर सांविधिक नकदी अनुपात (प्रतिशत)
9 जनवरी, 1993	38.25
6 फरवरी, 1993	38.00
6 मार्च, 1993	37.75

घरेलू और अनिवासी देयताओं के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बेंकों के आरक्षित नकदी अनुपात को 15 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त वृद्धिशील आरक्षित नकदी अनुपात के अन्तर्गत नकद बकाया अवरुद्ध बना रहा । भारतीय रिजर्व बेंक ने घोषणा की है कि अवरुद्ध हुए बकाया नकद को तीन समान किश्तों में जारी कर दिया जाएगा (17 अक्तूबर, 1992, 14 नवम्बर, 1992 और 12 दिसम्बर, 1992 को शुरु होने वाला पखवाड़ा ।

(ख) भारतीय रिजर्व बेंक ने सूचित किया है कि सांविधिक नकदी अनुपात में की जाने वाली और कटौती को सरकार की बाजार ऋण की आवश्यकताओं और वित्तीय घाटे में कमी को ध्यान में रख कर किया जाएगा । आरक्षित नकदी अनुपात में और कटौती मुद्रास्फीति दर की कमी और कारगर मौद्रिक नियंत्रण के लिए वैकल्पिक उपायों को विकसित करने पर निर्भर करेगी ।

नये सिलेसिलाये वस्त्र निर्यातकों के लिए सुविधाएं

818. **श्री शशि प्रकाश :**

क्या वस्त्र मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने सिलेसिलाये वस्त्र कोटा नीति के अन्तर्गत नए वस्त्र निर्यातकों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की है; और

(ख) उनके हितों की रक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति के अन्तर्गत लोचशीलताओं, अभ्यपर्णों या अन्यथा के कारण समय-समय पर उपलब्ध होने वाली मात्राओं को पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित किया जाता है। नये परिधान निर्यातक ऐसे कोटे के आबंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे निर्यातक विनिर्माता-निर्यातक हकदारी प्रणाली के अन्तर्गत कोटा पाने के पात्र हैं जिसमें वार्षिक कोटों का 20% आबंटित किया जाता है, बशर्ते कि उन्होंने विनिर्माण एककों की स्थापना की हो और कुछ शर्तों का पालन किया हो। गैर कोटा हकदारी (एन० क्यू० ई०) प्रणाली के अन्तर्गत वार्षिक कोटे का 18% आबंटन किया जाता है जिसको नये निर्यातक पाने के पात्र हैं जो कि कोटा देशों और गैर-कोटा देशों को उनके द्वारा किए गए गैर-कोटा पदों के निर्यात निष्पादन पर निर्भर करता है। नये निर्यातक विगत निष्पादन हकदारी प्रणाली और गैर-कोटा हकदारी प्रणाली के अन्तर्गत हकदारियों के हस्तान्तरण की सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं इसके अलावा कोटा देशों और गैर-कोटा देशों को गैर-कोटा पदों के निर्यात के बारे में कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है।

सेवा निवृत्त रक्षा कर्मियों हेतु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

819. **डा० राजागोपालन श्रीधरण :**

:क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क महानिदेशालय के प्रशिक्षण निदेशालय ने वर्ष 1992 के दौरान औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रम मंत्रालय ने इस पाठ्यक्रम का आयोजन किया था; और

(घ) इस पाठ्यक्रम से सेवानिवृत्त सेना कार्मिकों का किस हद तक लाभान्वित होने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) पुनर्वास महानिदेशालय ने सितम्बर, 1992 से जून, 1993 तक सेवानिवृत्त होने वाले/सेवानिवृत्त हो गए सेना अफसरों के औद्योगिक संबंधों तथा कार्मिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिपलोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है। तीनों सेनाओं से 21 अफसरों के पहले बैच को निम्नलिखित विषयों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है :

(1) उद्योगों में कार्य करने की परिस्थितियाँ।

(2) मजदूरी तथा वेतन प्रबंध।

(3) औद्योगिक मनोविज्ञान तथा व्यवहारात्मक विज्ञान।

(4) औद्योगिक संबंध।

(5) सामाजिक सुरक्षा।

(6) औद्योगिक विधि।

(7) श्रम-विधि।

(8) मानव संसाधन का संगठनात्मक व्यवहार एवं प्रबंधन।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इस पाठ्यक्रम को उद्देश्य प्रशिक्षित अफसरों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के सम्बन्ध में कार्यदल

820. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सम्बन्धी कार्य दल द्वारा दिए गए मुख्य सुझाव क्या हैं;

(ख) क्या सरकार उनके सुझावों पर विचार किया हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन सुझावों को कब तक लागू किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय कम्पनियों पर गठित कार्यदल की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :

(I) गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों के श्रेणीवार वर्गीकरण को रद्द करके उनके लिए एक समान बिनियम लागू करना।

(II) 50 लाख रुपये और अधिक की निवल अधिकृत निधि वाली कम्पनियों के लिए नियंत्रण-कारी रुख अपनाना।

(III) नई कम्पनियों के लिए प्रवेश मानदण्ड।

(IV) विनियम का ध्यान कम्पनियों के देनदारी पक्ष से परिसम्पत्ति पक्ष पर केन्द्रित करना।

(V) तुलन पत्र इतर मदों के लिए परिसम्पत्ति और ऋण संपरिवर्तन तत्वों हेतु जोखिम भार पर आधारित पूंजी पर्याप्तता मानक लागू करना। पूंजी पर्याप्तता मानदण्ड को लागू करने तक समग्र ऋण-इक्विटी अनुपात 15 : 1 होना चाहिए।

(VI) पोर्टफोलियो प्रबन्धन स्कीम के तहत निर्धारित राशि किसी कम्पनी द्वारा अधिकृत निवल राशि के अनुरूप होनी चाहिए।

(VII) गैर बैंककारी वित्तीय कम्पनियों द्वारा स्वीकृत जमाराशियों की अवधि 12 महीने से 84 महीने होनी चाहिए।

(VIII) गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाराशियों पर ब्याज दरें वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों से 2% से 3% अधिक ही सीमित किया जाना चाहिए।

(X) आय का पता लगाने, लेखों को सुस्पष्ट करने, अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रधान करने हेतु मानदण्डों का निर्धारण।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सिद्धांत रूप में कार्यदल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। इन्हें चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 को चौड़ा करना

[हिन्दी]

821. **श्री भगवान शंकर रावत :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-कानपुर-कलकत्ता राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 के मथुरा-आगरा खंड को चौड़ा करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर काम कब तक शुरू हो जाएगा?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी हाँ। ओ० ई० सी० एफ० जापान की ऋण सहायता से रा० रा० 2 के मथुरा-आगरा खंड में 148.33 कि० मी० से 199.66 तक को चार लेन का बनाने की परियोजना को, संस्वीकृति के लिए, 1992-93 की अनुदान मांगों में शामिल किया गया है।

(ग) कार्य शुरू होने की संभावित तारीख अभी नहीं बतलाई जा सकती, क्योंकि यह कार्य, परियोजना के अनुमोदन के बाद और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के आधार पर निविदाओं के आमंत्रण सहित अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही शुरू होगा।

सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ब्याज दरें

[अनुवाद]

822. **श्री माणिक राव होडल्या गावीत :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में उधार देने की दर तथा सभी केन्द्रीय तथा राज्य सहकारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 46 दिन से तीन वर्षों के लिए जमा धनराशि पर दी जाने वाली ब्याज दर में कमी की घोषणा की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 अक्तूबर, 1992 से राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशियों और अग्रिमों की ब्याज दरों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं।

जमाराशि दरें—

(I) 46 दिन से 3 वर्ष और उससे अधिक अवधि की परिपक्वता वाली जमाराशियों (विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता/अनिवासी विदेशी खाता को छोड़कर) पर एक प्रतिशत बिन्दु से "12 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं" ब्याज दरों में कटौती। अलबत्ता, बचत बैंक जमाराशियों पर 6.0 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। राज्य और सहकारी बैंक अपने विवेकानुसार बचत जमाराशियों और सावधि जमारशि खातों पर निर्धारित दरों के अतिरिक्त क्रमश: 1/4 प्रतिशत वार्षिक तथा 1/2 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से अतिरिक्त ब्याज दे सकते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने विवेकानुसार, केवल बचत बैंक जमाराशियों के संबंध में 1/2 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से अतिरिक्त ब्याज दे सकते हैं।

(II) अनिवासी (विदेशी) रुपया खातों (एन० आर० ई० खाते) के अन्तर्गत जमाराशियों पर ब्याज दरें।

इस श्रेणी में बचत बैंक जमाराशि दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया है। 46 दिन से 3 वर्ष और उससे अधिक अवधि की परिपक्वता वाले अनिवासी भारतीयों के खातों के लिए सावधि जमा दर "13.0 प्रतिशत वार्षिक से अधिक नहीं" के अनुसार एकल निर्धारण है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

खाते की श्रेणी	पिछली दरें	9 अक्तूबर, 1992 से प्रभावी संशोधित दरें
सावधि जमाराशियाँ		
(क) 46 दिन से एक वर्ष से कम अवधि के लिए	8.5	"46 दिन से 3 वर्ष और उससे अधिक अवधि की परिपक्ता के लिए 13 प्रतिशत से अधिक नहीं"।
(ख) एक वर्ष से लेकर 2 वर्ष से कम अवधि के लिए	10.5	
(ग) 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष से कम अवधि के लिए	11.0	
(घ) 3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से कम अवधि के लिए	13.0	
(ङ) 5 वर्ष और उससे अधिक अवधि के लिए	14.0	

उधार सम्बन्धी ब्याज दरें :

2 लाख रुपये से अधिक की ऋण सीमाओं पर उधार संबंधी ब्याज दरें एक प्रतिशत बिन्दु अर्थात् 19.0% (न्यूनतम) से घटा कर 18% (न्यूनतम) से कर दी गयी है। निर्यात ऋण (रुपया) ब्याज दर को समान रूप से एक प्रतिशत बिन्दु कम कर दिया गया है।

20 बड़े औद्योगिक घरानों के विरुद्ध बकाया कर

823. **श्री मोहन रावले** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1988-89, 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के अन्त में 20 बड़े औद्योगिक घरानों पर अलग-अलग केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क तथा आयकर की कितनी धनराशि बकाया थी; और

(ख) उनसे बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए तथा उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) बकाया कर की राशि के बारे में आंकड़े औद्योगिक घराने-वार नहीं रखे जाते हैं। पूरे देश में फैले क्षेत्रीय कार्यालयों से इन औद्योगिक घरानों से सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी कम्पनियों के बारे में सूचना एकत्रित करने में इतना अधिक समय एवं परिश्रम लगेगा कि उससे प्राप्त होने वाले परिणाम उद्देश्य के अनुरूप नहीं होंगे। तथापि, बकाया कर राशियों की वसूली के लिए, यथा-आवश्यक समझे गये प्रशासनिक, विधिक एवं अन्य उपाय समय-समय पर किये जाते रहते हैं।

परियोजना मूल्यांकन समिति

824. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 291 मिलियन टन कोयले के वार्षिक उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वीकृत 400 परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना मूल्यांकन समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; ओर

(ग) इस पर कुल कितनी लागत आने की संभावना है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) सरकार ने कोयला क्षेत्र में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में परियोजना मूल्यांकन समिति का गठन नहीं किया है। कोयला मन्त्रालय ने परियोजना निष्पादन/कार्यान्वयन के लिए मार्गनिर्देशों की सिफारिश करने हेतु, किन्तु एक समिति का गठन किया था तथा इन मार्गनिर्देशों का अनुपालन किए जाने के लिए उन्हें कोयला कम्पनियों में परिचालित किया गया है। सी० आई० एल० ने, कोयला मंत्रालय के साथ परामर्श करके एक केन्द्रीय दल का भी गठन किया है ताकि सभी चालू परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

काफी स्वीकृत परियोजनाओं को अब पूरा कर लिया गया है। दिनांक 1.10.1992 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि० तथा सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में 201 परियोजनाएं चल रही हैं और पूरी हो जाने पर इन परियोजनाओं से 168.40 मिलियन टन कोयले का वार्षिक उत्पादन प्राप्त होगा।

कोयला क्षेत्रों में कम लागत के मकानों का निर्माण

[हिन्दी]

825. **श्री एम० जे० राठवा** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र का कोयला क्षेत्रों में निवास कर रहे आर्थिक वृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए कम लागत के मकानों के निर्माण हेतु भारत कोकिंग कोल लि० के साथ मिलकर कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितने मकानों का निर्माण किया जाएगा तथा इससे पिछड़े वर्ग के कुल कितने लोगों को लाभ प्राप्त होगा;

(घ) इनके कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ङ) इन मकानों के आवंटन हेतु क्या शर्तें निर्धारित की गई है ?

कोयला मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (ङ) केन्द्रीय खान अनुसंधान गृह तथा भारत कोकिंग कोल लि० निम्न लागत गृहों का निर्माण किए जाने की एक योजना बनाने के सम्बन्ध में परस्पर विचार-विमर्श कर रही है। यह मामला अभी भी पर्यवेक्षण के चरण में है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास

826. **श्री सूर्य नारायण यादव :**

क्या जल-भूतल परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तरी बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने, उनका विकास करने तथा उनके क्षेत्र में वृद्धि करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्य हेतु चालू वर्ष में कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी हाँ। राष्ट्रीय राजमार्गों विकास एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय राजमार्गों की मौजूदा स्थिति, यातायात-सघनता, अखिल भारतीय आधार पर पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इनमें सुधार कार्य किए जाते हैं।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 28, 28 ए और रा० रा०-31 का भाग (कुल लम्बाई 567 कि० मी०) उत्तरी बिहार से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के इन खंडों पर सड़क/पुल परियोजनाओं के विकास के लिए, वर्ष 1992-93 के दौरान, 444.79 लाख रु० का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश में पौड़ी और चमोली जिले में बैंक शाखायें

827. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :**

क्या वित्त मंत्री 26 जुलाई, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 753 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पौड़ी और चमोली जिलों के उन सभी स्थानों पर बैंक शाखायें खोल दी गई है जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने लाइसेंस जारी किए थे;

(ख) यदि हाँ, तो उन बैंकों और स्थानों का ब्यौरा क्या है जहाँ पर ये शाखाएं खोली गई हैं;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है;

(घ) बैंकों की शाखायें खोलने हेतु स्वीकृत किए गए उपरोक्त लाइसेंसों की मान्य अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया गया है; और

(ङ) इन जिलों के उन नये स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ से सरकार को सार्वजनिक प्रतिनिधियों से बैंक शाखायें खोलने हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं और इस बारे में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए लम्बित पड़े लाइसेंसों में से पंजाब नेशनल बैंक ने देवीओखाल, चैलूसैण और गेंडाखाल नामक ग्रामीण केन्द्रों में शाखायें खोली हैं। बाकी लाइसेंसों का उपयोग अभी किया जाना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के आरम्भ में बैंकों को याद दिलाया था कि वे आबंटित केन्द्रों में यथाशीघ्र शाखायें खोल दें। बैंकों ने कहा है कि आबंटित केन्द्रों में सभी मौसमों के लिए पक्की सड़कें, उपयुक्त परिसर, संचार आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण शाखायें खोलने में देरी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी अनुरोध किया है कि आवश्यक आधारभूत सुविधायें प्रदान करने में वे अपना सहयोग दें ताकि इन केन्द्रों में बैंक अपनी शाखायें खोल सकें। बकाया लाइसेंसों की वैधता अवधि को 31.3.1993 तक बढ़ा दिया गया है।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चमोली और पौड़ी गढ़वाल जिलों के निम्नलिखित केन्द्रों में शाखाएं खोलने के बारे में उन्हें जनता से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं :

जिले का नाम	केन्द्र का नाम
चमोली	मैथान वासुकेदार, लमगौड़ी, कालीमठ, सतेराखाल, खाल, नानी पौंडर, गोपेश्वर, कुनिगर, कर्णप्रयाग, सिदौली, देवलकोट, नैनीसेन, केदारखाल और जख
पौड़ी गढ़वाल	कटीरी सेन, खलयुनउण्डा, जामालखल, बेहड़ाखल, देनडल, व्यासघाट और सतपाली

ग्रामीण केन्द्रों के लिए नवीन लाइसेंसिंग नीति के तहत, प्रत्येक बैंक को अपने सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रों का पता लगाना होता है और उक्त केन्द्रों से संबंधित आवश्यक ब्यौरा जिले के लीड बैंक को भेजना होता है। लीड बैंक ऐसी सूची का समेकन कर उसे जिला कलेक्टर के पास भेजता है जो अपनी सिफारिशों सहित उसे संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजता है।

बाल श्रम विरोधी संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही सैल

[अनुवाद]

828. **डा० सुधीर राय** :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि अमरीका ने बाल श्रम के विरुद्ध लोगों को प्रोत्साहित करने के विचार से एक सैल स्थापित किया है जिसका नाम बाल श्रम विरोधी कार्यवाही कक्ष है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार का क्या योगदान होगा ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार संयुक्त राष्ट्र पद्धति की संस्थागत व्यवस्था जहाँ अन्य बातों के साथ-साथ बाल श्रम विषयों पर विचार किया जाता है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्बन्धी बाल श्रम निवारण (आई०पी०ई०सी०) कार्यक्रम तथा 20 नवम्बर, 1989 को यू० एन० जी० ए० द्वारा अपनाए गए बालकों के अधिकार सम्बन्धी अभिसमय के अन्तर्गत बालकों के अधिकार सम्बन्धी समिति शामिल है। भारत सरकार बाल श्रम उन्मूलन सम्बन्धी कार्यक्रम में सक्रियता से भाग ले रही है।

अनिवासी भारतीय रुपया खाता

829. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित रुपये की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में, बैंक लेन-देन में तथा खुले बाजार में पृथक-पृथक रूप से जनवरी, 1992 से प्रति माह क्या कीमत रही है;

(ख) अनिवासी भारतीयों द्वारा जनवरी, 1992 से प्रति माह कुल कितना रुपया भारत में भेजा गया है;

(ग) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों से विदेश स्थित भारतीय बैंकों के माध्यम से रुपयों में अनिवासी भारतीय रुपया खाता खोलने तथा संचालन में लगने वाले समय और प्रयत्न के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हाँ, तो इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो किसी अनिवासी भारतीय को विदेश स्थित किसी बैंक के माध्यम से भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलने के लिए वास्तव में क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चूंकि रुपया, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मुद्रा नहीं है, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा नियत रुपये का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोई मूल्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक इसे भारत में प्राधिकृत व्यापारियों से खरीद और बिक्री हेतु व्यापारिक कारोबार के लिए खरीदने और बेचने के लिए हस्तक्षेप मुद्रा की दर नियत करता है। 1 मार्च, 1992 तक, हस्तक्षेप मुद्रा, पौंड स्टर्लिंग में थी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित दरें निम्नानुसार हैं :

	मध्य दर	खरीद दर	बिक्री दर
	1 पौंड	(प्रति 100/- रुपये)	
1 जनवरी, 1992	48,3014 रु०	पौंड 2.0755	पौंड 2.0651
3 फरवरी, 1992	46.4337 रु०	पौंड 2.1590	पौंड 2.1482

1 मार्च, 1992 से भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप मुद्रा को बदलकर अमरीकी डालर कर दिया है। पहली दर 3 मार्च, 1992 को निम्नानुसार घोषित की गई थी :

मध्य दर	:	1 डालर	=	25.89 रुपये
खरीद दर	:	100 रुपये	=	3.8720 अमरीकी डालर
बिक्री दर	:	100 रुपये	=	3.8528 अमरीकी डालर

वर्तमान दरें इस प्रकार हैं :

खरीद	:	100 रुपये	=	3,8720 डालर
बिक्री	:	100 रुपये	=	3,8530 डालर

ये दरें 5.3.1992 से अपरिवर्तित हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित दर व्यापारियों के भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्राधिकृत व्यापारियों के कारोबार के लिए वैध हैं और यह केवल स्वीकृत कारोबार के लिए ही उपलब्ध है व्यापारी कारोबार के लिए बाजार दर को फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन आफ इंडिया (एफ०ई०डी०ए०आई०) के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप निरन्तर आधार पर वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा उद्धृत किया जाता है। इंडीकेटिव मार्किट दरों को एफ०ई०डी०ए०आई० द्वारा दैनिक आधार पर घोषित किया जाता है। प्रत्येक माह के आरम्भ में घोषित ये दरें निम्नानुसार हैं :

	एफ०ई०डी०ए०आई० खरीद दर	अमरीकी डालर (प्रति 100/- रुपये) एफ०ई०डी०ए०आई० बिक्री दर
1 मार्च, 1992	3,4500	3,4000
2 अप्रैल, 1992	3,2200	3,2150
5 मई, 1992	3,2800	3,2770
1 जून, 1992	3,2940	3,2910
1 जुलाई, 1992	3,3000	3,2960
3 अगस्त, 1992	3,3280	3,3250
1 सितम्बर, 1992	3,3180	3,3150
1 अक्तूबर, 1992	3,3320	3,3300

(ख) अनिवासी (विदेशी) रुपया खाते (एन०आर०ई०आर०ए०) और विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते (एफ०सी०एन०आर०ए०) में प्रेषित राशि के आंकड़े निम्नानुसार हैं :

मिलने वाले ब्याज रहित निवल अंतंप्रवाह

(अमरीकी डालर मिलियन)

1992	एफ०सी०एन०आर०ए	एन०आर०ई०आर०ए०
जनवरी	30	(—) 18
फरवरी	(—) 63	1
मार्च	(—) 119	24
अप्रैल	(—) 188	52
मई	(—) 76	(—) 5
जून	(—) 45	57
जुलाई	(—) 4	23*
अगस्त	(—) 9	(—) 17*
सितम्बर	(—) 3	(—) 18*
अक्तूबर	14	(—) 23*

*अनन्तिम

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक को कभी-कभी एन०आर०ई०/एफ०सी०एन०आर० खातों से सम्बन्धित प्रक्रियात्मक मामलों पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित प्राधिकृत व्यापारियों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाग के साथ मामलों को तुरन्त उठाया जाता है और बेंकों से प्राप्त तथ्यों के आधार पर अनिवासी भारतीयों के संतुष्टि के लिए इनको हल किया जाता है।

(ङ) प्राधिकृत व्यापारी, इस उद्देश्य हेतु निर्धारित फार्म को भरने के बाद अनिवासी भारतीयों के नाम/नामों में इन खातों को आसानी से खोल सकते हैं और इस सम्बन्ध में धन को भारत को भावी अनिवासी भारतीय खाताधारी के निवास के देश से अथवा अन्य किसी बाहरी देश से एक स्वीकृत तरीके से हस्तांतरित किया जाता है, बशर्ते कि खाताधारी के पास का देश और वह देश जहाँ से धन प्राप्त होना है, दोनों ही बाहरी देशों के वर्ग में हों। अनिवासी भारतीय, भारत में इस प्रकार के खातों को खोलने के लिए विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कार्य करने वाले बेंकों अथवा विदेश में उनकी शाखाओं या पत्र-व्यवहारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियाँ

[हिन्दी]

830. श्री लाल बाबू राय :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितनी प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियाँ हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार इन समितियों द्वारा उत्पादित हैंडलूम उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों में स्टॉक जमा हो गया है;

(घ) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा प्राथमिक सहकारी समितियों के उत्पादन और स्टॉक के आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ङ) हथकरघा उत्पादों के विपणन में संवर्धन करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। इनमें प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों द्वारा उत्पादित हथकरघा उत्पाद भी शामिल है। इन योजनाओं में विपणन विकास सहायता योजना, राष्ट्रीय डिजाइन संग्रह के अंतर्गत उत्पादों के उत्पादन और उनकी प्रदर्शनी, महानगरों में राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियां आयोजित करना शामिल है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	बुनकर सहकारी समितियों की सं०
1.	आंध्र प्रदेश	598
2.	असम	1643
3.	बिहार	1385
4.	गुजरात	1298
5.	हरियाणा	440
6.	हिमाचल प्रदेश	148
7.	जम्मू व कश्मीर	223
8.	कर्नाटक	278
9.	केरल	602
10.	मध्य प्रदेश	504
11.	महाराष्ट्र	842
12.	मणिपुर	1056
13.	उड़ीसा	756
14.	पंजाब	1127

1	2	3
15.	राजस्थान	636
16.	तमिलनाडु	1505
17.	त्रिपुरा	69
18.	उत्तर प्रदेश	4323
19.	पश्चिमी बंगाल	1388
20.	मेघालय	28
21.	पांडिचेरी	14
22.	मिजोरम	41
23.	दिल्ली	449
24.	नागालैंड	74
	कुल :	19,427

बीड़ी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथाकल्याणकारी योजना

831. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी उद्योग के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके लिए कल्याणकारी योजनायें बनाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख)

सामाजिक सुरक्षा : इस समय करीब 12 लाख बीड़ी कर्मकारों के नाम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में दर्ज हैं औन करीब 21,725 बीड़ी कर्मकार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत शामिल किये गये हैं। नो बीड़ी कर्मकार भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं है उनके लिए एक समूह बीमा योजना 1-4-1992 से आरंभ की गयी है।

कल्याण : आवास, स्वास्थ्य शिक्षा, और मनोरंजन के क्षेत्र में बीड़ी कर्मकारों के लिये अनेक कल्याण योजनायें बोड़ी कर्मकार कल्याण निधि के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं।

पदों की समाप्ति

[अनुवाद]

832. **श्री वी० एस० विजयराघवन** :

श्री अनन्तराम देशमुख :

श्री प्रकाश वी० पाटिल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा समाप्ति हेतु पहचान किए गए पदों की श्रेणी-वार संख्या कितनी है ;

(ख) इन पदों को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या भारत के पुनर्गठन कार्यक्रम पर विश्व बैंक द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार अगले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या में 10 प्रतिशत की कटौती करने का सुझाव दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजन में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

शहतूत की खेती से कोया का उत्पादन

833. **श्री राजेश कुमार :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहतूत की प्रति हैक्टेयर खेती से कोया का औसत उत्पादन कितना होता है ;

(ख) चीन और जापान जैसे अन्य रेशम उत्पादक देशों की तुलना में इसका उत्पादन कितना कम अथवा अधिक है ; और

(ग) सरकार द्वारा शहतूत का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये जा रहे कदमों का ब्योरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) 1991-92 के आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति हैक्टेयर शहतूती क्षेत्र में कोसों की औसत पैदावर 327 कि०ग्रा० है।

(ख) भारत चीन और जापान में मलवरी रीलिंग कोसा उन्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

देश	वर्ष	मलबरी रीलिंग कोसा उत्पादन (टन में)
भारत	1991-92	1,07,139
चीन	1990	4,70,000
जापान	1991	20,821

(ग) प्रति हेक्टयर मलबरी पैदावार में कृषि करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. पत्तियों की उच्चतर पैदावार और पौष्टिक आहार लक्षणों वाली मलबरी की नई किस्मों का प्रचार करना।
2. उच्च पैदावार और रोग/सूखा निरोधक रेशम-कीट प्रजातियों की नई किस्में रिलीज करना।
3- मूलबीज फार्म का विकास और ग्रेनेज की स्थापना।
4. रेशम उत्पादन पद्धतियों के उचित पैकेज के प्रकार के लिए रेशम उत्पादक किसानों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमीनारों, सामूहिक वार्ताओं आदि का आयोजन करना।
5. किसानों को चाकी पोषित रोग-मुक्त चक्तों की सप्लाई करना।
6. विस्तार सहायता को सुदृढ़ बनाना।
7. रोग नियंत्रण उपायों का प्रचार करना।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात

834. **श्री अमल दत्त :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात से संबद्ध आर्थिक गतिविधियों के लिए उपलब्ध द्विपक्षीय विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन योजनाओं/परियोजनाओं/क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए यह सहायता उपलब्ध है और इसकी धनराशि कितनी है : और

(ग) इस सहायता का उपयोग करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने कृषि व्यापारीकरण और उद्यम परियोजना के अन्तर्गत प्राइवेट कृषि व्यापार के विकास के लिए 200 लाख अमरीकी डालर के अनुदान की वचनबद्धता की है। इस परियोजना के लिए 28 अगस्त, 1991 को करार पर हस्ताक्षर किए गए और आशा की जाती है कि यह 30 सितम्बर, 1998 तक पूरा हो जाएगा। इस परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त सहायता का उपयोग, अन्य बातों के साथ-साथ, कृषि व्यापार में लगे हुए महाराष्ट्र के उद्यमियों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ-साथ घरेलू बाजारों में अधिक कार्यकुशलता के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता पहुंचाने में किया जाएगा इस परियोजना का कार्यान्वयन भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा किया जा रहा है, जो इस परियोजना के अन्तर्गत कृषि व्यापार में लगे पात्र उद्यमियों को सहायता देती है। इसके अतिरिक्त, अरब आर्थिक विकास के लिए कुवैत निधि भी झींगा मछली पालन के लिए केरल मत्स्य विकास परियोजना के अन्तर्गत 70 लाख कुवैती दीनार की सहायता प्रदान करने पर सहमत हो गई है। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य झींगा मछली का निर्यात, मछुआरों को रोजगार मुहैया कराना और केरल के तटीय क्षेत्रों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारना है। उक्त दो दाता अभिकरणों द्वारा दी गई द्विपक्षीय सहायता की वचनबद्धता का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार इन परियोजनाओं की निकटता से मानीटरिंग कर रही है।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति

[हिन्दी]

835. श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी :

श्री सत्यदेव सिंह :

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :

डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

श्री रामचन्द्र घंगारे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या राज्यवार तथा संघ राज्यवार क्षेत्र प्रति वर्ष क्या है;

(ख) रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में श्रेणीवार आवेदकों की संख्या क्या है;

(ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने के लिए क्या सरकार ने कोई व्यापक योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर किए गए पिछले सर्वेक्षण (जुलाई, 1987 जून, 1988) के आधार पर शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की राज्यवार अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दिसम्बर, 1990 की स्थिति के अनुसार शैक्षणिक श्रेणिक श्रेणी-वार आवेदकों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, निम्न प्रकार थी :

	शैक्षणिक श्रेणी	संख्या (हजारों में)
(I)	मैट्रिकुलेट	12327.7
(II)	इण्टरमीडिएट/अण्डर-ग्रेजुएट	5156.4
(III)	स्नातक तथा उससे ऊपर	3622.8
(IV)	कुल शिक्षित व्यक्ति (मैट्रिक तथा उससे ऊपर)	21106.9

(ग) और (घ) 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया है। योजना में आर्थिक वृद्धि की उच्च दर सहित सैक्टरों, उप-सैक्टरों तथा क्षेत्रों की तीव्रतर वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया गया है जिनमें रोजगार सृजन की गति को बढ़ाने के लिए सापेक्षिक रूप से उच्च रोजगार सम्भाव्यता है। भौगोलिक तथा फसलवार विविधीकृत कृषीय वृद्धि, बंजर भूमि तथा वनों

का विकास, ग्रामीण गैर-फार्म सैक्टर तथा ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण की तीव्रतर वृद्धि तथा आवास का विस्तार इस योजना में परिकल्पित रोजगारोन्मुख वृद्धि नीति के मूलभूत तत्व हैं। इन प्रयासों से शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्तियों के लिए रोजगार अवसर सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त, स्व:रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा नेहरू रोजगार योजना का लक्ष्य निर्वाह योग्य रोजगार प्रदान करना है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या (हजारों में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	353
2.	असम	134
3.	बिहार	313
4.	गुजरात	112
5.	हरियाणा	147
6.	हिमाचल प्रदेश	38
7.	जम्मू और कश्मीर	40
8.	कर्नाटक	229
9.	केरल	727
10.	मध्य प्रदेश	156
11.	महाराष्ट्र	365
12.	मणिपुर	9
13.	मेघालय	1
14.	नागालैंड	2
15.	उड़ीसा	194
16.	पंजाब	159
17.	राजस्थान	94
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	488
20.	त्रिपुरा	23

1	2	3
21.	उत्तर प्रदेश	387
22	पश्चिम बंगाल	476
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2
24.	अरुणाचल प्रदेश	नगण्य
25.	चंडीगढ़	9
26.	दादर और नगर हवेली	नगण्य
27.	दिल्ली	53
28.	गोवा, दमन और दीव	16
29.	लक्षद्वीप	1
30.	मिजोरम	नगण्य
31.	पांडिचेरी	8
	अखिल भारत	4537

बाल श्रमिकों के संबंध में संगोष्ठी

[अनुवाद]

836. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**

डा० के० डी० जेस्वाणी :

श्रीमती सरोज दुबे :

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

डा० सुधीर राय :

श्री रूपचन्द्र मुरमु :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 मई, 1992 को यमुना नगर में भारत में बाल श्रमिक विषय पर एक दो दिवसीय संगोष्ठी हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उस संगोष्ठी में चर्चित मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश भर में 14 वर्ष के कम आयु के कार्यरत बच्चों के बारे में राज्यवार कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसे बच्चों को शोषण मुक्त करने के लिए कोई कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से बाल श्रम अधिनियम, 1986 को ज्यादा कड़ाई से लागू करने का अनुरोध किया हैं; और

(च) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) हरियाणा सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार गुरू नानक खालसा कालेज, यमुना नगर में बाल श्रमिकों पर एक सेमीनार आयोजित किया गया था जिसमें बाल श्रमिकों को मजदूरी की कम दर के भुगतान, बाल श्रम के निषेध और बाल श्रम को कम किए जाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों से सम्बन्धित मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया था।

(ग) और (घ) भारत की जनगणना (1981 की जनगणना) अनुमान के अनुसार भारत में 13.6 मिलियन बाल श्रमिक थे। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम नीति के अन्तर्गत बाल श्रमिकों को शोषण से मुक्त कराने के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों से बाल श्रम (उत्सादन और विनियमन) अधिनियम, 1986 सहित विभिन्न अधिनियमों में बाल श्रम से संबंधित उपबंधों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए समय-समय पर कहा जाता रहा है। राज्य सरकारों से तिमाही विवरण भेजने की अपेक्षा की गयी है जिसमें किए गए निरीक्षणों की संख्या, पता लगाए गए उल्लंघन, टायर किए गए अभियोजन और दोष सिद्ध के मामलों से संबंधित सूचना दी गई हो।

विवरण

1981 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों का विवरण (0-14 आयु वर्ग)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	0-14 आयु वर्ग के कर्मकार 1981 की जनगणना
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,951,312
2.	असम	*
3.	बिहार	1,101,764
4.	गुजरात	616,913
5.	हरियाणा	194,189

1	2	3
6.	हिमाचल प्रदेश	99,624
7.	जम्मू और कश्मीर	258,437
8.	कर्नाटक	1,131,530
9.	केरल	92,854
10.	मध्य प्रदेश	1,698,597
11.	महाराष्ट्र	1,557,756
12.	मणिपुर	20,217
13.	मेघालय	44,916
14.	नागालैण्ड	16,235
15.	उड़ीसा	702,293
16.	पंजाब	216,939
17.	राजस्थान	819,605
18	सिक्किम	3,561
19.	तमिलनाडु	975,055
20.	त्रिपुरा	24,204
21.	उत्तर प्रदेश	1,434,675
22.	पश्चिम बंगाल	605,263
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	1,309
24.	अरुणाचल प्रदेश	17,950
25.	चण्डीगढ़	1,986
26.	दादर और नगर हवेली	3,615
27.	दिल्ली	25,717
28.	गोवा, दमन और दीव	9,378
29.	लक्षद्वीप	56
30.	मिजोरम	6,314
31.	पाण्डिचेरी	3,606
	कुल	13,640,872

*उस समय असम की अशांत परिस्थितियों के कारण 1981 की जनगणना नहीं हो सकी थी।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहकारी ऋण समितियों का पुनर्वित्त पोषण

837. **श्री विजय नवल पाटिल :**

क्या वित्त मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनेक सहकारी ऋण समितियां राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से कृषि कार्यों का पुनर्वित्तपोषण करने में असमर्थ हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए सहकारी ऋण समितियों के वित्तीय आधार को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से पुनर्वित्त के आहरण के लिए पात्रता संबंधी मानदण्डों को इसके द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंकों (सी०सी०बी०) के स्तर पर निर्धारित किया जाता है प्राथमिक स्तर पर नाबार्ड प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों से उन्हें मंजूर सीमाओं के सम्बन्ध में मौसमी कृषि प्रचालनों के लिए ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कोई पात्रता मानदण्ड निर्धारित नहीं करता है। प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियां केन्द्रीय सहकारी बैंकों से नये और चूक न करने वाले सदस्यों का वित्त पोषण करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकती है। नाबार्ड ने केन्द्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों से विभिन्न मंचों में अपने वसूली संबंधी कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए कहा है ताकि कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने में बाधा उत्पन्न न पड़े।

दंगा पीड़ितों को राहत

[हिन्दी]

838. **श्री छेदी पासवान :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 के दंगा पीड़ितों को वित्तीय राहत, प्रदान करने के मामले में जांच करने के लिए गठित की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने नवम्बर, 1984 में हुए दंगों से प्रभावित ऋणकर्ताओं को प्रदान किए गए बैंक ऋणों पर रियायतों की समीक्षा करने के लिए मई, 1992 में अधिकारियों की एक समिति का गठन किया था। उक्त समिति ने सरकार

को अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1992 में प्रस्तुत कर दी थी। इस रिपोर्ट में की गयी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :

(I) उन ऋणों के मामले में जिनमें ऋण की मूल रकम, ऋण देने के समय 5,000/- रु० तक थी, इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय की तारीख तक के ब्याज समेत उसे बट्टे-खाते डालने के प्रश्न पर विचार किया जाए। किसी ऋणकर्ता द्वारा किसी एक बैंक से लिए गए ऋणों की कुल 5000/- रुपये की रकम पर ही उक्त राहत दी जाएगी। जो खाते पहले ही 31 मार्च, 1992 को या उससे पहले बंद हो गए हैं वे ऐसी राहत के पात्र नहीं होंगे।

(II) दिनांक 1 जनवरी, 1990 से 31 मार्च, 1992 की अवधि के लिए ब्याज दर को घटाकर 4 प्रतिशत वार्षिक (साधारण) करके केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी योजना के अन्तर्गत अन्तिम तारीख (कट-आफ डेट) 31 मार्च, 1992 तक बढ़ायी जा सकती है।

(III) दंगा प्रभावित उधारकर्त्ताओं के मामले में बैंकों द्वारा ऐसे दंगा प्रभावित उधारकर्त्ताओं को पहले के दिए ऋणों पर 31-3-92 तक ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए। जो खाते 31 मार्च, 1992 को या उससे पहले बन्द किये जा चुके हैं, वे इस राहत के लिए पात्र नहीं होंगे।

(IV) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को परामर्श दिया जाये कि वे अपर्याप्त वित्त-पोषण के शिकार वर्तमान चालू एककों या वे एकक जिन्हें पोषण द्वारा अर्थक्षम बनाया जा सकता हैं ऐसे मामलों की समीक्षा करें और उन्हें वर्तमान ब्याज दरों पर आवश्यकता के आधार पर कार्यशील पूंजी/सावधि ऋण प्रदान करें।

(V) दंगों से प्रभावित ऋणकर्त्ताओं को मंजूर की गयी नयी ऋण-सुविधायें सामान्य ब्याज दर तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित किये जाने वाले सामान्य मानदण्डों के अनुरूप होनी चाहिए।

समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर, सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

सोयाबीन निर्यातक

839. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोयाबीन निर्यातकों को कांडला पत्तन पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) कांडला पत्तन में भीड़-भाड़ रहती है जिससे जहाजों को बर्थ-पूर्व रुकना पड़ता है और इसमें सोयाबीन का निर्यात करने वाले जहाज भी शामिल हैं।

(ग) सातवें कार्गो बर्थ के शुरू होने पर स्थिति में सुधार होगा।

राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की परियोजनाओं को विश्व बैंक से ऋण

[अनुवाद]

840. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की परियोजनाओं के लिए कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की कुछ परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए क्या प्रयास किए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विश्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक I परियोजना के लिए 3,750 लाख अमेरिकी डालर का एक ऋण पैकेज स्वीकृत किया था जिसे पूरे ऋण के इस्तेमाल के साथ 30-6-91 को बन्द कर दिया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की एक अन्य परियोजना के लिए विश्व बैंक से सम्पर्क किया है जो विचाराधीन है।

संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना

841. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित पेंशन योजना को अब तक क्रियान्वित नहीं किया गया है; तथा

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां।

(ख) पेंशन योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

पाकिस्तान से कुछ समूहों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करना

842. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान से कुछ समूहों द्वारा जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करने के लिये समय-समय पर किए गए प्रयासों की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह महीनों के दौरान ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं ;

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) सीमा पार करने की घटनाओं को रोकने के लिये भावी योजना क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी थी कि पाकिस्तान से कुछ व्यक्तियों ने ग्रुपों में 24 अक्तूबर, 1992 को जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पार करने की योजना बनाई थी।

(ग) और (घ) सरकार ने पाकिस्तान सरकार से वास्तविक नियंत्रण रेखा/सीमा उल्लंघन के मामलों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने और शिमला समझौते का आदर करने का अनुरोध किया है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा और हमारी सीमाओं का उल्लंघन न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार अपेक्षित उपायों की निरंतर पुनरीक्षा करती रहती है।

औद्योगिक वित्त निगम

843. **डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को सांविधिक निकाय से निगमित निकाय में बदलने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे कब तक बदले जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह : (क) और (ग) सरकार का कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत एक नवीन सरकारी कम्पनी निगमित करने का प्रस्ताव है, जिसमें भारतीय औद्योगिक वित्त निगम सम्पूर्ण उपक्रम, व्यवसाय तथा कार्यों को साथ ही साथ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की सभी परिसम्पत्तियां एवं देयताएं और स्टाफ सरकार द्वारा अधिसूचित एक नियत दिन से स्थानान्तरित कर दिए जाएंगे। नियत दिन के सम्बन्ध में सरकार को अभी अंतिम निर्णय लेना है।

(ख) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को एक कम्पनी में परिवर्तित किए जाने से, यह फिरसे अपने व्यवसाय सम्बन्धी नीतियां तैयार कर सकेगी और अधिक स्वायत्तता प्राप्त कर सकेगी, संसाधनों को जुटाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश कर सकेगी तथा स्थूल रूप से प्रथम प्रकार की वित्तीय संस्थाओं के साथ एक रूपता प्राप्त कर सकेगी।

तेल टैंकर

844. प्रो० के० वी० थामस :

श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन निगम और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के बीच बीच टैंकरों के निर्माण करने हेतु समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण में अभी तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या इन उपक्रमों के बीच तेल टैंकरों के मूल्य निर्धारण करने के संबंध में कोई विवाद है; और

(घ) यदि हां, तो इस विवाद को निपटाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय नौवहन निगम और कोचीन शिपयार्ड लि० ने प्रत्येक 85,200 डी० डब्ल्यू० टी० के 3 क्रूड आयल टैंकरों के निर्माण के लिए 30 मार्च, 1986 को तीन ठेकों पर हस्ताक्षर किए। इस श्रृंखला का पहला जहाज, अर्थात् हल सं० 007 दि० 6.10.1990 को डिलिवर किया गया और दूसरा जहाज, हल सं० 008 दि० 29 अक्तूबर, 1992 को डिलिवर किया गया था। तीसरा जहाज, अर्थात् हल सं० 009 निर्माणाधीन है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा

845. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और इसकी राष्ट्रीय मांग में कितना अन्तर है;

(ख) क्या सरकार ने सीधे विदेशी निवेश की अनुमति देकर विदेशी मुद्रा के शुद्ध आवक मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विदेशी मुद्रा की उपलब्धता में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) विदेशी मुद्रा की उपलब्धता और राष्ट्रीय अपेक्षाओं में घाटा या अधिशेष देश के भुगतान संतुलन खातों के चालू खाता शेष में दर्शाया गया है। चालू वर्ष के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि चालू लेखा

घाटा 6 से 7 अरब डालर के बीच होगा। पूंजी खाते के अन्तर्गत सामान्य प्रवाहों का हिसाब लगाने के बाद, 3 अरब डालर का वित्तीय अन्तर होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) चालू वर्ष के दौरान सीधे विदेशी निवेश के माध्यम से लगभग 400 से 500 मिलियन डालर का विदेशी मुद्रा का निबल अन्तर्प्रवाह होने का अनुमान हैं।

(घ) विदेशी मुद्रा की उपलब्धता में सुधार करने के लिए पहले से ही शुरू किए गए और शुरू किए जा रहे अन्य उपाओं में, निर्यात संवर्धन उपाय; उदारीकृत मुद्रा दर प्रबन्ध की नई पद्धति का कारगर कार्यान्वयन और विदेशी सहायता का बेहतर उपयोग करना शामिल है।

बीड़ी मजदूरों के लिए मकान

[हिन्दी]

846. **कुमारी विमला वर्मा :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूरों के लिए केन्द्र सरकार की सहायता से मकान बनाने का निर्णय लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय किस तारीख को लिया गया था और इस संबंध में अब तक कितना कार्य किया गया है; और

(ग) इन मकानों का निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) आर्थिक रूप से कमजोर बीड़ी कर्मकारों के लिये आवास योजना के अन्तर्गत 1979-80 से 1991-92 तक मध्य प्रदेश में 3400 मकान स्वीकृत किये गए हैं। इन मकानों में से 1241 मकान तैयार हो चुके हैं और 100 मकान निर्माणाधीन हैं। शेष मकानों का निर्माण कार्य राज्य सरकार द्वारा अभी शुरू नहीं किया गया है।

वाहनों का जब्त किया जाना

[अनुवाद]

847. **प्रो० प्रेम धूमल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या आयकर और सीमा शुल्क विभागों ने बड़ी संख्या में वाहन जब्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1992 तक ऐसे वाहनों की कुल संख्या कितनी थी;

(ग) क्या इन वाहनों की नीलामी करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि 30 जून, 92 की स्थिति के अनुसार सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग की अभिरक्षा में 287 जब्तशुदा वाहन थे। तथापि, आयकर विभाग को वाहन जब्त करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।

(ग) से (ङ) सभी विभागीय/अदालती कार्यवाहियों को पूरा करने के पश्चात् ही जब्तशुदा वाहनों का निपटान सार्वजनिक नीलामी के द्वारा अथवा अन्यथा किया जा सकता है।

बढ़िया किस्म के कोयले पर से नियंत्रण समाप्त करना

[हिन्दी]

848. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री सत्य देव सिंह :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बढ़िया किस्म के कोयले मुख्यतः रानीगंज कोयला खानों उत्पादित कोयले पर से नियंत्रण समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) कोयला मंत्रालय, सरकार को उच्च ग्रेड के कोयले की कीमतों पर से नियंत्रण हटाये जाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ख) सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के बावजूद यह देखने में आया है कि उच्च ग्रेड वाले कोयले की उपलब्धता पर प्रतिबंध होने के कारण कोयला खुले बाजार में उसकी नियंत्रित मूल्य से बहुत अधिक मूल्य पर बिक रहा है। यह सुझाव दिया गया है कि यदि उच्च ग्रेड वाले कोयले की कीमतों पर से नियंत्रण हटा लिया जाए तो बाजार मूल्य तथा नियंत्रित मूल्य के बीच के अंतराल का लाभ कोयले का उत्पादन करने वाली कंपनियों को मिल सकता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाएगा।

(ग) कोयले के मूल्य पर नियंत्रण हटाए जाने के निर्णय को अधिसूचित किया जाता है। इस स्थिति में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

ऋण वसूली न्यायाधिकरण

[अनुवाद]

849. **श्री हरि किशोर सिंह :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बैंकों के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि एक निर्धारित सीमा से ऊपर की अतिदेय ऋणों की शीघ्र वसूली के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के गठन हेतु एक कानून बनाया जाए।

डी० टी० सी० द्वारा पुरानी बसें चलाना

[हिन्दी]

850. **श्री फूल चन्द वर्मा** :

श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० टी० सी० की अधिकांश बसें पुरानी हैं और चलाने के अनुपयुक्त होने के बावजूद भी इन बसों को सड़कों पर चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है कि चलने योग्य बसों को ही चलाया जाए ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम की जो बसें सड़क पर भेजी जाती हैं वे सभी बसें सड़क पर चलाए जाने योग्य होती हैं और उनके पास राज्य परिवहन प्राधिकरण, दिल्ली का फिटनेस प्रमाणपत्र होता है।

31.10.92 की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम की 41.57% बसें अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं। वित्तीय कठिनाइयों के कारण दिल्ली परिवहन निगम इन बसों को बदलने में असमर्थ है।

बैंकों में रिक्त पद

851. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** :

श्री नीतीश कुमार :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

श्री राम नाइक :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उन बैंकों का ब्यौरा क्या है जिनमें चेयरमैन, प्रबंध निदेशकों, कार्यकारी निदेशकों तथा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों के पद अब तक रिक्त पड़े हैं;

(ख) किस तिथि से ये पद खाली पड़े हैं ;

(ग) इसके कारण क्या हैं;

(घ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार हैं;

(ङ) क्या गत एक वर्ष में बैंकों में उच्च पदों पर नियुक्ति सम्बन्धी नीति के उल्लंघन की घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) भारतीय स्टेट बैंक में अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशकों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों और कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। इन पदों पर रिक्त स्थानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

बैंक का नाम	पद	जिस तारीख से रिक्त है
भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष	1.8.92
सिंडिकेट बैंक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	5.11.92
इलाहाबाद बैंक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	25.6.92
आंध्रा बैंक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	1.7.92
यूको बैंक	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	8.7.92
बैंक आफ बड़ौदा	कार्यपालक निदेशक	24.11.91
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	कार्यपालक निदेशक	5.2.92
युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	कार्यपालक निदेशक	16.4.92
न्यू बैंक आफ इंडिया	कार्यपालक निदेशक	25.4.92
विजया बैंक	कार्यपालक निदेशक	22.6.92
इंडियन बैंक	कार्यपालक निदेशक	1.7.92

2. सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों और भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति भी करती है। भारतीय स्टेट बैंक के 7 अनुषंगी बैंकों में सरकार गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति नहीं करती है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों के 85 रिक्त स्थान हैं। इनमें से अधिकांश रिक्त स्थान जनवरी, 1985 से हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में इस समय गैर-सरकारी निदेशकों के 4 रिक्त स्थान हैं।

3. सरकार सरकारी क्षेत्र के सभी 28 बैंकों के बोर्डों में कर्मकार और गैर-कर्मकार निदेशकों की नियुक्ति भी करती है। दो बैंकों अर्थात् स्टेट बैंक आफ इन्दौर और न्यू बैंक आफ इंडिया में कर्मकार

कर्मचारी निदेशकों के रिक्त स्थान हैं और ये रिक्त स्थान क्रमशः 18.7.1991 और 1.9.1987 से रिक्त हैं। पाँच बैंकों में गैर-कर्मकार निदेशकों के रिक्त स्थान हैं। इन रिक्त स्थानों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

बैंक का नाम	जिस तारीख से रिक्त है
इलाहाबाद बैंक	1.7.87
बैंक आफ महाराष्ट्र	1.7.87
सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	8.4.84
यूनियन बैंक आफ इंडिया	8.4.84
पंजाब एंड सिंध बैंक	राष्ट्रीयकरण के समय से नियुक्ति नहीं की गई है।

4. सरकार ने पूर्ण कालिक निदेशकों, गैर-सरकारी निदेशकों और कर्मचारी निदेशकों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए पहले ही आवश्यक कदम उठाये हैं।

5. इन नियुक्तियों के मामले में राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 और 1980, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। पिछले एक वर्ष के दौरान इन नियुक्तियों में सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन का कोई मामला सामने नहीं आया है।

भारत पटसन निगम द्वारा कच्चे जूट की खरीद

[अनुवाद]

852. **श्री अजय मुखोपाध्याय** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम ने वर्ष 1991-92 के दौरान कच्चे जूट की कितनी गांठें खरीदी और देश में चालू वर्ष के दौरान अब तक राज्यवार कितनी खरीद की गई है;

(ख) देश में भारतीय पटसन निगम के कितने खरीद केन्द्र हैं और चालू वर्ष के दौरान इनमें से कार्यरत केन्द्रों की जिलेवार संख्या कितनी है, तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में भारतीय पटसन विभाग के सहज और सही प्रचालन में अगर, कोई बाधाएं हैं और उनका क्या ब्यौरा है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1991-92 पटसन मौसम और पटसन मौसम 1992-93 के दौरान 15.11.92 तक भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदे गए पटसन की राज्य-वार मात्रा निम्मानुसार है :

(180 कि०ग्रा० की प्रत्येक गांठ)

राज्य	1992-93 (15.11.92 तक)	वर्ष 1991-92 के दौरान कुल खरीदारी
पश्चिम बंगाल	4,85,000	3,52,701
बिहार	43,333	1,59,992
असम	1,34,722	61,032
मेघालय	9,167	4,818
उड़ीसा	1,944	13,933
त्रिपुरा	1,444	15,883
उत्तर प्रदेश	—	993
आंध्र प्रदेश	1,944	6,350
अखिल भारतीय योग :	6,77,554	6,15,676

(ख) वर्ष 1992-93 मौसम के दौरान जे० सी० आई० के अन्तर्गत कार्यरत विभागीय क्रय केन्द्र (डी० पी० सी०) और उप केन्द्रों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :

राज्य	जे० सी० आई० के क्रय केन्द्र	
	वि० क्रय केन्द्र	उप केन्द्र
पश्चिम बंगाल	75	40
बिहार	16	12
उत्तर प्रदेश	1	1
असम	24	5
मेघालय	1	—
उड़ीसा	5	5
त्रिपुरा	4	4
आन्ध्र प्रदेश	8	8
कुल :	135	73

(ग) जे० सी० आई० से अपेक्षा की जाती है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले कच्चे पटसन की सम्पूर्ण मात्रा की खरीदारी करें और तदनुसार उसने अपने एजेन्टों के सहयोग से पटसन मौसम 1992-93 के दौरान 15.11.92 तक पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन की 4,85,000 गांठों की खरीदारी की है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा अंशदान

853. **डा० वसंत पवार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि और ग्रामीण विकास में लगी संस्थाओं की शेयर पूंजी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अंशदान करता है ;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है, जिनकी शेयर पूंजी में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का अंशदान है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के लिए यह आवश्यक नहीं हैं कि वह कृषि और ग्रामीण विकास में लगी संस्थाओं की शेयर पूंजी में अंशदान दे। तथापि, राज्य भागीदारी की नीति के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए और सहकारी ऋणदात्री संस्थानों के पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए नाबार्ड राष्ट्रीय ग्रामीण ऋण (दीर्घावधिक परिचालन) निधि में से राज्य सरकारों को ऋण मंजूर करता है जिसका निर्धारित अवधि की समाप्ति पर जो 20 वर्ष से अधिक नहीं होगी को पुनर्भुगतान किया जाएगा ताकि राज्य सरकारें राज्य के सहकारी ऋणदात्री समितियों की शेयर पूंजी में अंशदान कर सकें।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

शराब व्यापारियों द्वारा कर चोरी

854. **श्री हरीश नारायण प्रभु झाट्ये :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एल्कोहल युक्त कितनी शराबों का आयात/निर्यात किया गया और इनका मूल्य कितना था;

(ख) इन वर्षों के दौरान एल्कोहलयुक्त शराबों से कितना सीमा शुल्क प्राप्त हुआ;

(ग) क्या हाल ही में शराब व्यापारियों द्वारा आयकर और सीमा शुल्क की चोरी के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पिछले तीन वर्षों के लिए आंकड़े निम्नानुसार हैं :

वर्ष	निर्यात		आयात	
	मात्रा (हजार लीटर में)	मूल्य (लाख रुपयों में)	मात्रा (हजार लीटर में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1989-90	269	467	3145	1194
1990-91	7405	1180	953	976
1991-92	5610	1756	486	61

(ख) एल्कोहल युक्त शराबों पर सीमा शुल्क की वसूली के संबंध में सूचना अलग से नहीं रखी जाती है। तथापि, शराबों, स्पिरिटों तथा सिरके पर सीमा शुल्क वसूली के बारे में सूचना निम्नानुसार है :

वर्ष	सीमा शुल्क की वसूल की गई राशि (करोड़ रुपयों में)
1989-90	12.22
1990-91	16.52
1991-92	18.43

(ग) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत गुजरात को धनराशि की मंजूरी

855. **श्री शंकर सिंह वाघेला** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनमें से कितने अनुरोध स्वीकार किए गए हैं और कितनी धन-राशि मंजूर की गई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अनुसार वस्त्र आधुनिकीकरण निधि योजना (टी० एम० एफ० एस०) के अन्तर्गत गुजरात में 31-8-92 तक 56 मामलों के लिए 229.00 करोड़ रु० स्वीकृत किए गए और इस योजना के अन्तर्गत अब तक 169.23 करोड़ रु० संवितरित किए गए हैं।

विदेशी ऋण का सीमा निर्धारण

[हिन्दी]

856. श्री नीतीश कुमार :

प्रो० रासा सिंह रावत :

श्री सुखदेव पासवान :

श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त 1992 तक विदेशी ऋणों की राशि कितनी थी ;

(ख) क्या सरकार का विदेशी ऋण की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सितम्बर, 1992 के अन्त में विदेशी बकाया ऋणों के 571250 लाख अमरीकी डालर होने का अनुमान है जो उस तारीख को विद्यमान विनियम दर पर 171310 करोड़ रु० के बराबर हैं।

(ख) से (घ) सरकार देश की विदेशी ऋण संबंधी देनदारी के प्रति जागरूक है और देश की ऋण-ग्रस्तता के स्तर पर और ऋण परिशोधन के सम्भावित बोझ पर लगातार निगरानी रखती है। विदेशी ऋणों के लिए संविदा करते समय यह सदैव ध्यान में रखा जाता है कि देश का ऋण बोझ और ऋण परिशोधन संबंधी देनदारी अर्थव्यवस्था की ऐसे ऋणों के परिशोधन की क्षमता से न बढ़ जाए। सरकार ने पहले ही आर्थिक सुधारों का एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य अल्पकालीन स्थिरीकर के साथ दीर्घकालीन पुनर्गठन करना है। ये सुधार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार करेंगेण और हमारी निर्यात अर्जन क्षमता सहित हमारी विकास प्रक्रिया को सुदृढ़ करेंगे ताकि ऋणों की वापसी अदायगी की हमारी क्षमता में वृद्धि हो सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऋण परिशोधन का यह बोझ ऐसे ऋणों का परिशोधन अर्थव्यवस्था की क्षमता से न बढ़े।

बिहार में रेशम धागा परियोजना

857. श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के अधीन एक रेशम धागा बैंक योजना संचालित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष बिहार में उक्त योजना के अधीन किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1992-93 से "राष्ट्रीय रेशम यार्न बैंक" नामक एक नई योजना आरम्भ की है। बिहार में इस योजना के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम कार्यान्वयन अभिकरण होगा।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

[अनुवाद]

858. **श्री अनिल बसु :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले का मूल्य कितनी बार बढ़ाया गया था ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान कोयले की चोरी के कारण, वर्ष-वार कोयले की कितनी मात्रा और कितने मूल्य की हानि हुई ?

कोयला मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की कीमतों में केवल एक बार वृद्धि की गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। पिछले 3 वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि० में किए गए उत्पादन तथा उत्पादकता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	उत्पादन (मि० टन में)	उत्पादकता*
1989-90	178.60	1.21
1990-91	189.60	1.31
1991-92	204.14	1.40

*उत्पादकता का मापन प्रति व्यक्ति प्रति पाली प्रति टन उत्पादित किए गए कोयले के रूप में किया गया है।

(घ) रेल द्वारा संचालित कोयले की व्यवस्था कोयला कम्पनियों द्वारा एक्स कोलियरी एफ० ओ० आर० के आधार पर की जाती है और कोलियरी में रिकार्ड किए गए वजन के अनुसार रेलवे की रसीद जारी की जाती है। इसलिए कोयला कंपनी कोयले की मार्ग के दौरान हुई चोरी पर रोक लगाए जाने की स्थिति में नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को कोयला कम मात्रा में पहुंचता है। उपर्युक्त परिस्थिति को देखते हुए कोयला कम्पनियां मार्ग के दौरान चोरी हुए कोयले की मात्रा के सम्बन्ध में ब्यौरा देने की स्थिति में भी नहीं होती है।

लघु उद्योग इकाइयों के लिए समिति

859. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :**

श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योग इकाइयों के लिए एक समिति नियुक्त की है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(घ) यदि हां, तो इसमें की गई मुख्य सिफारिशें/टिप्पणियां क्या हैं और सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति की रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत की जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। बहरहाल, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1991 में श्री पी० आर० नायक की अध्यक्षता में लघु औद्योगिक क्षेत्र की कार्यशील पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी व्यवस्था की पुनरीक्षा करने के रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के पुनर्वास के लिए मार्गनिर्देशों की पुनरीक्षा करने और किसी अन्य सम्बद्ध मामलों की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी।

(ग) समिति ने 15 सितम्बर, 1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(घ) समिति की रिपोर्ट में कार्यशील पूंजी के लिए संस्थागत ऋण पर्याप्तता और उपलब्धता, लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रदान किए गए सावधि ऋण की पर्याप्तता, स्टॉक स्तरों के लिए टंडन/चोरे समिति मानदण्डों, रुग्ण लघु औद्योगिक एककों की पुनर्स्थापना और अन्य सम्बद्ध पहलुओं संबंधी निष्कर्ष निहित हैं। इसकी प्रमुख सिफारिशों का सार रिपोर्ट के अध्याय 11 में दिया है। रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध होते ही संसद के पुस्तकालय में रख दी जायेंगी। इन सिफारिशों की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है।

(ङ) यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता।

ऊनी/सूती कालीनों के निर्यात से विदेशी मुद्रा

860. **श्री कालका दास :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान हाथ से बुनी हुई ऊनी तथा सूती कालीनों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 (अप्रैल--सितम्बर) के दौरान हाथ से बुने ऊनी कालीनों तथा सूती कालीनों के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा के ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :

मूल्य करोड़ रुपये में (अनंतिम)

वर्ष	हाथ से बुने ऊनी कालीन आदि	हाथ से बुने सूती कालीन आदि
1990-91	425.79	140.30
1991-92	628.58	68.16
1992-93 (अप्रैल-सितम्बर)	358.32	82.18

(ख) हाथ से बुने ऊनी कालीनों तथा सूती कालीनों के निर्यात को बढ़ाने के लिए अनेकों उपाय किए गए हैं। इनमें से कुछ हैं : शुल्क वापसी की व्यवस्था, कालीन ग्रेड ऊन के आयात की सुविधा, कालीन निर्यात संवर्धन परिषद को विदेशी व्यापार मेलों के लिए सहायता, क्रेता-विक्रेता बैठक का आयोजन, विदेशों को बिक्री-सह-अध्ययन दल प्रायोजित करना आदि। निर्यात गृह/व्यापार गृह के रूप में मान्यता देने के उद्देश्य से कालीन के निर्यात से अर्जित निबल विदेशी मुद्रा को ट्रिपल वेटेज दिया जाता है।

भारत में विदेशी बैंक

861. **प्रो० मालिनी भट्टाचार्य :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत स्थित विदेशी बेंकों के लाभ की प्रतिशत वृद्धि का बैंक बार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन बैंकों ने भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का पालन किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी बैंक, जिनकी भारत में शाखाएं हैं, के लाभ में प्रतिशत वृद्धि का ब्यौरा (बैंकवार) अनुबन्ध में दिया गया है।

(ख) और (ग) भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और अन्य सम्बद्ध कानूनों में निहित सांविधिक आवश्यकताओं की अनुपालना करना अपेक्षित है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तरह विदेशी बैंकों के कार्यों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निगरानी करने के मामले में भी उत्तरदायी है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सांवधिक निरीक्षणों के दौरान विदेशी बैंकों के कार्यकरण में पाई गई

अनियमितताओं को तत्काल सुधारात्मक उपाए करने के लिए बैंक के उच्च प्रबन्धन के ध्यान में लाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इन बैंकों को निरीक्षण रिपोर्टों को अपने भारतीय सलाहकार बोर्डों के समक्ष रखने और अपने प्रधान कार्यालयों को प्रतियां भेजने को कहा जाता है। तत्पश्चात, बैंकों को 3 माह की अवधि के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को अपनी-अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करनी अपेक्षित हैं। विस्तृत टिप्पणियों के प्रस्तुत करने के एक माह के अन्दर-अन्दर भारतीय रिजर्व बैंक सम्बद्ध बैंक के मुख्य अधिकारी के साथ निरीक्षण के निष्कर्षों पर विचार-विमर्श का आयोजन भी करता है।

विवरण

31.3.90, 31.3.91 और 31.3.92 को समाप्त हुए वर्षों के लाभ/हानि

(लाख रुपये में)

क्र०सं०	विदेशी बैंकों के नाम	मार्च 1990	वृद्धि %	मार्च 1991	वृद्धि %	मार्च 1992	वृद्धि %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि०	30	15.38	32	6.67	121	278.13
2.	ए०बी०एन० आमरो बैंक लि०	261	26.70	550	110.73	1493	171.45
3.	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक	1697	87.72	2242	32.12	4640	106.96
4.	ए०एम०जेड० ग्रिंडलेज बैंक	3534	78.39	3410	एन०ए०	92.02	169.85
5.	बैंक आफ अमेरिका एन०टी० और एस०ए०	2842	192.39	2208	एन०ए०	6351	187.63
6.	बैंक आफ बहरीन और कुवैत बी०ई०सी०	34	325.00	150	341.18	280	86.69
7.	बैंक आफ क्रेडिट और काम० इंटरनेशनल (ओवरसीज) लि०	305	12.96	524	71.80	643	22.71
8.	बैंक आफ ओमान लि०	149	161.40	59	एन०ए०	153	159.32
9.	बैंक आफ नोवा स्काटिया	134	235.00	172	28.36	158	एन०ए०
10.	बैंक आफ टोक्यो लि०	598	2035.71	605	1.17	962	59.01
11.	बैंक इंडोसुएज	286	48.96	276	एन०ए०	792	186.96
12.	बैंक नेशनल डी० पेरिस	540	451.02	193	एन०ए०	937	384.97

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	बार्कलेज बैंक	—	—	(—81) लोस	एन०ए०	181	324.04
14.	ब्रिटिश बैंक आफ द मिडिल ईस्ट	443	101.36	543	22.57	729	34.25
15.	सिटी बैंक एन०ए०	3253	67.94	5861	80.17	13912	137.37
16.	क्रेडिट लायनेइस	(—39) लोस	एन०ए०	446	1143.59	662	48.43
17.	ड्यूश बैंक (एशिया)	335	289.53	668	99.40	1548	131.74
18.	हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कारपोरेशन	1575	5251.00	1467	एन०ए०	3827	160.87
19.	ओमान इंटरनेशनल बैंक एस० ए० ओ० जी०	333	100.60	284	एन०ए०	153	एन०ए०
20.	द सकुरा बैंक	126	80.00	256	10[illegible].17	385	50.39
21.	सानवा बैंक			19*	एन०ए०	264	एन०ए०
22.	सोसिएट जनरेल	110	66.67	187	70.00	372	99.93
23.	सोनाली बैंक	62	82.35	31	एन०ए०	29	एन०ए०
24.	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	2885	421.70	3118	8.08	(—15870) लोस	एन०ए०

एन० ए०—लागू नहीं

*दिसम्बर, 1990 से कार्य करना शुरू किया।

नेत्रवती नदी पर पुल का निर्माण

962. **श्री धी० धनंजय कुमार :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के पनेमंगलौर खंड में नेत्रवती नदी पर एक नए पुल के निर्माण के बारे में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पुल के निर्माण की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर पनेमंगलौर में नेत्रवती पुल तथा इसके पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए क्रमश: 405.28 लाख रु० तथा 575.96 लाख रु० के लागत प्राक्कलन 31.1.92 को संस्वीकृत कर दिए गए हैं। इसे 1996 में पूरा करने का लक्ष्य है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा मुद्रा स्फीति दर के बीच असमानता

[हिन्दी]

863. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रास्फीति दर गत महीनों के दौरान घटने के बाद पुनः बढ़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) पिछली वृद्धि की तुलना में कमी का प्रतिशत क्या है;

(घ) क्या मुद्रा स्फीति की दर में कमी होने के बावजूद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में प्रत्याशित आनुपातिक कमी नहीं आयी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ङ) राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए पैट्रोलियम उत्पादों और पौटेशिक तथा फास्फेटिक उर्वरकों की कीमतों में सितम्बर, 1992 के दौरान शुरू हुई वृद्धि के कारण सितम्बर, 1992 के उत्तरार्ध से अक्तूबर, 1992 के चौथे सप्ताह तक थोक मूल्य सूचकांक के रूप में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर में दुबारा वृद्धि हुई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अगस्त 1992 से सितम्बर, 1992 (अद्यतन उपलब्ध) तक हुई गिरावट दर्ज की गई है। मुद्रास्फीति की दर में प्रत्येक अनुवर्ती महीनों में हुए परिवर्तन सहित जून, 1992 के बाद हुई मुद्रास्फीति की वार्षिक दरों का मासिक औसत नीचे दिया गया है :—

मुद्रास्फीति की वार्षिक दरें

(प्रतिशत)

महीना	थोक मूल्य सूचकांक		उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	
	मुद्रास्फीति दर	परिवर्तन	मुद्रास्फीति दर	परिवर्तन
जून, 1992	13.0		12.9	
जुलाई 1992	11.7	(—) 10.0	13.1	(+) 1.6
अगस्त, 1992	9.4	(—) 19.7	11.5	(—) 12.2
सितम्बर, 1992	8.3	(—) 11.7	10.0	(—) 13.0
अक्तूबर, 1992	9.8	(+) 18.1		
नवम्बर, 1992 (7 नवम्बर)	9.1	(—) 7.1		

ताप बिजली घर को कोयला आपूर्ति की पुनरीक्षा संबंधी समिति

[अनुवाद]

864. **श्री प्रकाश वी० पाटील :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न ताप बिजली घरों को कोयला आपूर्ति की पुनरीक्षा हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की रचना क्या है;

(ख) ताप बिजली घरों, विशेष रूप से रायचूर ताप बिजली घर के संबंध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी गई नवीनतम रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयला की कमी के कारण रायचूर ताप बिजली घर को अपने दो-तीन इकाईयों को बंद करना पड़ा था;

(घ) क्या सरकार द्वारा रायचूर ताप बिजली घर में कोयले की उपलब्धता में सुधार के लिए राज्य सरकार, राज्य बिजली बोर्ड को अनुदेश जारी किए गए हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) और (ख) पश्चिम और दक्षिण क्षेत्र के तापीय विद्युत गृहों को सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० में कोयले का कम उत्पादन होने के कारण कोयले की आपूर्ति में कुछ समस्याएं आ रही हैं। अतः दक्षिण तथा पश्चिम क्षेत्रों के तापीय विद्युत गृहों के लिए कोयले की आपूर्ति तथा मांग के संबंध में विद्युत विभाग के तत्कालीन सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल द्वारा पूर्व में की गई सिफारिशों का अद्यतन करने तथा समीक्षा करने की दृष्टि से एक विशेष दल गठित किया गया था। इस दल का गठन निम्नलिखित रूप में किया गया था :—

1. अपर सचिव, कोयला मंत्रालय, अध्यक्ष

2. सलाहकार (यातायात), रेलवे मंत्रालय

2. संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय

4. सलाहकार (ऊर्जा), योजना आयोग

5. संयुक्त सचिव, विद्युत विभाग

6. सदस्य (प्रचालन), केन्द्रीय विद्युतप्राधिकारी

7. निदेशक (प्रचालन) राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम

8. सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय—सदस्य सचिव

9. मुख्य महाप्रबंधक (समन्वय), कोल इंडिया लि०, कलकत्ता,

10. महा प्रबंधक, लोक इंडिया लि०, कलकत्ता

11. मुख्य संचलन एवं विपणन, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि०, हैदराबाद।

दल ने पश्चिम तथा दक्षिण क्षेत्रों के 10 तापीय विद्युत गृहों के लिए वर्ष 1192-93 के सम्बन्ध में कोयले की आपूर्ति के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया और उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन है। इस रिपोर्ट के अनुसार रायचुर तापीय विद्युत गृह की वर्ष 1·92-93 की कोलले की आवश्यकता 27.72 लाख टन का मूल्यांकन किया गया है ताकि 3600 मि० यूनिट के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा यह सूचित किया गया है कि रायचुर तापीय विद्युत गृह कोयले के स्टाक के सामरिक स्तर पर प्रचालन कर रहा है और वर्ष के शुरू से विद्युत गृह ने कोयले की कमी के कारण उत्पादन कम होने के सम्बन्ध में सूचना दी है। सम्बद्ध कोयला कम्पनी द्वारा कोयले की आपूर्ति किए जाने के लिए विद्युत गृहवार लक्ष्य निर्धारित दिए गए हैं। किन्तु बाद तक रायचुर तापीय विद्युत गृह के कोयले की आपूर्ति कोयला कम्पनियों को देय बकाया कोयले की राशि की अदायगी न किए जाने के कार प्रभावित हुई हैं। सभी राज्य सरकारें तथा राज्य विद्युत बोर्डों को यह सलाह दी गई है कि वे कोयले की आपूर्ति के अस्त-व्यस्त होने की स्थिति से बचने के लिए कोयला कम्पनियों को समय पर अदायगी किए जाने का सुनिश्चय करें।

भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी निवेश

865. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी संस्थानिक पूंजी निवेश को ज्यादा आकर्षक और उदार शर्तों पर आमंत्रित कराने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रमुख उद्योगीकृत राष्ट्रों द्वारा भारतीय निवेशकों के समक्ष क्या शर्तें रखी गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना की विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

1. विदेशी संस्थागत निवेशक संस्थाएं, (यथा पेंशन निधियां, पारस्परिक निधियां, निवेश ट्रस्ट, परिसम्पत्ति प्रबन्धन कम्पनियां, नामजद कम्पनियां और विवेकाधीन और अविवेकाधीन संविभाग प्रबन्धन सेवाएं प्रदान करने वाले) निगमित/संस्थागत संविभाग प्रबन्धक अथवा उनके मुख्तारनामा धारक उन इक्विटी और अन्य प्रतिभूतियों/कम्पनियों की लिखतों सहित प्राथमिक और गौण बाजारों में जिन प्रतिभूतियों में कारोबार होता है, उन सभी में निवेश कर सकते हैं जो कि ओ० टी० सी० एक्सचेंजों सहित भारत के शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होती हैं/की जानी होती हैं।

2. विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड में पंजीकृत होना और साथ ही विदेशी मुद्रा विनियमन अधिवियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेना भी अपेक्षित है। एकल नीति के अधीन प्रारम्भिक पंजीकरण करने से पूर्व सेबी के

द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की केन्द्रीय अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह अनुमति 5 वर्ष के लिए वैध होगी और तत्पश्चात् नवीकरणीय होगी।

3. विदेशी संस्थागत निवेशकों को सेबी में पंजीकरण/फेरा के अन्तर्गत अनुमति, ट्रेड रिकार्ड व्यावसायिक दक्षता, वित्तीय सुदृढ़ता और संस्थागत निवेशक के मूल देश में शेयर बाजार के लिए नियामक संगठन में प्रतिभूति आयोग में पंजीकरण धारक होने के आधार पर प्रदान की जाएगी।

4. संस्थागत निवेशक, विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित लेखे, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति प्राप्त नामित बैंकों में खोलने और संस्थागत निवेशक द्वारा सभी प्राप्तियों को जमा करने के लिए विशेष अनिवासी रुपया लेखा खोलने और रुपए लेखे से विदेशी मुद्रा लेखे में करके बाद आय को अंतरित करने और प्रत्यावर्तनीय पूंजी लेखे, पूजी लाभ, लाभांश और किए गए निवेश से आय आदि को और पूंजी लाभ पर रोके रखे गए कर की कटौती करने के बाद, अनुमति होगी।

5. प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए किसी निवेश के लिए कोई "लाक-इन पीरियड" नहीं होगा।

6. एकल विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किसी कम्पनी के कुल निगमित पूंजी के 5% की अधिकतम सीमा है। सभी पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल धारिता और अनिवासी भारतीयों के निगमित और गैर-निगमित निवेश, 24% है जिसमें वित्तीय सहयोग के अन्तर्गत विदेशी निवेश शामिल नहीं है, उसकी 51% तक अनुमति है और अपतटीय निधि, विश्व जमा प्राप्ति और यूरो परिवर्तनीय राशि, की अनुमति है।

7. विदेशी संस्थागत निवेशको को लाभांश के 20% की समान दर पर रियायती दर व्यवस्था और ब्याज से आय तथा दीर्घावधि पूंजी लाभों पर 10 प्रतिशत की कर दर दिए गए हैं।

(ग) सीधे विदेशी निवेशकों (मूल प्रमोटरों) को छोड़कर भारत में रहने वाले भारतीय निवेशकों को बिना भारत सरकार की अनुमति प्राप्त किए भारत से बाहर प्रतिभूति बाजारों में निवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है। इसलिए इसमें कोई पारस्परिकता की बात नहीं है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को घाटा

[हिन्दी]

866. **श्री शिबू सोरेन :**

श्री राम सागर :

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

श्री साईमन मराण्डी :

श्री पवन कुमार बंसल :

श्री गया प्रसाद कोरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घाटे में चल रहे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है तथा उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में इन बैंकों को कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या इन बैंकों में इस वर्ष भी घाटे में फिर से वृद्धि होने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस घाटे को पूरा करने और सभी पहलुओं से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गत 3 वर्षों के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उठाई गई हानियों की राज्य-वार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा उठाई गई हानियों के कारणों की स्थूल रूप से निम्नलिखित तौर पर पहचान की जा सकती है :—

(क) निधियों पर उच्च लागत के कारण ऋणों पर सीमित या नकारात्मक मार्जिन।

(ख) उच्च नियत खर्चे।

(ग) छोटे खातों की बड़ी संख्या के कारण ऊंची सेवा सम्बन्धी व्यय।

(घ) प्रतिबन्धित परिचालनों के कारण प्रति कर्मचारी निम्न उत्पादकता।

इस वर्ष के परिचालनात्मक परिणामों की जानकारी वर्ष के खातों को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही ज्ञात होगी।

(ङ) सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिए परामर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनेक माडल तैयार किए गए हैं। इसमें सभी बर्तमान 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय करके, एक भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एन० आर० बी० आई०) की स्थापना का प्रस्ताव भी शामिल है ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अर्थक्षमता में सुधार किया जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि की जा सके। तथापि, इस विषय में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुए घाटों की स्थिति को दर्शाने वाला राज्यवार विवरण (करोड़ रु०)

		अवधि के दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को हुए घाटे					
		1989-90		1990-91		1991-92	
क्र० सं०	राज्य का नाम	क्षे०ग्रा०बैं० की संख्या	राशि	क्षे०ग्रा०बैं० की संख्या	राशि	क्षे०ग्रा०बैं० की संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हरियाणा	3	0.85	3	0.66	4	3.90

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	हिमाचल प्रदेश	1	0.23	2	0.45	2	1.04
3.	जम्मू व कश्मीर	3	1.29	3	1.37	1	1.14
4.	पंजाब	3	0.31	1	0.22	4	0.53
5.	राजस्थान	14	11.73	13	10.44	13	23.71
6.	अरुणाचल प्रदेश	1	0.10	1	0.12	1	0.23
7.	असम	4	0.98	4	3.81	3	6.24
8.	मणिपुर	1	0.21	1	0.43	1	0.55
9.	मेघालय	1	0.20	1	0.22	1	0.13
10.	मिजोरम	1	0.45	1	0.56	एन० ए०	एन० ए०
11.	नागालैंड	1	0.08	एन० ए०	एन० ए०	1	0.15
12.	त्रिपुरा	1	0.53	1	0.42	एन० ए०	एन० ए०
13.	बिहार	16	8.80	17	14.43	16	29.31
14.	उड़ीसा	8	8.02	7	8.39	6	17.26
15.	पश्चिम बंगाल	6	4.13	8	6.99	5	8.32
16.	मध्य प्रदेश	21	13.32	21	11.55	21	25.53
17.	उत्तर प्रदेश	34	25.05	30	18.83	31	43.32
18.	गुजरात	9	3.10	9	3.64	9	7.30
19.	महाराष्ट्र	8	2.54	10	3.70	9	4.70
20.	आन्ध्र प्रदेश	9	6.95	5	0.93	7	6.89
21.	कर्नाटक	11	3.12	9	3.82	11	12.73
22.	केरल	—	—	—	—	1	0.32
23.	तमिलनाडु	3	1.79	3	1.91	3	4.56

"फेरा" में संशोधन

[अनुवाद]

867. श्री शरद दिघे :

श्री आनन्द अहिरवार :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम 1973 में संशोधन करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 में संशोधन करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा सक्रियता से विचार किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में चालू सत्र के दौरान एक विधेयक पेश किए जाने की सम्भावना है।

प्रमुख पत्तनों द्वारा माल ढुलाई

868. **डा० कृपासिन्धु भोई** :

क्या जल भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार, पत्तन-वार विभिन्न प्रमुख पत्तनों से कितनी मात्रा में कार्गो (माल) की ढुलाई-उतराई हुई;

(ख) क्या सरकार ने पत्तनों के माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि करने हेतु पत्तन न्यास को कहा था, और

(ग) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में माल ढुलाई के सम्बन्ध में प्रत्येक प्रमुख पत्तन का कार्य निष्पादन क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) से (ग) 31-3-92 की स्थिति के अनुसार महापत्तनों की क्षमता और पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वित्त वर्ष में अक्टूबर तक हैंडल किए गए कार्गो के ब्यौरे अनुबंध में दर्शाए गए हैं। महापत्तनों की क्षमता में वृद्धि करना एक सतत प्रक्रिया है और वार्षिक योजनाओं/पंचवर्षीय योजनाओं के तहत विभिन्न स्कीमों के तहत ऐसा किया जाता है। वर्ष 1992-93 में सभी महापत्तनों की समग्र क्षमता 170.23 मिलियन टन तक होने की आशा है।

विवरण

विभिन्न महापत्तनों पर हैंडल किया गया कार्गो और कार्गो हैंडलिंग क्षमता (मिलियन टन में)

वर्ष	कलकत्ता	पारादीप	बिजाग	मद्रास	टूटीकोरिन	कोचीन	न्यू मंगलौर	मुरगांव	ज०एन० पी०टी०	बंबई	कांडला	कुल
1989-90	14.7	6.27	21.1	23.9	5.3	7.1	7.7	14.2	0.7	28.6	18.9	148.4
1990-91	15.2	6.9	19.4	24.5	5.1	7.3	8.0	14.9	2.0	19.8	19.7	152.8
1991-92	15.9	7.3	21.5	25.0	5.9	7.5	8.3	15.1	2.8	27.0	21.0	157.8
अप्रैल-अक्तूबर 1992	10.2	4.4	12.7	14.7	3.8	4.7	3.4	7.3	1.5	17.2	12.9	93.3
31-3-92 को क्षमता	22.73	7.65	22·45	22.07	5.10	10.66	9.55	15.92	5.90	26.80	20.40	169.23

जनता कपड़ा

[हिन्दी]

869. **श्री राम बदन** :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समाज के निर्धन तथा कमजोर वर्गों को जनता कपड़ा/सस्ते मूल्य के कपड़े की सप्लाई बन्द करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) यद्यपि जनता कपड़े के उत्पादन और इसके आपूर्ति को धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रस्ताव है लेकिन फिलहाल कंट्रोल कपड़े के उत्पादन और इसकी आपूर्ति के सम्बन्ध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं है।

(ख) भारत सरकार की औद्योगिक नीति (लघु, छोटी इकाई और ग्रामीण उद्यम) और सब्सिडी योजनाओं को धीरे-धीरे समाप्त करने की सरकार की नीति के अनुसार जनता कपड़ा योजना को समाप्त किया जा रहा है।

चेल्लया समिति की रिपोर्ट

[अनुवाद]

870. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा** :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्री अमर राय प्रधान :

श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० राजा जे० चेल्लया की अध्यक्षता में बनी कर सुधार समिति ने सरकार को अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) डा० राजा चेल्लया की अध्यक्षता में बनी कर सुधार समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट का प्रथम भाग प्रस्तुत कर दिया है। इस रिपोर्ट में, समिति ने पांच विस्तृत क्षेत्रों में सिफारिश की है :—

(क) अन्तरिम रिपोर्ट में प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित समस्याओं अर्थात् निगम लाभ कर जिसमें विदेशी वस्तुओं का कराधान भी शामिल है, कारोबार कराधान, ब्याज कर, कृषि आय कर कराधान और उपहार कर सम्बन्धी समस्याओं पर विचार नहीं किया गया है।

(ख) घरेलू अप्रत्यक्ष करों की प्रणाली में और सुधार विशेषकर केन्द्रीय स्तर पर, संशोधित कीमत योग कर (माडवेट) के प्रसार सम्बन्धी अधिक विवरण और "माडवेट" को कीमत योग कर "वेट" में परिवर्तन करना।

(ग) प्रक्रिया में सुधार जिसमें अपीलीय प्रक्रिया, जटिल उपबन्धों और करदाता के विरुद्ध असम्यक् रूप से लागू किए गए उपबन्धों, प्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क को हटाना शामिल है।

(घ) प्रशासन की समस्याएं—प्रशासन को अधिक सक्षम बनाने के साथ-साथ कराधान के अधिक विस्तृत पहलुओं के प्रति प्रशासन को अधिक सहृदय तथा सजग बनाना। प्रशासनिक संरचना, सुविधाओं, परिनिधियों, उच्च स्तर पर चयन प्रक्रिया, दण्ड और पुरस्कार में परिवर्तन करना।

(ङ) राजस्व लेखा परीक्षा—उसकी भूमिका—लेखा परीक्षा का दृष्टिकोण और कर दाताओं के लिए उत्पन्न की गई समस्याएं—सुधार की रूपरेखा सिफारिशों की जांच की जा रही है।

भारतीय जीवन बीमा निगम के पास लम्बित दावे

871. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :**

श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में भारतीय जीवन बीमा निगम के पास समयावधि पूरी होने के कितने दावे भुगतान हेतु लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या ऐसे दावों की संख्या बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन दावों के तुरन्त निपटान हेतु क्या कदम उठाया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

31 मार्च को समाप्त वर्ष	लम्बित दावों की संख्या
1990	64,946
1991	52,968
1992	62,114
चालू वर्ष	81,404 (अनन्तिम)

(30-9-1992 तक की स्थिति के अनुसार)

(ख) जी नहीं। वर्ष के दौरान देय कुल परिपक्वता दावों की तुलना में लेखा वर्ष के अन्त में

बकाया परिपक्वता दावों का प्रतिशत पिछले तीन वर्षों में 3 प्रतिशत के आस-पास बनाए रखा गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला परियोजनाओं के लिए फ्रांस का सहयोग

872. **श्री अशोक आनन्दराव देशमुख** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयला खदान परियोजनाओं के लिए फ्रांस से वित्तीय और अन्यथा सहायता प्राप्त करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस०बी० न्यामगौड) : (क) से (ग) जी हां, । कोयला क्षेत्र में नई खनन पद्धति/प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने हेतु फ्रांस की सहायता ली जा रही है। सी०डी०एफ०आई० फ्रांस के साथ निम्नलिखित कोयला परियोजनाओं के लिए सरकार पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जों कि वर्तमान में कार्यान्वियन अधीन है :—

(1) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोटाडीह भूमिगत परियोजना में हाईफेस लांगवाल प्रौद्योगिकी प्रारम्भ करने के लिए करार (कुल फ्रांसिसी सहायता फ्रेंच फ्रैन्क 215.5[illegible] मिलियन)

(2) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बुराधेमों में इन्डो-फ्रांस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किए जाने के लिए करार (कुल फ्रांस सहायता फ्रेन्च फ्रेंक 9.500 मिलियन)

(3) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में राजूर में पिल्लर के लिक्विडेशन के लिए तकनीकी व्यवहार्य अध्ययन करने तथा सम्भावित क्षेत्रों में उत्खनन करने के लिए करार (कुल फ्रासी सहायता फ्रेंच फ्रेंक 1 मिलियन)

(4) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में गोदावरी खानी 10 और 8 इनकलाइन में ब्लास्टिंग गैमेरी तरीके को अंगीकृत करने के लिए करार (कुल फ्रांस सहायता फ्रेंच फ्रेंक 63.65 मिलियन)

जून 1992 में भारत फ्रांस कार्यदल की पेरिस में कोयले पर हुई ग्यारहवीं बैठक में भारतीय पक्ष ने फ्रांसिसी पक्ष से निवेदन किया था कि वह अनंता (महानदी कोलफील्ड्स लि०) आर०के० न्यटेक (सिंगरेनी कोलेरीस कम्पनी लिमिटेड), गुसिक अंडरग्राउन्ड (इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) और भनोरा वेस्ट यू०जी० (इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) आदि की एक समेकित कोयला परियोजना स्थापित करने में मदद करें। फ्रांसिसी पक्ष की सिद्धांततः सहमति के पश्चात इन प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की जा सकती है।

सहकारिता क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों का निवेश

873. **श्री ओस्कार फर्नान्डीज** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का सहकारिता क्षेत्र में अप्रवासी भारतीयों को निवेश करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम की रुग्ण मिलों को बन्द करना

874. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** :

श्री हरिसिंह चावड़ा :

श्री हाराधन राय :

श्री तरित बरण तोपदार :

श्री मुमताज अंसारी :

डा० लक्ष्मीनारायण पान्डेय :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के सारे रुग्ण एककों को बन्द करने के बारे में कोई निर्णय लिया है;

(ख) क्या सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के किसी एकक को हाल ही में बन्द किया है अथवा निकट भविष्य में बन्द करने की संभावना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विशेष रूप से गुजरात में इन मिलों के बन्द होने के कारण मिलवार कितने श्रमिकों की छंटनी की गयी;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे श्रमिकों के पुनर्वास और सुरक्षा की कोई योजना बनाई है

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (ग) सरकार ने एन०टी० सी० के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है। चुनिन्दा आधुनिकीकरण, वित्तीय और प्रबंधकीय पुनर्निर्माण तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के जरिए फालतू श्रमिक बल का सुव्यवस्थीकरण इस नीति के मुख्य अंग हैं। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की पेशकश क्रमिक रूप से रुग्ण ऐसी मिलों के अधिकारियों, कर्मचारियों और कामगारों को भी की जाएगी जिनके अर्थक्षम होने की कोई संभावना नहीं है तथा जिन्हें बन्द करना पड़ सकता है अथवा अर्थक्षमता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें निकटस्थ एककों के साथ समामेलित किया जा सकता है। मिलों की अर्थक्षमता पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना और अन्य महत्वपूर्ण कारकों के पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करने के बाद एन०टी०सी० के अलग-अलग मिलों को बन्द करने या समामेलन के प्रश्न पर विचार किया जाएगा। 31-10-92 की

स्थिति अनुसार एन०टी०सी० (गुजरात) के अन्तर्गत वस्त्र मिलों के 2009 कामगारों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने सर्वांगीण सुधार की नीति के अन्तर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठाया।

(घ) से (च) सर्वांगीण सुधार की नीति के अन्तर्गत एन०टी०सी० के सुव्यवस्थीकृत कामगारों के पुनः नियोजन और पुनः प्रशिक्षण के लिए पुनर्वासन निधि योजना में 50 करोड़ रु० की धनराशि प्रदान की गई है। विद्युतकरघा/रीलिंग एककों की स्थापना के लिए ऐसे कामगारों को प्रशिक्षण तकनीकी और वित्तीय सहायता तथा संस्थागत वित्त प्रदान करने के लिए योजनाएं पहले से ही तैयार कर ली गई हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को बोनस

[हिन्दी]

875. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस सीमा 1600 रुपए निर्धारित किए जाने का क्या मानदण्ड है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का अपने कर्मचारियों को अदा की जा रही बोनस की राशि में वृद्धि करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोतदुखे) : (क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय बोनस की राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

असम में उद्यमियों को बैंक ऋण

[अनुवाद]

876. **श्री प्रवीन डेका :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष असम के दारंग और कामरूप जिलों में कितने उद्यमियों को बैंक ऋण दिया गया;

(ख) बैंक के लिए संबन्धित जिला उद्योग केन्द्रों ने कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों का चयन किया और ऋण की सिफारिश की किन्तु उन्हें अभी तक ऋण नहीं मिला है;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन युवकों को बैंक से ऋण मिले क्या कदम उठाए

गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (**श्री दलबीर सिंह**) : (क) से (घ) यूको बैंक उपर्युक्त दोनों जिलों का लीड बैंक है। जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा स्पांसर किए गए मामलों की मंजूरी हेतु सम्बन्धित बैंकों द्वारा उन पर विचार किया जाता है। कुछ मामलों में संवितरण मुख्य रूप से इसलिए संभव नहीं हुआ क्योंकि कुछ आवेदक सरकारी सेवा में पाए गए, कुछ ने नकद संवितरण की मांग की और कुछ अन्य ऋण लेने आए ही नहीं। लीड बैंक ने उद्यमियों के उचित चयन और प्रोत्साहन के लिए मामले को जिला उद्योग केन्द्र के साथ उठाया है।

इस योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के लिए कामरूप जिले के मामले में प्रगति निम्नानुसार थी :—

सभी बैंक	89-90	90-91	91-92
(क) उद्यमियों की संख्या, जिन्हें बैंक ऋण मंजूर किया गया	315	356	350
(ख) उद्यमियों की संख्या, जिनका जिला उद्योग केन्द्र द्वारा शिक्षित बेरोजगारों युवकों की स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत चयन एवं सिफारिश की गई लेकिन बैंक ऋण नहीं दिया गया	34	15	36

दारंग जिले के लिए इसी प्रकार की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गरीबी उन्मूलन हेतु ऋण

[हिन्दी]

877. **श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान गरीबी उन्मूलन हेतु तथा शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिए योजनाएं तैयार की हैं तथा उन्हें ऋण देने का विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री दलबीर सिंह**) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने की योजना के तहत ऋण उन शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वीकृत किए जाते है, जिन की पारिवारिक आय प्रति वर्ष 10,000/- रुपए से अधिक न हो, ताकि वे उद्योग सेवा तथा कारोबार में स्वरोजगार उद्यम शुरू कर सकें। प्रत्येक उद्यमी को योजना के तहत बैंक एक मिला जुला ऋण उपलब्ध कराते हैं, जो औद्योगिक उद्यमों के लिए अधिक से अधिक 35,000/-रुपए सेवा उद्यमों के लिए अधिकतम 25,000/- रुपए तथा लघु व्यावसायिक उद्यमों के लिए अधिकतम

15,000/- रुपए है। लक्ष्य उद्योग मंत्रालय में विकास आयुक्त द्वारा (लघु उद्योग), जो योजना का नियंत्रण करता है, वार्षिक आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 1992-93 के लिए 1 लाख लाभभोगियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक ऋणों की भी स्वीकृति दी जाती है, जिसके तहत वर्ष 1992-93 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लगभग 1·88 लाख हिताधिकारियों का वास्तविक लक्ष्य नियत किया गया है।

शहरी क्षेत्रों में नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी माइक्रो उद्यम योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए ऋणों की स्वीकृति दी जाती है, ताकि वे स्वरोजगार के लिए उत्पादक परिसम्पत्तियां अर्जित कर सकें। शहरी क्षेत्रों के लिए शहरी विकास मंत्रालय (जो योजना का नियंत्रण करता है) द्वारा 1992-93 के लिए लगभग एक लाख हिताधिकारियों का लक्ष्य नियत किया गया है।

उपरोक्त प्रत्येक योजना के अंतर्गत लक्ष्य सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा वार्षिक आधार पर नियत किए जाते हैं तथा 1993-94 के लिए तदनुरूपी लक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं हैं।

शेयर दलालों के परिसरों में आयकर छापे

[अनुवाद]

878. **श्री ताराचन्द खण्डेलवाल** :

श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने चालू वर्ष के दौरान शेयर दलालों के परिसरों में छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक शेयर दलाल के परिसर से बिना हिसाब-किताब की कितनी धनराशि, अन्य सम्पत्ति और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान शेयर दलालों के परिसरों की ली गई तलाशी के तथा अभिगृहीत की गई लेखा बाह्य परिसम्पत्तियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

इन तलाशियों के दौरान अपराध-आरोपणीय दस्तावेज तथा कम्प्यूटरीकृत बहीखाते भी अभिगृहीत किए गए हैं।

विवरण

क्र० सं०	ग्रुप का नाम	अभिगृहीत की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य			
		नकदी	जेवर-जवाहरात	अन्य	कुल
				(लाख रु० में)	
1	2	3	4	5	6
बम्बई					
1.	हर्षद एस० मेहता	20.00	शून्य	4881.95	4901.95
2.	खंडवाल ग्रुप	1.00	18.32	328.34	347.66
3.	मंत्री वाठिया ग्रुप	4.89	7.56	1208.35	1220.80
4	आर० श्रीनिवासन, मद्रास	101.71	शून्य	1000.02	1101.75
5.	राज रतन पी० मोहता	0.64	6.71	शून्य	73.5
6.	श्रेणिक जे० शाह	शून्य	शून्य	8.07	8.07
7.	बी० एन० राठी एण्ड संस	1.70	शून्य	शून्य	1.70
8.	मै० ए० ए० पारिख एण्ड सन्स	3.59	4.03	40.06	47.68
9.	मै० जे० एच० पटेल	शून्य	13.90	262.70	276.60
10.	मै० पी० एच० वकील	0.34	2.01	52.69	55.06
11.	मै० ए० एम० कमल	3.88	13.10	0.60	17.59
12.	हितेन पी० दलाल	1.48	25.94	300.96	328.39
13.	प्रीति एन० अग्रवाल	शून्य	शून्य	467.28	467.28
14.	अखिल के० दलाल	शून्य	2.03	33.18	35.22
15.	भूपेन सी० दलाल	0.50	8.94	5.51	14.95
16.	ए० डी० नरोत्तम	शून्य	शून्य	1.29	1.29
17.	जे० पी० गांधी	शून्य	शून्य	0.27	0.27
18.	महेश जे० पटेल	0.50	शून्य	8.57	9.07

1	2	3	4	5	6
19.	महेश कुमार डी० शुक्ल	1.00	2.14	40.55	43.70
20.	हरेश के० दलाल	1.00	2.42	शून्य	3.42
21.	एस० रामास्वामी (प्रो० एक्सल एण्ड कम्पनी)	1.00	शून्य	6.75	7.75
	हैदराबाद				
22.	मै० राठी ब्रदर्स	63.01	शून्य	0.07	63.08
23.	वेणु गोपाल इनानी	1.00	9.98	5.14	16.12
24.	अशोक कुमार गिलाडो	0.50	शून्य	8.70	शून्य
	मद्रास				
25.	मै० अभिषेक एण्ड कं०	0.35	शून्य	24.85	25.20
26.	मै० एफ० एस० कस्तूरी एण्ड कम्पनी	शून्य	शून्य	2.20	2.20
27.	मै० शाह एण्ड शाह	शून्य	शून्य	शून्य	9.20
28.	मै० शाह एसोसिएट्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	मै० विश्वनाथ अस्ल केडिया	0.50	2.55	28.45	31 50
30.	मै० निमिश मेहता एण्ड कं०	शून्य	शून्य	9.89	9.89
31.	एस० एम० सम्बाशिवम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	ब्रिलियन्ट एण्ड कम्पनी	शून्य	शून्य	6.75	6.75
33.	शिवराम एण्ड कम्पनी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	रोहिणी एण्ड कम्पनी	शून्य	शून्य	5.3	5.3
35.	सी० सी० विलियम वर्गीस	शून्य	शून्य	49.73	49.73
36.	नम्बूदरीपाद एण्ड कं०	शून्य	शून्य	1.58	1.58
37.	ओ० जी० एण्ड कं०	शून्य	शून्य	35.00	35.00
38.	टी० ए० सुकुमारन, लीला सुकुमारन, वी० बी० देसाई	शून्य	शून्य	21.67	21.67

1	2	3	4	5	6
	नई दिल्ली				
39.	वीरेन्द्र सहगल एण्ड कम्पनी	128.45	0.99	567.12	696.56
40.	आर० पी० गुप्त	शून्य	1.44	0.51	1.95
41.	एस० एस० झावेरी तथा मोनिका झावेरी	शून्य	4.84	शून्य	4.84
42.	मै० एन० के० अग्रवाल एण्ड कम्पनी	शून्य	शून्य	38.13	38.13
	कानपुर				
43.	रूप चन्द जैन	शून्य	शून्य	5.88	5.88
44.	डी० जसरापुरिया	शून्य	शून्य	2.89	2.89
45.	एस० हरदयाल सिंह	शून्य	शून्य	4.46	4.4[illegible]
	इन्दौर				
46.	दीपक कुमार त्रिवेदी	2.36	5.66	141.66	149.68
	कलकत्ता				
47.	पन्नालाल केजरीवाल	0.80	शून्य	शून्य	0.80
[illegible]8.	गोपालदास बागड़ी	शून्य	शून्य	35.06	3[illegible].06
49.	मै० लक्ष्मी एण्ड कम्पनी	0.10	1.96	2.98	5.04
50.	मै० सी० मैकरटेंक एण्ड मै० स्टीवर्ड एण्ड कम्पनी	0.30	1.70	83.23	85.23
51.	मै० मनोज भूपेलिया	0.40	4.03	शून्य	4.43
	बंगलौर				
52.	मै० कटारिया एण्ड कम्पनी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
53.	मै० भाट एसोसिएट्स	शून्य	शून्य	3.69	3.69
54.	मै० अनन्त हेगडे एसोसिएट्स	शून्य	शून्य	1.12	1.12

डाक्टरों, प्राइवेट क्लिनिकों और नर्सिंग होमों द्वारा आयकर चोरी

[अनुवाद]

879. **श्री श्रीकांत जेना** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे डाक्टरों, प्राइवेट क्लिनिकों और नर्सिंग होमों के द्वारा की जा रही आयकर की चोरी के सम्बन्ध में मूल्यांकन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा वर्ष में कितनी राशि की कर चोरी की जाती है; और

(ग) आयकर की इस चोरी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) ऐसे व्यक्तियों द्वारा आयकर अपवंचन किए जाने के बारे में कोई अधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) धारा 44 एए के अधीन सांविधिक उपबंध बनाए गए हैं जिनके तहत ऐसे चिकित्सीय व्यावसायिकों द्वारा कानून द्वारा विहित लेखों को रखा जाना अपेक्षित होता है और इनकी जाच-पड़ताल कर-निर्धारणों की संवीक्षा करते समय की जाती है। इस प्रकार के व्यक्तियों का कर-निर्धारण करने के लिए विशिष्ट व्यावसायिक सर्किल सृजित किए गए हैं जिससे इस प्रकार के मामलों में कर-अपवंचन की बेहतर ढंग से हैन्डलिंग करने तथा पता लगाने में सुविधा हो सके। इसके अलावा, आयकर विभाग का जांच-स्कंध मरीजों द्वारा डाक्टरों, नर्सिंग होमों आदि को की गई 10,000/- रु० से अधिक की अदायगियों के मामले में भी प्रति-सत्यापन करता है। ऐसे व्यावसायिकों के मामलों में तलाशी लेने, सर्वेक्षण करने तथा अन्य जाच-पड़ताल और पूछताछ करने जैसे तरीकों से कार्यवाही की जाती है जिनके बारे में कर-अपवंचन के बार में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध हो।

बिहार में जब्त नशीले पदार्थ

880. **श्री राम टहल चौधरी** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष बिहार में नशीले पदार्थों की तस्करी के कितने मामले पकड़े गए;

(ख) इनमें जब्त किए गए नशीले पदार्थों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(घ) जब्त किए गए नशीले पदार्थों के निपटान का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में नशीले पदार्थों की तस्करी के पता चले मामलों की संख्या निम्न प्रकार है :—

1989	1990	1991
134	648	401

(ख) इनमें से जब्त किए गए नशीले पदार्थों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(किलोग्राम में)

	1989	1990	1991
गांजा	15319	12434	4829
हशीश	621	1168	1102
हेरोईन	—	7.05	1

(ग) जैसा कि ऊपर (क) में दिया गया है।

(घ) पुलिस स्टेशन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के प्रभागीय कार्यालय, राज्य उत्पाद शुल्क के मण्डलीय कार्यालय आदि जैसी प्रत्येक पता लगाने वाली इकाइयां स्वापक औषध एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52-क के अन्तर्गत न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करके जब्त किए गए नशीले पदार्थों को मुकदमे से पहले नष्ट करने के लिए प्राधिकृत है। जहां यह सम्भव न हो, उन्हें जांच करने वाले न्यायाधीश से मुकदमे की समाप्ति के पश्चात् इस प्रकार के निपटान के आदेश प्राप्त करने होंगे।

बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास

881. **श्री सुभाष चन्द्र नायक** :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु व्यापक ग्रामीण स्तरीय योजनायें बनाने के लिए राज्य सरकारों को मार्ग निदेश दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) और (ख) बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए ग्राम-स्तरीय योजनायें तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को व्यापक दिशा निदेश जारी किए हैं। राज्य सरकारें इन योजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं और बंधुआ श्रमिक की अभिरुचि के अनुसार बंधुआ श्रमिकों को भूमि आधारित, गैर भूमि आधारित, और कुशलता/क्राफ्ट आधारित योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्वासित किया जा रहा है।

भुगतान संतुलन का संकट

882. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत को आगामी कुछ वर्षों में एक अन्य भुगतान संतुलन संकट की सम्भावना के प्रति सचेत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार भुगतान संतुलन की स्थिति को सुचारू बनाये रखने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, नहीं। तथापि, विश्व बैंक के अध्ययन ने स्पष्ट किया कि भारत का भुगतान संतुलन अगले चार या पांच वर्षों के लिए दुर्बल और अपवादस्वरूप वित्त पोषण पर निर्भर रहेगा।

(ख) भुगतान संतुलन में सुधार करने के लिए पहले से शुरू किए गए अल्पावधि और मध्यमावधि उपायों के अलावा, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय, दोनों स्रोतों से अपवादस्वरूप वित्तपोषण का प्रबन्ध करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं, ताकि संकट की स्थिति को टाला जा सके।

(ग) और (घ) भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करने और चालू लेखा घाटे को कम करने के लिए किए जा रहे उपायों में, उदारीकृत मुद्रा दर प्रबन्ध के कारगर कार्यान्वयन, उदारीकृत व्यापार नीति प्रणाली, वित्तीय विवेक के अनुसार द्विपक्षीय और बहुपक्षीय, दोनों स्रोतों से बढ़ा हुआ पूंजी अन्तर्प्रवाह और सीधे विदेशी निवेश आकर्षित करना शामिल हैं।

उकनी खुली मुहाने वाली कोयला खानें

883. **श्री के० वी० तंग्काबालू** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में खुले मुहाने वाली कोयला खानों की कुल संख्या कितनी है और प्रत्येक खान का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार ने उकनी खुले मुहाने वाली कोयला खानों का विकास करने हेतु स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उकनी में कोयले का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन होता है;

(घ) क्या ऐसी अन्य खुले मुहाने वाली कोयला खानों का विकास करने का कोई प्रस्ताव ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड़) : (क) से (ङ) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की उकनी ओ० का० परियोजना (क्षमता 1.10 मिलियन टन प्रति वर्ष) का सरकार द्वारा जनवरी, 1992 में 100.37 करोड़ रु० की अनुमानित पूंजीगत लागत पर स्वीकृति दी गई थी। इस खान के मार्च, 1999 तक अपनी लक्षित क्षमता पर पहुंच जाने की सम्भावना है। वर्ष 1991-92 के दौरान वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के पास 21 कोयले का उत्पादन करने वाली ओपनकास्ट खानें थीं जिन्होंने उक्त वर्ष के दौरान 15.70 मि० टन कोयले का उत्पादन किया। इसके अलावा अन्य स्वीकृत परियोजनाएं जिन्हें विकसित किया जा रहा है, दो परियोजनाएं हैं अर्थात् गोंडेगां ओ० का० तथा मुगौली ओ० कास्ट परियोजनाएं हैं, जो सरकार द्वारा निवेश सम्बन्धी निर्णय लिए जाने के लिए मूल्यांकन के अग्रिम चरण में है।

कोचीन में कन्टेनर टर्मिनल

884. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री 17 जुलाई, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1586 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बल्लारपदम द्वीप, कोचीन, केरल में अन्तर्राष्ट्रीय कन्टेनर टर्मिनल में निजी भागीदारी करने के प्रस्ताव पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) इस टर्मिनल को ठेका किन शर्तों पर देने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) 65 पार्टियों ने कोचीन पत्तन न्यास से प्रारम्भिक पूछताछ की है। प्रस्ताव प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 31-1-1993 है।

(ख) सरकार को कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

चेलैया समिति की जब्त किए गए स्वर्ण को बेचने की सिफारिश

885. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के अन्त तक घरेलू सार्वजनिक ऋण की राशि कितनी थी तथा जब्त किये गये स्वर्ण की कितनी मात्रा 1 अप्रैल, 1992 तक उपलब्ध थी और इस समय वह कितनी है;

(ख) क्या डा० राजा जे० चेलैया की अध्यक्षता में समिति ने विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त और अधिगृहीत किये गये स्वर्ण को नीलामी द्वारा बेचने और इस प्रकार प्राप्त धन तथा सरकारी क्षेत्र के इक्विटियों को निवेश से हटाने के द्वारा प्राप्त धन से सार्वजनिक ऋणों की अदायगी करने तथा भारतीय रिजर्व बैंक के लाभांशों को उगाहने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1991-92 (सं० अ०) के अन्त में केन्द्रीय सरकार के आंतरिक लोक ऋण/और अन्य देयताओं की राशि 3,17,`79 करोड़ रुपए थी। सरकारी लेखों में धारित जब्त किए गए सोने की मात्रा 1-4-1992 और 19-11-1992 को क्रमशः 186.8 कि० ग्रा० और 1.071 कि० ग्रा० थी।

(ख) और (ग) जी नहीं।

भारतीय पटसन निगम के खरीद केन्द्र

886. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :**

श्री सूर्यनारायण यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिलहाल कार्यरत पटसन खरीद केन्द्रों, विशेषतौर पर भारतीय पटसन निगम के अन्तर्गत का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान खोले गए नए पटसन केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल तथा उत्तरी बिहार में ऐसे और केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन केन्द्र की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) वर्ष 1992-93 मौसम के दौरान कार्यरत जे० सी० आई० के विभागीय क्रय केन्द्रों और उप केन्द्रों की राज्यवार संख्या निम्नानुसार है :

राज्य	जे० सी० आई० के क्रय केन्द्र	
	वि० क्र० केन्द्र	उप-केन्द्र
पश्चिम बंगाल	76	40
बिहार	16	12
उत्तर प्रदेश	1	1
असम	24	5
मेघालय	1	—
उड़ीसा	55	5
त्रिपुरा	4	4
आन्ध्र प्रदेश	8	6
योग :	135	73

(ख) जे० सी० आई० ने चालू वर्ष के दौरान कोई भी नया पटसन क्रय केन्द्र नहीं खोला है।

(ग) से (ङ) न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर बिक्री के लिए पेश किए जाने वाले कच्चे पटसन की सम्पूर्ण मात्रा की खरीदारी करने के उद्देश्य से जे० सी० आई० ने पटसन उपजाने वाले क्षेत्रों में सहकारी समितियों को अभिकरणों के रूप में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है ताकि पटसन उपजाने वाले किसानों के हितों की रक्षा की जा सके।

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात को आर्थिक सहायता

[हिन्दी]

887. **श्री छीतू भाई गामीत :**

श्री काशीराम राणा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गुजरात की विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ऐसी किन-किन परियोजनाओं के लिए कोष प्रदान किए जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 25870.00 लाख रुपए।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात में जीवन बीमा निगम की वित्तीय सहायता राज्य सरकार आवास योजनाओं, जल आपूर्ति एवं मल निकासी योजनाओं तथा राज्य बिजली बोर्ड एवं राज्य सड़क परिवहन निगम की योजनाओं के लिए उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, जीवन बीमा निगम राज्य सरकार के ऋणों और राज्य वित्त निगम एवं राज्य बिजली बोर्ड के बांडों में अभिदान करता है।

भारतीय श्रम सम्मेलन का 30वां अधिवेशन

[अनुवाद]

४४४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :

श्री मृत्युंजय नायक :

डा० कृपासिंधु भोई :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन का 30वां अधिवेशन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें चर्चा किए गये विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पबा सिंह घाटोवार) : (क) जी, हां। भारतीय श्रम सम्मेलन का 30वां सत्र 7 और [illegible] सितम्बर, 1992 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

(ख) सम्मेलन की कार्यसूची निम्नलिखित थी :—

(i) पिछले सम्मेलन के कार्यवृत्त की पुष्टि।

(ii) पिछले सम्मेलन के निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई।

(iii) औद्योगिक सम्बन्धों से सम्बन्धित कानून के लिए प्रस्ताव तैयार करने को ध्यान में रखते हुए नए औद्योगिक सम्बन्ध कानून सम्बन्धी रामानुजम समिति की रिपोर्ट पर विचार करना।

(iv) नई औद्योगिक नीति : श्रमिकों पर इसका प्रभाव।

(v) रोजगार नीति।

(ग) सम्मेलन के निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

भारतीय श्रम सम्मेलन के तीसवें सत्र (7-8 सितम्बर, 1992) के निष्कर्ष

1. पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

2. अप्रैल, 1990 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट किया गया।

3. यह देखा गया कि भारत सरकार ने पहले ही द्विपक्षीय रामानुजम समिति की सिफारिशों पर केन्द्रीय व्यवसाय संघ संगठनों, केन्द्रीय कर्मचारी संगठनों तथा राज्य सरकारों द्वारा व्यक्त की गई राय पर विचार किया है। इस संदर्भ में सम्मेलन में यह अनुभव किया गया कि इस संबंध में भारत सरकार के विचार जान लेने के बाद इस मामले पर विचार करना अधिक उपयोगी रहेगा। अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि प्रस्तावित औद्योगिक सम्बन्ध और व्यवसाय संघ विधेयक का मसौदा सभी पक्षों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और सुझावों और इस समय देश और विदेशों में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। अध्यक्ष ने सम्मेलन में उपस्थित पक्षों के चुने हुए दलों के प्रतिनिधियों द्वारा मसौदा विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव भी किया।

4. नई औद्योगिक नीति के प्रभाव के बारे में अध्यक्ष ने प्रधानमन्त्री द्वारा दिए गए आश्वासन का हवाला दिया कि नई औद्योगिक नीति से श्रमिकों को कोई कठिनाई नहीं होगी और श्रमिकों के वैधानिक हितों की रक्षा की जाएगी।

5. पुन: प्रशिक्षण और पुन: काम पर लगाए जाने के बारे में सम्मेलन ने इच्छा व्यक्त की कि ऐसे पुन: प्रशिक्षण और पुन: नियोजन के लिए श्रमिकों और उद्योग-वार और व्यवसायवार पुनर्नियोजन योजना की पहचान की जाए। सम्मेलन में यह भी विचार व्यक्त किया गया कि सरकार पुन: प्रशिक्षण के लिए एजेंसी की पहचान करे और बताए कि पुन: प्रशिक्षण के लिए श्रमिकों की पहचान करने और उन्हें पुनर्नियोजित करने के बीच क्या समय अन्तराल होगा। सम्मेलन यह भी जानना चाहता था कि एक इकाई के श्रमिक को दूसरी इकाई में किस प्रकार पुनर्नियोजित किया जाएगा।

6. अतिरिक्त श्रमिकों को खपाने, यदि कोई हों, और क्षमता का अधिकतम उपयोग करने के लिए सम्मेलन ने इकाइयों को 24 घंटे और सप्ताह के सभी दिनों में काम करवाकर उनका विविधीकरण और व्यापक आधार बनाये जाने का सुझाव दिया।

7. सम्मेलन ने भारतीय उद्योग की कम उत्पादकता पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की और यह दृढ़ इच्छा व्यक्त की कि जहां कहीं सम्भव हो इसकी उत्पादकता में वृद्धि की जाए, इसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए और वस्तुओं की कीमत में कमी लाई जाए ताकि वे अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्पर्धा कर सकें। सम्मेलन ने सभी स्तरों पर अनुशासन और काम के प्रति समर्पण के प्रति प्रयास करने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के लिए द्विपक्षीय प्रयासों को संस्था का रूप दिया जाए।

8. व्यवसाय संघों ने मांग की :

(i) एक अध्यादेश जारी करके पात्रता और गणना दोनों के लिए बोनस की सीमा को समाप्त किया जाए;

(ii) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960 शृंखला) के प्रति बिन्दु 2 रु० की दर से महंगाई भत्ते को तुरन्त लागू करना;

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों के प्रबन्धन को संघों के साथ उनके मांग-पत्र पर वार्ता शुरू करने की तुरन्त अनुमति दी जाए;

(iv) सरकार पेंशन और पेंशन योजना के समझौतों को शीघ्र लागू करवाने के लिए अनुमति दें;

(v) कर्मचारी भविष्य निधि पर दी जाने वाली ब्याज दर कम से कम 13% तक बढ़ाई जाए;

(vi) आय कर से छूट की सीमा को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए।

9. नियोजक चाहते थे कि बोनस की पात्रता और गणना की सीमा को हटाने के निर्णय को एक साल के लिए स्थगित किया जाए ताकि सुविचारित योजना तैयार की जा सके। वे कानून के अन्तर्गत निर्धारित किए गए आधार पर उत्पादकता से जुड़े बोनस की भी अपेक्षा करते हैं।

10. व्यवसाय संघों ने उल्लेख किया कि पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग लगभग 25 वर्ष पूर्व बनाया गया था और अब नए राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन करने का समय आ गया है ताकि इस बीच में हुए अनेक परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों के विद्यमान मुद्दों पर विचार किया जा सके।

11. श्रमिकों से सम्बन्धित नीतियां तैयार करते समय व्यवसाय संघों से परामर्श को सरल बनाने के उद्देश्य से योजना आयोग में श्रम सैल को पुनर्जीवित किया जाए। सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा रोजगार नीति के संबंध में व्यक्त किए गए विचार योजना आयोग तथा योजना आयोग/राष्ट्रीय विकास परिषद की दो उप-समितियों के विचारार्थ भेजे जाएंगे जोकि रोजगार नीति के कार्यान्वयन के लिए नीतियों पर विचार कर रही हैं।

सोवियत सहायता से कोयला परियोजनाएं

889. **श्री शरद यादव :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा भूतपूर्व सोवियत संघ की सहायता से शुरू की गई प्रमुख कोयला परियोजनाओं के नाम क्या है;

(ख) क्या सोवियत संघ के विघटन के साथ उस देश से उपकरणों और प्रौद्योगिकी की आपूर्ति बन्द हो गई है;

(ग) यदि हां, तो उपकरणों और प्रौद्योगिकी की वैकल्पिक आपूर्ति करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है और उसका क्या परिणाम निकला है; और

(घ) इन परियोजनाओं के पूरा होने पर कुल मिलाकर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) निम्नलिखित चार मुख्य

कोयला परियोजनाओं को भूतपूर्व सोवियत संघ की सहायता से कार्यान्वयन हेतु शुरू किया गया था—

(1) खादिया ओ० का० (नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०)

(2) निगाही ओ० का० (नार्दर्न कोलफील्ड्स लि०)

(3) झांजरा भूमिगत (इस्टर्न कोलफील्ड्स लि०)

(4) पाथरडीह वाशरी का आधुनिकीकरण (भारत कोकिंग कोल लि०)

(ख) से (घ) सोवियत संघ के विघटन से उपकरणों तथा अतिरिक्त कल-पुर्जों, जो कि सोवियत संघ द्वारा निर्मित थे के बारे में कुछ अनिश्चितता की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि यह चालू परियोजनाओं के कार्यान्वियन पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा, चूंकि सम्बद्ध रूसी संगठनों के साथ बातचीत की गई है/चल रही है। इन परियोजनाओं के कामकाज को सुचारू रूप से चलाए जाने हेतु निम्न अंतरिम कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं—

(1) सोवियत संघ निर्मित उपकरणों में मुख्य पुर्जे जोड़ने/उप पुर्जे जोड़ने के स्थान पर स्वदेशी निर्मित पुर्जों को लगाने की योजना बनाई जा रही है।

(2) जहां तक सम्भव हो अतिरिक्त पुर्जों का देश में ही निर्माण किया जाए।

(3) निर्माताओं के साथ मुख्य अतिरिक्त पुर्जों की प्राप्ति हेतु सीधा सम्पर्क किया जाए और न कि इसे सोवियत रूस के व्यापार गृहों तक सीमित रखा जाए।

(4) अन्य स्रोतों से इन परियोजनाओं के लिए भविष्य में उपकरणों को प्राप्त करने के लिए समानान्तर व्यवस्थाएं आवश्यकता अनुसार की जा रही हैं।

कोकिंग कोयले का उत्पादन

890. **श्री शरत् चन्द्र पटनायक** :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोकिंग कोयले की कुल मांग कितनी है;

(ख) क्या इसका स्वदेशी उत्पादन, मांग को पूरा करने में असमर्थ है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान कोकिंग कोयले का कुल कितना आयात किया गया; और

(घ) मांग को स्वदेशी उत्पादन से ही पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में कच्चे कोककर कोयले की मांग 33 मि० टन होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) और (ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इस्पात संयंत्रों द्वारा देशीय कोयले की उपलब्धता तथा उसकी मांग के अन्तराल को पूरा किए जाने के लिए और इस्पात संयत्रों में प्रयोग में लाए जाने के लिए समग्र रूप में मिश्रण हेतु गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए 6.08 मि० टन कोककर कोयले का आयात किया गया था।

(घ) कोककर कोयले की देशीय उपलब्धता में वृद्धि किए जाने के लिए, अन्य बातों के

अलावा, कुछ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं—

(1) विद्यमान खानों को पुनर्गठित करके तथा नई खानों को विकसित करके कच्चे कोककर कोयले की उपयोगिता में वृद्धि किया जाना;

(2) कोककर कोयले के स्रोतों को पुनः सुदृढ़िकृत किया जाना, जो कि गुणवत्ता के पहलु को देखते हुए वर्ष 1984-85 में वाशरियों से असंयोजित कर दिए गए थे;

(3) दो नई वाशरियों को चालू किया जाना, एक मधुबन्ध एवं एक केडला में ताकि विद्यमान ढुलाई क्षमता में वृद्धि की जा सके;

(4) क्षमता उपयोगिता में तथा कोककर कोयले की गुणवत्ता में सुधार किए जाने के लिए पल्तेकर समिति की सिफारिशों के क्रियान्वयन द्वारा विद्यमान कोककर कोयला वाशरियों में सुधार किया जाना;

(5) मेघालय तथा असम की कोककर कोयला खानों की निम्न राख वाले कोककर कोयले को बढ़ी हुई मात्रा उपलब्ध करके विनिर्दिष्ट किया जा रहा है।

गुजरात में केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों में हड़ताल व तालाबन्दी

891. **श्री चन्द्रेश पटेल** :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92 में गुजरात के कुछ केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों/उद्योगों में हड़ताल और तालाबन्दी हुई थी;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक हड़ताल और तालाबन्दी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ हड़तालें और तालाबन्दी वापिस ले ली गयी थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस अवधि के दौरान जान व माल की कुल कितनी हानि हुई; और

(च) ऐसी हड़तालों और तालाबन्दियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) 1991-92 के दौरान गुजरात में एक केन्द्रीय क्षेत्र प्रतिष्ठान में हड़ताल हुई थी। यह हड़ताल बड़ौदा स्थित इंडियन पेट्रो-केमिकल्स लि० में हुई थी।

(ख) इस हड़ताल का कारण वार्षिक आय के 35% की दर से बोनस देने की मांग रही (बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत 20% तथा 15% प्रोत्साहन राशि)।

(ग) और (घ) उक्त हड़ताल उसी दिन अर्थात् 15-10-91 को वापस ले ली गयी थी। 10,000 कर्मकारों में से 2627 कर्मकारों ने हड़ताल में भाग लिया था। हड़ताल बिना शर्त वापस ले ली गयी थी।

(ङ) शून्य।

(च) हड़ताल होने के पूर्व राज्य सरकार तंत्र ने 10-10-1991 और 14-10-91 को हस्तक्षेप किया था।

बसों के लिए एस० टी० ए० परमिट

[हिन्दी]

892. **श्री मदन लाल खुराना :**

जल-भूतल परिवहन मंत्री 10 जुलाई, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 3000 बसों के लिए परमिट जारी कर दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी बसें चलने लग गयी हैं;

(ग) क्या इन बसों के सम्बन्ध में यात्रियों की शिकायतों की जांच करने के लिए कोई तन्त्र स्थापित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) दिल्ली परिवहन प्राधिकरण ने 19-11-1992 तक रेड लाइन बसों के लिए 1007 परमिट जारी किए हैं।

(ख) 19-11-92 की स्थिति के अनुसार 1007 बसें चल रही हैं।

(ग) और (घ) परिवहन विभाग, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में चलने वाले वाहनों के संबंध में आम जनता से शिकायतें प्राप्त करने के लिए अपने मुख्यालयों में शिकायत कक्ष स्थापित किए हैं। ये शिकायत कक्ष चौबीस घन्टे कार्य कर रहे हैं जिनके फोन नम्बर इस प्रकार हैं—

2515740, 2517300, 2517403, 2526902, 2526172.

गुजरात में कोयले की कमी

893. **श्री काशीराम राणा :**

श्री महेश कनोडिया :

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में कोयले की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में कोयले की कितनी मात्रा की आवश्यकता है तथा कितना कोयला उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार गुजरात को और अधिक मात्रा में कोयला उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह कब तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा?

कोयला मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) से (घ) गुजरात राज्य में गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को कोयले के संचलन में कमी, महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे विद्युत इत्यादि को प्राथमिकता के आधार पर कोयले का संचलन रेल द्वारा किए जाने से हुई है। हालांकि कोयला कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र में कोयले की आपूर्ति न्यूनतम 50% तक रेल या सड़क द्वारा संयोजित करके कोयले की आपूर्ति का सुनिश्चिय करें।

कोयला कंपनियां किसी जिले अथवा क्षेत्र विशेष के लिए कोयले के प्रेषण के अलग से आंकड़े नहीं रखती हैं। किन्तु राज्य-वार प्रेषण का उनके द्वारा हिसाब रखा जाता है। गुजरात राज्य में विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयले की कुल आपूर्ति कोल इंडिया लि० के स्रोतों से पिछले दो वर्षों में अर्थात् वर्ष 1990-91 में 146.55 लाख टन तथा वर्ष 1991-92 में 151.8 लाख टन की गई है। गुजरात राज्य को चालू वर्ष में प्रेषित किए जाने वाले कोयले की मात्रा ऊंची होने की सम्भावना है।

लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता

[अनुवाद]

894. **श्री साइमन मरांडी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में लघु एककों को 35 लाख रु० से अधिक लागत की मशीनरी और संयंत्रों के लिए बैंकों द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की सुविधा को समाप्त करने का निर्णय किया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घोषणा से विद्यमान लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और नए उद्यमी हतोत्साहित हुए है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए के अवमूल्यन और मुद्रा की कमी को देखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा करने और 60 लाख रुपये की सीमा को जिसे घटाकर 35 लाख रुपए कर दिया गया है, पुनः बहाल करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं। तथापि, प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत लघु उद्योग वर्गीकरण केवल उन्हीं एककों के बारे में दिया जाता है जिनका संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश 35 लाख रुपए (अनुषंगी उपक्रमों के मामले से 45 लाख रुपए) से अधिक न हो।

(ख) से (घ) ये प्रश्न पैदा ही नहीं होते।

श्रम शोध अध्ययन को श्रमिक ब्यूरो को सौंपना

895. **श्री संदीपान भगवान थोरात :**

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान श्रमिक ब्यूरो को कौन-कौन से महत्वपूर्ण श्रम शोध अध्ययन सौंपे गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार संगठित तथा असंगठित कृषि क्षेत्र में श्रमिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नीति निर्धारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु इस ब्यूरो को सक्षम तथा सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से इसके कार्य निष्पादन की समीक्षा करने का है;

(ग) ठेका श्रमिक सर्वेक्षण, की दशाओं तथा पारिश्रमिक के सम्बन्ध में सर्वेक्षण अन्तिम बार कब कराए गए थे;

(घ) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी ऐसे सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : (क) चालू वर्ष के दौरान श्रम ब्यूरो को सौंपे गये प्रमुख श्रम शोध अध्ययनों की सूची निम्नलिखित हैं—

1. उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण ।

2. व्यवसायिक मजदूरी सर्वेक्षण ।

3. शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति श्रमिकों के कार्यकरण और रहन-सहन की दशाओं का सर्वेक्षण ।

4. श्रम स्थितियों का सर्वेक्षण ।

5. ठेका श्रमिक सर्वेक्षण ।

6. असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का कार्यकरण और रहन-सहन की दशायें ।

7. ग्रामीण श्रम जांच ।

8. विभिन्न उद्योगों में महिला कर्मकारों की सामाजिक आर्थिक दशाओं का सर्वेक्षण ।

9. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में मूल्यांकन अध्ययन ।

(ख) सरकार श्रम ब्यूरो को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर उसके निष्पादन की समीक्षा करती हैं और संगठित एवं असंगठित कृषि क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों से संबंधित मुद्दों पर नीति निर्धारकों के लिए आवश्यक सूचनायें उपलब्ध कराती है ।

(ग) (i) लौह अयस्क खानों में ठेका श्रमिक सर्वेक्षण वर्ष 1989-90 में किया गया था ।

(ii) इलेक्ट्रानिक्स उद्योग में श्रमिकों की दशाओं का सर्वेक्षण वर्ष 1991 में किया गया था ।

(iii) मजदूरी-गणना-अंतिम दौर अर्थात् मजदूरी गणना का चौथा दौर (अब इसे व्यवसायिक मजदूरी सर्वेक्षण कहा जाता है) 7वीं प्लान योजना के रूप में 1985 से 1990 तक आयोजित किया गया था ।

(घ) जी, हां । ठेका श्रम सर्वेक्षण और श्रमिकों की दशाओं का सर्वेक्षण आठवीं योजना के दौरान आयोजित करने का प्रस्ताव है क्योंकि ये नियमित प्रकृति के सर्वेक्षण हैं ।

मजदूरी-गणना के मामले में आठवीं प्लान योजना के रूप में एक नया दौर अर्थात् व्यवसायिक मजदूरी सर्वेक्षण का 5वां दौर आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(ङ) ठेका श्रम सर्वेक्षण के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान पेट्रोलियम रिफाइनरियों और तेल क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है। 5 सूचीबद्ध उद्योगों अर्थात् प्लास्टिक वस्तुओं, रंग रोगन, टायर एवं दुपहिया वाहन, टी० वी० निर्माण और कम्प्यूटर उद्योग में से एक में श्रमिकों की दशाओं का सर्वेक्षण करने का भी प्रस्ताव है। प्रस्तावित व्यवसायिक मजदूरी सर्वेक्षण के पांचवें दौर में 53 चयनित उद्योगों के बारे में रोजगार, मजदूरी दरों, महंगाई भत्ते, आय अर्जनों एवं समयोपरिभत्ते आदि के बारे में व्यवसायिक आंकड़े एकत्र किए जाने की सम्भावना है।

गुजरात में नौका सेवा

[हिन्दी]

896. श्री **चन्दूभाई देशमुख** :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास गुजरात में दाहेज तथा घोगा के बीच नौका सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह सेवा कब तक शुरू कर दी जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर राज्य वित्त निगम का बंद किया जाना

[अनुवाद]

897. श्री गुरुदास कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य वित्त निगम वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या निगम पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की काफी देनदारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा निगम को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां,। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि जम्मू और कश्मीर राज्य वित्त निगम के सामने मुख्यतः

निम्नलिखित कारणों से नकदी सम्बन्धी समस्यायें आ रही है :—

(1) घाटी में दंगाग्रस्त परिस्थितियों के कारण देय राशियों की कम वसूली के परिणाम स्वरूप निगम की बढ़ती हुई अतिदेय राशियां,

(2) गत दो वर्षों के दौरान निगम को हुआ घाटा।

(ग) और (घ) जी, हां। दिनांक 31 अक्तूबर, 1992 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के लिए निगम की अतिदेय राशियां नीचे दी गई हैं :—

(लाख रुपए)

	मूलधन	ब्याज	कुल
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	117	30	147
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	3214	349	3563

(ङ) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि उसने जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को पहले ही लाह दी है कि वह निगम की आवश्यकताओं की जांच करे और अपनी वसूली ठीक करने के लिए उपाय करें। अलबत्ता, निगम द्वारा की गई चूकों के बावजूद भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने निगम को संसाधन सम्बन्धी सहायता देना जारी रखा।

नशीली औषधों की तस्करी

898. **श्री हरिन पाठक :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की गुजरात सीमा से होते हुए पाकिस्तान से यूरोपीय देशों को भारी मात्रा में नशीली औषधों की तस्करी की जा रही है;

(ख) भारत सरकार ने तस्करों से कितनी मात्रा में नशीली औषधें जब्त कीं; और

(ग) सरकार ने गुजरात की सीमा पर ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सुनहरी चापाकार (गोल्डन क्रीसेंट) में उत्पादित नशीले पदार्थों के परिगमन मार्गों में से एक गुजरात भी है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है तथा जिसकी तस्करी यूरोपीय देशों में होती है

(ख) वर्ष 1991 तथा 1992 में गुजरात में हुई नशीले पदार्थवार जब्तियां निम्न प्रकार है :—

वर्ष 1991

जब्त किए गए नशीले पदार्थ का नाम

(i) हेरोइन (कि॰ ग्रा॰ में) 2.253, मामलों की संख्या = 3

कर्मचारी जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय विमान तकनीशियन संघ द्वारा किया जाता है

1. ए-320 विमानों के परिचालन पर पक्का निर्णय।
2. ए-320 पर निर्णय लंबित रहने के दौरान इंडियन एयरलाइन्स को किसी विदेशी एजेंसी से वेटलीज पर विमान लेने से मना करना चाहिए।
3. निजी उद्यमियों को भारत में वाणिज्यिक हवाई परिवहन का परिचालन करने पर प्रतिबंध होना चाहिए।
4. वायुदूत को केवल फीडर मार्गों पर परिचालन की अनुमति होनी चाहिए।
5. प्रभावी कार्य-चालन के लिए वायु निगम अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अनुसार इंडियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक-वर्ग को प्राधिकार बहाल रहना चाहिए।
6. वायु निगम अधिनियम, 1953 के निरसन को वापस लेना।
7. एन०आई०टी० को भेजा गया संदर्भ वापस लेना और द्विपक्षीय वार्ता शुरू करना।
8. मांग-पत्र पर अन्तिम निर्णय होने तक वेतन-अन्तरिम सहायता।
9. इंडियन एयरलाइन्स के सभी कर्मचारियों के लिए उपयुक्त पेंशन योजना शुरू करना।
10. मौजूदा डी०ए० टैरिफ को तुरन्त अन्तिम रूप देना।
11. मौजूदा बोनस सीमा को बढ़ाना।
12. तकनीशियनों के लिए प्रणाली का अनुमोदन शुरू करना।
13. निरीक्षकों का अधिक अनुमोदन/कवरेज।
14. मौजूदा कार्यभार से बाहर के ठेके के सभी उपायों को रोकना।
15. समता/सापेक्षता कायम करना।
16. आर०टी० भत्तों में वृद्धि।

कर्मचारी जिनका प्रतिनिधित्व भारतीय उड़ान इंजीनियर्स संघ द्वारा किया जाता है

1. ए-320 विमानों के परिचालन पर पक्का निर्णय।
2. ए-320 पर निर्णय लंबित रहने के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स को किसी विदेशी एजेंसी से वेटलीज पर विमान लेने से मना करना चाहिए।

3. निजी उद्यमियों को भारत में वाणिज्यिक हवाई परिवहन का परिचालन करने पर प्रतिबंध होना चाहिए।

4. वायुदूत को केवल फीडर मार्गों पर परिचालन की अनुमति होनी चाहिए।

5. प्रभावी कार्य-चालन के लिए वायु निगम अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अनुसार इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक-वर्ग को प्राधिकार बहाल रहना चाहिए।

6. ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) पदोन्नति।

7. अतिरिक्त विशेष यात्रा भत्ता।

8. आई० एन० एस० भत्ता।

9 पारगमन जांच/जांच "ए" निरीक्षण।

कर्मचारी, जिनका प्रतिनिधित्व एयरलाइन रेडियो अधिकारी और उड़ान प्रचालन अधिकारी संघ द्वारा किया जाता है

1. ए-320 विमानों के परिचालन पर पक्का निर्णय।

2. ए-320 पर निर्णय लम्बित रहने के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स को किसी विदेशी एजेंसी से वेटलीज पर विमान लेने से मना करना चाहिए।

3. निजी उद्यमियों को भारत में वाणिज्यिक हवाई परिवहन का परिचालन करने पर प्रतिबंध होना चाहिए।

4. वायुदूत को केवल फीडर मार्गों पर परिचालन की अनुमति होनी चाहिए।

5. प्रभावी कार्य-चालन के लिए वायु निगम अधिनियम, 1953 के प्रावधानों के अनुसार इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्धक वर्ग को प्राधिकार बहाल रहना चाहिए।

6. कम्प्यूटर भत्ते की अदायगी।

7. फ्लाइट क्लीयरेंस भत्ता।

कर्मचारी, जिनका प्रतिनिधित्व हवाई यातायात नियंत्रक गिल्ड द्वारा किया जाता है

1. गतिरोध को हटाने के लिए सभी स्तरों पर समय-सीमा पदोन्नति सुनिश्चित करना।

2. हवाई अड्डों का प्रबन्ध विमान क्षेत्र प्राधिकारियों को बहाल करना।

3 सभी हवाई यातायात नियंत्रकों को रात्रि भार/पारी भत्ता और सप्ताह मे छुट्टी।

4. ए०टी०सी० कार्मिकों को उनके कार्य के स्वरूप के कारण अपेक्षाकृत उच्च स्तर का समझा जाए।

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) सरकार द्वारा जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार युद्धपोतों का निर्माण, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है, को छोड़कर जहाज निर्माण उद्योग के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 10,000 डी० डब्ल्यू० टी० तक के यंत्रीकृत सेलिंग वैसल्स के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी और 51% तक विदेशी इक्विटी की भागीदारी की स्वतः अनुमोदन की अनुमति दी गई है। निजी क्षेत्र के उद्यमी यथा आवश्यक विदेशी सहयोग से देश में नये शिपयार्ड स्थापित कर सकते हैं।

जहाज मरम्मत उद्योग एक लाइसेंसशुदा उद्योग नहीं है और यह निजी क्षेत्र के लिए खुला है। निजी उद्यमियों/अनिवासी भारतीयों के इस क्षेत्र में प्रवेश को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर देश की आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत जहाज मरम्मत उद्योग को 100% निर्यात अभिमुख यूनिटों पर यथा रियायतें और सुविधाएं दी जाती हैं।

(ग) और (घ) सरकार की औद्योगिक और वित्तीय नीति में हाल में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए जहाज निर्माण उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए राहत उपायों का एक पेकेज तैयार किया जा रहा है।

एक्जिम स्क्रिप काण्ड में बैंक अधिकारियों का सम्मिलित होना

902. **डा० राजागोपालन श्रीधरण**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा एक्जिम स्क्रिप काण्ड के सिलसिले में हाल के महीनों में "इण्डियन बैंक" के कई अधिकारी पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त काण्ड में कुछ अन्य व्यक्तियों को भी सम्मिलित पाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि कोयापेट्टा शाखा, मद्रास के एक अधिकारी को उन्होंने अक्तूबर, 1992 में एक्जिम स्क्रिप काण्ड से सम्बन्धित एक मामला आर० सी० 14 (एस)/92—एम० ए० एस० की जांच करने के दौरान गिरफ्तार किया था। इण्डियन बैंक के एक अन्य अधिकारी ने मुख्य सत्र न्यायाधीश, मद्रास के न्यायालय से दिनांक 2-11-92 को अग्रिम जमानत प्राप्त की थी।

इस मामले में, मद्रास की एक कम्पनी एक्जिम स्क्रिप प्राप्त करने में लिप्त पाई गई थी जो 49.61 लाख रुपये की राशि थी। इसे उन्होंने जाली दस्तावेजों के आधार पर संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात और निर्यात, मद्रास से प्राप्त किया था। इस मामले में कम्पनी के निदेशक को गिरफ्तार किया गया है। इण्डियन बैंक ने सूचित किया है कि इण्डियन बैंक के जिस अधिकारी को केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है उसे बैंक ने 9-10-92 से निलम्बित कर दिया है।

आगरा छावनी में सड़क की स्थिति

[हिन्दी]

903. **श्री भवानी शंकर रावत** :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा छावनी बोर्ड ने सरकार से छावनी क्षेत्र में सड़कों के निर्माण और मरम्मत हेतु अनुदानों में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) सरकार इस उद्देश्य हेतु अनुदान कब तक देगी ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) (क) से (ग) आगरा छावनी बोर्ड ने किसी विशेष सहायता अनुदान या विशेषकर सड़क मरम्मत के लिए सामान्य अनुदान में वृद्धि के लिए कोई मांग नहीं की है। तथापि, चालू वर्ष में 7.55 लाख रुपये लागत की सड़क मरम्मत कार्य की स्वीकृति दी गई है, जबकि इस सम्बन्ध में, पिछले तीन वर्षों में हुआ औसत व्यय 3.71 लाख रुपये था। छावनी बोर्ड को वर्ष 199 -93 में क्रमशः 10 लाख रुपये और 90 लाख रुपये, सामान्य अनुदान और सेवा प्रभार के रूप में दिए गए हैं। वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त सहायता अनुदान देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारत कोकिंग कोल लि० में कोयले की चोरी

904. **श्री एन० जे० राठवा** :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वित्तीय वर्ष में इसका ब्यौरा क्या है तथा इसका अनुमानित मूल्य कितना है; और

(ग) सरकार कौन से उपचारात्मक उपाय करने जा रही है ?

कोयला मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एस० बी० न्यामगौड) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है :—

	1990	1991	1992 (जन० से सित०)
1. वर्ष के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल द्वारा पकड़े गए कुल मामलों की संख्या	608	8 5	651

2.	सम्बन्धित कोलियरी प्रबन्धन को सौंपे गए मामले (छापों के दौरान जब्त किया गया कोयला सुपुर्द कर दिया जाता है)	698	761	546
3.	वर्ष के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल द्वारा जब्त किए गए कोयले की कुल लागत	14,10,501 रु०	22,45,143 रु०	25,46,830 रु०
4.	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	231	231	189

(ग) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल द्वारा राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर छापे मारे जा रहे हैं। इसके अलावा, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल द्वारा निगरानी रखी जाती है।

बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा

905. **श्री सूर्यनारायण यादव :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तरी बिहार की नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नेपाल सरकार से भी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा उल्लंघन सम्बन्धी मामले

[अनुवाद]

906. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश की जल, थल और नभ सीमाओं को अन्य देशों द्वारा जनवरी—सितम्बर, 1992 के दौरान कितनी बार उल्लंघन किया गया;

(ख) क्या सम्बन्धित देशों से प्रत्येक मामले को उठाया गया है; और

(ग) सीमा उल्लंघनों में, क्षेत्रवार हताहत हुए जवानों की संख्या कितनी है ?

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पवार) : (क) से (ग) जनवरी से सितम्बर, 1992 के दौरान

हमारी प्रादेशिक सीमाओं/हवाई क्षेत्रों/समुद्री सीमाओं के उल्लंघन की कई घटनाएं हुई हैं। कुछ घटनाओं में लोग हताहत हुए हैं और इस सम्बन्ध में सरकार ने सम्बन्धित देशों को अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है। इस सम्बन्ध में अधिक ब्यौरे देना वांछनीय नहीं होगा।

कच्चे पटसन को आवश्यक वस्तु घोषित करना

[हिन्दी]

907. **श्री राजेश कुमार :**

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को श्रमिक संगठनों की ओर से कच्चे पटसन को आवश्यक वस्तु घोषित करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस पर सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या कच्चे माल की कमी के कारण 10 से अधिक पटसन मिलों को बन्द कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप लगभग 50,000 श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार इन मिलों को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) (क) और (ख) अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 2 (क) के अन्तर्गत सरकार ने कच्चे पटसन को पहले से ही अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिया है।

(ग) कच्चे पटसन की कमी के कारण कोई भी पटसन मिल बन्द नहीं हुई है। तथापि 3-11-92 की स्थिति अनुसार विभिन्न अन्य कारणों अर्थात् वित्तीय संकट, श्रमिक समस्या आदि के कारण 14 पटसन मिलें बन्द पड़ी हुई हैं।

(घ) सरकार ने पटसन उद्योग का पुनरुद्धार करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें शामिल हैं पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तुओं की पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग अधिनियम, 1987 का अधिनियमन जिसमें विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति और विवरण में पटसन के अनिवार्य प्रयोग का प्रावधान, पटसन आधुनिकीकरण निधि का सृजन, विशेष पटसन विकास निधि की स्थापना, राजकोषीय, वित्तीय और विपणन सहायता की मंजूरी आदि।

निजी क्षेत्र द्वारा रक्षा उपकरणों का निर्यात

[अनुवाद]

908. **श्री विजय एन० पाटिल :**

श्री कमल चौधरी :

डा० लाल बहादुर रावल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र को रक्षा उपकरणों का निर्यात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के रक्षा उपकरणों का निर्यात किये जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे पूर्वोपाय किये हैं कि निर्यात किये जाने वाले उपकरण रक्षात्मक ही हों, आयुध श्रेणी के नहीं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मार्गनिर्देश जारी किये गये हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) निजी क्षेत्र में उत्पादित सैन्य भंडारों का निर्यात किया जा सकता है। बशर्ते, वे भारत सरकार के साथ हुए संविदात्मक दायित्व को पूरा करते हों और उनके पास निर्यात लाइसेंस हो। निजी क्षेत्र, आयुध निर्माणियों और सरकारी क्षेत्र की रक्षा उत्पादन इकाइयों द्वारा उत्पादित मदों के निर्यात में भी सहायता कर सकता है।

(ख) से (घ) निर्यात किये जाने वाले रक्षा सामान में बहुत-सी मदें शामिल हैं। राजनैतिक तथा युद्धनीतिक दृष्टिकोण से उचित समझे जाने के पश्चात् ही इनके निर्यात की अनुमति दी जाती है।

रक्षा मंत्री की भूतपूर्व सोवियत संघ राज्यों की यात्रा

909. **डा० डी० वेंकटेश्वर राव** :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री शरद दिघे :
डा० ए० के० पटेल :
श्री सत्यदेव सिंह :
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री चन्द्रजीत यादव :
श्री चित्त बसु :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री बीर सिंह महतो :
श्री सुधीर सावन्त :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री प्रभुदयाल कठेरिया :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री बृजभूषण शरण सिंह :
श्री अन्ना जोशी :
श्री महेश कुमार कनोडिया :
श्री माणिकराव होल्डया गावीत :
श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीरसागर :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में रूस का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रूस ने पूर्व में किए गए सभी रक्षा समझौता शर्तों को पूरा करने का वायदा किया है;

(ग) क्या उन्होंने भूतपूर्व सोवियत संघ के अन्य राज्यों का भी दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो यात्रा के क्या परिणाम रहे ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां।

(ख) रूस की सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वे रक्षा सम्बन्धी मामलों में अपना सहयोग जारी रखेंगे। तथापि, रूस की वर्तमान स्थिति के कारण रक्षा सम्बन्धी समझौतों की शर्तों और स्वरूपों में कुछ परिवर्तन हुए हैं।

(ग) और (घ) रक्षा मंत्री ने हाल में यूक्रेन की यात्रा भी की है, वहां के नेताओं के साथ रक्षा सहयोग और उसके स्वरूप के बारे में समझौता हुआ है।

पूंजी बाजार पर सेमिनार

910. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अक्तूबर, 1992 में बढ़ते पूंजी बाजार के बारे में एक दो दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था;

(ख) सेमिनार में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) जी, हां।

(ख) सेमिनार में जो मुख्य सुझाव दिए गए, वे देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में विदेशी निवेश की भूमिका की जांच की आवश्यकता, पूंजी बाजार में कपटपूर्ण व्यवहारों को रोकने, कुछ गैर-प्रमुख क्षेत्रों में सरकारी इक्विटी के कुल विनिवेश, इंस्टीट्यूट आफ कम्पनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से सम्बद्ध तुलनात्मक अध्ययनों का काम हाथ में लेना, आई० सी० एस० आई० जैसे संस्थानों द्वारा पूंजी बाजार में व्याप्त वर्तमान बुराइयों को दूर करने के उपायों में सहयोग देना, कम्पनी सचिवों द्वारा अपनी निबोदता कम्पनियों के माध्यम से वास्तविक इक्विटी का विकास, कम्पनियों द्वारा स्व-विनियमन, कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों को सरल और कारगर बनाना, विदेशी मुद्रा जुटाना, भारतीय कम्पनियों द्वारा विश्वव्यापी जमा रसीद (ग्लोबल डिपनिटरी रिसीप्ट) निर्गमों के लिए लाक-इन-पीरियड को समाप्त करना आदि से सम्बन्धित हैं।

(ग) सेमिनार में उठाए गए मुद्दों के बारे में सरकार को जानकारी है। आशा है कि यदि एक बार सेबी अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए विनियम अधिसूचित हो जाते हैं तो फिर भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड पूंजी बाजार में व्याप्त कपटपूर्ण व्यवहारों का कारगर तरीके से मुकाबला करने की स्थिति में हो जाएगा। सरकार ने पहले ही विश्व-व्यापी जमा रसीद (ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीप्ट) निर्गमों के सम्बन्ध में लाक-इन-पीरियड को समाप्त कर दिया है।

विदेशी ऋण

911. श्री चन्दूलाल चन्द्राकर :

डा० के० डी० जेस्वाणी :

प्रो० रासासिंह रावत :

डा० ए० के० पटेल :

श्री विलास मुत्तेमवार :

श्री आनन्द अहिरवार :

श्री साईमन मराण्डी :

डा० असीम बाला :

श्री जनार्दन मिश्र :

श्री सनत कुमार मंडल :

श्री विजय कुमार यादव :

श्री आर० जीवरत्नम :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान विदेशी ऋण में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में मुद्रा-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष/अन्य बहुराष्ट्रीय एजेंसियों से और ऋण देने का निवेदन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आम व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ङ) इस ऋण में से कितनी राशि ब्याज और ऋण की अदायगी में समायोजित हो जायेगी;

(च) क्या बकाया राशि के भुगतान हेतु कोई समय सीमा निश्चित की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि में प्रत्येक देश को ब्याज और ऋण भुगतान के लिए दी गई राशि का मुद्रा-वार पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकार द्वारा देश को विदेशी ऋण से मुक्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/दीर्घावधि उपाय शुरू किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) सूचना, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) विदेशों/विदेशी संस्थानों के साथ सहायता सम्बन्धी बातचीत एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। देश की सहायता अपेक्षाओं का मूल्यांकन सामान्यतया अर्थव्यवस्था की आयात अपेक्षाओं; सम्भावित ऋण परिशोधन उत्तरदायित्व और समग्र अन्तर्राष्ट्रीय सहायता वातावरण की

ध्यान में रखते हुए, वर्ष-प्रति-वर्ष आधार पर किया जाता है;

(ङ) विदेशी ऋणों की वापसी अदायगी, प्रत्येक ऋण की शर्तों के अनुसार, देश के विदेशी मुद्रा अन्तर्प्रवाहों से की जाती है, जिसमें निर्यात आय और अदृश्य आय शामिल हैं।

(च) और (छ) विदेशी ऋणों की वापसी/अदायगी, प्रत्येक ऋण की शर्तों के अनुसार जब देय होता है, की जाती है। वर्तमान विदेशी ऋणों की अधिकतम परिपक्वता अवधि 50 वर्ष है जिनमें 10 वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।

(ज) सरकार देश के विदेशी कर्ज उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में सजग है और देश की कर्जदारी स्तर और सम्भावित ऋण परिशोधन भार पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। विदेशी ऋणों का कसार करते समय, इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि ऋण भार और देश का ऋण परिशोधन करने की अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक न हो। सरकार ने पहले से ही अधिक सुधारों का कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य दीर्घावधि पुनर्संरचना के साथ अल्पावधि स्थायीकरण करना है : ये सुधार देश की आर्थिक दशा में सुधार करेंगे और हमारी विकास प्रक्रिया को मजबूत प्रभावी बनाएंगे इसमें हमारी निर्यात अर्जित करने की क्षमता भी शामिल है, ताकि ऋणों की वापसी/अदायगी की हमारी क्षमता में वृद्धि हो और यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसे ऋण के परिशोधन में ऋण परिशोधन भार हमारी अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक न हो।

विवरण

(मिलियन में)

क्र० सं०	करेंसी का नाम	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93 (अनु०) (सितम्बर, 1992 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अमेरिकी डालर	17141.5	17923.8	18973.5	18842.9
2.	एस० डी० आर०	4925.1	6221.3	7473.6	8012.0
3.	यू० ए० ई० दरहम	27.2	22.7	18.1	15.9
4.	आस्ट्रेलिया शीलिंग	542.4	632.3	633.1	629.1
5.	बेल्जियम, फ्रां	3764.3	3574.8	3436.0	3515.4
6.	कनाडी डालर	674.2	660.2	643.5	634.4
7.	डेनमार्क क्रोन	987.6	977.7	964.7	956.5
8.	फ्रांस फ्रैंक	6432.2	6561.4	6774.5	6871.4
9.	ड्यूशमार्क	5402.8	5586.6	5971.0	6160.6

1	2	3	4	5	6
10.	जापानी येन	411960.0	460362.0	547944.0	550058.1
11.	कुवैती दीनार	55.4	55.3	47.7	46.0
12.	डी० जी०	1858.2	1902.6	1882.2	1842.4
13.	सऊदी रियाल	276.0	300.5	301.4	283.4
14.	स्विस क्रोनर	126.1	184.4	208.8	210.2
15.	स्विस क्रोनर	50.8	360.2	458.1	516.8
16.	पौंड स्टर्लिंग	195.2	168.1	142.6	130.7
17.	रूबल	856.1	942.9	939.7	947.3
18.	रुपया	359.6	523.4	519.6	514.6
विदेशी वाणिज्यिक उधार					
1.	अमेरिकी डालर	6615	7087	8127	
2.	जापानी येन	451340	546612	607058	
3.	ड्यूश मार्क	2057	2219	2581	
4.	पौंड स्टर्लिंग	358	356	370	
5.	स्विस फ्रांक	815	731	771	
6.	फ्रांस फ्रैंक	420	289	1219	
7.	अन्य (अमेरिकी डालर के समतुल्य)	858	730	527	

टिप्पणी : 30-9-1992 तक विदेशी व्यावसायिक उधारों के बारे में बकाया ऋण के करेंसीवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, इसका 14286 मिलियन अमेरिकी डालर के बराबर होने का अनुमान है।

अनु० =अनुमानित

मध्य प्रदेश में बैंक शाखाएं

[हिन्दी]

912. **कुमारी विमला वर्मा** :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के सियोन, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों में उन स्थानों के नाम क्या हैं

जहां पिछले तीन वर्षों में निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोली गई हैं;

(ख) क्या इन जिलों के अन्य क्षेत्रों में कुछ और शाखाएं खोलने के कुछ प्रस्ताव हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं तथा इन शाखाओं के कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों (1990 से 1992 तक) के दौरान बैंकों ने मध्य प्रदेश के सिवनी, नरसिंहपुर और जबलपुर के निम्नलिखित स्थानों पर शाखाएं खोली हैं :—

जिले का नाम	केन्द्र का नाम
सिवनी	शून्य
नरसिंहपुर	पूनिया
जबलपुर	जबलपुर (मदन महल)
	कासली लोहारी
	मुरवाड़ी
	टिमरी बेनीखेड़ा

(ख) और (ग) वर्तमान लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने जबलपुर के शहरी क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के लिए देना बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और बैंक आफ महाराष्ट्र को एक-एक शाखा आबंटित की है। भारतीय स्टेट बैंक ने दिनांक 24-3-1992 को जबलपुर में मदन महल में अपनी शाखा खोल दी है।

जहां तक अर्ध-शहरी केन्द्रों का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को निर्दिष्ट संख्या में अर्ध-शहरी केन्द्र आबंटित किए हैं, जिसके अन्दर वे अपनी पसंद के केन्द्र पर शाखाएं खोल सकते हैं। ग्रामीण केन्द्रों के सम्बन्ध में, अलग-अलग बैंकों को अपने सेवा क्षेत्र के अन्दर आने वाले केन्द्रों का पता लगाना होता है और आवश्यक विवरणों के साथ इन केन्द्रों की सूची जिले के अग्रणी (लीड) बैंक को देनी होती है। अग्रणी बैंक सूची का समेकन करने के बाद उसे सिफारिशों के लिए और सम्बन्धित राज्य सरकार के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक को आगे प्रेषित करने के लिए जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को मध्य प्रदेश राज्य सरकार से सिवनी, नरसिंहपुर और जबलपुर जिलों के लिए अभी तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

जब्त की गई विदेशी वस्तुएं

[अनुवाद]

913. **प्रो० प्रेम धूमल** :

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष जब्त की गई वस्तुओं का हवाई अड्डा-वार ब्यौरा क्या है तथा जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य कितना है;

(ख) अब तक छोड़ी गई वस्तुओं तथा उनके मूल्य और अब तक जब्त पड़ी वस्तुओं सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को उक्त अवधि के दौरान बढ़िया तथा नई वस्तुओं के स्थान पर पुरानी और घटिया वस्तुओं के रखे जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे कदाचार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

बैंकों का कार्यकरण

[हिन्दी]

914. **श्री छेदी पासवान** :

प्रो० राम कापसे :

डा० महादीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतिश कुमार :

श्री के० पी० सिंह देव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण एवं लाभप्रदता में सुधार करने के लिए एक नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उपयुक्त नीति कब तक बनाई जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य-निष्पादन और लाभप्रदता में सुधार करने के लिए समय-समय पर उचित कदम उठाए हैं । हाल ही में किए गए कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :—

(i) वर्धमान निवल मांग और समय देयदारियों पर सांविधिक नकदी अनुपात को 3-4-92 से 38.5% से घटाकर 30% कर दिया गया है । इस कमी से बैंकों के उधार के स्रोत में वृद्धि होगी और इससे उनकी लाभप्रदता में सुधार होगा ।

(ii) यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रत्येक बैंक द्वारा रखे गए वर्धमान नकदी आरक्षित अनुपात के तहत अवरुद्ध नकदी बकाया को तीन किस्तों में

जारी किया जाए । इस उपाय से भी बैंकों के स्रोतों में वृद्धि होगी ।

(iii) बैंकों को यह छूट दी गई है कि वे अग्रिमों और जमाराशियों के लिए निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम दरों को ध्यान में रखते हुए अग्रिमों/जमाराशियों पर ब्याज प्रभारित करें/दें । इससे बेहतर ऋण व्यवस्था में सुविधा होगी ।

(iv) 7-10-1992 से जमाराशियों पर प्रमाणपत्र जारी करने की सीमा को 1989-90 में कुल जमाराशियों की पाक्षिक औसत बकाया की तुलना में 7% से बढ़ाकर 10% कर दी गई है ।

(v) बैंकों से कहा गया है कि अपने ऋण मूल्यांकन तंत्र को मजबूत बनाएं तथा अग्रिमों पर निकट से पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखें ।

यात्रा भत्ते पर व्यय

[अनुवाद]

915. **श्री फूल चन्द वर्मा :**

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई से दिसम्बर, 1991 तथा जनवरी से जून, 1992 के दौरान सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्तों पर सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या इस प्रकार के खर्चों को न्यूनतम करने सम्बन्धी निर्देश जारी करने के बावजूद भी यात्रा भत्तों के व्यय में इस बीच वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शांताराम पोतदुखे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

शेयरों पर ली जाने वाली प्रीमियम की राशि

916. **डा० वसन्त पवार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की उदारीकरण नीति से छोटे निवेशकों को शेयरों में निवेश करने में मदद मिली है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कम्पनियां शेयरों के राइट्स इश्यू जारी करने में अत्यधिक प्रीमियम ले रही हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें कम राशि प्राप्त हो रही है;

(ग) क्या शेयर जारी करने के अधिकार पत्रों का संचालन कर रहे बैंक इस कारण से नुकसान उठा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कंपनियों द्वारा शेयरों के राइट्स इश्यू को जनता के लिए जारी करते समय उन पर प्रीमियम निर्धारित करने का क्या मानदण्ड है ?

वित्त मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) पूंजी निर्गम से संबंधित नीति को मई/जून, 1992 के अन्त में ही उदार बनाया गया है। इसलिए छोटे निवेशकों पर इस नीति का प्रभाव इतनी जल्दी नहीं जाना जा सकता।

(ख) उदारीकृत नीति के अन्तर्गत, कम्पनियां अपने निर्गमों के मूल्य निर्धारित करने हेतु स्वतन्त्र हैं। लेकिन ऐसा शेयरधारकों की आम सभा में स्वीकृति प्राप्त करके किया जाता है। पेशकश पत्र में यह अपेक्षित है कि वह प्रस्तावित प्रीमियम के लिए औचित्य प्रस्तुत करें। भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड अथवा भारत सरकार को कम राशि प्राप्त होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) कम्पनियां कतिपय शर्तों के अनुपालन में और शेयरधारकों की स्वीकृति के आधार पर भी जहां लागू हो, अपने निर्गमों के मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। पब्लिक/राइट्स इश्यू के लिए, सिवाय इसके कि कौन सी कम्पनियां प्रीमियम पर निर्गम जारी करने की पात्र हैं, विशिष्ट रूप से प्रीमियम निर्धारित करने के लिए कोई निश्चित मानदण्ड नहीं रखा गया है।

राज्य सड़कों का विकास

917. **श्री अनिल बसु** :

श्री रमेश चेन्नितला :

श्री अनन्तराव देशमुख :

श्री राजवीर सिंह :

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क निधि में वृद्धि करने के लिए संसद द्वारा 13 मई, 1988 को पारित संकल्प के कार्यान्वियन के लिए सरकार ने कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान सड़कों/पुलों के विकास के लिए केन्द्रीय सड़क निधि से राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि दी गई है; और

(घ) उन योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है, जिनके लिए धनराशि दी गयी है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सड़क निधि के तहत धनराशि एकमुश्त जारी की जाती है न कि

कार्य-भार। अनुमोदित कार्यों पर व्यय प्रारम्भ में राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से किया जाता है और वर्ष के अन्त में, निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उसकी पुनः अदायगी की जाती है। वर्ष 1992-93 के लिए केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से मंगाए गए संशोधित प्राक्कलन अभी भी अनेक राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

नई कपड़ा नीति

918. **श्री वी० धनंजय कुमार :**

श्री धर्मण्णा मोडय्या सादुल :

श्री परसराम भारद्वाज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई कपड़ा और वस्त्र नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त नीति की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को नई नीति के बारे में विभिन्न वर्गों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) से (घ) 1993 से सम्बन्धित वस्त्र और परिधान निर्यात हकदारी वितरण नीति, 1991—93 के कुछ प्रावधानों में अभी हाल ही में संशोधन किया गया है। प्रमुख संशोधन नीचे दिए गये हैं :—

1. **वस्त्र** :

1. विद्युत करघा निर्यातक हकदारी प्रणाली के अन्तर्गत आबंटन को वर्ष 1992 में 3% से बढ़ाकर वर्ष 1993 में 5% कर दिया गया है।

2. गैर कोटा निर्यातक हकदारी प्रणाली के अंतर्गत आबंटन को वर्ष 1992 में 8% से बढ़ाकर वर्ष 1993 में 13% कर दिया गया है जिसमें से हथकरघों के लिए आरक्षण 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है।

3. विनिर्माता निर्यातक प्रणाली के मामले में देश/श्रेणी की अधिकतम संख्या जिनके लिए निर्यातक विकल्प दे सकता है, घटाकर 10 कर दिया गया है।

2. **परिधान** :

परिधान श्रेणियों में फिलहाल 10 शीर्षस्थ निर्यातक 60% से अधिक विगत निष्पादन हकदारियों (पी० पी० ई०) के लिए उत्तरदायी है इन शीर्षस्थ 10 निर्यातकों की कुल हकदारी को पी० पी० ई० के 60% के स्तर पर स्थिर कर किया जाएगा और बकाया हकदारी का आबंटन पहले आओ पहले पाओ प्रणाली के आधार पर किया जाएगा।

वस्त्र नीति और परिधान नीति दोनों में कोटों का समय रहते अभ्यर्पण करने पर प्रोत्साहन

प्रदान करने के लिए एक नया प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत यदि कोई निर्यातक किसी प्रणाली के अंतर्गत अपनी हकदारी को वैधता अवधि के दौरान या वैधता की समाप्ति के 3 दिनों की अवधि के भीतर हकदारी का अभ्यर्पण कर देता है तो उसे हकदारी द्वारा कवर की गई सत्यकार राशि जमा/बैंक गारंटी का 50% रिलीज कर दिया जाएगा।

संशोधनों के बारे में सरकार को कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। फिलहाल नीति में और परिवर्तन करने की परिकल्पना नहीं की गई है।

पुणे स्थित आयुध अनुसंधान और विकास संस्थान में हुई मौतें

919. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

श्री रामसिंह काश्वां :

श्री सुबास चन्द्र नायक

श्री राम सागर :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध अनुसंधान और विकास संस्थान, पुणे में सितम्बर 1992 में सामान्य परीक्षण करते समय कुछ वैज्ञानिकों की मृत्यु हुई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) मृत वैज्ञानिकों के परिवारों के निकट सम्बन्धियो को कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार) : (क) जी, हां। प्रायोगिक फार्यरिंग जांच के दौरान दो वैज्ञानिकों की मृत्यु हो गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) जांच रिपोर्ट से पता लगा है कि इस प्रकार की प्रायोगिक फार्यरिंग के लिए निर्धारित की गई सुरक्षा सम्बन्धी सावधानियां बरती गई थीं तथा दुर्घटना का कारण सम्भवतः डेटोनेटर का निर्धारित समय से पहले क्रियाशील हो जाना था।

(घ) विस्फोटक संबंधी सामानों की प्रायोगिक फार्यरिंग से सम्बद्ध सभी सुरक्षात्मक पहलुओं की सुरक्षात्म उपायों को कड़ाई से लागू करने की दृष्टि से समीक्षा की गई है ताकि ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

(ङ) प्रत्येक दिवंगत वैज्ञानिक के निकट सम्बन्धी को स्वैच्छिक अंशदान और गैर-सरकारी निधियों से 22000/- रुपए की अदायगी की गई है। प्रत्येक वैज्ञानिक के परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार भी दिया जा रहा है। यह लाभ उन्हें मिलने वाली सामूहिक बीमा,

छुट्टी का नकदीकरण, उपदान, सामान्य भविष्य निधि, जमा से सम्बद्ध बीमा और परिवार पेंशन की राशि के अलावा है।

यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया को शाखाएं खोलना

[हिन्दी]

920. श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री श्रीकान्त जेना :

श्री खेलनराम जांगडे :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया की शाखाएं खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा जून, 1993 से पहले त्रिवेन्द्रम (केरल) और सिलीगुडी (पं० बंगाल) में दो नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विशेषाधिकार का प्रश्न

12.00 मध्याह्न

सरकार द्वारा प्रतिभूति घोटाले के बारे में संयुक्त संसदीय समिति को दी गई जानकारी को कथित रूप से सेंसर किया जाना

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, इस वर्ष इस सदन को सबसे अधिक चिन्तित करने वाली कोई घटना हुई तो वह बैंक स्कैम या शेयर स्कैम है और इस सदन ने एक संयुक्त संसदीय समिति बनाइ उसकी जांच करने के लिए, और वह समिति इस सत्र के अंत तक अपनी रिपोर्ट देगी, ऐसा उसको निर्देश है। लेकिन साधारणतः कभी किसी संसदीय समिति की चर्चा सदन में उस समय नहीं होती, लेकिन आपकी अनुमनि से विशेषकर इस कारण क्योंकि मेरे एक साथी ने···

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनको अनुमति नहीं दी थी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : विशेषाधिकार का प्रस्ताव वह दिया है जिसकी आपने अनुमति नहीं दी लेकिन मैं उस रूप में सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं चाहूंगा कि हमको इन घटनाओं के बारे में

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

जानकारी केवल अखबारों से ही मिले, यह स्थिति ठीक नहीं है और आज कुछ तथ्य अखबारों में छपे हैं जिनसे लगता है कि संसदीय समिति ने कुछ जानकारी प्राप्त करने की इच्छा चाही और उसको जब जानकारी पहुंची तो वह डाक्टर्ड थी, सेन्सर्ड थी और उसमें स्पष्ट रूप से काली स्याही से कुछ हिस्से को काट दिया गया था जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया है···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा।

श्री राम विलास पासवान : (रोसेड़ा) : उनका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? शून्य काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। आप उन्हें अनुमति दे सकते हैं किन्तु कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। यह ऐसा नहीं है संयुक्त संसदीय समिति और सभा का कार्य कुछ नियमों के अनुसार किया जाता है और अगर मैंने इस मुद्दे को उठाने की यहां अनुमति दी है तो इसलिए दी है कि माननीय सदस्यगण इसे देखकर ही किसी मुद्दे को उठायेंगे। यह मुद्दा महज किसी एक घटना तक ही सीमित नहीं है। यह संयुक्त संसदीय समिति और सभा के कार्यों से संबंधित है। अतः मैं उन्हें सुनना चाहूंगा। आप अगर चाहें तो उस पर जवाब दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : आप उन्हें सुन सकते हैं। लेकिन वह एक व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे एक व्यवस्था के प्रश्न के रूप में अनुमति दे रहा हूं। मैं आपको उसके ऊपर बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आप उनको जरूर सुनिए लेकिन हमको भी सुनना पड़ेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उस व्यवस्था के प्रश्न पर सभा में अपना विचार व्यक्त करने की मैं आपको

अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : सभा में कोई कार्य नहीं हो रहा है । व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, इस संसद के द्वारा गठित समिति को सूचना देने के अपने कर्तव्य में सरकार असफल हो रही है (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न रखते हुए विशेष नियमों का उल्लेख करूंगा । (व्यवधान) मैं श्री अमल दत्त से अनुरोध करूंगा कि वह मुझे बोलने दें (व्यवधान) महोदय सबसे पहले मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 275, उपनियम (2) और (2) का उल्लेख करना चाहूंगा । इसके पृष्ठ 109 पर लिखा है । नियम 275 (2) इस प्रकार है ।

"कोई भी व्यक्ति, अध्यक्ष द्वारा दिये गए प्राधिकार के सिवा मौखिक या लिखित साक्ष्य के किसी अंश का, अथवा समिति के प्रतिवेदन या उसकी कार्यवाही का जो पटल पर न रखी गई हो, निरीक्षण नहीं कर सकेगा ।" (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । (व्यवधान)

[हिन्दी]

कमेटी को फैसला देने से रोका जा रहा है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : कृपया मुझे सहयोग दें । मैं अपना मुद्दा रखूंगा (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : महोदय, इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने सीट पर जायें । मैं आपको उस पर बोलने की अनुमति दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : इस मुद्दे पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : मुझे आपसे पढ़ना नहीं है । (व्यवधान)

श्री अमल दत्त : उस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बिन्दु नोट कर लें । आप उस पर बहस कर सकते हैं ।

श्री पवन कुमार बंसल : नियम 275 के उपनियम (3) में लिखा है :—

"किसी संसदीय समिति के सामने दिया गया साक्ष्य संसदीय समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक प्रकाशित नहीं किया जाएगा जब तक कि वह पटल पर न रख दिया गया हो ।"

परन्तु अध्यक्ष, अपने स्वविवेक से, निदेश दे सकेगा कि उसे पहले सदस्य पटल पर

[श्री पवन कुमार बंसल]

औपचारिक रूप से रखे जाने से पहले सदस्यों को गुप्त रूप से उपलब्ध कर दिया जाये।"

यह एक नियम है। मैं बहस शुरू करने से पहले दूसरे नियम का उल्लेख करना चाहूंगा··· (व्यवधान) कृपया धैर्य रख कर मुझे सुनें (व्यवधान)

पृष्ठ 29 पर नियम 58 के उपनियम (6) के अन्तर्गत लिखा है :—

"प्रस्ताव में उस विषय कि पूर्वाशा न की जाएगी जो विचार के लिए पहले ही नियत किया जा चुका हो यह निर्धारित करने के लिए कि पूर्वाशा के आधार पर चर्चा नियम बाह्य है या नहीं, अध्यक्ष उचित समय के भीतर पूर्वाशित विषय के सभा के सामने आने की सम्भावना का ध्यान रखेगा।"

अन्त में मैं चर्चा की प्रत्याशा के बारे में नियम 343 को उदधृत करता हूं :

"कोई सदस्य किसी ऐसे विषय की चर्चा की प्रत्याशा नहीं करेगा जिसकी सूचना दी जा चुकी हो परन्तु यह निर्धारित करने के लिए कि चर्चा प्रत्याशा के आधार पर नियम बाह्य है या नहीं अध्यक्ष प्रत्याशित विषय के सभा के सामने उचित समय के भीतर लाए जाने की संभावना को ध्यान में रखेगा।"

यही सब नियम हैं जिनका मैं उल्लेख कर रहा था। अब मैं पहले यह बात कहना चाहूंगा कि स्वीकृत रूप से कुछ साक्ष्य समिति के सामने रखे गये। महोदय, इस माननीय सभा द्वारा प्राधिकृत संयुक्त संसदीय समिति मामले की जांच कर रही है। ऐसे साक्ष्यों को जिन्हें प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए था, प्रकाशित किया जा चुका है। और, महोदय, इस समय ··

श्री अमल दत्त : वह निर्णय करने वाले कौन होते हैं ?

श्री पवन कुमार बंसल : ऐसा तो नियम में उल्लिखित है। मेरे पास कोई प्राधिकार नहीं है, मैं स्वयं ही ऐसा प्राधिकार लेने का इच्छुक नहीं हूं। मैं इसे कभी नहीं लूंगा। मैं तो नियम का उल्लेख कर रहा था।

श्री अमल दत्त : आपने अभी कहा कि इसे प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय सदस्य एक समिति के सभापति रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वहां बैठकें किस प्रकार हुई थी। लेकिन इतना सुनिश्चित है कि वह संयुक्त संसदीय समिति के विनियमों, समितियों के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने सम्बन्धी नियमों और अध्यक्ष तथा सदन की उन मामलों में भूमिका से भली-भांति अवगत होंगे। मेरा कहना यही है। मैं कोई ताना नहीं मारना चाहता हूं। इस मामले में, मैं कह रहा था कि साक्ष्य समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है और यह साक्ष्य जिसका उल्लेख अखबारों में किया गया है, समिति के द्वारा नहीं सौंपा गया है और महोदय, जब तक साक्ष्य को इस सभा के पटल पर नहीं रख दिया जाता है, तब तक हम उस पर बहस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे हम पूरे घोटाले की जांच हेतु हमारे अपने द्वारा प्राधिकृत संयुक्त संसदीय समिति के कार्यों को बाधिक करेंगे।

दूसरी बात मैं चर्चा की प्रत्याशा के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। महोदय, इस मामले में जैसा कि माननीय आडवाणी जी ने स्वयं ही उल्लेख किया है कि इस समिति को जनादेश यही है कि यह अपनी रिपोर्ट वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक सौंप दे। यह मामला इस समिति के विचाराधीन है

और अगर आप इस पर आज बहस की अनुमति देते हैं तो हम इस विषय पर बहस की प्रत्याशा कर रहे हैं जिसकी नियम अनुमति नहीं देती है। इसलिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक संयुक्त संसदीय समिति किसी मुद्दे पर बहस कर रही हो और अपनी रिपोर्ट हमारे समक्ष नहीं रख देती है तब तक संयुक्त संसदीय समिति किसी भी कारण से गवाही को आगे बढ़ाने का अधिकार है, क्योंकि नियम यह भी कहता है कि संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले गवाह को साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले शपथ लेने के लिए बुलाया जा सकता है किसी भी प्रकार की झूठी गवाही और किसी तरह की गलती की जिम्मेवारी उसकी स्वयं की होगी। तब तक, हमें अपने आपको उससे अलग रखना चाहिए। यही मेरा विनम्र अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, हम लोग उसकी मेरिट में नहीं जा रहे हैं कि जे०पी०सी० क्या इन्वेस्टीगेशन कर रही है, क्या नहीं कर रही है। मामला सिर्फ इतना ही है कि जे०पी०सी० को इस पार्लियामेंट ने नियुक्त किया है और जे०पी०सी० के बारे में एक मामला आज अखबार में आया है, फ्रन्ट पेज पर आया है, जिससे ऐसा लगता है कि जे०पी०सी० को काम करने से रोका जा रहा है। जो फैक्ट्स जे०पी०सी० मांग रही है, वे फैक्ट्स जे०पी०सी० को नहीं भेजे जा रहे हैं और इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्वोल्व है। फाइनेंस मिनिस्ट्री जान बूझ कर। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिए ऐसा नहीं है। मैं इसको अलाऊ नहीं करूंगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रामविलास पासवान : आप पेपर पढ़ें। यह एक मुख्य बात है।

अध्यक्ष महोदय : मैं पुस्तक देखूंगा। आप मुझे यह बताइये कि संयुक्त संसदीय समिति में किसी घटना पर यह बहस हो सकती है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : सर यह मामला इसलिए नहीं उठाया जा रहा है कि आपने प्रिवलेज मोशन अलाऊ नहीं किया है। अगर आपने प्रिवलेज मोशन अलाऊ कर दिया होता, तो यह मामला यहां न उठता।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बता दीजिए कि जे० पी० सी० में जो कुछ हो रहा है, वह यहां डिसकस कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो किस रूल के तहत ?

श्री रामविलास पासवान : हम तो सर यह कह रहे हैं कि जे० पी० सी० के काम करने में व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अकार्डिन्ग टू रूल पाइंट आफ आर्डर रेज किया है, उसके ऊपर मैंने आपको जवाब देने के लिए कहा है। वे कहते हैं कि जे०पी०सी० में जो कुछ हुआ है, या जे०पी०सी० के माननीय सदस्यगण जो कुछ करना चाहें, वे वहां कर सकते हैं, उसे यहां लाने की जरूरत नहीं

है। आप कहते है कि यहां ला सकते हैं, तो आप मुझे बताएं कि किस रूल के तहत उसे यहां ला सकते हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आप में से प्रत्येक को अनुमति दूंगा अगर आप इस बारे में कुछ कहना चाहें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, जो पाइंट आफ आर्डर माननीय सदस्य बंसल जी ने उठाया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए मैं आपको पाइंट आफ आर्डर बता देता हूं···

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : सर, मैंने पाइंट आफ आर्डर समझ लिया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप पहले उनका पाइंट आफ आर्डर सुन लीजिए। उनका कहना है कि जे०पी०सी० में जो कुछ भी हो रहा है, उसके बारे में निर्णय करने का पूरा अधिकार जे०पी०सी० के सदस्यों को है। वहां पर जो एवीडेंस आया है या जो कुछ भी आया है, इस टेबल पर आने के बाद ही उस पर चर्चा कर सकते हैं, उसके यहां आने के पहले, यानी टेबल पर रिपोर्ट ले होने के पहले, आप उस पर यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। अगर आप टेबल पर आने के पहले उस पर चर्चा कर सकते है, तो वह किस रूल के तहत कर सकते हैं, यह आप मुझे बता दीजिए ?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय जो माननीय सदस्य बंसल जी ने 3 रूल कोट किए हैं उस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि अभी विपक्ष के माननीय नेता ने सवाल उठाया और उस पर जो पाइंट आफ आर्डर रेज किया, पहले तो हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने जीरो-आवर में पाइंट आफ आर्डर उठाने का मौका दिया ताकि हम आगे भी जीरो-आवर में उठा सकें और इसकी परम्परा बन जाए,

अध्यक्ष महोदय : जीरो आवर का मतलब यह नहीं है कि सारे रूल्स को छोड़कर ही हम काम करें। ऐसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर रेज करते समय माननीय सदस्य ने 3 रूल कोट किए हैं, जो माननीय आडवाणी जी ने सवाल उठाया है और जिसे बाकी सदस्य उठाना चाहते हैं, वे सब इस सवाल पर एक्सरसाइज्ड हैं, वह रूल जो कोट किये गये हैं वे इस प्रश्न पर रेलेवेंट नहीं हैं। पाइंट आफ आर्डर बिलकुल रेलेवेंट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे पूछा है कि किस रूल के तहत आप यहां जे०पी०सी० के मामले पर चर्चा कर सकते हैं, मुझे यह बताइए ?

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, सुन तो लीजिए। यहां पर हम लोग जे० पी० सी० के

किसी फंक्शनिंग में इंटरफियर नहीं कर रहे हैं या जे० पी० सी० की किसी एवीडेंस में इंटरफियर नहीं कर रहे हैं। जो कुछ भी आज छपा है, उसके मुताबिक जे० पी० सी० को प्रापरली फंक्शन नहीं करने दिया जा रहा है और चूंकि जे० पी० सी० को पार्लियामेंट ने बनाया है, इसलिए यह देखना पार्लियामेंट का काम है कि जे० पी० सी० को ठीक से फंक्शन करने के लिए अलाऊ किया जा रहा है या नहीं। यह हमारा फण्डामेंटल सवाल है। चूंकि जे० पी० सी० को अलाऊ नहीं किया जा रहा है, इसलिए पार्लियामेंट को देखना चाहिए, यही हमारा मूल पाइंट है।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह ठीक नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : महोदय, केवल संयुक्त संसदीय समिति ही नहीं बल्कि मैं संसद द्वारा गठित किसी भी समिति को सरकार के द्वारा जानकारी दिये जाने के उत्तरदायित्व के बारे में बात कर रहा हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक बहुत वरिष्ठ जानकार सदस्य हैं जिन्हें नियमों और प्रक्रियाओं की बहुत अच्छी जानकारी है। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस तरह के मामलों पर सभा में किस नियम के अन्तर्गत चर्चा करना चाहते हैं।

श्री अमल दत्त : महोदय, मैं आपके और सभा के ध्यान में दी जाने वाली जानकारी न देकर या जानकारी पर अंकुश लगाकर अथवा जानकारी को सेंसर करके यह बात लाना चाहता हूं कि सरकार इस सभा द्वारा गठित किसी समिति को असंवैधानिक तरीके से व्यवहार कर रही है। हमें यह जानकारी संयुक्त संसदीय समिति से चोरी-छिपे प्राप्त नहीं हुई है। यह सूचना हमें समाचार पत्रों के जरिये मिली है। यह भारत में प्रत्येक व्यक्ति को मिली है। अब भारत के नागरिक चाहते हैं कि हम यह मामला आज सभा में उठायें क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम उन लोगों के प्रति अपना कर्त्तव्य नहीं निभायेंगे जिन्होंने हमें चुनकर यहां भेजा है। जब हमें यह पता चलता है कि सरकार अपना कर्त्तव्य नहीं निभा रही है तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? वित्त मंत्री यहां हैं। उन्हें हमें यहां आश्वासन देना चाहिए कि कोई गलत बात न हुई है, सारी जानकारी दी गई है और भविष्य में भी पूर्ण जानकारी दी जायेगी। यह संसदीय समिति का अधिकार है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री बंसल ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, जिसको साधारणतया अगर एक साधारण संसदीय समिति होती तो मैं सहज रूप से स्वीकार कर लेता। लेकिन अध्यक्ष जी, आपको स्मरण होगा जब यह संयुक्त संसदीय समिति बन रही थी तभी हम में से बहुत सारे लोगों ने यह राय प्रकट की थी कि अगर हम चाहते हैं कि यह समिति तह तक जाये तो फिर उसको केवल उन तकनीकी बंधनों तक सीमित नहीं करना चाहिए जिस तक आज तक की संसदीय समितियां सीमित रही हैं। यहां तक कि यह भी सवाल उठा था कि मंत्री जी को उसके समक्ष गवाही के लिए बुलाया जाये कि न बुलाया जाये, परम्परा नहीं है, कनवेंशन नहीं है। आपने स्वयं इस बात को महत्वपूर्ण मानकर उसके अनुरूप एक प्रावधान रेजोलूशन में रखा था जिसके आधार पर बाकी संसदीय समितियों की जो मर्यादाएं हैं उसके बाहर जाकर आपकी अनुमति से

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

वे काम कर सकते हैं।

जहां तक मैं जानता हूं, आज तक कोई संसदीय समिति ऐसी नहीं हुई है जिसके अध्यक्ष अधिकृत रूप से प्रेस को ब्रीफ करते रहे हैं। संसद को तो ब्रीफ न करें लेकिन प्रेस को प्रतिदिन ब्रीफ करते रहें। मैं उस पर आपत्ति नहीं उठा रहा हूं क्योंकि अगर उन नियमों को देखा जाये जिनका हवाला अभी-अभी दिया तो उनके अनुसार जब तक टेबल पर रिपोर्ट न रखी जाए तब तक प्रोसीडिंग्स के बारे में भी संसदीय समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार नहीं है कि वह प्रैस को जाकर बताए। टेबल पर नहीं रखा गया है। हम प्रोसीडिंग्स से परिचित नहीं हैं लेकिन उस प्रोसीडिंग्स से देश को परिचित करवाया जा रहा है क्योंकि देश में इसके बारे में बहुत जिज्ञासा है, चिन्ता है और इसीलिए मैं तकनीकी आधार पर इस मामले को नहीं उठा रहा हूं। मैं इस आधार पर उठा रहा हूं कि जिस प्रकार से संसदीय समिति कार्य करती रही हैं उस पर मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं। उसी कारण दो बार ऐसे प्रसंग आए हैं जिसमें लगा कि संसदीय समिति अपना कार्य ठीक प्रकार से निभा पाए, इसमें वित्त मंत्रालय बाधक बन रहा है। एक बार पहले प्रसंग उठा था, दूसरी बार आज उठा है जिसके कारण मैं यह चाहता हूं कि इसके बारे में सार्वजनिक रूप से संसदीय समिति के अध्यक्ष बाहर जाकर प्रैस को कोई बात कहें उससे पहले सदन में उसके बारे में वक्तव्य, मैं संसदीय समिति के अध्यक्ष से नहीं मांगूंगा, मैं वित्त मंत्रालय से मागूंगा।

यहां वित्त मंत्री बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि वे इस विषय में, जो आज अखबारों में सार्वजनिक रूप से छपा है और जिसके मूल तथ्य के बारे में जब तक मैंने अपने एक सदस्य से पुष्टि नहीं करवा ली थी, जिस सदस्य ने इसके आधार पर विशेषाधिकार का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन आपने उसको अस्वीकार किया हैं। मैंने जब तथ्यों के बारे में जाना कि वास्तव में ऐसी कोई रिपोर्ट थी जो रिजर्व बैंक ने दी, लेकिन जो वित्त मंत्रालय से जब होकर आई तो उसके ऊपर काली स्याही से बहुत सारे हिस्से काटे गए थे जिनका अर्थ लोगों ने मूल के साथ तुलना करके लगाया है। श्रीमान् रवि राय जी ने उस मूल को कहीं देखा है और उससे तुलना करके लगा कि कुछ-कुछ लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। यह आभास भी पैदा होना सरकार के लिए अच्छा हीं है, वित्त मंत्रालय के लिए अच्छा नहीं है और इसलिए मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं, वित्त मंत्री जी इसके बारे में सारे सदन के सामने स्पष्टीकरण दें। अखबारों में तो जो छपेगा वह छपेगा ही, अध्यक्ष जी, संसदीय समिति को कहेंगे। मेरा यह आपसे अनुरोध है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार आलोचना करने की इच्छुक है? बस एक मिनट।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : आपने मेरे विशेषाधिकार प्रस्ताव को अस्वीकृत किया है और मुझे यहां मसला उठाने नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब आपका व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम नाईक : चर्चा के बाद यदि आप मुझे कुछ कहने की अनुमति देते हैं तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। अन्यथा जो कुछ श्री आडवाणी ने कहा है उससे मैं सहमत हूं और मैं इसमें और कुछ नहीं जोड़ना चाहता हूं।

लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विशेषाधिकार के नोटिस पर अपने निर्णय पर पुनः विचार करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं विनिर्णय दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी सुनूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं जिसके बारे में आपका निर्णय सदन जानना चाहेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं निर्णय दे दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री जी अभी बीच में कहां रहे।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप लोग चाहते हैं कि प्वाइन्ट आफ आर्डर पर कुछ बोलें तो···

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह संसदीय समिति किस तरह चलेगी?··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : प्वाइंट आफ आर्डर पर मंत्री जी कुछ बोलना चाहें तो बोलें।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मंत्री जी अगर यह बोलेंगे कि इस समय सदन में जो भी समिति बनी है, उसकी कारवाई पर, उससे संबंधित समाचारों पर चर्चा नहीं हो सकती है।··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल सही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं दूसरा पहलू रख रहा हूं, इससे जुड़ा हुआ नहीं रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप जानते हैं कि आपने मुझे पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपको उसके लिए पछतावा नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है, मुझे उसके लिए गर्व है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं लोक लेखा समिति का अध्यक्ष रह चुका हूं। मुझे कई संयुक्त समितियों में काम करने का मौका मिला है। आप जानते हैं कि कभी-कभी ऐसा अवसर आता है, जब सरकार सदन को भी और क्योंकि सदन के और संसदीय समितियों के अधिकार बराबर हैं, संसदीय समितियों को जानकारी देने से इन्कार कर देती है। आधार यह लिया जाता है कि यह जानकारी देना सार्वजनिक हित में नहीं है। ऐसे कुछ मामले अध्यक्षों के पास भी भेजे गये और उन

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अध्यक्षों का निर्णय अन्तिम होता है । संसदीय समिति के वही अधिकार हैं, जो सदन के अधिकार हैं । अब मैं देख रहा हूं कि जानकारी दी जा रही है, मगर पूरी नहीं दी जा रही है, अधूरी दी जा रही है और तथ्यों को छिपाया जा रहा है । अगर सरकार किसी घपले पर पर्दा डालना चाहती है तो उसको कह सकती है, समिति के सामने और सदन के सामने भी यह बताना सार्वजनिक हित में नहीं है । मगर, मैं नहीं समझता ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने यह आधार लिया गया है कि जानकारी देना और इसलिए हम वह जानकारी काट रहे हैं, इस पर काली रेखा फेर रहे हैं, यह सार्वजनिक हित में नहीं है । सार्वजनिक हित का प्रश्न नहीं उठाया गया । फिर यह जानकारी देने से इन्कार क्यों किया गया । इसके पीछे कौन-सा कारण है ? मंत्री महोदय बतायें कि क्या यह सार्वजनिक हित में नहीं है यह बताना कि इस घपले में कौन-कौन शामिल हैं ?

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : क्या माननीय मंत्री व्यवस्था के प्रश्न पर उठाये गए मुद्दे के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं ? क्या वित्त मंत्री केवल माननीय सदस्य के व्यवस्था के प्रश्न पर उत्तर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां । व्यवस्था के प्रश्न पर ही ।

श्री श्रीकान्त जेना : मांग के बारे में नहीं । उस पर मुझे अपनी बात रखने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैंने निर्णय ले लिया है । कृपया अब और कुछ न पूछें । मैं कह रहा हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है । पहले इसका फैसला होने दीजिए । फिर हम अगले मुद्दे को लेंगे ।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : क्यों ? यह आवश्यक नहीं है । मुझे अब पूरी जानकारी है ।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर । पहली बार एक संसदीय समिति ने इस सम्बन्ध में निर्णय लिया है कि क्या उन्हें समाचारपत्रों के पत्रकारों को समिति की कार्यवाही में उपस्थित रहने की अनुमति दी जाये । लेकिन उन्होंने निर्णय लिया है कि वे अनुमति नहीं देंगे । लेकिन वे अनुमति दे सकते हैं । हमारी संसदीय समिति प्रणाली में इस प्रकार का पूर्वोदाहरण नहीं है । यह तो इस नियम से हटना है ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से कोई भी उत्तर दे सकता है ।

(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप इस व्यवस्था के प्रश्न पर अपना विनिर्णय दें । इस विषय के विस्तार में न जाकर मैं ऐसी किसी भी बात का खंडन करूंगा कि वित्त मंत्रालय संयुक्त संसदीय समिति को दी जाने वाली किसी भी सूचना को दबा लेने के बारे में दोषी है । महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस मामले पर चर्चा करने से पहले संयुक्त संसदीय समिति के सभापति से पूछें । (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या आप इस रिपोर्ट का खंडन कर रहे हैं ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खैर, यह सुनने में अच्छा लगता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इसी प्रयोजन से यह कह रहा हूं। यहां हाजिर जवाबी का यह संघर्ष देखने में वास्तव में अच्छा लगता है। यहां एक व्यवस्था के प्रश्न पर मिलकर चर्चा करने की बजाय इस तरह की चर्चायें करना ज्यादा फायदेमंद है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह के मामले पर भी सदस्यों द्वारा दिखाई गई इस तत्परता की मैं सराहना करता हूं। मैं उनकी इस मंशा का विरोध नहीं कर रहा हूं कि समिति या सदन या लोगों को अधिक जानकारी मिले। हमारे मन में एक बात उठती है कि संयुक्त संसदीय समिति एक छोटी संसद है और जो भी प्राधिकार संसद को मिले हुए हैं वे इस समिति को भी हासिल हैं। जैसा कि श्री पवन कुमार बंसल ने ठीक ही कहा है, नियम 275 (3) में कहा गया है :

> 'किसी संसदीय समिति के सामने दिया गया साक्ष्य संसदीय समिति के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जब तक प्रकाशित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पटल पर न रख दिया गया हो।"

अब, यह बात आप जानते ही हैं बहुत महत्वपूर्ण है। यहां हम समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह साक्ष्य समिति के समक्ष नहीं दिया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे पूरी बात कहने दें। अब सदस्य कह रहे हैं कि उन्हें कुछ चीज नहीं दी गयी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्या इस तरह का मामला सभा में उठाया जा सकता है या नहीं तथा यहां चर्चा की जा सकती है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार व्यवधान मत डालिए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को हल कर रहा हूं जो आप के लिए भी सहायक होगा। आप समिति में हैं। अब श्री आडवाणी जी ने यह सवाल ठीक ही उठाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी जी का कहना है कि यदि मामला समाचार पत्र में प्रकाशित हो सकता है तो उसे सभा में क्यों नहीं उठाया जा सकता। मैं तो कहूंगा कि उन्होंने कहा है कि यदि संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं यदि प्रेस संयुक्त संसदीय समिति की कार्यवाही के बारे में कुछ जानने को उत्सुक हैं और यदि उन्हें ऐसे मामले में समुचित मार्ग दर्शन नहीं दिया जाता, तो विरोधाभाषी रिपोर्ट ही प्रकाशित होंगी, तदुपरान्त हमारे लिए इन सब बातों को स्पष्ट करना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए साक्ष्य को प्रकट किए बिना हम कार्यवाही के कुछ अंशों

के बारे में जानकारी दे सकते हैं, ताकि समाचार पत्रों में विरोधाभाषी समाचार न छपें और बाद में भी वे इसका खण्डन न कर पाए। उनका कहना था कि इसके सम्बन्ध में वे समिति में निर्णय लेंगे। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है लेकिन ऐसा कहना चाहिए कि शायद उन्होंने ऐसा समिति के समक्ष लाए गए साक्ष्य की प्रक्रिया के बारे में किसी भी प्रकार की गलत आपत्ति को दूर करने के लिए किया। शायद ऐसा करना नियमानुकूल नहीं हैं फिर भी वे किसी भी की गलतफहमी को दूर करना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि समाचार पत्र में ऐसा मामला छपे। मैं तो कहूंगा कि समिति का कोई सदस्य प्रेस में न जाए। यदि समिति के लिए ऐसा सम्भव हो तो वे ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं कि कोई भी सदस्य प्रेस में न जाएं...

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) : प्रेस को प्रतिदिन बात पहुंचाई जा रही है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप को कहना है तो मुझे परेशानी होती है। यदि वे समिति में प्रेस में न जाने का निर्णय लेते हैं तो वे ऐसा निर्णय ले सकते हैं और यदि वे समिति में प्रेस को संक्षेप में मुख्य बातें बताने का निर्णय लेना चाहते हैं तो इस बात का निर्णय भी उन्हीं पर निर्भर करता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप ऐसा करें या नहीं। सभा भी उन्हें अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगी। लेकिन अब यहां क्या हो रहा है। इस मामले में जब यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो के समक्ष है, समिति के विचाराधीन है, सभा में भी उठाया जा रहा है, और यदि इन एजेन्सियां को इस मामले में सही ढंग से निर्णय लेना है तो उन्हें समुचित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि उनके पास उक्त दस्तावेज नहीं होंगे तो वे समुचित निर्णय नहीं ले पाएंगे। यदि हम एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को सम्बन्धित दस्तावेज स्थामान्तरण कर उनका निरीक्षण करने की अनुमति देते हैं तो निर्णय लेने के लिए अपेक्षित समय बहुत कम रह जाता है। इसलिए मैं इस मामले को समिति के निर्णय पर छोड़ना चाहूंगा। मेरा विचार है कि समिति के पास भी वे सब अधिकार-प्राधिकार हैं जो सभा के पास है। समिति का मार्ग दर्शन नागरिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य नियमों द्वारा किया जाएगा। समिति दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। यदि दस्तावेजों में कोई तथ्य मिटा दिया गया है तो समिति उस तथ्य के बारे में पूछताछ कर सकती है। और अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे समिति के समक्ष उक्त तथ्यों को प्रस्तुत करें। यदि वे यह तर्क देते हैं कि सार्वजनिक हित में इन तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो इसके बारे में अध्यक्ष महोदय का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा कि उक्त तथ्यों को प्रस्तुत किया जाए अथवा नहीं। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है।

एक बात और है। यदि साक्ष्य नियमों को लागू किया जाता है तो नागरिक प्रक्रिया संहिता लागू होती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी एजेन्सी के समक्ष, अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष या न्यायालय अथवा समिति के समक्ष अमुक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जाता है और यदि वह व्यक्ति बिना किसी वजह उक्त दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देता है तो उक्त एजेन्सी के विरुद्ध जिसने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए प्रतिकूल टिप्पणी की जा सकती है। अपने निर्णय में समिति यह कह सकती है कि यह दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, यह सूचना दी जानी चाहिए थी जो कि नहीं दी गई और यही कारण है कि समिति को इस बात की आशंका हो जाती है कि इस में कुछ न कुछ गलती है। अपने अन्तिम निर्णय में वे यह घोषणा कर सकते हैं कि इन सब बातों पर गौर किया जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि समितियों की कार्यवाही के हित में और उन प्रथाओं के हित में जिनका अनुकरण हम सभा में भी कर रहे हैं, ऐसे मामलों को सभा पटल पर नहीं उठाया जाना चाहिए यद्यपि आपका इस मामले के प्रति चिन्तित होना वाजिब है। मैं इसकी निन्दा नहीं कर रहा हूं।

मैं जो इसकी प्रशंसा कर रहा हूं। फिर भी संसदीय प्रक्रिया के हित में हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : लेकिन मामला समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। (व्यवधान)

12.32 म० प०

असम सरकार द्वारा विधिवत निर्वाचित कर्बियांगलांग की स्वायत्त जिला परिषद को भंग किए जाने के बारे में

डा० जयन्त रंगपी (स्वशासी जिला) : अध्यक्ष महोदय, इस महीने की 13 तारीख को असम सरकार ने विधिवत निर्वाचित कर्बियांगलांग की स्वशासी जिला परिषद को भंग कर दिया।

मैंने यह मामला इसलिए नहीं उठाया कि मैं उक्त चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। बल्कि मैंने यह सवाल इसलिये उठाया कि पूर्वोत्तर भारत के समूचे जातिवादी मसले पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

यह परिषद कर्बियांगलांग और उत्तरी कछार की पहाड़ियों, ऐसे स्थान से सम्बन्धित है जिसका अपना इतिहास है। ब्रिटिश काल के दौरान जब अंग्रेज जाने वाले थे तो कई पर्वतीय आदिवासी लोगों ने राज्यारोहण से पृथक राज्य तक यहां तक कि एक "क्राउन कलोनी" तक की विभिन्न मांगे की। यह वह दर्जा है जो इस समय हांगकांग को प्राप्त है। इस जिले के लोगों ने उत्साहपूर्वक निर्णय किया और अनुरोध किया कि वे असम राज्य के अन्तर्गत अपनी समुचित स्वायत्तता चाहते हैं। यह वह स्थान है जहां संविधान सभा के समय लोगों ने असम के अन्तर्गत अपनी समुचित स्वायत्तता की मांग की। पूर्वोत्तर भारत के परिदृश्य और पर्वतीय आदिवासियों में यह एक बड़ी दुर्लभ स्थिति है। वे या तो पूर्वोत्तर भारत से अलग होना चाहते हैं या वे एक पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने निर्णय किया है कि एक सदस्य एक ही मुद्दा उठाएगा।

डा० जयंत रंगपी : असम के पुनर्गठन के समय कर्बियांगलांग की जनता ने कहा था, "नहीं, हम पृथक राज्य नहीं चाहते। हमें मेघालय नहीं चाहिए, हमें नागालैंड नहीं चाहिए, हमें पृथक राज्य नहीं चाहिए। हमें असम के अन्दर ही समुचित स्वायत्तता चाहिए। और असम राज्य के अन्दर एक स्वायत्त राज्य का सृजन करके संविधान के अनुच्छेद 244(क) में एक भावी प्रावधान किया गया था। उसके पश्चात पिछले 5 वर्षों के क्षेत्रीय दलों के समूचे शासनकाल में तथा उससे पहले 6 वर्ष के असम आन्दोलन के दौरान जबकि राज्य में बड़ा खूनखराबा हुआ था, हिंसात्मक घटनाएं हुई थीं, यह एक मात्र वह स्थान था पूरा साम्प्रदायिक सद्भाव कायम था जहां एक भी राजनैतिक हत्या नहीं हुई, साम्प्रदायिक हत्या नहीं हुई।

हमने संसद में पूर्वोत्तर भारत में विद्रोह की समस्या अल्फा, बोडो सुरक्षा बल—अगले दिन केन्द्र सरकार ने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया—एच० एम० ए० आर० पीपल्स कन्वेन्शन, ए० एस० सी० एन० और ए० टी० टी० एफ० के बारे में चर्चा कर चुके हैं।

विद्रोह के समूचे परिदृश्य में पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में केवल एक यही जिला है एक पर्वतीय क्षेत्र है जो पूर्णतया विद्रोह से मुक्त है। यहां लोग शान्तिपूर्वक अपनी मांग उठा रहे हैं शान्तिपूर्वक अपना अभियान

[डा० जयन्त रंगपी]

चला रहे हैं। असम सरकार ने क्या कर दिया है? वहां मेरी पार्टी—'औटोनोमस स्टेट डिमान्ड कमेटी'—के स्वशासी जिला परिषद में तीन चौथाई सदस्य हैं। हम दर्जा बढ़ाने की मांग कर रहे थे और बातचीत चल रही थी, राजनैतिक विचार विमर्श चल रहा था। इस वर्ष 27 मार्च को हुई त्रिपक्षीय बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि "यह मांग संवैधानिक है लेकिन इसमें प्रयुक्त "राज्य" शब्द देश के विभिन्न भागों को गलत संकेत देगा।" इसलिए आप "राज्य" शब्द को हटा दें और छठी अनुसूची में संशोधन करके परिषद का दर्जा बढ़ा दिया जाएगा" और हम उनके सुझाव से सहमत हुए।

असम सरकार को कहा गया था कि वह आन्दोलन के नेताओं के साथ छठी अनुसूची में संशोधन करने और परिषद का दर्जा बढ़ाने के लिए संयुक्त प्रस्ताव रखे ताकि असम को विभाजित करने की जरूरत न पड़े। हम इससे सहमत थे और असम सरकार ने संविधान संशोधन हेतु अपने प्रस्ताव भेजे।

और इस महीने की 12 तारीख को गृह मंत्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति में, जिसका मैं भी सदस्य हूं, जब यह प्रश्न उठाया गया था तो माननीय गृह मंत्री श्री चव्हाण ने स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि "क्योंकि इस मांग के तहत असम राज्य को तोड़ना नहीं पड़ेगा और असम राज्य का विभाजन नहीं होगा, इसमें केवल छठी अनुसूची में संशोधन होगा इसलिए मैं इस पर सहानुभूति पूर्वक और अच्छी भावना से विचार करूंगा और आज रात को ही असम के मुख्य मंत्री से विचार-विमर्श करूंगा, 12 तारीख की रात को ही इस जिला परिषद को असम सरकार ने बगैर कारण भंग कर दिया। यह संवैधानिक नहीं है, यह गैरकानूनी है। इसकी सम्भावना देखकर हमने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सावधानी हेतु अग्रिम याचिका दायर की और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 9 तारीख को आदेश देते हुए कहा कि मामले की सुनवाई 19 तारीख को होगी और असम सरकार इससे पूर्व कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। इसलिए 9 तारीख के बाद सरकार 10, 11 और 12 तारीख को चुप रही। 12 तारीख की आधी रात को 12 बजे अर्धसैनिक और सैन्य बलों ने जिला परिषद के मुख्यालय में प्रवेश किया जैसे वे किसी शत्रु के क्षेत्र में घुसे हों और फिर परिषद के पूरे मुख्यालय को घेर लिया। उन्होंने ताला तोड़ा; साइनबोर्ड को हटाया, मेरे निवास पर गए और मेरी पत्नी से निवास तत्काल खाली करने के लिए कहा; उन्होंने उसी समय मेरे टेलीफोन की तारें भी काट दी और गाड़ी को ले गए और फिर मेरे निवास पर स्थित कार्यालय का ताला तोड़ दिया। उन्हों ऐसा उच्च न्यायालय का आदेश पारित होने के केवल चार दिन बाद 13 तारीख को किया है। उच्च न्यायालय ने 9 तारीख को आदेश पारित किया था।

इस तरह असम सरकार ने बेईमानी करके जिला परिषद को भंग किया है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं सरकार और गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि क्योंकि मुख्य मंत्री ने स्पष्टत: कहा है कि उन्हें जिला परिषद भंग करने के लिए गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिल गई थी। उन्होंने बहुत ही असभ्य तरीके से बलपूर्वक यह सब किया और अब स्थिति बहुत ही खतरनाक है। मुझे आज ही स्थानीय विधायकों का टेलीफोन संदेश मिला है। वहां उन्होंने जिला परिषद मुख्यालय पर एकत्र 20,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और लाठीचार्ज किया है तथा आंसूगैस छोड़ी है जिसमें 70 लोग घायल हुए हैं।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अपील करता हूं कि वह, परिषद भंग करने के आदेश को समाप्त करने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करे; यह गैरकानूनी और असंवैधानिक है। मैं मांग करता हूं कि गृह मंत्री स्वयं वहां जाएं और आदिवासियों की दयनीय स्थिति देखें क्योंकि उन्होंने किसी भी आदिवासी को ट्रेन द्वारा इधर-उधर जाने की अनुमति नहीं दी है। मुझे नहीं पता कि रेल मंत्री इससे अवगत हैं या नहीं; लेकिन उन्होंने कहा है कि गाड़ियां कर्बनिआग जिले से गुजरते समय किसी भी स्टेशन पर न रुकें ताकि लोग जिला मुख्यालय न जा सकें। और जब कोई भी आदिवासी मंगोल चेहरे-मोहरे वाला व्यक्ति सार्वजनिक परिवहन द्वारा यात्रा नहीं कर सकता। उन्हें सार्वजनिक परिवहन से बलपूर्वक बाहर निकाल दिया जाता है और जिला मुख्यालय नहीं जाने दिया जा रहा।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बहुत समय दिया है। कृपया समाप्त कीजिए।

डा० जयंत रंगपी : यह स्थिति है। इसलिए गृहमंत्री जाएं और उस स्थान का दौरा करें। इस मामले पर मैं चाहता हूं कि विपक्ष और लोकतांत्रिक संगठन समर्थन करें; और सरकार की इस कार्यवाही की निन्दा करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय सदस्य ने मुझे इस विषय में कुछ बताया है। हमने प्रक्रिया तथा नियम सम्बन्धी दस्तावेजों का अध्ययन किया और इससे यह बहुत स्पष्ट है कि इस समिति को भंग करने में नियमों का पालन नहीं किया गया। मेरे विचार से आप गृह मंत्री को एक वक्तव्य देने और नियमों को बरकरार रखने के लिए कहे। ऐसी कार्यवाही ही अलगाव की प्रवृत्ति उत्पन्न करती है। व्यवहार सम्बन्धी अन्य बातें कही गई है जो बताती हैं कि आदिवासियों के घूमने-फिरने पर प्रतिबन्ध है; और जिस प्रकार कार्यालय पर छापा मारा गया और अन्य विवरण भी बहुत गम्भीर हैं। हम बहुत चिन्तित हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार इस बारे में एक वक्तव्य दे। नियमों के उल्लंघन को सही किया जाए और न्याय किया जाए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर) : अध्यक्ष जी, सम्मानीय सदस्य ने जो मामला उठाया है यह केवल उसी क्षेत्र की समस्या नहीं है, यह पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की बात है और वहां पर भी विशेष कर जो ट्राइब्ल पापूलेशन है उसमें यह चिन्ता बढ़ते जाना, क्योंकि ये नई दिल्ली से बहुत दूर हैं और फिर ट्राइब्ल हैं, इसके कारण नियमों के बारे में भी कोई बहुत सावधानी नहीं बरती जाती और नियमों की परवाह न किए हुए कमेटी को भंग कर दिया। यह स्थिति अगर घर कर के बैठ गयी, ऐसी मन:स्थिति बन गयी तो उसका बहुत नुकसान होगा, क्षति होगी। इसलिए मैं समझता हूं कि उचित यह होगा कि गृह मंत्री जी सदन के सामने इस बारे में पूरा वक्तव्य दें। क्योंकि सब अखबारों में इसकी आलोचना की है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है। दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र है और ट्राइब्ल इनवाल्व हैं, मेरा निवेदन है गृह मंत्री जी से कि ध्यान दें।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, बोडोलैण्ड की मांग हो रही है, झारखण्ड लैण्ड की मांग हो रही है ... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं इन्होंने कह दिया है। आपके लीडर बोल चुके है।

पासवान जी यह सही नहीं है ।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह एक दम स्पष्ट है कि सन्वैधानिक उपबन्धों का पालन नहीं हुआ है । कर्बियांगलांग जिला परिषद का गठन संविधान की छठी अनुसूची के तहत किया गया है । नियम के तहत उसे भंग करने के लिए एक जांच समिति होनी चाहिए । उसका गठन नहीं हुआ । अन्य उपबन्ध यह हैं कि शक्तियां अस्थायी आधार पर गृहीत की जा सकती हैं; लेकिन ऐसा नहीं किया गया है; यदि इसे स्थाई तौर पर भंग किया गया है । हम यह भी देखते हैं कि किस प्रकार सरकार ने बहुत संदिग्ध रूप में न्यायालय के आदेश के उल्लंघन का प्रयास किया है । न्यायालय ने 9 तारीख को आदेश दिया था कि कोई कार्यवाही न की जाए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अभी कल ही डिमाण्ड किया है एक-एक मामला कर करके उठायेंगे । क्योंकि मेरे पास अभी भी आप दूसरे मैटर्स हैं । वही चीज रिपीट करने से क्या फायदा ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : लेकिन भंग करने की अधिसूचना पिछली तारीख में जारी की गई है । पूर्वोत्तर क्षेत्र के संवेदनशील इलाकों में यह सर्वाधिक हानिकारक है क्योंकि यह मामला आदिवासियों की भावनाओं से जुड़ा है । इस प्रकार इसे बलपूर्वक भंग नहीं करना चाहिए था । इस अधिसूचना को रद्द किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : सभा में यह नियम है कि सभा के सम्मुख जो मुद्दा लाया जाता है उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है । आप कह सकते हैं कि आपका भी यही मत है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है । एक निर्वाचित सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश को निष्फल किया गया है । पिछले तारीख में अधिसूचना पर दस्तखत करना गंभीर मुद्दा है । इस सरकार की कैसी नैतिकता है ? यह एक दम स्पष्ट है ।

अध्यक्ष महोदय : नियम यह है कि अगर एक मामला सभा के समक्ष लाया जाता है तो अन्य सदस्य को वही मामला पुनः रखने की जरूरत नहीं है ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम अपना समर्थन दे रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह समझता हूं और इसी कारण मैंने आपको अनुमति दी । सैफुद्दीन जी, कृपया बात को समझिए । अगर मैं एक मुद्दे पर दस सदस्यों को बोलने दूं और अन्य सदस्यों को अनुमति न दी जाए तो वे आहत महसूस करते हैं ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप रोजाना एक ही बात कहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूं ? मैं समय नहीं बढ़ा सकता ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम सब जानते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है।

अध्यक्ष महोदय : यह आप के लिए महत्वपूर्ण है और अन्य मुद्दे अन्य सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य सभी मामले भी महत्वपूर्ण हैं; लेकिन इस बारे में भारत सरकार उत्तर दे। इसका उत्तर दिया जाए। हम हर विषय पर नहीं बोलते। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप हर विषय पर बोल रहे है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हां। लेकिन अध्यक्ष महोदय आप हर बार तो व्यवधान न डालें। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं। मुझे ऐसा करना पड़ता है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम जानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं है। हम यह जानते हैं। (व्यवधान) हम सरकार का उत्तर चाहते हैं। **(व्यवधान)**

हम सरकार का उत्तर चाहते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह न्याय संगत नहीं है। कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसका उत्तर दिया जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति दी। लेकिन आप इस पर गौर करें कि अन्य सदस्य आपके पीछे बैठे हैं और वे बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम ने कल ही निर्णय लिया था कि एक सदस्य एक मामले को उठाएगा; अगले दिन ही आप इसे तोड़ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : लेकिन आपने मुझे अनुमति दी थी। अगर मुझे अनुमति नहीं होती तो मैं इसे नहीं उठाता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार तर्क मत कीजिए। कृपया यह समझिए कि आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं और मैंने आपको नेता की हैसियत के तहत अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : तब आप मुझे बात पूरी करने दो। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपको अन्य सदस्यों का कथन दोहराने की जरूरत नहीं है। सभा में एक बार ही कहने पर हम उसे समझ सकते हैं। यह नियम भी है।

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं अपनी बात समाप्त करने वाला था। मैं सरकार से वक्तव्य के लिए कहने वाला था। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : बस इतना ही है। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आप बैठ जाइए।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री संतोष मोहन देव।

इस्पात मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : महोदय, मैं असम से हूं। पूर्व प्रधान मंत्री, विपक्ष के नेता और अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम भी इतने ही उत्सुक हैं। (**व्यवधान**) मैं आशा करता हूं कि अध्यक्ष ने मुझे अनुमति दी है। (**व्यवधान**) यदि अन्य सदस्य मुझे नहीं सुनना चाहते तो मैं बैठ जाऊंगा (**व्यवधान**) अब एक सदस्य ने कहा है कि मैं क्यों खड़ा हूं (**व्यवधान**)

श्री रवि राय (केन्द्रपारा) : मैंने कहा है कि मुझे इस बात की खुशी है कि आप बोल रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री संतोष मोहन देव : महोदय मैं मामले के गुण/अवगुणों का वर्णन नहीं करना चाहता। इस सम्बन्ध में निर्णय लेने और कुछ कहने की बात अध्यक्ष महोदय और गृह मंत्री पर निर्भर करती है। लेकिन मैं तो कार्यवाही वृतांत को सही करना चाहता हूं।

असम सरकार ने कुछ कार्यवाही की है जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती की जा रही है। उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई की जा रही है। सुनवाई की आगामी तारीख अगले महीने की दो या तीन तारीख है। यह मामले का एक पक्ष है।

दूसरी बात यह है कि इस मामले की खबर समाचारपत्रों में छपी हैं; श्री आडवाणी जी ने सही अर्थ में अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब यह निकाय एक चुना हुआ निकाय है, जिसे आदिवासियों ने चुना है और चुने हुए सदस्य भी आदिवासी हैं; और जब कुछ आदिवासी सदस्य सरकार के समक्ष वित्तीय अनियमितताओं के बारे में कुछ गंभीर आरोप लगाते हैं तो सरकार से भी यह अपेक्षा की जाती है कि इन आरोपों पर ध्यान दिया जाए—सही अथवा गलत का निर्णय तो उच्च न्यायालय ही करेगा। लेकिन इस मामले को कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया गया है जैसे कि आदिवासियों को पृथक रखा जा रहा है। लेकिन हम इस बात को नहीं मानते कि आदिवासियों को अलग रखा जा रहा है। यदि इस में कोई वित्तीय अनियमितता है भी तो इस निर्वाचित सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि इस पर कार्यवाही करें। सरकार आदिवासियों के बिल्कुल खिलाफ नहीं है।

असम सरकार आदिवासियों के प्रति पूरा सम्मान रखती है। भले ही बोडोलैण्ड हो अथवा कारबिअंगलांग, हमारा दृष्टिकोण सहानुभूति का है; भारत सरकार इस पर विचार-विमर्श कर रही

है; इस बात चीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन इस तरह का संदेश प्रचारित नहीं करना चाहिए कि जो कार्यवाही की गई थी, वह आदिवासियों के खिलाफ थी। यह तो उस निकाय के खिलाफ कार्यवाही है जिसकी कार्यवाही असम सरकार की राय में हितों के प्रतिकूल है, संविधान के विपरीत हैं; और उन्होंने इसे चुनौती दी है। लेकिन हम उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करेंगे। (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मेरे आदरणीय मित्र ने यह कहा है कि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है। मुझे तो इस बात की हैरानी है कि जब मामला उच्च न्यायालय में लंबित है तो क्या हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। अगले सप्ताह इस मामले पर पुनः विचार किया जाना है। (व्यवधान) फिर भी मैं गृहमंत्री जी के ध्यान में ला दूंगा कि इस पर उचित कार्यवाही करें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले कि ओर आकर्षित करना चाहता हूं। नयी आर्थिक नीति जबसे आई है तो देश में आर्थिक नीति नहीं हो रही है। महत्वपूर्ण उद्योगों को धीरे-धीरे सरकार विदेशी कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही है और कुछ निजी क्षेत्र में देने का प्रयास कर रही है। देश के आर्थिक निमार्ण के लिए हमारा अत्यन्त प्रतिष्ठित उद्योग बी०एच०ई०एल० है (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : पहले इश्यू पर होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट होना चाहिए था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नीतीश कुमार जी, आप लगातार ही टिप्पणी करते जा रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इनके कार्य में बाधा डाल रहे हैं और ये लोग भी···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि वह इस मामले को गृहमंत्री की जानकारी में ला रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को बहुराष्ट्रीय कम्पनीज को बेचने का षड्यन्त्र किया जा रहा है, ऐसा समाचार पत्रों में आया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार से कि क्या यह ऐसी संस्था है कि इसको सरकार ने सिक घोषित किया हुआ है, क्या यह दुनिया में हमारी आर्थिक प्रगति और उन्नति का मापदंड नहीं रही है, क्या यह घाटे में चल रही है?

इसके अलावा आज अखबारों में आया है कि रेलवे स्टेशंस के प्रबंधन का भी निजीकरण किया जा रहा है। सरकार ने पता नहीं क्यों आपके प्रति आदर दिखाते हुए महाराष्ट्र से इसकी

[श्री हरि किशोर सिंह]

शुरूआत की है और बांद्रा स्टेशन के प्रबंधन का निजीकरण शुरू किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महाराष्ट्र में अध्यक्ष को कुछ नहीं करना होता।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : क्या नई आर्थिक नीति का यही उद्देश्य है कि जो प्रतिष्ठित औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं उनका निजीकरण कर दिया जाये और उनको बहुराष्ट्रीय कम्पनीज को बेच दिया जाये। मुझे लगता है कि जब इस शताब्दी का अन्त होगा तो हम राष्ट्रीय भिखारी के रूप में दर-दर भीख मांगते हुए दिखेंगे। मैं जानना चाहता हूं सरकार इस बारे में क्या कर रही है। मेरी मांग है कि इस संबंध में सरकार बयान दे और इसका अन्त करें।

श्री हरपाल पंवार (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों के रद्द होने और अनियमित होने की तरफ खींचना चाहता हूं। इंडियन एयर-लाइन्स की उड़ानों के बारे में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। जो भी यात्री इसके द्वारा यात्रा करना चाहते हैं और अपना सामान लेकर आते हैं तो उनको यकीन नहीं होता कि यह विमान जायेगा या नहीं जायेगा। विमान चालक अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनको अच्छे वेतन और भत्ते मिलने के बावजूद भी वे अपनी ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। उनको 40 हजार रुपया प्रतिमाह मिलता है। ये विमान चालक मुश्किल से महीने में 40-45 घंटे की ड्यूटी देते हैं, जबकि प्राइवेट कम्पनीज के विमान चालक 80 घंटे की ड्यूटी देते हैं। लगता है स्थिति सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इसलिए आप निर्देश दें कि उन विमान चालकों को सरकार अविलम्ब बर्खास्त करे और उनकी जगह नयी भर्ती की जाये। नहीं तो जो अनिश्चितता का वातावरण बना रहेगा और सबको नुकसान होगा तथा सरकार को वित्तीय घाटा होगा।

12.53 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान बिहार में मुंगेर जिले से चुने हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद ब्रह्मानन्द की हत्या के षड्यन्त्र की तरफ दिलाना चाहता हूं। इनकी हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है। लक्खी सराय के सब डिवीजन के पुलिस अधिकारियों को भी मालूम है। यह समाचार कलकत्ता से 20 नवम्बर को निकले जनसत्ता में छपा है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि सांसद ब्रह्मानन्द मंडल की जान-माल की रक्षा की जाये और उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए एवं षड्यंत्रकारी भूमिपतियों के हथियारों के लाइसेंस जब्त किए जाएं।

[अनुवाद]

श्री अनन्तराव देशमुख (वाशिम) : महोदय, मैं इस सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। यह मामला एक ऐसे आलेख से संबंधित है जोकि जर्मनी की प्रेस में 29 सितम्बर, 1992 को छपा है। चूंकि यह आलेख जर्मन भाषा में छपा है, मुझे इसका अंग्रेजी में अनुवाद करना

पढ़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे अक्षरशः न पढ़िये। आप उसका सार अंग्रेजी में बता सकते हैं।

श्री अनन्तराव देशमुख : मैं इस आलेख का पाठ आपको बताता हूं।

"परमाणु ऊर्जा शक्ति केन्द्र—उबलता हुआ पानी—लोग परमाणु किरणों के कारण बीमार हो गये हैं। परमाणु ऊर्जा केन्द्र के इर्द-गिर्द परमाणु किरणों के कारण मद्रास के लोगों को कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। मछलियां जलती-भुनती जा रही हैं और कल्पक्कम के चारों ओर पानी उबल रहा है। लोगों में अंधापन आ गया है और उन्हें आंखों के रोग लग गये हैं। डाक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि गांव छोड़कर चले जाएं।"

यदि यह बात सत्य है तब तो मामला अत्यन्त गम्भीर है। हम इस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। यदि यह सत्य नहीं है तब मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि उन्हें यह मामला अपने जर्मन सरकार के साथ उठाना चाहिए ताकि वे ऐसे आलेख के प्रकाशन पर रोक लगाएं जोकि राष्ट्र की छवि को धूमिल करता हो।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 22-11-92 को पश्चिमी रेलवे के रतलाम-दोहद रेलवे स्टेशनों के बीच में भयंकर रेल दुर्घटना हुई जिसमें 20 आदमी मर गए और 200 से अधिक घायल हुए लेकिन रेलवे अधिकारियों की ओर से घायलों के लिए उपचार हेतु कोई व्यवस्था नहीं की गयी। इससे उनके परिवार के लोग भी परेशान हैं। यह भी मालूम हुआ है कि रेल अधिकारियों का व्यवहार भी अमानवीय रहा है। मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि इस भयंकर दुर्घटना में मृत परिवारों और दुर्घटनाग्रस्त लोगों को सहायता प्रदान की जाये तथा जो मरणासन्न स्थिति में हैं, उनका समुचित उपचार करके उनको बचाया जाये।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तपुजा) : महोदय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की नर्सें विगत कई दिनों से कतिपय सही मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं। सरकार की ओर से बार-बार इस आशय के आश्वासन दिये जाते रहे हैं कि सभी नर्सों को सरकारी आवास उपलब्ध कराये जाएंगे। इस अस्पताल में 1200 से भी अधिक नर्सें कार्यरत हैं लेकिन केवल 150 नर्सों को ही सरकारी आवास उपलब्ध हैं। अन्य सभी को इतनी अधिक असुविधा हो रही है कि वे अपने अल्प वेतन से अपने आवास की व्यवस्था करने में सक्षम नहीं हैं।

दूसरे उनकी एक मांग यह भी है कि उनकी वेतन और पदोन्नति की शर्तें दिल्ली में अन्य अस्पतालों में कार्य करने वाली नर्सों के समान तय की जानी चाहिए। उनकी मांगें उचित हैं। आज वे भूख हड़ताल पर हैं। आप जानते हैं कि इस सभा के माननीय सदस्य उपचार के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में जाते रहते हैं। केवल इस सभा के सदस्य ही नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र उन नर्सों की सेवाओं का लाभ उठा रहा है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अपील करूंगा और उन्हें विनम्र सुझाव दूंगा कि उनकी हड़ताल और मांगों के बारे में स्वास्थ्य मंत्री को सूचित करें और उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। कृपया एक मिनट के लिए इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं यह मामला स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में ला दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सत्यपाल सिंह यादव (शाहजहांपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के दस हजार काश्तकारों की समस्या को इस सदन के बीच में लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अन्दर अफीम की खेती बहुत बड़ी तादाद में होती है। उसको विदेशों में एक्सपोर्ट करने पर बहुत भारी विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। मुझे यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इस साल सरकार की गलत नीतियों के कारण अधिकारियों द्वारा अफीम की खेती करने वाले काश्तकारों को लाइसेंस देना बन्द कर दिया है। बिना लाइसेंस प्राप्त किए वे खेती कर नहीं सकते हैं। इस सम्बन्ध में बरेली के सांसद द्वारा कल इस सदन में विषय उठाया गया था। इसके साथ ही जिन काश्तकारों की खेती डैमेज हो जाती है उसे देखने के लिए विभागीय अधिकारी नहीं जाते हैं परिणामस्वरूप काश्तकार लाइसेंस नहीं पाता है जबकि डैमेज खेती से अफीम निकालने के लिए इश्तहार भी विभागीय अधिकारियों ने बंटवा दिये थे फिर भी परता देने वालों को लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि अफीम की काश्त करने वाले काश्तकारों को लाइसेंस अविलम्ब दिये जाएं। (व्यवधान)

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, बिहार में एक साल से वर्षा नहीं हो रही है जिससे बिहार में अकाल पड़ा हुआ है। बिहार में कुएं, तालाब और नदियां सूख गई हैं और आदमी को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता है। बिहार की आम जनता तबाह है। इस बात की खबर भारत सरकार को है लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। वहां के गरीब लोग काम नहीं मिलने के कारण बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार बिहार को 1400 करोड़ रुपया सहायता के रूप में दे जिससे वहां रिलीफ वर्क चलाया जा सके और जिससे जो गरीब बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं वे नहीं जाएं।

दूसरी बात यह है कि वहां बिजली का इन्तजाम कराया जाए। जो भी नलकूप खराब हुए हैं उन्हें ठीक कराया जाए और गांव-गांव में इसके लिए बोरिंग कराई जाए, खासकर हरिजन बस्तियों में कराई जाए जिससे गरीबों को पानी मिल सके। मैं आशा करता हूं कि भारत सरकार इसे सुनेगी और जल्दी से जल्दी इस पर बिहार सरकार को सहायता देगी जिससे बिहार सरकार इस समस्या का मुकाबला कर सके।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल अब समाप्त होता है। अब हम अगले विषय को लेंगे। श्री ग्वानी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सूरज मंडल (गोड्डा) : तीन दिन से हम रोज नोटिस देते हैं और हमें बोलने का मौका

नहीं मिल रहा है।... (व्यवधान)

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। हम भी तीन दिन से नोटिस दे रहे हैं। यह ठीक नहीं है।... (व्यवधान)...

1.02 म० प०

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अध्ययन दौरे के बारे में प्रतिवेदन

श्री के० प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं :—

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के जून-जुलाई, 1992 के दौरान गुवाहाटी, अगरतला, कलकत्ता, दार्जिलिंग और पटना संबंधी अध्ययन दल-1 के अध्ययन दौरे के बारे में प्रतिवेदन।

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के जून-जुलाई, 1992 के दौरान मुम्बई, कोचीन, कोट्टायम, कोयम्बटूर, उटी, मैसूर तथा बंगलौर सम्बन्धी अध्ययन दल-2 के अध्ययन दौरे के बारे में प्रतिवेदन।

1-02½

[अनुवाद]

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत ठेका श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में याचिका

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यरत ठेका श्रमिकों की समस्याओं के बारे में श्री रघु ठाकुर, कार्यवाहक अध्यक्ष, कोयला कामगार पंचायत, जहांगीराबाद, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

1.03 म० प०

दूरदर्शन के कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण संचार माध्यमों के कार्य में आई बाधा से उत्पन्न स्थिति तथा सम्बद्ध मामलों को सुलझाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : कुछ दूरदर्शन प्रोडक्शन कर्मचारियों (मुख्यत: दिल्ली और कलकत्ता) द्वारा बुलाई गई संयुक्त कार्रवाई परिषद ने 15 से 17 सितम्बर, 1992 तक तीन दिनों के लिए "काम रोको" तथा अपनी मांगो को स्वीकृत करवाने हेतु दबाव डालने के लिए 1-9-92 से "नियमानुसार कार्य हड़ताल" के रूप में आन्दोलन का सहारा लिया था। यह एक गैर पंजीकृत/गैर मान्यता प्राप्त यूनियन है जिसका गठन जुलाई 1992 में हुआ है जो आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के अधिकांश 35000 स्टाफ तथा कर्मचारियों में से लगभग 2500 की सहायता का दावा करती है।

2. सूचना और प्रसारण मंत्री, सचिव तथा महानिदेशक दूरदर्शन ने कार्यक्रम निर्माण स्टाफ के प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया तथा सरकार की स्थिति को स्पष्ट किया। सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी न्यायोचित मांगों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा तथा उनकी सही शिकायतों/मांगों को शीघ्रता से निपटाया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा कर्मचारियों से अपील की गई थी कि वे अपनी मांगो पर विचार के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने हेतु अपना आंदोलन समाप्त कर दें। तदुपरान्त कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया। मामले की जांच करने तथा 30-12-92 तक रिपोर्ट देने के लिए अपर सचिव श्री का० अ० वरदन की अध्यक्षता में 6 सदस्यों की एक समिति सरकार ने तत्काल गठित की है। समिति ने कर्मचारियों की सुनवाई शुरू कर दी है।

3. तथापि उन्होंने "नियमानुसार कार्य हड़ताल" के रूप में दिनांक 12-10-92 से अपना आन्दोलन पुन: शुरू कर दिया था जिसका अभिप्राय यह था कि वे सामान्य ड्यूटी कार्यालय कर्मचारियों के लिए निर्धारित केवल प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे के दौरान ही कार्य करेंगे न कि उस पद्धति के अनुसार जो पद्धति दूरदर्शन में प्रारंभ से अपनाई जा रही है। सूचना और प्रसारण मंत्री, सचिव तथा महानिदेशक दूरदर्शन द्वारा की गई सभी अपीलें तथा सभी आश्वासन कर्मचारियों की ओर से कोई सकारात्मक प्रति उत्तर प्राप्त करने में असफल सिद्ध हुए हैं। तथा वे अपना "नियमानुसार कार्य हड़ताल" आन्दोलन रखे हुए हैं।

4. इस दौरान सूचना और प्रसारण मंत्री सहित कई स्तरों पर आन्दोलनकारी कर्मचारियों के नेताओं की चर्चाएं हुई हैं। कर्मचारियों को ये आश्वासन देते हुए कि उनकी सभी न्यायोचित मांगों पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाएगा, वास्तव में महानिदेशक दूरदर्शन द्वारा ली गई कई बैठकों के अलावा सूचना और प्रसारण मंत्री तथा सचिव द्वारा आन्दोलनकारी कर्मचारियों के साथ पांच बैठकें की गई। उन्हें यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि उनकी कुछ मांगें जो कि उनकी सेवा के मामलों से सम्बन्धित है पर पहले से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

5. हालांकि सरकार आन्दोलनकारी प्रोडक्शन कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह के सीधे

टकराव को रोकने की कोशिश करती रही है, फिर भी आन्दोलनकारियों ने कुछ विशिष्ट मामलों में, उन कर्मचारियों के साथ, जो चल रहे आंदोलन की बजाए काम करने को इच्छुक थे, के साथ सरकारी ड्यूटी पर उनसे दुर्व्यवहार किया और उनके काम में हस्तक्षेप किया। इस प्रकार की कुछ घटनाओं की संक्षिप्त चर्चा निम्नलिखित पैरों में दी गई है :—

(i) आन्दोलन के पहले दिन अर्थात 15-9-1992 को एक प्रस्तुति सहायक तथा एक दूरदर्शन समाचार संवाददाता ने प्रेस फोटोग्राफरों को दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली के स्टुडियो परिसर में प्रवेश करने के लिए उकसाया जो कि सुरक्षित क्षेत्र है और परिधि के बाहर है। प्रेस फोटोग्राफरों ने स्टुडियो के फोटो ले लिए/जब एक सुरक्षा अधिकारी फोटो ग्राफरों को फोटो खींचने से रोकने की कोशिश कर रहा था तो प्रस्तुति सहायक तथा दूरदर्शन समाचार संवाददाता ने सुरक्षा गार्डों को एक तरफ धक्का दे दिया तथा गेट जबरदस्ती खोलकर फोटोग्राफरों को भवन से बाहर जाने दिया।

(ii) 15-9-92 को दूरदर्शन केन्द्र कलकत्ता से एक ग्राफिक आर्टिस्ट ने ड्यूटी पर आने वाले नैमित्तिक प्रस्तुति सहायक को जबरदस्ती रोका। नैमित्तिक प्रस्तुति सहायक के साथ हाथापाई की गई और उनको इस घटना में चोटें आई। उनको इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था। नैमित्तिक प्रस्तुति सहायक ने जादवपुर पुलिस स्टेशन में एक एफ आई आर पहले से ही दर्ज करा दी है।

वास्तव में कलकत्ता में काम करने के इच्छुक कर्मचारियों को अभी तक धमकी दी जा रही है और उनको कार्य करने से रोका जा रहा है। विशेषकर नैमित्तिक कर्मचारियों को ही इस प्रकार की धमकियां दी जा रही है।

(iii) 17-10-92 को आन्दोलन के दूसरे चरण में दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली की एक महिला सहायक केन्द्र निदेशक को एक प्रस्तुति सहायक द्वारा उनको काम करने से रोका गया। महिला के अनुसार प्रस्तुति सहायक ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी तथा अश्लील भाषा का प्रयोग किया। महिला ने भी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में एक एफ० आई० आर० दर्ज करा दी है।

(iv) 27-10-92 को एक प्रस्तुति सहायक तथा एक कैमरामैन ग्रेड-2 ने एक कैमरामैन को पीटने की कोशिश की जब वह सिरीफोर्ट आडीटोरियम में सार्क समारोह को कवर करने के लिए जा रहा था। प्रस्तुति सहायक तथा कैमरामैन दोनों ने कैमरामैन का पीछा किया तथा उसे स्कूटर से धक्का देने की कोशिश की।

(v) केन्द्रीय निर्माण केन्द्र ने 31-10-92 को राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक महिला द्वारा प्रस्तुत किये गये नृत्य की रिकार्डिंग करनी थी। आरम्भ में रिकार्डिंग के लिए सेट लगाने के लिए विरोध किया गया था लेकिन अनुरोध करने पर 31 अक्तूबर, 1992 को सेट लगाये गये थे। तथापि, 31 अक्तूबर, 1992 की अपराह्न को आन्दोलनकारियों का एक समूह केन्द्रीय निर्माण केन्द्र में गया और सेटों को उखाड़ दिया। इसी तरह, 3-11-92 को केन्द्रीय निर्माण केन्द्र द्वारा की जाने वाली दो रिकार्डिंग भी बुरी तरह प्रभावित हुई क्योंकि आन्दोलनकारियों ने इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया।

[श्री अजित पांजा]

(vi) दिनांक 6-11-92 को प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान के रक्षा सचिव की भेंट को कवर नहीं किया जा सका क्योंकि आन्दोलनकारियों ने दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली परिसर से अपेक्षित उपकरणों को बाहर ले जाने के लिए जानबूझ कर व्यवधान डाला।

(vii) आन्दोलनकारी शुरू से भोजन काल में गेट बैठकें आयोजित करते रहे हैं और नारे लगाते रहे हैं। प्रसारण को रोकने के लिए खुलेआम धमकी देते रहे हैं। आन्दोलनकारियों का एक प्रमुख जो प्रस्तुति सहायक है, सभी श्रेणी के कर्मचारियों को आन्दोलन में शामिल होने के लिये भड़काता रहा है। पीतमपुरा में प्रसारण के प्रबन्ध को बनाये रखने के लिए प्राधिकारियों द्वारा किये गये आकस्मिक प्रबन्ध की दो प्रस्तुति सहायक आलोचना करते रहे हैं।

(6) इस आन्दोलन से सामाजिक एवं सार्वजनिक महत्व की सेवाओं को प्रभावित किया है तथा अब भी कर रहा है।

(क) कर्मचारियों के आन्दोलन के कारण मौसम की जानकारी को अपने मूल प्रारूप में नहीं दिखाया जा सका। वर्तमान में इसे अन्य एजेन्सी द्वारा नियमित रूप से दिखाए जाने की व्यवस्था की गयी है।

(ख) दूरदर्शन का राष्ट्रीय समाचार भी प्रभावित हुआ है क्योंकि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाओं के दृश्यों के कवरेज में काफी कमी हुई है। कैपशन तथा शीर्षक को भी नहीं दिखाया जा रहा है।

(ग) खोए हुए व्यक्तियों से सम्बंधित सूचना जो कि दूरदर्शन द्वारा कि जा रही एक महत्वपूर्ण सेवा है, का प्रसारण लगभग एक माह से गम्भीर रूप से प्रभावित था। इसे अब पुनः आरम्भ किया गया है।

(घ) अभी बाहरी/भीतरी रिकार्डिंग्स, जो कि प्रातः 10 बजे से पहले तथा सायं 5 बजे के बाद निर्धारित थी, भी इस तथाकथित नियमानुसार कार्य हड़ताल के आन्दोलन से प्रभावित हुआ है।

समाचार के असम्पादन के कारण प्रतिकूल प्रभाव की भी रिपोर्ट मिली है।

7. उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा किए गए इस "नियमानुसार कार्य हड़ताल" आन्दोलन ने दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा को अभी तक प्रभावित नहीं किया है। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा में राजस्व हानि का कोई विशेष दृष्टान्त अभी तक हमारी सूचना में नहीं आया है और न ही किसी क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा इसकी सूचना दी गयी है।

8. दूरदर्शन महानिदेशालय तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कर्मचारियों के इस "नियमानुसार कार्य हड़ताल" आन्दोलन से उठ रही परिस्थितियों को लगातार मानीटर कर रहा है। जबकि आन्दोलनकारी कर्मचारियों की मांगों पर उनके गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जा रहा है, सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इलैक्ट्रानिक्स मीडिया के सार्वजनिक सेवाओं को बनाए रखने हेतु आन्दोलनकारी कर्मचारियों से दृढ़तापूर्वक निपटा जाय। कुछ कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है तथा कुछ को कारण बताओ ज्ञापन जारी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सरकार ने विभिन्न अन्य कारंवाई की सम्भाव्यता का भी परीक्षण किया है जिसे आन्दोलनकारी कर्मचारियों के प्रति लिया जा सके। तथापि मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार की मंशा बदला लेने अथवा

टकराव की स्थिति पैदा करने की नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आन्दोलनकारी कर्मचारियों में सद्भावना आएगी तथा वे अपनी सामान्य ड्यूटी को पुनः ग्रहण कर लेंगे तथा वे उसी तरह कार्य करेंगे जैसा कि वे आन्दोलन शुरू होने से पूर्व करते थे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दो संयुक्त सचिव आन्दोलनकारी कर्मचारियों से अभी भी बातचीत कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, केवल दो बातों पर स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। इन्होंने उनके दो नेताओं को निलंबित कर दिया है। पुलिस भेजकर प्रताड़ित कर रहे हैं······ **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई भी प्रश्न न पूछा जाये।

1.10 म० प०

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं, श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से यह सूचित करता हूं कि 30 नवम्बर, 1992 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित पर विचार और पारित करना :—

   (क) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित किए गए रूप में संविधान (72वां संशोधन) विधेयक, 1991

   (ख) संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित किए गए रूप में संविधान (73वां संशोधन) विधेयक, 1991

   (ग) संविधान (75वां संशोधन) विधेयक, 1991

3. निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर चर्चा और इन अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

   (क) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) संशोधन अध्यादेश, 1992

   (ख) वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 1992

   (ग) औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रमों का स्थानान्तरण और निरसन) अध्यादेश, 1992

   (घ) लघु और आनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज अध्यादेश, 1992

[श्री रंगराजन कुमार मंगलम]

4. निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित करना :—

(क) दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 1992.

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय पन-बिजली निगम लिमिटेड, और नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड (अधिग्रहण तथा विद्युत संचरण प्रणाली का अन्तरण) विधेयक, 1992

[अनुवाद]

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किये जाएं :—

(1) 6 दिसम्बर 199 . को अयोध्या में कार सेवा शुरू किये जाने के निर्णय के कारण वहां उत्पन्न हुई विस्फोटक स्थिति;

(2) मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण पैदा हुई स्थिति।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषय चर्चा हेतु सम्मिलित करें :

"1. बीड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए बीड़ी कारखानेदारों से वसूल किए जाने वाले कल्याण सैस को बढ़ाने तथा वसूल की गई रकम को पूरा-पूरा खर्च करने के सम्बन्ध में चर्चा।

2· देश के खेत-मजदूरों को शोषण से बचाने एवं उनके जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अखिल भारतीय पैमाने पर एक कानून बनाने का मामला।"

[अनुवाद]

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित शामिल किया जाय :—

(1) बम्बई हाई से पश्चिमी तट के साथ-साथ दक्षिणी गैस पाइप लाइन स्थापित करने संबंधी परियोजना को मंजूरी देने के बारे में।

(2) मंगलौर-मडीकेरी-मैसूर रोड सहित राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के सम्बन्ध में कर्नाटक सरकार द्वारा दिए गए प्रस्तावों को स्वीकृति देने के सम्बन्ध में।

[हिन्दी]

श्री सन्तोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को चर्चा हेतु सम्मिलित करें :—

"1 ऋण राहत योजना के अन्तर्गत उ० प्र० को विभिन्न सहकारी समितियों एवं ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से माफ लिए गए अवशेष ऋण राशि 166.872 करोड़ रुपया है, उसकी प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु।

2. केन्द्रीय मार्ग निधि के उ० प्र० के अवशेष अंश को तत्काल दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा।"

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :—

फेक्ट (केरल), जो केरल में सबसे बड़ा उपक्रम है और बन्द होने के कगार पर है, द्वारा सामना की जा रही गम्भीर समस्याएं।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं अनुरोध करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए :—

1. अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन और अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के 16 सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चर्चा।

2. भाषायी अल्पसंख्यक आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन और त्रिभाषा फार्मूले के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए भाषायी अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चर्चा।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित करने का कष्ट करें।

1. अजमेर में भारत सरकार द्वारा पूर्व घोषित उच्च शक्ति वाला टी० वी० टावर शीघ्र स्थापित किया जाए।

2. सभी मानदण्डों की पूर्ति करने वाले अजमेर जिले के ब्यावर (राजस्थान) में केन्द्रीय विद्यालय शीघ्र खोला जाए।

———

1.16 म० प०

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वन्य जीव (संरक्षण अधिनियम, 1992) में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

*दिनांक 27-11-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

"कि वन्य जीव (संरक्षण अधिनियम, 1992) में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

1-16½ म० प०

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश के द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रोनिकी तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : मैं वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अध्यादेश, 1992 के द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

1.17 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.20 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.24 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सभा पटल पर रखे गए पत्र लेंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वायु सेना अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना, वैमानिक विकास अभिकरण, बंगलौर के वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : मैं, श्री शरद पवार की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 145 जो 18 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए

थे तथा जिनके द्वारा भारतीय वायु सेना में महिलाओं की भर्ती के लिए उड्डयन और तकनीकी शाखाओं के वर्गों को विनिर्दिष्ट किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—2735/92]

(2) (एक) वैमानिक विकास अभिकरण, बंगलौर के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वैमानिक विकास अभिकरण, बंगलौर के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—2736/92]

बहुविधि परिवहन आपरेटरों का पंजीकरण नियम, 1992, चालन लाइसेंस (छूट के लिए शर्तें) नियम, 1992 आदि

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) माल बहुविधि परिवहन अध्यादेश, 1992 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बहुविधि परिवहन आपरेटरों का पंजीकरण नियम, 1992 जो 20 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1 5 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—2737/92]

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चालन लाइसेंस (छूट के लिए शर्तें) नियम, 1992 जो 30 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 791 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—2738/92]

(3) (एक) मद्रास डाक श्रम बोर्ड के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मद्रास डाक श्रम बोर्ड के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2739/92]

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के शहरी सम्पर्कों को बनाये रखने और उनके विकास के बारे में 2: फरवरी, 1976 के

[श्री जगदीश टाईटलर]

मुख्य समझौते में आंशिक रूप से संशोधन और/या उपांतरण करने लिए भारत के राष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के बीच हुए तीसरे अनुपूरक समझौते की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—2740/92]

आय कर अधिनियम, 1961, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं आदि

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।—

(1) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) आय कर (सोलहवां संशोधन) नियम, 1992 जो 18 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 625 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) आय कर (सत्रहवां संशोधन) नियम, 1992 जो 21 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 697 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) आय कर (अठारहवां संशोधन) नियम, 1992 जो 30 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 729 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) आय कर (उन्नीसवां संशोधन) नियम, 1992 जो 7 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 758 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2741/92]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 809 (अ) जो 15 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० का० नि० 839 (अ) से सा० का० नि० 841 (अ) जो 30 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कतिपय अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किये गये हैं ताकि निर्यात उत्पादन के लिए आयात किये गये कम्प्यूटर साफ्टवेयर पर शुल्क छूट योजना के लाभ को लागू किया जा सके।

(तीन) का० आ० 538 (अ) जो 22 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो स्विटजरलैंड के फ्रैंक को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा का फ्रैंक में बदलने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का० आ० 566 (अ) जो 28 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को कतिपय विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पाँच) का० आ० 567 (अ) जो 28 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) फीसों का उद्ग्रहण (सीमा शुल्क दस्तावेज) संशोधन विनियम, 1992 जो 30 जुलाई, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 574 (अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का०आ० 649(अ) जो 28 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का०आ० 650(अ) जो अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का०आ० 707(अ) जो 24 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का०आ० 708(अ) जो 24 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का०आ० 712(अ) जो 25 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा

[श्री रामेश्वर ठाकुर]

एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) का०आ० 713(अ) जो 25 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) का०आ० 720(अ) जो 25 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) का०आ० 721(अ) जो 25 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) का०का० 790(अ) जो 28 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) का०आ० 791(अ) जो 28 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में बदलने के लिए पुनरीक्षित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—2742/92]

(3) ब्याज-कर अधिनियम, 1974 की धारा 27 की उपधारा (4) के अन्तर्गत ब्याज-कर (संशोधन) नियम 1992, जो 31 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 652(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए एल० टी० संख्या—2743/92]

( ) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 1992, जो 13 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 870(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—2744/92]

(5) 14 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 728(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा 29 जुलाई, 19.1 की अधि-

सूचना संख्या 150/81-के०उ०शु० में कतिपय संशोधन करने वाला एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ताकि केन्द्रीय उपाद और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत कतिपय शर्तों के साथ किसी भण्डागार अथवा अनुज्ञप्ति प्राप्त फैक्टरी से शुल्क की अदायगी के बिना अनुबन्ध के अंतर्गत भूटान को सभी उत्पाद-शुल्क वाले सामानों का निर्यात किया जा सके।

[**ग्रन्थालय के रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०**—2745/92]

सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873, सिक्का-निर्माण अधिनियम. 1906 इत्यादि के अधीन अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सिक्का-निर्माण (82 प्रतिशत लोहा तथा 18 प्रतिशत क्रोम वाले एक रुपये के फेरिटिक स्टेनलेस स्टील का मानक भार और उपचार) नियम, 1992, जो 24 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 2729 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सिक्का-निर्माण ("खाद्य और पोषण" विषय पर निर्मित 75 प्रतिशत तांबा और 25 प्रतिशत निकल वाले एक रुपये के सिक्के का मानक भार और उपचार) नियम, 1992, जो 8 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 802(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०**—2746/92]

(2) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय बचत योजना (संशोधन) नियम, 1992, जो 15 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 762(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय बचत योजना नियम, 1992, जो 15 सितम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 763(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०**—2747/92]

(3) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 10 की उपधारा (8) के अंतर्गत निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पंजाब नेशनल बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापो सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन।

[**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०**—2748/92]

(दो) इंडियन ओवरसीज बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों संबंधी

[श्री दलबीर सिंह]

प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—2749/92]

(तीन) कारपोरेशन बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—2750/92]

(चार) न्यू बैंक आफ इंडिया के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण और क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—2751/92]

(पांच) पंजाब एण्ड सिंध बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण तथा क्रियाकलापों सम्बन्धी प्रतिवेदन, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—2752/92]

(4) स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे तथा उन पर भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 43 की उपधारा (3) के अंतर्गत लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—2753/92]

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल और उप दलाल) नियम, 1992 जो 20 अगस्त, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 627(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा जिसका एक शुद्धि-पत्र जो 19 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार) विनिमय, 1992 जो 19 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एल ई/6308/92 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टाक दलाल तथा उप दलाल) विनिमय), 1992 जो 23 अक्तूबर, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 780(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 821(अ) जो 5 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 21 फरवरी, 1992 की अधिसूचना संख्या का०आ० 147(अ) में कतिपय संशोधन किए गये हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०—2754/92]

(7) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 29 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम के बाईसवें मूल्यांकन के परिणामों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2755/92]

(8) (एक) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2756/92]

शिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार) : मैं शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का०आ० 1007 जो 4 अप्रैल, 1992 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिए स्नातकोत्तर तथा तकनीकी शिक्षुओं के लिए नामनिर्दिष्ट व्यवसायों के रूप में इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में कतिपय विषय क्षेत्रों को विनिर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—2757/92]

नियम 193 के अधीन चर्चा

उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि तथा गेहूं के आयात के कारण कृषि तथा किसानों के हितों को प्रभावित करने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बलराम जाखड़ चर्चा का उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, 27 तारीख को और गेहूं आने वाला है।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : जो चला है वह तो आयेगा ही।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : सुबह वित्त मंत्री जी ने कहा है कि दाम काबू में रखने के लिए गेहूं के अलावा चावल और दालों का भी हम आयात करेंगे। इसलिए सम्भल कर बोलिए।

श्री बलराम जाखड़ : मैं सम्भला हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी स्वीकृति से पहले मैं सब माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विचार-विमर्श में भाग लिया, धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं

[श्री बलराम जाखड़]

कि इस बात को उन्होंने अहमियत दी और इसकी इम्पोर्टेंस को सराहा। उन्होंने इसको सबसे पहले ला करके यह बता दिया कि रोटी का मसला सबसे बड़ा मसला है, जब तक यह मसला हल नहीं होगा, तब तक इस देश की तरक्की नहीं हो सकती है। यह ऐसा मसला है जो सब पर लागू होता है और सबसे इसका सम्बन्ध है—चाहे कोई खेती करे या न करे लेकिन सम्बन्ध सबका इससे है। किसान खेती करके जो कुछ पैदा करता है, उससे सभी लोगों का पेट भरता है और जब लोगों का पेट भरता है तो उनमें शक्ति आती है, फिर काम चलता है। मैंने पिछले कुछ वर्षों से देखा कि एक विहंगम दृष्टिकोण अभी तक अपनाया नहीं गया, इसको किस प्रकार से करना है, सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, कैसे चारों तरफ से नक्शा खींचना है।

कुछ बातें हमारे कमालुद्दीन जी और गगोई जी ने कही। मैं उनमें नहीं जाऊंगा। उन्होंने जो थोड़ा-बहुत कहा है, उसके बारे में उनसे बातचीत कर लूंगा। हमारी गेहूं के बारे में मिलकर बातचीत भी हो गई है। आगे आने वाले समय में इस क्षेत्र में हम जो कुछ भी करना चाहेंगे, उसमें आपके सहयोग की भी हमें जरूरत पड़ेगी। आशा है आपका सहयोग हमें मिलेगा। मुश्किलें भी काम में आती हैं, उनका समाधान भी हमें करना पड़ेगा। कुछ लोग महसूस करते हैं और उनके दिल में भी है कि सब ठीक हुआ है और कुछ लोग कहते हैं कि ठीक नहीं हुआ है। जो ऐसा कहते हैं, हमें उनका जवाब देना है।

महामना, सारा इतिहास देखा जाये और खास करके 1947 के बाद के इतिहास का सिंहावलोकन करें तो वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाती है। मैं देख रहा था कि किस प्रकार से खेती और इंडस्ट्री में असंतुलन रहा है। हमने तरक्की की है और बात भी बनी है। मैं खास तौर पर किसानों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस देश को स्वावलम्बी बनाया, आत्मनिर्भर बनाया और अपने पैरों पर खड़ा होने की शक्ति भी प्रदान की। 34 करोड़ भारतवासी जिस दिन आजाद हुए उस समय तकरीबन 50 मिलियन टन अनाज पैदा होता था। फिर पी० एल० 480 की बात चली। और राशन भी हुआ, मंगाकर भी खाया। फिर किसान उठा, कुछ सहयोग हुआ, कृषि विश्वविद्यालय बनाये, विस्तार का काम हुआ, अनुसंधान हुआ और लोगों तक यह बात पहुंची, लोगों ने उसको अपनाया और बढ़ाया। बढ़ाकर आज सबल शक्ति है, वह प्रदान की। हम 87 करोड़ आज हैं और फिर भी काफी हद तक हमने आज पहली बार ऐसा महसूस किया जिससे कि यह प्रश्न उठाया गया, मेरे साथियों ने, माननीय सदस्यों ने, कि क्यों 30 लाख टन फिर बाहर से आयात हुआ।

थोड़ा-सा विहंगम दृष्टिकोण हम लें तो कसूर हम सबका है, कुछ प्रकृति का है, क्योंकि कुछ तो हमने नहीं सोचा, कुछ तो सोचने की बात है, यह एक विहंगम दृष्टिकोण है, जिसमें हमारी सारी पार्टियां मिलकर थोड़ा-सा सोचें कि कितना कुछ हमने किया है, जिस प्रकार से जनता बढ़ी है, पृथ्वी नहीं बढ़ी, जनता बढ़ गई और पृथ्वी का बंटवारा होता चला गया और जब तक बंटवारा करते रहेंगे तब तक ऐसा ही रहेगा इसलिए इस विषय में विचार करने की बात है, यह तो तुक की बात थी, जो मैंने बता दी, क्योंकि दिल को कचोटता है। इसमें सब मिलकर करेंगे तब बात बनेगी वरना बात बनने वाली नहीं है। हिसाब से हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देने जा रहे हैं, इस बात को भी हमें देखना पड़ेगा लेकिन जहां तक किसान की बात है, उसने जो तरक्की की या देश को तरक्की दिलवाई, उसके साथ-साथ उसकी तरक्की नहीं हुई है। जो आज गांवों में साधन उपलब्ध हैं और जो शहर में उपलब्ध हैं, उनमें बहुत अन्तर है। जीवन-स्तर में अन्तर है, आम साधनों में अन्तर है, आमदनी में अन्तर है। कल देवगौड़ा जी कह रहे थे, देवगौड़ा जी ने कहा था कि मुझे

चपरासी बना दो, मैं ज्यादा बेहतर रहूंगा, मेरी सारी जमीन ले लो, यह बात किसी हद तक उनकी सही है। आज के नौजवान को हम पढ़ाते हैं, आप यूनिवर्सिटी बनाइये, एग्रीकल्चर स्टूडेंट को आप दाखिल करते हैं, बी० एस० सी० बनाते हैं लेकिन बजाय इसके कि वह अपने खेतों में काम करे, कुछ उत्पादन बढ़ाये, जो ज्ञान का उपार्जन किया है, उसका कुछ उपयोग करके देश का और अपना लाभ करे, इसके बजाय सारे के सारे नौकरी करने के लिए चलते हैं। मैं इस पद्धति के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं उनसे चाहता हूं कि वह अपने उस ज्ञान का उस तरीके से उपयोग करें जिससे देश का फायदा हो। यह भी हमारे देखने की बात है कि हम उसको कैसे बनाएंगे लेकिन...

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : डिग्निटी आफ फार्मर और डिग्निटी आफ लेबर तो है नहीं।

श्री बलराम जाखड़ : उसी की बात करनी है। किसान और जो खेत में काम करने वाला आदमी है, यह दोनों किसान हैं मैं उनको कभी दो नजर से नहीं देख सकता, उनका आपस में सम्बन्ध है। आप उसको और किसान को अलग-अलग करके नहीं देख सकते। लेकिन जितना कुछ है, उसको देखना पड़ेगा, किस तरीके से है। उन्होंने जो कहा है, वह मेरे दिल में है। कल भी मैंने कहा था कि एक तरफ तो हमारी कृषि है और उससे चार गुना दूसरी श्रेणी में मिलता है, यह कुछ अच्छी बात नहीं जंचती है, इस असन्तुलन को समाप्त करके हमें कुछ ऐसा करना है, जिससे किसान अपने आपको कुछ महसूस कर सके कि हां, मैं हूं। इस देश पर मेरा भी कुछ हक है और मैं साझीदार हूं, भागीदार हूं, पूरे का पूरा देश के साथ हूं, यह मैं चाहता हूं।

मैं चाहता था कि आप सारे कहेंगे, यह करें, यह सारा का सारा ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें से कुछ लगता है कि कुछ गलत हुआ है और उसको हमें ठीक करना है। उसी के लिए मैं यह नई कृषि नीति लाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सामने दो-चार, पांच-सात दिन में आपको लाकर दूंगा, आप उस पर विचार-विमर्श करेंगे। अगर कुछ त्रुटियां रही हैं तो मुझे बताएंगे, वह उसमें डालेंगे। मैंने दरवाजे बन्द नहीं करने हैं, आप सबका सहयोग लेना है, उसमें जितने आपके फायदे के विचार होंगे, वह डालेंगे लेकिन मेरा निशाना यह है कि हम उसको ठीक करें। मैं इस बात को जानता हूं।

कुछ लोग, जो साथ देते हैं या जिन्होंने सहयोग जताने या हमदर्दी जताने की चेष्टा की है, मैं जानता हूं कुछ राजनैतिक तौर-तरीके भी हैं लेकिन जिन लोगों का ध्यान बंटा हुआ है, जिन लोगों ने खेती की है, जो लोग खेत में तपे हैं, उनको पता है, वह महसूस करते हैं। वह मुझे भी पता है कि अगर किसान कटता है, मैंने सारी उम्र और कुछ नहीं किया है, वहां बैठकर भी, यहां बैठकर भी, मेरी निष्ठा वहीं की वहीं है। मैं तो भुक्तभोगी हूं, इस बात का। मैंने देखा है। राजा साहब, मैं उन बातों को नहीं भूला, जो मेरे पूर्वजों के साथ बीती हैं, जो गांव वालों के साथ बीती हैं। मेरा मनमुटाव नहीं है आप मेरे मित्र है, मैं आपको बड़ी श्रद्धापूर्वक नमस्कार करता हूं, आपसे प्रेम करता हूं। मैं साहूकार से भी प्रीति करता हूं, क्योंकि मैं बापू का अनुयायी हूं। इसलिए मेरे दिल में, मैं वह रखता नहीं हूं, जो हमारे साथ बीती है।...

मैं उनको जानता हूं और आज मैं उस चीज को हटा देना चाहता हूं। मैं भुक्तभोगी हूं क्योंकि मेरे बुजुर्ग, मेरे परदादा इसलिए उठकर गए थे कि वहां हमारा मान नहीं था। हमें नीचे बिठाया जाता था। हमें घोड़े पर चढ़ने की इजाजत नहीं थी। इस प्रकार से भूखे-नंगे यहां से निकल कर गए थे और 10 मील से हम पानी लाकर पीया करते थे और तब हमारे दादा-परदादा ने मिलकर यह बनाये थे, मैं उस बात को जानता हूं। मैं साहूकारों की बात को भी जानता हूं किस तरह से आज भी वे हमारे साथ हमदर्दी करते हैं। लेकिन आज भी अगर कोई लिखता है कि इनफ्लेशन आ गई

[श्री बलराम जाखड़]

है, तूफान आ गया है तो एकदम से ऐसा चक्कर पड़ता है कि कृषि वाले खाये चले जा रहे हैं, कोई तो यह लिखता है कि खून चूसने वाले हो गए हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि हम उनका पेट भी पालते हैं, हम उनके लिए दिन-रात खेत में काम भी करते हैं, जिस तरीके से पसीने में सनते हैं रात की कड़कती सर्दी में बैठते हैं उनको पता है क्योंकि हमारे पास 70 तक न तो बिजली थी, न सड़क थी। कैसे हम लोग खेत में से आते थे या ट्रेक्टर पर सवार होकर घर आते थे तो घर वाले समझते थे कि पता नहीं कोई भूत आ गया क्योंकि हम मिट्टी-गर्द में से निकलकर आते थे। मैं आपको इसलिए यह बात कहता हूं क्योंकि आपने जो बात मुझे कल कही उससे मुझको चोट लगी कि आप सूट पहन कर बैठे हैं यह बात मुझे अच्छी नहीं लगी। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इतना तो नोंक-झोंक चलता है। **(व्यवधान)** कभी आपके सूट पर, कभी हमारी टोपी पर इतना तो चलता है। **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : हमने तो अपने हाथ से कमाया है, सारा दिन खेत पर ट्रेक्टर चलाया है, हमने तो अपने हाथ से सब काम किया है इसलिए मैं सब जानता हूं। इसलिए आज किस प्रकार से साकार रूप में उसको आदर का स्थान देना है। मैं किसान को दाता रखना चाहता हूं यह मांगने वाली जो नीति है मैं बिल्कुल इसके विरुद्ध हूं। मैं उसकी जो खून-पसीने की कमाई है मैं उसको जानता हूं, उसको पूरा देना चाहता हूं।

इन्द्रजीत गुप्त जी ने कहा था कि इस तरीके से क्या करोगे, बढ़ा दोगे तो वे क्या करेंगे। ऐसा नहीं है मैं मजदूर और किसान दोनों की बात करता हूं दोनों की बात बराबर चलाएंगे। **(व्यवधान)**

आप देखिए, उन पर कोई रोक-टोक नहीं है जहां मर्जी है ले जाते हैं। अब जिस तरीके से सीलिंग लगाई, क्या किसी भी पार्टी ने सीलिंग लगाई सिवाए किसान के कहीं भी सीलिंग लगी है और भगवान ने इतनी सीलिंग लगा दी। **(व्यवधान)** हमें यह देखना है कि किस तरीके से गाड़ी चले, हम क्या करना चाहते हैं किस तरीके से करना चाहते हैं। आप और कुछ नहीं करो तो कम से कम किसान को जो उसका हक है वह तो देने की बात कर सकते हैं। वह एक ऐसी समस्या है जिस पर सारा कुछ बिल्कुल सम्बन्धित है।

अब जेपीसी की रिपोर्ट आई। पिछली बार कहा गया था, पार्लियामेंट में पिछली बार बातें हुई थीं, देवगौड़ा जी और कुछ अन्य लोगों ने उठाई थीं कि फर्टिलाइजर की जो आप सबसिडी दे रहे हैं यह किस को जाती है किसान को ज्यादा जाती है कि इण्डस्ट्रियलिस्ट को ज्यादा जाती है इसलिए यह कमेटी बनाई थी। अब उस कमेटी की रिपोर्ट को, क्या देखा, समझा या न समझा, ये सारे लोग अपने-अपने विचार से देखते हैं। उसको अपनाया, स्वीकार किया। अब उसके दो पहलू हो सकते हैं। अब सबके अपने-अपने विचार हैं उसमें कुछ बातें हैं कुछ बातें नहीं हैं, दोनों बातें हैं। उनके हिसाब से आज देखना है कि दृष्टिकोण क्या है, अगर ये अपनाते हैं तो क्या होता है और अगर इनको इनकार करते हैं तो क्या होता है। वास्तविकता यह है कि कभी-कभी कड़वी गोली खानी पड़ती है। सेहत, भविष्य के लिए खानी पड़ती है, मजबूरी में खानी पड़ती है। अब कुछ भी कहो लेकिन जहां तक मेरा ताल्लुक है मैं तो यह समझता हूं कि किसान का अहित करके कोई पालिसी न अपनाई जाए, किसान के हितों की रक्षा करने के पश्चात की जाए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब तक यह पालिसी है अगर आप इसको डिकंट्रोल करते हैं तो ठीक है। सारी की सारी जितनी पालिसियां हैं, प्रधान मंत्री जी ने कल कह दिया, उस दिन भी उन्होंने यही कहा था कि जितनी इसकी सिफारिशें

है सारी मानी गईं जो आज नहीं मानी गईं उनको मनवाया जाए। एक-आधी बाकी है उसको मनाने की बात उन्होंने की है और जब इन्होंने कह दिया है तो हम इस बात के उनके साथ हैं कि उन चीजों को मनवाया जाए और इस तरीके से उसको कम किया जाए। क्यों किया, उसके बारे में मुझे समझाया गया, जो पोटेशियम या सुपर फास्फेट है, जिसको डी० ए० पी० कहते हैं, जो सारा आयात होता है, यहां एक टन भी पैदा नहीं होता, जो मंगाकर बनाते हैं, बाहर से आता है, मंगाने के पश्चात जो बनाया जाता है, वह भी महंगा बनता है, इनको मजबूरी में करना पड़ेगा, वह सारा हटा दिया है, कोई सबसिडी नहीं दी जाएगी, डी-कंट्रोल प्राइसेस पर फैक्ट्रीज चल रही हैं, इनको ठीक ढंग से अपने आपको मुकाबले में खड़ा करना पड़ेगा। जो बाहर से आयातित है, उसके बारे में बताना चाहता हूं, अभी पंजाब के मार्कफेड ने मंगाया तो तकरीबन 5800 पर टन पड़ा और यहां का जो प्रोडक्शन था वह 8800 रुपये प्रति टन पड़ता था, तो इसमें 1000 रुपये टन की कमी हुई क्योंकि जैसे एक्साइज हटाई गई, ट्रांसपोर्ट हटाया गया और भी कई चीजें की गई, ये सारी चीजें आपके सामने हैं, आंकड़े हैं, उससे 1000 रुपये पर टन कम हुआ। उससे 7800 रुपये पर आ गई, उसके पश्चात जब प्रधान मंत्री जी से मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि देखिए यह ट्रांजिशनल पीरियड है, इस पीरियड में नहीं मिलेगा तो एकदम से डिसलोकेशन हो जाता है तो उन्होंने कहा कि आपकी बात ठीक है, ठीक ढंग से करना चाहिए, तो सरकार ने 1000 रुपये पर टन फिर दिया। इस तरह से सारी स्टेट्स को 340 करोड़ का अनुदान दिया गया। इसके अलावा मैंने कहा कि छोटा-छोटा और भी काम करना है तो 500 करोड़ रु० और दिये। इस तरह से 360 करोड़ रुपया यूरिया में कमी आई। इस तरीके से करके निचोड़ा और देखा कि किस तरीके से करना है, तो इसको हमने किया।

इसके बाद जितनी हमारी स्टेट्स हैं, वे सेल्स टैक्स लगाती हैं।

2.41 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस तरह से कई स्टेट्स में 600-625 रु० पड़ जाता है, कहीं पर 450 रु० पड़ता है। इसमें पैसा बढ़ने से उनकी आमदनी डेढ़ गुनी हो गई, तो इसका क्या हुआ, हमने कहा कि वहां पर भी छोड़ने की सिफारिश जे० सी० पी० ने की है, वहां भी छोड़िये, तो इसको भी हमको करना है। तो ये सारे तरीके होने से तकरीबन 2000 रुपये टन नीचे आ गया। फिर बाहर से मंगाने की छूट दे दी, बाहर से ओ० जी० एल० में मंगा सकते हैं, तो उसका मुकाबला करना पड़ेगा। जितनी भी सिचुएशंस हैं हमारी काम करने वाली, इनको कहा कि आप अपना काम ठीक करिए।

इन्द्रजीत जी कल कह रहे थे कि कारखाने बन्द करने जा रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि बन्द करने की कोई बात नहीं है, इस बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहता हूं।

श्री इन्द्र जीत गुप्त (मिदनापुर) : पब्लिक सेक्टर के फर्टिलाइजर प्लांट्स।

श्री बलराम जाखड़ : मैं पब्लिक सेक्टर्स की ही बात कर रहा हूं। हमारे सारे पब्लिक सेक्टर बुरे नहीं हैं। मैं आपको बताता हूं कि एन० एफ० एल०, आर० सी० एफ०, ये प्राफिट में चल रहे हैं, पी० पी० एल० थोड़ा-सा माइनस में चल रहा है, एम० एफ० एल०, पी० पी० सी० एल० मुनाफे में चल रहे हैं। हमारा एफ० सी० आई० जो पब्लिक सेक्टर में है, वह घाटे में है, एच० एफ० सी० भी घाटे में है, पी० डी० आई० एल० भी घाटे में है, इन सब में 351 करोड़ का घाटा है। वे खुद खाये जा रहे हैं, बजाए देने के, इसका जो मैनेजमेंट है, जो वर्कर्स हैं, इनको चाहिए कि ये दोनों मिलकर

[श्री बलराम जाखड़]

हमारे कस्टोडियन बनें ।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : गलत टेक्नालाजी भी एक कारण है ।

श्री बलराम जाखड़ : और फैक्ट्रीज आप देखिए, कृभको है, इफको है, ये सब ठीक काम कर रही हैं, प्राफिट दे रही है, इन लोगों को सोचना चाहिए कि यह कोई बाबा का माल नहीं है, आपका अपना माल है, हम कालीदास की तरह उसी टहनी को न काटें, जिस पर बैठे हों, इस तरह से मर जाएंगे, 360 करोड़ रुपया अगर आए साल गवर्नमेंट देगी तो और सबसिडी बढ़ जाएगी । तो यह बात गलत है । इस तरीके से नहीं होना चाहिए । मैं इनको काबू करके ठीक ढंग से सही रास्ते पर लाने की चेष्टा कर रहा हूं, जिससे हमारा नुक्सान न हो, देने के बजाय ये हमसे लें न, यह काम करना है ।

इसके साथ-साथ मैं और भी बातें आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों ने ठीक कहा कि इतना घाटा होगा तो क्या होगा, किसान को नहीं मिलेगा, किसान क्या करेगा, किसान उपयोग नहीं करेगा तो खेती कहां से होगी, तो इसके संतुलन को बनाने के लिए यह सारा कुछ जो किया गया है, इसके पश्चात क्या हम किसान के बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं । तो सबसे पहले मेरी बात यही रही कि हमको तो बराबर करके दे दो, मुझे किसी बात से ताल्लुक नहीं है, हमें किसान की रक्षा करनी है, आप साधन बता दो, जिससे किसान के हितों की रक्षा कर सकें, प्रधान मंत्री जी ने इस बारे में सोचा और कहा कि आप ठीक कहते हो, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अपनी बात करो यह बाहर की बात है, हमारे पास कल पैसा नहीं होगा, अगर ये लोग पैसा नहीं देंगे तो मंगाएंगे क्या ? सीधी सी बात है । अगर यह बढ़ता चला गया, क्योंकि हमेशा कंटीन्युअस चल नहीं सकता, अन्ततोगत्वा कहीं न कहीं विराम लगता है और विराम लगने के बाद एक दफा झटका हो गया, जैसे कोई कहने लगा बच्चा कोठे से गिर गया, उसकी टांग में चोट आ गई, रो रहा था, बाप ऊपर से आ गया, कहने लगा इसके कान में दवा डाल दो पीड़ा कम हो जाएगी, मामला एकदम साफ हो जाएगा, तो मैंने कहा कि करना चाहते हैं तो मेरी पीड़ा निकाल दीजिए, मेरी पीड़ा कम कर दीजिए, मेरी मरहम-पट्टी ऐसी कर दीजिए कि किसान को मुंह दिखा सकूं और उसको कह सकूं कि तेरे हितों की रक्षा मेरे पास है, मैं करूंगा, चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है । इस तरह से काम करने की बात है ।

हम उसी कृषि नीति के सहारे से किसान को वह स्थान देना चाहते हैं जो उसका उचित स्थान है, जो उसका अधिकार है, जिसके लिए वह डिजर्व करता है । उसी तरीके से हमने बात करनी है । इस तरह से हम देखकर करते हैं ।

वी० पी० सिंह जी कल कह रहे थे सब्सिडी का जो पैसा बचाया जाएगा उसका क्या करेंगे । मैंने पहले बात की, मुझे यह बताइए जो पैसा बचेगा, जो असंतुलन है बैलेंस आफ ट्रेड का मैं उसको बदलना चाहता हूं, हमेशा के लिए बदलना चाहता हूं । इसलिए मैंने कहा एग्रीकल्चर पालिसी में कि कृषि को पूरी सुख-सुविधा दी जाए, किसान को समझाया जाए और बताया जाए कि तू सबकी बराबर का है । तेरे लिए दो कानून नहीं हैं । आप बन्धुवा मजदूर नहीं रहना चाहते···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जो 9000 करोड़ सब्सिडी का बचा है उसको एग्रीकल्चर के इनफ्रास्ट्रक्चर में लाने के लिए क्या प्राईम मिनिस्टर राजी हो गए हैं ?

क्योंकि राजी नहीं होंगे तो चलेगा नहीं, (व्यवधान) इसके लिए तैयार हुए हैं या नहीं ?

श्री बलराम जाखड़ : प्रधान मंत्री स्वयं चाहते हैं। मैं उनसे जब बात करता हूं, मैं पूर्णरूपेण सही तौर पर समझने की चेष्टा करता हूं। जब वे बात करते हैं तो ठीक तरीके से समझा कर करते हैं। जब तक उसको इनवेस्टमेंट ओरिएंटिड नहीं बनाएंगे, इसमें प्राइवेट और हमारा पैसा नहीं लगेगा, और जो पैसा इसमें से बचता है चाहे 3000 करोड़ है 3300 करोड़ है या 4000 करोड़ है...

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : 9000 करोड़ सब्सिडी में फर्टिलाइजर का बचा है। यह हमेशा कहा गया है कि कैपिटल फारमेशन नहीं हो रही है। सब्सिडी है इसलिए नहीं हो रही है? सब्सिडी का 9000 करोड़ बकाया है, हम माननीय मंत्री जी से पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को राजी कर लिया है कि सब्सिडी जो 9000 करोड़ बची है वह पैसा इनफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर में लगेगा?

श्री बलराम जाखड़ : आपको सुनना चाहिए। मैं तो विस्तारपूर्वक आपको बता रहा हूं, आप सुन तो लें। क्योंकि उन्होंने राज्य सभा में बोला, आज मैंने सारा का सारा टी० वी० पर सुना, अखबार में पढ़ा। उन्होंने कहा कि अगले साल में होगा। अगले साल यह 9000 से 12000 तक पहुंच जाएगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एडीशनल होना चाहिए।

श्री बलराम जाखड़ : जितना होगा, यह आंकड़ों की बात है, बचाने की बात है। हिसाब में दो और दो चार होते हैं, पांच नहीं हो सकते।

श्री राम विलास पासवान : जो बचेगा वह लगेगा या नहीं?

श्री बलराम जाखड़ : सीधी सी यही बात कह रहा हूं मैं। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि सारे का सारा रूरल सैक्टर में लगेगा, हमारी सुख-सुविधा के लिए जाएगा, हमारे लिए होगा ताकि हम ग्रामीण उत्थान कर सकें। इसी बात के लिए वे राजी हुए हैं।

श्री राम विलास पासवान : जो पैसा बचेगा वह एग्रीकल्चर सैक्टर में जाएगा?

श्री बलराम जाखड़ : वह ग्रामीण उत्थान में ही जाएगा। सबके लिए होगा। आप चिन्ता क्यों करते हैं। मैं सार्थकता की बात कर रहा हूं और बताना चाहता हूं कि किस तरीके से हम करना चाहते हैं। सारी बातों को हम हिसाब से करना चाहते हैं, एक निश्चित तरीके से किसान का हित हो, वह बात करना चाहते हैं। बैलेंस आफ ट्रेड अगर पूरा हो, इनवेस्टमेंट हो तो बात बनती है। फिर इसके साथ मैं कहता हूं आपने पैदा किया, आज आप पी० डी० एस० की बात करते हैं, पी० डी० एस० बिल्कुल चलाइए, मैं कब कहता हूं कि यह बन्द हो, यह बन्द नहीं होना चाहिए। जो ऐसे तबके हैं, जिनको चाहिए उसको आपको देना पड़ेगा।

प्रधान मंत्री रोज कहते हैं कि हम इसको मजबूत करेंगे। हटने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। पी० डी० एस० कौन चलाएगा। क्या किसान के कंधे पर आप पी० डी० एस० डालना चाहते हैं, उसको मारकर चलाना चाहते हैं।...(व्यवधान)... आज तक व्यापार इसको खाया जा रहा है। सारा असंतुलन इसके खिलाफ है। आप उसके पीछे लट्ठ लेकर क्यों पड़ते हैं। उसको अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति दीजिए। जो उसका हक बनता है, वह उसको दीजिए। सारी बातें इस तरीके से कीजिए जिससे काम कर सकें।

श्री राम विलास पासवान : कौन करेगा।

श्री बलराम जाखड़ : हम करेंगे।

श्री नीतीश कुमार : आप साफ-साफ बताइये कि हम यह करना चाहते हैं और यह करेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : सारी रात रामायण पढ़ी और फिर सुबह पूछ रहे हैं कि सीता कौन है।···(**व्यवधान**)···मैं यही कह रहा हूं कि हम करेंगे। मैंने कभी कड़वी बात नहीं की और कभी कहा हुआ एक शब्द वापिस नहीं लिया और न लेना चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है वही कह रहा हूं। मैं बगैर सलाह के नहीं कहता। मैं सलाह करता हूं और बात करता हूं। मेरा धर्म और फर्ज बनता है और उसको निभाने की कोशिश करता हूं।···(**व्यवधान**)···

श्री इन्द्र जीत गुप्त : इम्पोर्टेड व्हीट से क्या आप पी० डी० एस० चलाना चाहते हैं। बगैर इम्पोर्ट करने से क्या पी० डी० एस० नहीं चलेगा।···(**व्यवधान**)···

श्री बलराम जाखड़ : एक कंटीनजेंसी की बात को इसका एक उदाहरण मत बनाइए। अगला साल आने वाला है और सौ मिलियन से ज्यादा खरीफ की फसल आने वाली है। इसके बाद रबी की फसल है तो उसमें आने वाला उज्ज्वल भविष्य नजर आता है। वह तकरीबन 76 से ऊपर बैठेगा। पिछले साल जो फसल थी, उससे नीचे नहीं रहेंगे। आवश्यकता नहीं रही तो क्या डाक्टर ने बताया कि हम खरीदेंगे।···(**व्यवधान**)···

श्री इन्द्र जीत गुप्त : प्रोक्युरमेंट घटता जा रहा है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं अभी उसी के बारे में कह रहा था।···(**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मूल्य नीति में कुछ खामियां हैं।

[**हिन्दी**]

श्री बलराम जाखड़ : प्राइस पालिसी में मैं एक मिनट में आ रहा हूं। जो पैदा करते हैं तो वे क्या किसी से पूछते हैं कि कार, ट्रैक्टर, पंखे या साइकिल की क्या कीमत होगी। जिस तरीके से बात करेंगे तो हम भी उतने ही अधिकारी हैं। हम दो रोटी पर नहीं चलेंगे और बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। हम अपने हिसाब से बराबर का हिस्सा मांगते हैं। किसान बराबर का भागीदार है। उसके लिए प्रोक्युरमेंट का प्राइस और दूसरा तरीका कैसे करें···(**व्यवधान**)···

[**अनुवाद**]

श्री एच० जी० देवगौड़ा (हसन) : अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्री महोदय मुझे एक मिनट का समय दें, तो मैं आपकी अनुमति से एक बात बताना चाहता हूं।

जहां तक किसानों की मदद करने का माननीय मंत्री का विचार है, मैं उसकी भरपूर सराहना करता हूं। प्रधान मन्त्री महोदय की अनुमति से आपने एक साहसिक नर्णय लिया है। अगर आप इसे लागू करते हैं, तो हम आपको हार्दिक बधाई देंगे। जहां तक राजसहायता सम्बन्धी मुद्दे का सम्बन्ध है, मैं प्रो० जान कैनिथ गालब्रेथ के कथन जो बहुत ही तर्कसंगत है, की ओर माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं उद्धृत करता हूं :

> "मूल भारतीय कृषि नीति सम्बन्धी ढांचे से देश को लाभ पहुंचा है तथा इसे मूल्य नीति या राजसहायता समाप्त करने के साथ मिलाकर इसमें गड़बड़ नहीं की जानी चाहिए।

"अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विचार भिन्न हो सकते हैं परन्तु भारतीय नीति निर्माता उसका निर्वहन, उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुनकर लेकिन गम्भीरता से न लेकर कर सकते हैं।"

इस सम्बन्ध में मैं श्रीमती गांधी को जिन्होंने इस देश को लगभग आत्मनिर्भर बनाया, राजसहायता बनाये रखने के लिए अभिनन्दन करता हूं। लेकिन आज आप राजसहायता न देकर खाद्य-उत्पादन के पूर्ण विकास को विपरीत दिशा में मोड़ रहे हैं। इसी बात के लिए प्रो० गालब्रेथ ने भारतीय प्रशासक को सचेत किया है कि जहां तक राजसहायता समाप्त करके अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को खुश करने का सवाल है, वह इसे गम्भीरता से न ले। बस यही उन्होंने कहा है। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : आप निश्चित रहिए। आई०एम०एफ० वाले यहां आए थे और उनसे बिल्कुल क्लीयर बात थी। उसमें इस तरह की बात नहीं थी कि आप यह हटाओ या ना हटाओ। मैंने कहा कि तीन हजार रुपए की ट्रैक्टर की सबसिडी देने जा रहे हैं और उसी तरह से इर्रीगेशन, सिक्योरिटी, ड्रिप इर्रीगेशन, डग वैल और सीड्स के लिए देने जा रहे हैं। मैं अपने किसान को नहीं मारना चाहता।

मैं अपने किसान को जीवित रखना चाहता हूं। लेकिन यह जो सिलसिला शुरू हुआ है बाहर का इसका मैं थोड़े ही उपयोग करूंगा। मैं किसी के दबाव में आकर काम करने वाला नहीं हूं। मैं राजा साहब को बताना चाहता हूं आपने कहा था कि भाव का क्या करोगे। जब खरीफ की फसल आई उसमें किसान का पैसा नहीं लगा था, बढ़ोत्तरी नहीं हुई थी। खाद की वही कीमत थी जो पहले थी। फसल पकने वाली थी। मैंने प्रधानमन्त्री जी से कहा कि किसान को आप बिठा रहे हैं, जे०पी०सी० की वजह से उसको ऐसा बना दो कि वह खरीद सके। अगर उसकी जेब में पैसा नहीं होगा तो कैसे खरीदेगा। जिसके तन पर कपड़ा नहीं है वह निचोड़ेगा कैसे। आपने 25 रुपये बढ़ाया, मैंने 40 रुपये बढ़ाया...

श्री नीतीश कुमार : अब रुपये की क्या कीमत है।

श्री बलराम जाखड़ : एक साल में कोई फीगर नहीं बढ़ी है। ज्वार में मैंने 35 रुपये बढ़ाये जो पहले 10 रुपये बढ़े थे। मक्का, बाजरा में भी बढ़ाया है। तूर में मैंने 95 रुपया बढ़ाया। मूंग में मैंने 95 रुपए की वृद्धि की है। उड़द में 95 रुपये की वृद्धि की है। चने में 85 रुपये की की है। मूंगफली में 105 रुपये की की है। सनफ्लावर में 130 रुपये बढ़ाये हैं। यह उस समय किया जब खर्च नहीं हुआ था।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायंकिल) : जिनके पास अतिरिक्त माल जमा है, वह क्या करेंगे?

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : जिन्होंने सरप्लस किया है उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। आपके लिए ही किया है। जिन्होंने करना है उनके लिए 500 करोड़ रुपये अनुदान के लिए रखे हैं और चीजें

[श्री बलराम जाखड़]

देने की भी सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन : वह, उन्हें नहीं मिल रहा है।

श्री बलराम जाखड़ : यह सब राज्य द्वारा किया जाना है। मैं उन्हें पैसा पहले ही दे चुका हूं।

[हिन्दी]

मैंने बहुत दिया है उनको चाहिए कि करें, मैं अकेला नहीं कर सकता हूं। हम और आप सब मिलकर कर सकते हैं।

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, इस वर्ष फर्टिलाइजर के दाम दुगुने हो गये हैं। आपने पिछले वर्ष की खरीफ की फसल के दाम बढ़ा दिये तो इस वर्ष किस भाव से खरीदोगे ?

श्री बलराम जाखड़ : आप सुनिये। अब रबी आयेगी। मैं वही बताने जा रहा हूं। उसी हिसाब से जो कि उसको लाभकारी हो हम देंगे। हम सिर्फ रिम्युनरेटिव ही नहीं, उसको लाभप्रद बनाकर देना चाहते हैं। इसमें तीन चीजें आती हैं···

श्री राजवीर सिंह : कृषि विश्वविद्यालय ने उपज के बारे में बताया···

श्री बलराम जाखड़ : वह भी अपने हैं। सारे वहीं के पढ़े हुए बैठे हैं। एक भाव वह होता है जो कमी का होता है। जब कमी होती है तो भाव अनाप-शनाप बढ़ जाते हैं। एक बढ़ोत्तरी होती है कमी ज्यादा होती है तो दाम गिर जाते हैं। एक भाव वह होता है जो व्यावहारिक होता है। उसमें न पैदा करने वाले को नुकसान और न उपभोक्ता को नुकसान होता है। मैं यही काम करना चाहता हूं कि वह भाव दो जिससे किसी को नुकसान न हो और उसको जो कि पैदा करने वाला है 20-25% भले ही ज्यादा मिल जायें। जिससे उसका भला हो।

दुनिया में अच्छे दिनों को आदमी याद नहीं रखता, बुरे दिनों की याद रखता है। कैसे पसीना बहाया जाता है, मेहनत की जाती है, वह जानता है। हरित क्रांति आई थी पापुलेशन ज्यादा थी दो सौ का भाव था एक सौ साठ रुपये में भी खरीदने वाला नहीं होता था। 150 रुपये या 120 रुपये क्विंटल के भाव में बिकता था तब भी कहते थे···

3.00 म० प०

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : जिस समय गेहूं का भाव सस्ता था, उस समय किसान के उपयोग की चीजें भी कम थी जो चीज 5 रुपये में मिलती थी आज 200 रुपये में मिल रही है—

श्री बलराम जाखड़ : राजबीर जी, आप मुझे क्यों तंग कर रहे हैं, आप मेरी सुन नहीं रहे हैं। आप मेरी बात सुनिये। मेरी तर्ज सुनिये। भाव सस्ता या मंहगा था, यह ठीक नहीं कह रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। आप ऐसा क्यों करते हैं ? जब मैं आपकी बात सुनता हूं तो आप भी मेरी बात सुनिए···

श्री मोहम्मद अशरफ अली फातमी : आप सस्ते में खरीदियेगा ? व्हीट आप बाहर से मंगा रहे हैं···

श्री राजबीर सिंह : आप 400/- रुपये क्विटल दे दीजिए···

श्री मोहम्मद अशरफ अली फातमी : बाहर से जितने में मंगा रहे हैं, उतने में खरीदियेगा।

श्री बलराम जाखड़ : यह तर्क नहीं है। यह बुद्धिमत्ता का तर्क नहीं है। आप मेरी बात सुनिये। मैं जो समझा रहा हूं, उसको समझने की चेष्टा करिये। सीधी सी बात है कि मैं किसान का विरोधी नहीं हूं, उसका उपासक हूं, उसका सेवक हूं···

श्री श्याम बिहारी मिश्र (बिल्लौर) : आप बड़े किसान हैं, हम छोटे किसान हैं। हमारे पास 8 बीघा जमीन है तो आपके पास 800 बीघा जमीन है···

श्री बलराम जाखड़ : मेरी बात सुनिये···आप मेरी बात सुनते नहीं हैं, मैं क्या कर सकता हूं ? आप मेरी बात सुनते ही नहीं हैं तो इसका क्या इलाज है ? अध्यक्ष महोदय, एक तरीका होता है। हमने इनकी बात सुनी है ये 50 मिनट तक बोले हैं, कोई बीच में नहीं बोला, हमारी बात भी सुनें। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह सीधी सी बात है कि जिन दिनों अनाज 160 रुपये होता था तो सस्ता होता था, रुपये की कीमत भी होती थी, बाजार में खरीदने वाला भी होता था और गवर्नमेंट से कहता कि आओ खरीदो। वही वक्त आज फिर आया है। बाजरा, ज्वार, मक्के में आ रहा है। मेरे पास समाचार है। मैंने खरीद के लिए कह दिया है कि सारी संस्थायें खरीदना शुरू कर दें।

श्री राजबीर सिंह : कब से खरीद रहे हैं मंत्री जी ?

श्री बलराम जाखड़ : राजबीर सिंह जी, आप बीच में मत बोलिए। आप जरा शान्ति से मेरी बात सुनिये···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आप रबी प्राईसेस पर हैं। एक निवेदन आपसे है कि रबी प्राईसेज की एनाऊंसमेंट बोआई से काफी पहले रही है और 16 अक्तूबर से पहले हम लोग एनाऊंसमेंट करते थे जिससे कि किसान फैसला कर सके कि यह फसल बोये या न बोये। अब बोआई हो गयी है लेकिन अभी तक एनाऊंसमेंट नहीं हुई है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यह एनाऊंसमेंट आप कब करने जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने अपनी नीति बदल दी है कि बोआई से पहले या बोआई के बाद करेंगे ? अब की बार यह लैप्स क्यों हो गया ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं इसका जवाब भी देने जा रहा था। कभी-कभी हालत यह हो जाती है। आपकी बात भी ठीक है, इससे मैं सहमत हूं और यह बात जरूरी है कि उसका ऐलान पहले करें और आइन्दा पहले ही होगा। मैं मानता हूं कि इस साल देरी हुई है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस साल कब होगा ?

श्री बलराम जाखड़ : हम दिसम्बर के पहले हफ्ते में कराने जा रहे हैं और यह शीघ्रातिशीघ्र होगा। सारा काम तैयार है लेकिन मैं यह कहने जा रहा हूं कि जो मैंने आपको पहले बताया, उस हिसाब से हो रहा है।

श्री नीतीश कुमार : क्या एग्री कर गये जो हमने सजेस्ट किया है ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं यह कहने जा रहा हूं कि मैं उस हिसाब से किसानों को देना चाहता

[श्री बलराम जाखड़]

हूं उनके लिए बुरा से बुरा वक्त भी हो तो अच्छा मिले, ज्यादा वाफरात हो तो उनको तकलीफ न हो या ओणम जैसा फैस्टिवल आ जाता है और मार्किट शुरू करनी पड़ती है तो उनके लिए भी मुझे देखना पड़ेगा। हमने आज तक उनको इस हिसाब में नहीं डाला था। कोकोनेट, पीपर या दूसरी ऐसी अनेकों चीजें हैं जिसको मैं समझता हूं कि इस हिसाब के अन्दर लायें ताकि उन किसानों को कोई नुकसान न हो तथा उनको भी इस हिसाब से चलायें। इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि उनको लाभदायक मूल्य दिया जायेगा। साथ ही जो आप कह रहे हैं, जो मैंने शुरू किया है मैं चाहता था कि कोई आवाज उठाये और वह आप सबने मिलकर उठायी है तो आपकी कृपा है···

[अनुवाद]

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : नकदी फसल का क्या हुआ ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं केवल केरल का जिक्र कर रहा हूं। मैं बाजार हस्तक्षेप पर भी नजर रखे हुए हूं। आपके इस मुद्दे पर न पूछने पर भी मैं बता रहा हूं।

[हिन्दी]

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आप कह रहें थे, वह हम करने जा रहे हैं कि जहां जिसकी मर्जी होगी, खुली छूट होगी कि अपना सामान पैदा करके कहीं ले जाना चाहें, उसको इजाजत होगी। स्टेट गवर्नमेंट से कहा जायेगा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई रोक-टोक न लगायें। किसानों का जो हक बनता है, वह अपने हक के लिए जीने का अधिकार रखता है···

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : एक कानून बना दें कि जो रोक-टोक करेगा, उसको सजा होगी, वह जेल चला जायेगा क्योंकि अवैध ढंग से, इन्फार्मल ढंग से कटते रहते हैं···

श्री बलराम जाखड़ : उसकी आवश्यकता होगी तो वह भी किया जायेगा···

श्री रामविलास पासवान : आज से लागू हो जायेगा, हम लोग ले चलेंगे···

श्री बलराम जाखड़ : विद रेस्ट्रिक्शन्स मूवमेंट—यह सारी बात मैंने पूछकर की है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हम आपको धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए हैं। यह किसानों का मामला है इसलिए मैं आपको बहुत नम्रता से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको तत्काल धन्यवाद देता हूं कि मूवमेंट में जो इस तरह की बाधाएं आती हैं, उनको आप दूर करने के लिए तैयार हैं। एक चीज और मान लीजिए। वैल्यू ऐडीशन में जो बाधाएं हैं जैसे हम धान से चावल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको लाइसेंस चाहिए। हम गेहूं पैदा करते हैं और उससे आटा बनाना चाहें तो लाइसेंस चाहिए। ये वैल्यू ऐडीशंस में जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं मूवमेंट के साथ, उनको भी समाप्त करने की घोषणा आप करें तो बहुत प्रसन्नता की बात होगी।

श्री बलराम जाखड़ : मैं घोषणा तब करता हूं जब मैं सलाह कर लेता हूं और सारी बात तय हो जाती है। आदमी को कभी कच्ची बात नहीं करनी चाहिए।

[अनुवाद]

मैं वह बात नहीं करना चाहता, जो मैं नहीं कह सकता यही कृषिगत नीति है, जो मैं अपना रहा हूं। उस हिसाब से मैं करने जा रहा हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिए, माननीय सदस्य बहुत अच्छे सुझाव दे रहे हैं अगर उन सारे सुझावों का जवाब आप अन्त में दें तो ऐसा उचित रहेगा, यह मेरा मानना है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष जी, हम लोगों को अगर कुछ फायदा मिल जाता है तो आप उनको क्यों रोक रहे हैं ?

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : किसान के हित में अगर कोई सुझाव है तो उसको तुरन्त मान लेने में क्या आपत्ति है ?

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आपकी कांस्टीट्यूएंसी में भी तो किसान होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो सुझाव आ रहे हैं वे अच्छे सुझाव हैं मगर आप ऐसी भूल मत कीजिए कि जिसकी वजह से वह अच्छे न रह जाएं। फिर कैबिनेट के पास जाना पड़ेगा और तय करना पड़ेगा। आप ऐसा मत कीजिए। मैंने कह दिया है कि इनके सुझाव अच्छे हैं और आप उनको ध्यान में रख रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : ये कह रहे हैं कि ये सारी बात प्राइम मिनिस्टर से करके आए हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हमारे ऐग्रीकल्चर मिनिस्टर जैसे बैठकर रूलिंग करते थे कैबिनेट में, वैसे ही रूलिंग दे रहे हैं कि मूवमेंट खुल गया, वैल्यू ऐडीशन खुल गया, लाइसेंसिंग नहीं रहेगा। वैसे ही ये यहां कहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह भी करेंगे।

श्री बलराम जाखड़ : मैं कच्ची बात नहीं करना चाहता और न मैं कच्चा वायदा करना चाहता हूं और न मैं गलत बात करता हूं। आप इसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं तो यह गलत बात है। मैंने जो मूवमेंट की बात की है वह मैंने सलाह करके कही है और कल प्रधानमन्त्री जी ने स्वयं कहा है। मैं उसी हिसाब से कह रहा हूं। जो इनवैस्टमेंट की बात की है, वह प्रधानमन्त्री की मंजूरी से की है। अकेले नहीं कर सकता और करूंगा भी नहीं। मैं जब तक कैबिनेट का मेम्बर हूं, अकेले कुछ नहीं कर सकता। आपके सुझाव अच्छे हैं लेकिन इसमें और कुछ बातें हैं। हमारे यहां पंजाब में जिस तरीके के लोग कहते हैं कि हार्वेस्ट मशीनों को बन्द करो, इससे अनइंप्लायमेंट होता है। उनको कौन समझाने वाला है। वहां 60 रुपए रोज की मजदूरी है नहीं तो 11-12 रुपए आपके यहां मजदूरी मिलती है। मैं पासवान जी से कहूंगा कि आप उनको डबल दिलवा दीजिए।

श्री रामविलास पासवान (रोसड़ा) : मजदूरी कम इसीलिए तो मजदूर आपके यहां आ जाता है।

श्री बलराम जाखड़ : असल में बात यह है कि आगे का मसला इस तरीके से नहीं निपटेगा। आगे का हिस्सा जब निपटेगा तो उड़ीसा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और सारा प्रदेश उसके साथ चमकेगा। आप समझते हैं सारे प्रदेशों को तीन प्रदेश सारा उम्र खाना खिलाते रहेंगे ? अगर वह कोशिश करें तो भी नहीं खिला पाएंगे। आपको अपना हिस्सा उसमें देना पड़ेगा और इंबैलेंस खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए ही यह नयी पालिसी है। मैंने सभी कृषि मंत्रियों को और मुख्य मंत्रियों को यहां बुलाया और मीटिंग में कहा कि आज हम देखें कि देश की क्या हालत है और प्रदेशों की हालत क्या है। कहीं नहर नहीं बनी और डैम बन गया और कहीं डैम बन गया तो बिजली नहीं है, कहीं ट्यूबवैल नहीं हैं

[श्री बलराम जाखड़]

और आपने कहा कि 1500 करोड़ रुपए में सब ट्यूबवैल में बिजली आ जाएगी लेकिन अकेले ट्यूबवैल से कुछ नहीं होगा, उसके लिए बिजली-पानी दोनों चाहिए। अगर आप असंतुलन खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अच्छी इनवैस्टमेंट चाहिए।

अभी हमारे एक साथी, माननीय सदस्य ने पूछा था कि कितना आपने एलाटमेंट किया— 5 हजार का किया था—फिर हमने बात करके कहा कि 10 हजार का किया है। मैं जानता हूं कि यह कम है, बिल्कुल मेरी संतुष्टी इस बात से नहीं होती लेकिन जितना कपड़ा होगा, उतना ही तो कोट सिलेगा, मैं ज्यादा कैसे बना सकता हूं। अगले साल कुछ ज्यादा देंगे, उससे अगले साल और ज्यादा देंगे। जैसे-जैसे हम उत्पादन करेंगे, उस उत्पादन की बढ़ोत्तरी के लिए ही तो हम यह नया विकल्प तलाश रहे हैं। अभी जैसे कल की बात है, इस हाउस में, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि यह डाइवर्शन हो रहा है, कैश क्रोप का, हमारी जो सीरियल्स है, फूड क्रोप का डाइवर्शन हो रहा है। (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : इस समय मंत्री जी कैश क्रोप पर डिस्कशन नहीं चल रहा है, आप तो जनरल नेचर का भाषण दे रहे हैं, वह भाषण तो आपका अच्छा होगा ही क्योंकि आप अनुभवी हैं, बड़े किसान हैं, सारी बातें हैं लेकिन जो ईश्यू इस समय सदन के सामने है, नियम 193 के अंतर्गत जो डिस्कशन हो रहा है वह फर्टिलाईजर पालिसी पर हो रहा है, इम्पोर्ट आफ व्हीट पर हो रहा है, उस पर आप बोल नहीं रहे हैं। उस पर तो बताईये कि व्हीट इम्पोर्ट क्यों हो रहा है। आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि गेहूं के अलावा चावल और खाद्य तेल भी मंगाये जायेंगे। आप इस पर बोलें, वह बतायें।

श्री बलराम जाखड़ : आप बैठिये, ऐसा नहीं है। कल आपको तेलों के मुताल्लिक बताया था कि हमारे यहां कितना पैदा हुआ, कितना तेल बाहर से जा रहा है लेकिन पहले आप सुनिये तो सही, धैर्य के साथ कभी सुना कीजिये। जरा धैर्य से काम लीजिए।

श्री नीतीश कुमार : हम इस ईश्यू पर, जो अण्डर डिस्कशन है, उस पर आपको सुनना चाहते हैं। आपकी नियत पर किसी को व्यक्तिगत रूप से शक नहीं है, कृषि मंत्री के रूप में नहीं एक व्यक्ति के तौर पर आपकी नियत पर किसी माननीय सदस्य को शक नहीं है, मगर असल बात यह है कि जो रेट बढ़ा फर्टिलाईजर का, प्राईस इन्क्रीज हुआ, सबसिडी हटाने के बाद, डी-कन्ट्रोल करने के कारण, दूसरे जो व्हीट का इम्पोर्ट किया गया और 1500 करोड़ रुपये की प्रेशस फौरेन एक्सचेंज हमारी वेस्ट हुई है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके अलावा आज जैसा फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि गेहूं के अलावा चावल और ऐडिबल आयल भी मंगायेंगे, उस पर आप कुछ कहिए।

श्री बलराम जाखड़ : यदि आप के बीच में कोई बोल पड़े तो सारी सीक्वेंस टूट जाती है, अच्छा नहीं लगता। यदि आप सुनेंगे तो कुछ पता लगेगा। क्यों होगा, वह मैंने आपको बताया पहले, दोबारा फिर उसे दोहरा देता हूं। यदि कमी होती है तो क्यों होती है, कब होती है, वही मैं कह रहा था, यह पोलिसी उसी चीज की है। हम अपने यहां पैदा करेंगे, एक ही बस इलाज है। यदि आपके पास कोई चीज होगी तो आप दूसरे के पास क्यों जायेंगे, दूसरे से क्यों मंगायेंगे। कोई चीज बाहर से मंगाने की बजाए, बिल्कुल ठीक है, उसका उत्पादन ज्यादा करें और जो इम्बैलेंस हैं उसे खत्म करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : लेकिन चावल की भी कमी हो गई है क्या, क्यों चावल भी अब मंगाया जायेगा। यह फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि चावल भी अब मंगाया जायेगा।

उनका हाउस में रिटिन स्टेटमेंट है।

श्री बलराम जाखड़ : यह तो व्यापार की बात होती है। आप तो प्रधानमन्त्री रहे है। आप तो सारी बातें जानते हैं। (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : लेकिन क्या चावल की भी कमी हो गयी, बताईये।

श्री बलराम जाखड़ : आपको तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए, मैं कहने जा रहा हूं कि चावल किसलिए आ रहा है। अभी मैं वियतनाम गया था। वहां वियतनाम वालों ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमें शुगर मिल दीजिए। हमने पूछा कि शुगर मिल के बदले आप हमें क्या देंगे तो कहने लगे कि हम चावल देंगे। इसलिए वहां से चावल हम मंगवा रहे हैं। हम बासमती चावल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास जो कुछ है, जिसमे पैसा ज्यादा मिल सकता है, उसे हम बाहर भेज सकते हैं, जो कम पैसे वाला है, उसे यहां मंगवा सकते हैं। जो हमें फायदे की बात लगे, उसे करने में क्या है। उसे मैं इस रूप में कहना चाहता हूं, जब कैश क्रोप की बात आप कर रहे थे तो कैश क्रोप में किसान किसलिए बदलता है, जब किसान को फायदा न दिखायी दे। कोई दुकानदार आपके लिए या मेरे लिए दुकानदारी नहीं करता है, वह अपने फायदे के लिए दुकानदारी करता है। इसलिए नहीं करता कि वह आपको अनाज बेचता रहे और उसे कोई फायदा न रहे। आप अनाज में किसान को ऐसा कर दीजिए कि उसे फायदा नजर आये तो वह अपने आप अनाज ज्यादा बोयेगा। सीधी सी बात है, उससे प्रोडक्शन बढेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से आमदनी बढ़ेगी और फिर हमें इम्पोर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, हमें आराम भी मिलेगा। आज कमी है तो उसके लिए हम इसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री करना चाहते हैं।

[**अनुवाद**]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : जो कुछ आप कह रहे हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि आपकी कृषि नीति के अन्तर्गत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बलराम जाखड़ : मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री अमल दत्त : हमें यह मालूम होना चाहिए कि आपकी नीति क्या है?

श्री बलराम जाखड़ : हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है। आप उसी भूमि पर उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। आपको इसका विस्तार करना होगा। इसलिए मै यह कहता हूं कि मैं उन किसानों को 50% राज सहायता दे रहा हूं जो पानी की न्यूनतम मात्रा का अधिकतम उपयोग कर रहे है। मैं यह करने की कोशिश कर रहा हूं और हमने ऐसा किया है। हमें नये बीज प्राप्त करने के तरीके और साधनों की खोज करनी है। हमें उन बीजों का पता लगाना है जिन्हें कीड़े तथा अन्य चीजो से नुकसान न पहुंचे। मैं यही करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं इसप्रकार की नीति तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं।

[**हिन्दी**]

इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन दोनों चीजों के साथ में हम वह सारा करना चाहते हैं। अब हम जो है सबसिडी की बात करते हैं कि हटा दो, हमने किसान को, छोटे किसान को ट्रैक्टर देने के लिए 30 हजार रुपए की सबसिडी दी है। (**व्यवधान**)

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय की सब बातें ठीक हैं, लेकिन प्रश्न यहां यह है कि गेहूं का इतनी मंहगी कीमत पर आयात क्यों किया गया ? वे इसका जवाब दे दें ? (**व्यवधान**)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, गेहूं का आयात क्यों किया गया और फर्टिलाइजर महंगा क्यों किया गया और आगे इम्पोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर के दाम घटायेंगे या नहीं, इन प्रश्नों का जवाब मंत्री महोदय देने की कृपा करें, बाकी जो मंत्री महोदय बयान कर रहे हैं, वे बातें तो ठीक हैं, हम तो चाहते हैं मंत्री महोदय विषय पर बोलें,… (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर ही बोल रहा हूं। पिछले साल 20 लाख टन का सौदा हो रहा था, टेंडर आए हुए थे, मैंने इनको कहा लिखकर कहा कि फसल आने वाली है,… (**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री महोदय,… (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : आप बैठिए, आपको जब पता नहीं है, तो उस पर आपको नहीं बोलना चाहिए। कृपया बैठ जाइए।

[**अनुवाद**]

अल्पज्ञान हानिकारक होता है।

[**हिन्दी**]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, जो हम पाइंट आउट कर रहे हैं, उस इश्यू पर मंत्री महोदय नहीं बोल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि गेहूं का इम्पोर्ट क्यों किया गया, इस पर मंत्री महोदय कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज प्रातः प्रश्नकाल में जब प्रश्न संख्या 62 चल रहा था, तो माननीय वित्त मंत्री महोदय से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि जरूरी हुआ गेहूं तो क्या चावल और एडीबल आयल्स भी वे बाहर से मंगायेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन के लिए आपसे प्रोटैक्शन मांग रहा हूं, आप स्पीकर हैं और इस सदन के संरक्षक हैं, आप माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करें, ये जिस इश्यू पर यह प्रश्न उठाया गया है, यह बहस जो चल रही है, उस पर बोलें,… (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, हम सब लोग बड़े अच्छे और महत्वपूर्ण विषय पर खुलकर बहस करना चाहते है और खुलकर बहस की भी गई है। बहस 5 घंटे, 10 घंटे और 20 घंटे होने के बाद हमारे मन में प्रश्न हो सकते हैं क्योंकि यह सवाल ही इतना बड़ा है और वे पूरा का पूरा जवाब एक दफा में नहीं दे सकते हैं। ऐसा है, आपने जो 7-8 घंटे बहस की है, उसका एक जवाब तो फूड एण्ड सिविल सप्लाईज मिनिस्टर ने दिया, दूसरा उन्होंने दिया और तीसरा ये दे रहे हैं, जो कृषि के सम्बन्ध में है। आप कृपया उनको पूरा जवाब अपने तरीके से देने दीजिए। आपके मन में जो सवाल हैं, उनको आप लिख लीजिए और जवाब देने के बाद आप पूछ लीजिए। इस प्रकार से बीच-बीच में आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवालों पर ये आपको रैस्पेक्ट करते हुए, आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो फिर इस प्रकार से कैसे काम चलेगा। इसलिए आप जो सवाल पूछना चाहते हैं, उनको लिख लीजिए।

[अनुवाद]

हम आपको प्रश्न करने की अनुमति देंगे ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन बजने को हो रहे हैं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, फर्टिलाइजर की प्राइस रेज करने से और गेहूं डम्प करने से ट्रेड एक दम डम्प हो गया है। इस पर कोई प्रकाश मंत्री महोदय ने अभी तक नहीं डाला है। फर्टीलाइजर की प्राइस रेज करने से और गेहूं आयात करके एकदम मार्केट में देने से ट्रेड का क्या होगा, इस पर कोई प्रकाश मंत्री महोदय नहीं डाल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं। आपने सजैशन भी दिए हैं, मगर सोचना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि टोटली कह गए है। आप उनको एक तरीके से बोलने दीजिए, उसके बाद हम आपको भी सुनेंगे ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनको पहले इस बात पर ले आईए, हम तो इनको उसी बात पर सुनना चाहते हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें ।

श्री बलराम जाखड़ : मैं अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करूंगा। लेकिन उन्हें मेरी बात ठीक से सुननी चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, जितने सवाल पूछे गए हैं उनके जवाब दिए गए हैं। मैं तो चाहता हूं तुरत दान महाकल्याण। मैंने तो ऐसी बात कभी की नहीं। मैं तो कहना चाहता था कि इसका जो प्रभाव पड़ेगा उसको आपके सामने बताऊं। फर्टीलाइजर का क्या फर्क पड़ेगा, उसको मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। उत्तर भारत में सारे के सारे जो गेहूं बीजने वाले इलाके थे, सारों में तकरीबन बिलकुल उसी हिसाब से चला है। दक्षिण में कुछ स्टेट्स में गड़बड़ी हुई है, कुछ यू० पी० में कम डाली गई है। कुछ डी० ए० पी० लगी है, कुछ दूसरी लगी है और यूरिया ज्यादा गया है। कुछ उसको आयात किया, कुछ बनाने वाले ठीक आ जाएंगे, तो अपने आप एक स्तर पर आ जाएगा और हिसाब ठीक हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, जो किसानों के घर को पूरा करने का हिसाब है, मैं उस हिसाब से देख रहा हूं कि उनके घर को पूरा कैसे करूंगा। इसके लिए मैं कुछ उनके उत्पाद का रेम्यूनरेटिव, प्रोफीटेबल प्राइस देकर करूंगा, कुछ आवागमन की छूट देकर करूंगा और दूसरी जो सहूलियतें हैं, उनको दूंगा। मैं सारे क्षेत्र में करना चाहता हूं। सिंचाई के क्षेत्र में, फिशरीज के क्षेत्र में, डेयरीज के क्षेत्र में करना चाहता हूं, मुर्गीपालन के क्षेत्र में करना चाहता हूं, बी-कीपिंग के क्षेत्र में करना चाहता हूं और उसको खाद्य पदार्थ में परिवर्तित कर के उसको वैल्यू एडीशन देना चाहता हूं। अब चाहते हैं कि यह किस तरीके से हो। जेब में पैसा होगा तो खाद आएगी। हम पैसा मांगकर सौ या डेढ़ सौ रुपया क्यों लें। हम चाहते हैं कि किसान का जो 500 रुपये का हक बनता है वह चाहिए। यदि हजार रुपये उसकी

[श्री बलराम जाखड़]

कीमत बनती है तो उसको वह मिले। डेढ़ सौ रुपये देकर बंधुआ मजदूर रखना चाहते हैं। मैं किसान को बंधुआ मजदूर नहीं रखना चाहता। मैं उसको इज्जत देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसके दिल में यह हो कि मेरा हक बनता है, मैं ले रहा हूं। वे क्या हमें हैंडआउट्स देकर करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

मैं नहीं चाहता हूं कि वे अपने को याचक समझें। मैं चाहता हूं कि किसान मेहनत करें।

[हिन्दी]

मैं एक ओर चाहता हूं कि जिस तरीके से करना है वह स्टेट का काम है और पी० डी० एस० जो है वह ये चलाएं। जिनका हक बनता है उनको दें। गरीब किसान, मजदूर, हरिजन, खेत में काम करने वाले की मजदूरी का ध्यान करें। पहले 5-10 रुपये मजदूरी थी और आज 60 रुपये मजदूरी है। जब पैसा होगा तब बंटेगा, जब हमारे पास होगा ही नहीं तो बंटेगा क्या। किसान के अहित में कभी भी कोई काम करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, न हो सकती है। हमने उसको आगे बढ़ाने का काम करना है।

क्रेडिट सिस्टम की बात है। मैं क्रेडिट सिस्टम बनाना चाहता हूं। उसको बढ़िया तरीके से और ज्यादा देना चाहता हूं ताकि किसान काम कर सके। आपकी कृपा से जो गड़बड़ी हुई है उसको ठीक करेंगे और किसान को फिर अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। आप भी जानते हैं कि गलत काम हो गया है। कोई बात नहीं, अब उसको ठीक करेंगे। पैसा भी ज्यादा देंगे, क्रैडिट भी ज्यादा देंगे, को-आपरेटिव सोसाईटीज को मजबूत करेंगे, सारा काम उस हिसाब से करेंगे।

अगर आपने अनइम्प्लायमेंट कम करनी है, जमीन का लोड कम करना है तो खाद पर आधारित इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी गांव में, परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे पास पैकेज नहीं है, ट्रेडिंग नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। सबके लिए 662 करोड़ की स्कीम लगाई है।

इन सारी बातों के बाद किसान का कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है इसलिए हम क्या सुनें।... (व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज की चर्चा डिमांड्स फार ग्रांट्स फार दी मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर पर नहीं है। आज की चर्चा इस बात से शुरू हुई कि हमारे कई साथियों ने यहां से, मैं समझता हूं कि उस दिन एक रिकार्ड नम्बर आफ मेम्बर था जिन्होंने काम रोको प्रस्ताव आपको दिया था। काम रोको प्रस्ताव के दो आशय थे—एक कि देश में जो खाद की कीमतें बढ़ी हैं, डीकंट्रोल के कारण, सबसिडी खत्म करने के कारण, उससे देशभर के किसानों में बहुत रोष है, क्षोभ है उसको हम गवर्नमेंट को सैन्श्योर करते हुए अभिव्यक्त करना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि जहां तक गेहूं का मामला है, तरूण गोगोई जी बैठे हैं। उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गेहूं सरप्लस है, हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 15 दिन बाद उन्होंने इम्पोर्ट किया। जिस कीमत पर एक्सपोर्ट किया वह बहुत कम थी और इम्पोर्ट बहुत भारी कीमत पर किया जिसके कारण मन में आशंकाएं पैदा हुई और आपने कहा कि क्योंकि टैक्नीकली यह काम रोको प्रस्ताव नहीं हो सकता है इसलिए मैं 193 में इसको एक चर्चा के रूप में रखता हूं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहां पर चर्चा में इन दोनों विषयों का कोई समुचित

उत्तर नहीं दिया जा रहा है। दोनों विषयों के बारे में न कोई आश्वासन है कि हम खाद की कीमत कम करके या उसके बारे में पुर्नविचार करके किसान को कोई राहत देंगे, न कोई इस बात का कनविंसिंग उत्तर है कि हमने गेहूं के आयात के बारे में घपला क्यों किया जिसके कारण हिन्दुस्तान के किसानों को लगा कि हमको तो कीमत नहीं मिलती और विदेश के किसान को इतनी कीमत मिलती है।

अध्यक्ष महोदय, काम रोको प्रस्ताव का उद्देश्य जनता का क्षोभ प्रकट करना, सरकार को सैन्सयौर करना होता है। टैक्नीकली वह परिधि में नहीं आता, हमने आपकी बात स्वीकार कर ली। लेकिन जनता का क्षोभ प्रकट करने के लिए हम, खाद के बारे में, गेहूं के बारे में, सरकार के इस उत्तर से बिल्कुल असन्तुष्ट हैं। इस क्षोभ के प्रदर्शन के रूप में, आपका आदर करते हुए हम सदन का त्याग करते हैं।

3.24 म० प०

इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपसे इतना ही आग्रह है कि जो विषय था, सरकार उस बात को भी नहीं बता रही है कि विदेश के किसान को 526 रुपये क्यों दे रही है। अमरीका, कनाडा के किसान को दे रही है लेकिन अपने देश के किसानों से एक्सपैक्ट करती है कि वे प्रोडक्शन करें। यह सरकार की जनविरोधी, किसान-विरोधी नीति है। जाखड़ साहब भले ही कुछ कहें लेकिन यह जनविरोधी, किसान-विरोधी सरकार है।

[**अनुवाद**]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : इस प्रस्ताव के प्रस्तुत कर्ता होने की वजह से मैं इन तीन दिनों तक धैर्यपूर्वक बैठ कर तीन माननीय मंत्रियों द्वारा दिये गये जवाब सुन रहा था। मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख होता है कि जिन बातों पर न सिर्फ इस सभामें बल्कि बाहर भी लोग उत्तेजित हो गये थे, उन दो विशिष्ट मुद्दों पर इनके द्वारा दिये गये उत्तरों से हमें संतोष नहीं हुआ है। उनका उत्तर मुद्दे से हट कर है। उन्होंने इस बात का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया कि यह सब क्यों ही गया। "प्रत्येक बार कीमतों में वृद्धि हुई और हमें गेहूं का आयात करना पड़ा।" यह एक अनोखा स्पष्टीकरण है और मैंने यह पहली बार सुना। कीमतों में उतार-चढ़ाव हमेशा होता है। वे कहते हैं : "कीमतें इस कारण बढ़ीं क्योंकि हमने गेहूं की खरीद की। कीमते बढ़ गयीं और इसलिए हमारे पास आयात के सिवाये और कोई चारा नहीं रहा। इतने अधिक दर पर आयात करने से भविष्य में एक लम्बे समय तक हमारी कृषि व्यवस्था ठप पड़ जायेगी।

श्री बलराम जाखड़ : मैं सहमत नहीं हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने यह आशा नहीं की थी कि आप सहमत होंगे।

श्री बलराम जाखड़ : हमने यह स्पष्ट किया था कि ऐसा क्यों किया गया था। यह हमारा ईरादा नहीं है। यदि हमारे पास यह उपलब्ध होता तो हम आयात नहीं करते। इसमें सिर्फ एक ही प्रश्न निहित है कि उस समय हम देश को भूखा नहीं मार सकते हैं। (व्यवधान)

[श्री बलराम जाखड़]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध है। फिर यह प्रश्न कैसे उठ खड़ा हुआ ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार के अनुसार खाद्यान्न के मामले में हम आत्म-निर्भर हो गये हैं। पूरे विश्व में हम यह कह रहे हैं कि खाद्यान्न के मामले में हम आत्म निर्भर हैं। (**व्यवधान**)

श्री बलराम जाखड़ : मैंने आपको स्पष्ट कर दिया था कि इसके लिये किसानों की भरपाई करने हेतु हम क्या कदम उठाने जा रहे हैं। (**व्यवधान**)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, आम कृषि नीति के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया है परन्तु उर्वरक आयात के सम्बन्ध में किसी भी माननीय मंत्री जी द्वारा कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि का तथा चावल और गेहूं आयात किये जाने के कारणों को स्पष्ट नहीं करने का हम प्रबल विरोध करते हैं। अतः हमने बहिष्कार करने का तथा इस चर्चा में आगे भाग नहीं लेने का निश्चय किया है।

3.28 म० प०

इस समय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम यह जानना चाहते हैं कि आप किसानों की रक्षा किस प्रकार से करेंगे।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : आपने कल क्यों नहीं पूछा ? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप यह कहना चाहते हैं कि व्यापारी जमाखोरी कर रहे थे और इसी कारण कमी हो गयी थी तो आपने जमाखोरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? जमाखोरों और व्यापारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी थी।

3.29 म० प०

इस समय श्री इन्द्रजीत गुप्त और कुछ अन्य सदस्य सभाभवन से बाहर चले गये

(**व्यवधान**)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपने 15,000 करोड़ रुपया क्यों खर्च किया ?

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आपने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया है। (**व्यवधान**)

श्री तरुण गगोई : जब मैं उत्तर दे रहा था आप उपस्थित नहीं थे। आपने मुझसे कल कोई प्रश्न क्यों नहीं किया ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है कि उर्वरक की कीमतों में वृद्धि होने से किस प्रकार वे छोटे और मंझोले किसानों के हितों की रक्षा करेंगे। किस प्रकार आप छोटे और सीमान्त किसानों की रक्षा करने जा रहे हैं ? आपने इसका कोई उत्तर नहीं दिया है। अतः हम बहिष्कार कर रहे हैं।

3.29½ म० प०

इस समय श्री सैफुद्दीन चौधरी और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

अध्यक्ष महोदय : क्या और कोई बात है ? गैर सरकारी सदस्यों की कार्यवाही शुरू करने के लिए हमारे पास दो या तीन मिनट रह गये हैं।

[हिन्दी]

श्री अनन्तराव देशमुख (वाशिम) : माननीय मंत्री जी ने ऐसा बताया कि हर कमोडिटी की हमने सपोर्ट प्राइस तय की है और बाजार में जब भाव कम हो जाते हैं तो सपोर्ट प्राइस पर उनका माल हम खरीदते हैं। आज महाराष्ट्र की यह हालत है कि ज्वार की कीमतें बहुत कम हो गई हैं। इसमें आपने क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया है, आपने जो सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर की है, उस प्राइस के हिसाब से वह पूरी कमोडिटी लेने की क्या आपकी यंत्रणा है ?

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : मैंने इसी बात का उल्लेख किया था। जब भी कमी हो तो मैंने उनको बोला है कि फौरन जाकर काम करो। मैं बोला कि आप इसको पहले करिये।

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : वे पहले ही मुझसे कह चुके हैं और हम इसे खरीदने जा रहे हैं। इसे हमारे ध्यान में लाया गया है और मैं भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दे दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अनन्तराव देशमुख : अध्यक्ष जी, मैं आपके जरिये मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि जब कमोडिटी बाजार में आती है, उस वक्त अगर आपकी यंत्रणा नहीं रहे तो फिर वह किसी काम की नहीं है।

[अनुवाद]

श्री तरुण गगोई : हम इसकी खरीद करेंगे। मैं यह आश्वासन दे रहा हूं कि मुझे जिस वस्तु का प्रस्ताव मिलेगा मैं उसकी खरीद करूंगा।

श्री अशोक अनन्तराव देशमुख (परभनी) : सरकारी प्राधिकारियों द्वारा महाराष्ट्र में विभिन्न महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन लागत के सम्बन्ध में मैंने जानकारी प्राप्त की है। उर्वरक और मजदूरी की दिहाड़ी सहित अन्य आवश्यक आदानों की कीमत बढ़ती है तो कृषि उत्पादों की घोषणा करने से पूर्व इन सभी तथ्यों पर विचार करना अत्यन्त आवश्यक हो जाता है। अन्यथा हमारे किसान मौजूदा हालात में खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम को नहीं चला पाएंगे।

[श्री अशोक आनन्तराव देशमुख]

अत: आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले पर गम्भीरता से गौर करें अन्यथा हमारी कृषि अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी हमारी आत्म निर्भरता को खतरा हो जाएगा और यहां तक कि हमारी आर्थिक स्वतन्त्रता भी खतरे में पड़ जायेगी।

[हिन्दी]

इसके साथ जो कापी है यह मैं श्री बलराम जाखड़ जी को देता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं, आपको प्रश्न पूछना है।

[अनुवाद]

यह ठीक नहीं है। देशमुख जी ऐसे मत कीजिए। यह कोई घर नहीं है। आप इसे इनके कक्ष में दीजिए।

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : क्या केरल के लिए कोई एकमुश्त कार्यक्रम बनाया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : अब गैर-सरकारी सदस्यो का कार्य। श्री अर्जुन चरण सेठी।

'अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार आरम्भ करेगी।

श्री अर्जुन चरण सेठी।

3.31 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उड़ीसा राज्य के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक*

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों,तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण तथा खनिज सम्पदाओं के विकास, विदोहन तथा उचित उपयोग के लिए उड़ीसा राज्य को विशेष वित्तीय सहायता देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो के कल्याण तथा खनिज सम्पदाओं के विकास, विदोहन तथा उचित उपयोग के लिए उड़ीसा राज्य को विशेष वित्तीय सहायता

*दिनांक 27-11-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

देने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अर्जुन चरण सेठी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.31½ म० प०

जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण विधेयक*

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों और छोटा परिवार मानदंड को प्रोत्साहन देने तथा उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों और छोटा परिवार मानदंड को प्रोत्साहन देने वाले तथा उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.32 म० प०

विशेष शैक्षणिक सुविधा (गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे माता-पिता के बच्चों के लिए विधेयक*

[अनुवाद]

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे माता-पिता के बच्चों के लिए विशेष शैक्षणिक सुविधाएं तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे माता-पिता के बच्चों के लिए विशेष शैक्षणिक

---

*दिनांक 27-11-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

सुविधाएं तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.32½ म० प०

संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 356 और 357 का लोप)*

[अनुवाद]

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.33 म० प०

मद्यनिषेध विधेयक*

[अनुवाद]

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पूर्ण मद्यनिषेध तथा तत्संगत विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पूर्ण मद्यनिषेध तथा तत्संगत विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

---

*दिनांक 27-11-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

3.33½ म० प०

युवा कल्याण विधेयक*

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि देश में युवाओं के विकास के लिए एक व्यापक नीति बनाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.34 म० प०

हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक*
(धारा 5, आदि में संशोधन)

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

---

*दिनांक 27-11-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

3.35½ म० प०

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (रायपुर में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक*

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि रायपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रायपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दिलीप संघानी। उपस्थित नहीं हैं।

3.36 म० प०

महिलाओं के लिए (सरकारी सेवाओं मे) पदों का आरक्षण विधेयक*

[अनुवाद]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए पदों के आरक्षण और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए पदों के आरक्षण और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती भावना चिखलिया : मैं विधेयक पुरःस्थापि करती हूं।

---

*27-11-92 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

3.36 म० प०

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक (धारा 5 में संशोधन)*

[अनुवाद]

श्री संयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.36½ म० प०

विदेशियों विषयक (संशोधन) विधेयक (धारा 9 में संशोधन)*

श्री संयद शाहाबुद्दीन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री संयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

3.37. म० प०

वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकेटों पर भारतीय भाषाओं का उपयोग विधेयक*

[हिन्दी]

डा० लाल बहादुर रावल (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी

*दिनांक 27 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकटों पर हिन्दी भाषा और एक अन्य भारतीय भाषा के उपयोग को अनिवार्य करने तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि सभी वाणिज्यिक विज्ञापनों में और उपभोक्ता वस्तुओं के पैकटों पर हिन्दी भाषा और एक अन्य भारतीय भाषा के उपयोग को अनिवार्य करने तथा तत्संबंधी विषयों के लिए उपबंध करने वाले बिधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० लाल बहादुर रावल : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.37½ म० प०

संसद सदस्य वेतन, भत्ता पेंशन (संशोधन) विधेयक*
(धारा 3 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भता तथा पेंशन अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं ।

3.38 म० प०

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक*
धारा 125 आदि के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरायिंकिल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

*दिनांक 27 नवम्बर, 1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं ।

3.38½ म० म०

अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक*
(धारा 8 मे संशोधन आदि)

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम 1920 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हू ।

3.39 म० प०

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक (धारा 2 में संशोधन)

[अनुवाद]

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 19 1 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

*दिनांक 27 नवम्बर, 92 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1991 में और संशोधन करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सैयद शाहाबुद्दीन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.39½ म० प०

प्रति छात्र प्रवेशार्थ शुल्क प्रतिषेध विधेयक*

श्री चित्त बसु : (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षा संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले प्रति छात्र प्रवेशार्थ शुल्क का प्रतिषेध करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि शिक्षा संस्थाओं द्वारा लिये जाने वाले प्रति छात्र प्रवेशार्थ शुल्क का प्रतिषेध करने तथा तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री चित्त बसु : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

3.40 म० प०

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन) —जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदय में श्री भगवान शंकर रावत द्वारा 7 अगस्त, 1992 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा :—

"संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, (संशोधन) विधेयक (अनुसूची में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री राम टहल चौधरी उपस्थित नहीं हैं । श्री रमेश चेन्नितला अब बोल सकते हैं ।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : महोदय, श्री भगवान शंकर रावत द्वारा प्रस्तुत विधेयक में अतिरिक्त बातों के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । यह विधेयक मुख्य रूप से एक खास संप्रदाय यानी बंजारा संप्रदाय को अनुसूची में शामिल करने के लिये हैं । सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े दूसरे संप्रदाय भी हैं जो सूची में शामिल होने की सारी शर्तें पूरी करते हैं । निःसंदेह उत्तर प्रदेश में

---

*दिनांक 27 नवम्बर 1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित ।

बंजारा संप्रदाय को अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। महोदय, कुछ अन्य संप्रदायों की ओर से भी सूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। अतः माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह एक व्यापक विधेयक लेकर आयें जिससे दूसरे संप्रदायों की मांगों की भी जांच की जा सके और उन्हें सूची में शामिल किया जा सके। उदाहरण के तौर पर धर्म परिवर्तन कर बने इसाइयों को लें। केरल में धर्म-परिवर्तन कर बने इसाई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इसाई धर्म स्वीकार कर लेने के बाद भी उनकी हालत दयनीय है। वे लोग बहुत ही खराब दशा में रह रहे हैं। उन लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है, किन्तु उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि वही है, उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद प्राप्त नहीं हो रही है। अतः वे लोग सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। उन लोगों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में लिया जाना चाहिए। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस पर विचार करें। महोदय, केन्द्रीय सरकार को बहुत सारे अभ्यावेदन दिये गये हैं और राज्य सरकार ने उन लोगों की आवेदन की जांच भी की थी। अतः उन लोगों की मांग पर विचार करने का यह उपयुक्त समय है। इसी प्रकार से लक्षद्वीप और दूसरे केन्द्र शासित प्रदेशों के कुछेक क्षेत्रों में मछुआरे हैं जिन्हें जनजाति समझा जाता है। उनकी सामाजिक और आर्थिक दशाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए। अतः यहां केवल बंजारा संप्रदाय ही नहीं हैं, बल्कि दूसरे संप्रदायों और वर्गों के लोग भी हैं जिन्हें काफी पीड़ा झेलना पड़ रही है और जो लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की सूची में शामिल होने की सारी शर्तें पूरी करते हैं। उन लोगों पर विचार किया जाना चाहिए। इन मांगों को पूरा करने हेतु माननीय मंत्री से एक व्यापक विधेयक लाने का अनुरोध है।

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के जाली प्रमाण-पत्रों के संबंध में बहुत सारी शिकायतें मिलती रहती हैं। सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे जाली-प्रमाण पत्रों के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने वाले और इस प्रकार सरकार से धोखा धड़ी करने वाले लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। जाली प्रमाण-पत्रों के माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों को मिली सुविधाओं को छीनने का प्रयास करने वाले ऐसे लोगों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

दूसरी बात जो मैं यहां उठाने जा रहा हूं वह कुछेक संप्रदायों के नामों को बदलने से संबंधित है। कुछेक संप्रदाय अपने जातियों का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनके पुराने नाम अपमान जनक हैं। इसलिये नामों को बदलने की इस मांग पर भी विचार किया जाना चाहिये।

सामान्य सूची बनाने की एक अन्य मांग भी है। पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में समान सामाजिक-आर्थिक स्थिति और दशा में रहने वाले संप्रदायों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। मेरा अनुरोध है कि ऐसे संप्रदायों के लिये पूरे भारतवर्ष में एक सामान्य नाम होना चाहिए। इस पहलू पर भी अपेक्षित रूप से विचार होना चाहिए।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक व्यापक विधेयक लेकर आये, जिससे विभिन्न संप्रदायों को सूची में शामिल करने की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया जा सके। इस सम्बन्ध में कुछ राज्य सरकारें अपनी मांगे पहले ही भेज चुकी हैं। मैं एक बार फिर सरकार से एक व्यापक विधेयक लाने का अनुरोध करता हूं जिससे इन पीड़ित लोगों के साथ न्याय हो सके।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भगवान शंकर राव जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक उत्तर प्रदेश की जाति विशेष को शेडयूल्ड ट्राइब्स में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में है। ऐसे विधेयक पर सही ढंग से विचार किया जाना जरूरी है। केवल उत्तर प्रदेश में किसी जाति विशेष को शामिल करने का प्रश्न नहीं है, ऐसी अनेक जातियां विभिन्न प्रदेशों में हैं जिनको उन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति में या अनुसूचित जन-जाति में शामिल किया जा सकता है और इसी दृष्टि से मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। यह ठीक है कि उत्तर प्रदेश में जो बन्जारा जाति है, वह उपेक्षित रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी बन्जारा जाति है। उस जाति को भी किन जातियों में शामिल किया गया है स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसके लिए स्पष्ट जातीय व्यवस्था होनी चाहिए इसी प्रकार से मीणा जाति है। इसको मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में सवर्ण माना जाता है और कुछ इलाकों में शेडयूल्ड ट्राइब्स माना जाता है। यह दो प्रकार की परिस्थितियां हैं। एक जिले में दूसरी और दूसरे जिले में अलग तरह की है। इसी प्रकार से राजस्थान में भी राजपूत मीणा जाति है तो उनको आदिवासी में शामिल किया जाता है और कहीं सामान्य में। इस प्रकार की कई विसंगतियां हैं जो हमारी पिछड़ी जाति, आदिवासी या अनुसूचित जाति के बारे में है। कारवेलिया एक बिखरी हुई जाति है जो इधर-उधर घूमकर अपना व्यवसाय करने वाले हैं। लेकिन उस जाति की संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है। इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। बन्जारा जाति को न केवल सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक रूप से अपितु शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जाति है इसलिए इसको शामिल करना चाहिए। केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही नहीं वलिक अन्य प्रदेशों के संदर्भ में भी होना चाहिए। एक और बाछड़ा जाति है जो उपेक्षित है। और बहुत बड़ी संख्या में वे जातियां राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी विद्यमान हैं। लेकिन उनको न तो पिछड़ी जाति में गिना जाता है और न ही अनुसूचित जाति तथा जनजाति में गिना जाता है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस सम्बन्ध में विचार होना चाहिए। ऐसे ही एक बैरागी या जोगिया जाति है जो कि बीन बजाकर सांप पकड़ते हैं, लेकिन उनको अनुसूचित जनजाति में नहीं गिना जाता और न ही पिछड़ी जाति में गिना जाता है। सभी प्रदेशों से जानकारी ली जाये कि उनके प्रदेश में किन-किन जातियों को पिछड़ी जातियों में गिना जाता है और किन-किन को आदिवासी क्षेत्रों में गिना जाता है। ऐसे ही अनुसूचित जातियों में भी कई लोग शामिल होने से वंचित हैं। अनुसूचित जनजाति में ढोल बजाने वाले आते हैं, लेकिन उनको अनुसूचित जाति में या कुछ जगह अनुसूचित जनजाति में नहीं गिना जाकर सवर्ण मान लिया गया है। इससे उनको राजकीय सुविधायें जो मिलनी चाहिए वे नहीं मिल पातीं। इस कारण वे झूठे प्रमाण-पत्र बनवाते हैं। ज्यादा अच्छा हो कि राज्यों से जानकारी लेकर एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर इस पर विचार किया जाये और फिर सूची बनाई जाये। तब इन आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, हालत ठीक होगी और इनके साथ न्याय होगा।

मैं पुनः मीणा जाति के बारे में कहना चाहता हूं। एक राज्य में किसी एक जिले में अनुसूचित जनजाति में माना जाता है तो वे अपनी जमीन नहीं बेच सकते, लेकिन उसी राज्य में इनको दूसरी जगह या जिले में नहीं माना जाता वहां ये जमीन बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। इसलिए इस विषमता को दूर किया जाना चाहिए। इस विधेयक पर समग्र रूप से विचार होना चाहिए और एक

काम्प्रीहेंसिव बिल लाना चाहिए। मैं मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि वे एक ऐसा बिल लायेंगे ताकि इस प्रकार की जो विषमतायें हैं वे दूर हों और हम जो उपेक्षित जातियां हैं उनको सुविधायें दे सकें, प्रोत्साहन दे सकें और उनके साथ सामाजिक न्याय भी कर सकें।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री भगवान शंकर रावत द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इन्होंने उत्तर प्रदेश के मामले से सम्बद्ध यह विधेयक रखा है बंजारा जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में सम्मिलित करने के बारे में, इसका मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं आपके समक्ष इस बात को रखना चाहता हूं कि पूरे देश में विभिन्न प्रदेशों में इस प्रकार की कई जातियां हैं जिनका सामाजिक, शैक्षणिक और कई अर्थों में सांस्कृति स्तर वही है जो अनुसूचित जनजाति के लोगों का है। लेकिन एक बार अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार हो गई और उस सूची में किसी और जाति विशेष को सम्मिलित करने में अब काफी दिक्कत होती है। हम आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि इसके बारे में पूरे देश में एक नीति बनाकर सर्वेक्षण करा लिया जाये और जो इस प्रकार की जातियां हैं···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय के लिए दो घंटे का समय दिया गया था और वह 4 बजने में 5 मिनट पर समाप्त हो जायेगा। अभी भी इस चर्चा में अनेक माननीय सदस्य भाग लेना चाहते हैं और मंत्री महोदय जी को भी जवाब देना है। क्या सभा की इच्छा है कि इस विषय पर चर्चा का समय बढ़ाया जाए?

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : इसको आधा घंटा में खत्म करें और आगे वाला बिल लिया जाये। पिछले सत्र में भी इस पर काफी बहस हो चुकी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अत: आधे घंटे के इस समय में इन सभी पांच वक्ताओं को अपने भाषण पूरे करने चाहिए और इस समय में माननीय मंत्री जी को भी जवाब देना होगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की कई जातियां विभिन्न प्रान्तों में छूटी हुई है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। आप एक नीति बनाकर पूरे देश में सर्वेक्षण करा लीजिये और उसके आधार पर इस सूची में वैसी जातियों को शामिल किया जाये जिनका सामाजि , शैक्षणिक स्तर अनुसूचित जातियों के समान हो और अनुसूचित जाति के अनुसार ही उस प्रकार का उनके लिए संशोधन होना चाहिए। मेरे बिहार प्रदेश में गौंड, बिन्द, नुनिया, बेलदार नाम की जातियां हैं। इनका सामाजिक, शैक्षणिक स्तर अनु० जाति के लोगों की तरह ही है। वहां पर यह मांग होती रही है और वहां विधानसभा में सवाल भी उठता रहा है और सरकार की ओर से भी यह बात उठती रही है। अत: आपसे आग्रह है कि इन जातियों को भी शामिल किया जाये। इसी प्रकार की एक जाति पान है जो अनुसूचित जाति के स्तर पर है। यदि आप अन्य पिछड़े वर्गों की सूची देखेंगे तो ऐसी कई जातियां

[श्री नीतीश कुमार]

मिलेंगी जिनका सामाजिक और शैक्षणिक स्तर अनुसूचित जाति की तरह है और यह पान जाति भी वैसी ही है। इस जाति का स्तर भी उस इलाके में काफी कमजोर है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि इन जातियों को भी अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाए।

उपाध्यक्ष जी, एक बार पुनः सरकार से निवेदन है कि एक नीति निर्धारण हो जिसमें इनका सर्वेक्षण कराकर उनका पुनरीक्षण किया जाए ताकि विभिन्न स्तरों से जो मांग उठ रही है, उसके मुताबिक इन लोगों की आकांक्षा के मुताबिक इनको भी अप-टू-डेट किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, अनुसूचित जनजाति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश में उत्तर प्रदेश के कुछ जनजातियों की पहचान करने और उन्हें इनमें शामिल किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में लाने के लिए मैं भी भगवान शंकर रावत को बधाई देता हूं।

महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों से सहमत हूं जिनका यह मत है कि सरकार को अन्य सभी जनजातियों और जातियों को शामिल करने के लिए एक विस्तृत विधेयक लाना चाहिए, ताकि भारत के संविधान में इन्हें दी गई सुरक्षा तथा अवसर इन सबों को प्राप्त हो सके।

महोदय, इस मुद्दे पर मैं दलित इसाइयों की दशा के बारे में बोलूंगा। श्री चेन्नित्तला जी, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। पूरे भारत में एक करोड़ से अधिक दलित इसाई रह रहे हैं। वे मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु तथा करीब-करीब भारत के सभी राज्यों में हैं। अब मैं आपके घोषणा आदेश के पीछे निहित अभिप्राय को नहीं समझ पा रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति या महिला सिर्फ इस कारण अपने अधिकार, देश में अनुसूचित जाति के रूप में अपनी पहचान खो बैठते हैं, क्योंकि उन्होंने इसाई धर्म अपना लिया है।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में लोगों को अपनी मान्यताओं के अनुसार अपना धर्म मानने की छूट है।

4.00 म० प०

अतः यह धारणा कि एक बार यदि आप इसाई धर्म अपना लेते हैं तो आप अनुसूचित जाति के रूप में अपने अधिकार खो बैठेंगे। यह हमारे महान देश के संविधान के मूलभूत सिद्धान्त के विरुद्ध हैं।

यह मुद्दा काफी दिनों से उठाया जाता रहा है। मुझे याद है कि 1981 में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के शासनकाल में जिन लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उन्हें राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया था। आज मैं यह नहीं समझ पाया हूं कि क्यों इन धर्म परिवर्तित इसाईयों को इस अधिकार से वंचित रखा गया है। राष्ट्रीय मोर्चे के शासनकाल में मैं उन सांसदों में से एक था जिन्होंने इस सम्मानित सभा में इस मुद्दे को उठाया था। मुझे याद है कि श्री राम विलास पासवान जी ने इस वाद-विवाद का उत्तर दिया था। उन्होंने संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को उठाने का वायदा किया था। दुर्भाग्यवश उनकी सरकार गिर गई और उनके द्वारा किया गया वायदा

पूरा नहीं किया जा सका। यदि आप उन आश्वासनों को याद करें तो आप देखेंगे कि स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया गया है कि दलित इसाईयों को भी राष्ट्रपति के आदेश के अन्तर्गत शामिल किया जाए। दुर्भाग्यवश आज यह प्रतीत होता है कि कुछ भी नहीं किया गया है।

मुझे याद है कि विगत बजट सत्र में करीब 200 सांसदों ने इस सम्माननीय सभा में एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे और इसे प्रधान मंत्री जी को इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया था कि एक नया राष्ट्रपति आदेश जारी किया जाए जिसमें इन सभी धर्म परिवर्तित इसाईयों को शामिल किया जाए और इन्हें अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाए।

इसाई बनकर आप आसानी से धनी नहीं बन सकते हैं, आप आसानीपूर्वक समाज में भली भांति प्रतिष्ठित नहीं हो सकते हैं। यह सिर्फ उस धर्म में विश्वास है जिस कारण कोई भी पुरुष या महिला इसाई धर्म अपनाते हैं। हमारा सामाजिक स्तर अन्यों की भांति समान है। यदि एक हरिजन इसाई धर्म अपनाता है तो उसे फिर भी हरिजन ही समझा जाता है। यदि पिछड़ी जाति का कोई व्यक्ति इसाई धर्म अपनाता है तो फिर भी उसे पिछड़ी जाति का ही समझा जाता है। फिर यह किस प्रकार हो सकता है कि वह अनुसूचित जाति से सम्बन्धित राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किये जाने के अपने अधिकार को खो दे?

21 नवम्बर को विजयवाड़ा में हमने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था जिसमें माननीय कल्याण मंत्री श्री सीताराम केसरी जी भी उपस्थित थे। विजयवाड़ा में पांच लाख से भी अधिक दलित इसाईयों ने एकजुट होकर सरकार से अनुरोध किया था कि अनुसूचित जाति के लोगों की भांति उन्हें भी राष्ट्रपति आदेश में शामिल करने के लिए इसमें परिवर्तन लाया जाए।

इसाई धर्म में परिवर्तित होने पर उन्हें जीवन में कोई अतिरिक्त सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। वे जैसे थे उसी प्रकार हैं। वास्तव में इसाई बनने पर उन्होंने अनुसूचित जाति आदेश के अन्तर्गत संरक्षण के अपने अधिकार को खो दिया है।

मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार को इन सब मुद्दों पर, जो समय की मांग हैं, ध्यान देने के लिए एक विस्तृत विधेयक लाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी भी चार माननीय सदस्य हैं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लेना है। दो नाम और आये हैं। माननीय मंत्री महोदय के जवाब सहित हमें इस वाद-विवाद को 4.25 म० प० तक समाप्त करना है। अतः मैं उन सभी माननीय सदस्यों से संक्षिप्त भाषण देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही यह कहना चाहता हूं कि यह बंजारा जाति केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के करीब-करीब तमाम राज्यों में है इसलिए जहां-जहां भी ये जातियां हैं, वहां इनको अनुसूचित जाति में रखा जाए। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बिहार की हाई कोर्ट ने और बिहार सरकार ने गोंड जाति को अनुसूचित जाति में दर्ज कर लिया है लेकिन यह गोंड जाति केवल बिहार में ही नहीं है बल्कि देश में बड़े पैमाने पर है इसलिए उसको देशव्यापी पैमाने पर अनुसूचित जाति में दर्ज किया जाना चाहिए।

[श्री तेज नारायण सिंह]

इसके साथ-साथ बिहार में और भी जातियां हैं जो सामाजिक दृष्टि से कमजोर हैं, समाज में जिनकी इज्जत नहीं है। इसलिए संविधान की मंशा के अनुसार, आरक्षण इसलिए किया जाता है ताकि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े, समाज में उनको बराबरी का दर्जा मिल जाए। आर्थिक बराबरी के लिए संविधान में नहीं लिखा गया है। अगर कोई ऐसा कहता है कि आर्थिक बराबरी के लिए लिखा गया है तो मेरे जैसा आदमी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिन लोगों ने संविधान बनाया, उन्होंने यही समझा कि इन जातियों की देश में सामाजिक बराबरी जरूरी है, आर्थिक बराबरी जरूरी नहीं है। इसलिए सामाजिक बराबरी के लिए बिहार में रहने वाली लुहार, कुम्हार, खम्बकर, नोनिया, बीन, रजभर, हज्जाम आदि जातियों को भी आरक्षण मिलना जरूरी है जो सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित हैं। इसलिए मेरी मांग है कि इन जातियों को भी अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाये।

इसके साथ-साथ यह भी मांग करना चाहता हूं कि एक पनीरी जाति है वह भी सामाजिक दृष्टि से काफी कमजोर है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं है। वह भी दूसरी जातियों के मुकाबले आ सकें, इसलिए आवश्यक है कि पनीरी जाति के लोगों को भी अनुसुचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए।

एक और बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। अब अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में अनेक जातियों के नाम दर्ज हो चुके हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए सरकार ने जो साढ़े बाईस प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था इनके लिए की है। इन जातियों के आरक्षण के इस प्रतिशत को और ज्यादा बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनकी सूची में जातियों की संख्या बढ़ रही है। मीणा जाति के लोगों के बारे में भी कहा गया कि ये हरिजनों में आते हैं, इसलिए उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं सदन में प्रस्तुत बिल का समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि जहां बंजारा जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में शामिल किया जाए, वहीं अन्य जातियों को भी, जिनका हवाला मैंने अभी दिया, इस सूची में शामिल किया जाए ताकि उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिल सके, वे भी सामाजिक दृष्टि से ऊपर आ सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री दत्तात्रेय बंडारू (सिकन्दराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने के कारण मैं आपका बहुत हीं आभारी हूं।

इस देश में, हमारी स्वतंत्रता के 45 वर्षों बाद भी अनेक समुदायों के प्रति अभी भी सामाजिक भेद-भाव बरता जा रहा है। गांवों में अनेक समुदायों जैसे अनुसूचित जाति के व्यवसायों के प्रति अत्याधिक भेद-भाव है।

आन्ध्र प्रदेश में अनेक समुदाय ऐसे हैं, जो धोबी का काम करते हैं। आमतौर पर वे गांवों में और शहरों में भी लोगों के कपड़े धोते हैं। अनेक स्थानों पर उन्हें अलग रखा गया है और उनके घरों की उपेक्षा की जाती है और उनसे गांवों के एक कोने में रहने की आशा की जाती है। वे सामाजिक रूप से उपेक्षित हैं और आर्थिक दृष्टि से बहुत ही निर्धन हैं। आज तक वे दो जून का भोजन नहीं

जुटा सकते हैं। आन्ध्र प्रदेश में धोबियों की यह स्थिति है।

आन्ध्र प्रदेश में नाई समुदाय की भी यही स्थिति है। तेलुगु में हम उन्हें भंगली कहते हैं। वे बाल काटने का काम करते हैं। उनमें से कुछ तो सम्पन्न हैं परन्तु अनेक सामाजिक रूप से पिछड़े और उपेक्षित हैं।

तीसरा समुदाय पारधियों का है। महाराष्ट्र में उन्हें जनजाति की सूची में रखा गया है लेकिन आन्ध्र प्रदेश में उनकी आर्थिक हालत बहुत ही दयनीय है। आन्ध्र प्रदेश में वे सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित लोग हैं।

एक अन्य समुदाय कुर्मा समुदाय है। उत्तर में उन्हें गडेरिया कहा जाता है। ये चरवाहा होते हैं। आन्ध्र प्रदेश में वे दूरदराज के गांवों में रहते हैं।

वदारा समुदाय का पेशा पत्थर तोड़ने का है। वे आन्ध्र प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं। इन लोगों की संख्या अत्यधिक है।

मछुआरा समुदाय भी सामाजिक दृष्टि से उपेक्षित है और तटीय क्षेत्र के गंगापुत्र क्षेत्र में रहते हैं। सामाजिक दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हैं और उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं है। वे बिना कपड़ों के रहते हैं। उनके बच्चों को बहुत ही कम शिक्षा मिल पाती है।

अन्त में रुकाला समुदाय की बात करूंगा। वे अशिक्षित होते हैं। इस समुदाय में सिर्फ 0.22 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि इन सभी समुदायों को अनुसूचित जाति या अनु अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। मैंने परामर्शदायी समिति की बैठक में भी यह मांग की है। इन समुदायों को अनुसूचित जनजाति समुदाय में शामिल करने के लिए मैंने माननीय लोक सभा अध्यक्ष महोदय को भी याचिका दी है।

मछुआरा, धोबी तथा वादरा, इन तीन समुदायों को भी इस सूची में शामिल किया जाना चाहिए। अतः मेरा यह अनुरोध है कि जब तक सामाजिक भेद-भाव को समाप्त न किया जाए, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण जारी रहना चाहिए, क्योंकि देश में, इस सम्बन्ध में बहुत ही विरोध किया जाता है।

दूसरे, इन समुदायों के लोग शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं और मैंने जिन समुदायों का उल्लेख किया है उन्हें भी सूची में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें भी शैक्षणिक दृष्टि से प्रगति का अवसर मिले और साथ ही वित्तीय संस्थानों को भी उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मुमताज अंसारी। कृपया संक्षेप में बोलिए, क्योंकि तीन और वक्ताओं को इस विधेयक पर बोलना है।

श्री मुमताज अंसारी (कोडरमा) : मैं सिर्फ दो मिनट लूंगा।

मैं श्री भगवान शंकर रावत द्वारा प्रस्तावित इस गैर-सरकारी विधेयक का समर्थन करता हूं, जिसमें एक संवैधानिक संशोधन द्वारा बंजारा जाति को शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग

[श्री मुमताज अंसारी]

में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, ताकि उन्हें भी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की सुविधा का लाभ मिल सके।

इस मुद्दे पर बहुत कुछ कहा गया है। एक मुद्दे के सिवाय सब कुछ कह दिया गया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि धर्म के आधार पर कुछ भेद-भाव किये जाते हैं क्योंकि सम्पूर्ण देश में मुस्लिम समुदाय सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से बहुत ही अधिक पिछड़ा रह गया है। जहां तक साक्षरता के प्रतिशत का सम्बन्ध है यह बहुत ही अधिक कम हो गया है। यह सिर्फ आठ या दस प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय औसत 52 प्रतिशत है। अतः अब इन समुदायों को, जो इस वर्ग के अन्तर्गत भी आते हैं, जिन्हें आरक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है, कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है।

उदाहरण के लिए कुछ ऐसे समुदाय हैं जैसे कि मुसलमान धोबी, मुसलमान नट, मुसलमान फकीर और मुसलमान हलकोर जिन्हें भंगी कहा जाता है, वे भी इसी कार्य को कर रहे हैं।

[अनुवाद]

जहां तक कार्य की प्रवृत्ति का सम्बन्ध है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी एक जैसा कार्य करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि इन समुदायों को कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। इसलिए मैं यह अनुरोध करता हूं कि एक व्यापक विधेयक लाकर संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत धर्म, जाति अथवा वंश के आधार पर किसी समुदाय के साथ कोई द्वेष अथवा पक्षपात न करते हुए सभी समुदायों को एक समान करार दिया जाए। क्योंकि यदि आप इन समुदायों के शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ेपन को देखें तो आपको पता चलेगा कि यह समुदाय उन समुदायों से अधिक पिछड़े हुए हैं जिन्हें अनुसूचित जातियों और जनजातियों की श्रेणी में शामिल किया गया है।

स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक उनकी स्थिति बदतर हुई है। उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है। उनकी दशा को सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए ताकि इन सभी श्रेणियों को धर्म पर आधारित बिना किसी पक्षपात के शामिल किया जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसा कि विधेयक में उल्लेख किया गया है, केवल बंजारा समुदाय ही नहीं बल्कि इस देश में अन्य ऐसे सभी समुदायों को भी संशोधन के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। निसंदेह मैं इस विधेयक से पूर्णतया सहमत हूं। लेकिन जिन अन्य समुदायों का अभी-अभी हमारे साथियों और मित्रों ने उल्लेख किया है, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए।

इस प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और इन सभी समुदायों की एक संसदीय समिति द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए और पूर्ण स्थिति का जायजा लिया जाना चाहिए और तत्पश्चात इन समुदायों को सूची में शामिल करने की दिशा में संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। इसे स्वीकार किया जाना चाहिए और इन समुदायों के हित में एक उचित संवैधानिक संशोधन किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : एक और नाम भी जोड़ा गया है और यह नाम असम राज्य की ओर से आया है।

श्री गोपीनाथ गणपति।

श्री गोपीनाथ गजपति (बरहामपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान (अनुसूचित जन-जातियां) (उत्तर-प्रदेश) आदेश, 1967 में कतिपय जन-जातियों को सूचीबद्ध किया गया है और उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों, सेवाओं आदि में सीटों के आरक्षण सम्बन्धी लाभों का भी प्रावधान किया गया है। आदेश की अनुसूची में इन जन-जातियों को सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शामिल किया गया है। मैं अपने सुविज्ञ साथी श्री भगवान शंकर रावत द्वारा पुरःस्थापित किये गये इस विधेयक की सिफारिश करता हूं जिसके अन्तर्गत उत्तर-प्रदेश के विभिन्न इलाकों में रह रहे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी "बंजारा" जन-जाति को संविधान का सूची में शामिल करने की बात कही गई है।

भारत का संविधान देश में एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य रखता है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमने अनेकों विविध कार्यक्रम बनाये हैं विशेषकर अनुसूचित जातियों और जन-जातियों के लिए कानून बनाए हैं। आरक्षण नीति के अन्तर्गत कई राज्यों में तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों ने अपना यथोचित स्थान प्राप्त कर लिया है। किसी प्रकार कुछेक राज्यों में वे इससे उपेक्षित रह गया है। हमें उन रास्तों और साधनों का पता लगाना चाहिए कि हम इस उपेक्षित वर्ग की किस प्रकार कितनी सहायता कर सकते हैं।

वास्तव में ही अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन-जातियां अति कमजोर वर्ग से सम्बन्ध रखती है। शहरों में उनका अत्याधिक शोषण होता है। गांवों में भी आमतौर पर उनका शोषण किया जाता है। उन्हे औपचारिक शिक्षा तक उपलब्ध नहीं है। जैसा कि हमारे कर्मठ नेता श्री राजीव गांधी ने सुझाव दिया था हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लाभ के लिए पूरे देश में नवोदय विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। केवल तभी हम इस वर्ग के सामाजिक-स्तर को बदलने की उम्मीद कर सकते हैं।

महोदय मैं उड़ीसा राज्य के बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। इस निर्वाचन क्षेत्र में विधान सभा के सात क्षेत्र आते हैं जोकि रामगिरि, पारलाखेमुंडी, मोहाना, बरहामपुर, गोपालपुर, छत्रपुर और चिकिट्टी क्षेत्र है। इनमें से अधिकतर क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों का अधिपत्य है। ये विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित वे पिछड़े वर्ग है जो कि उड़ीसा राज्य के गंजम, कोरापुट और फूलबनी जिलों में सदियों से उपेक्षित और अल्प विकसित अवस्था में रहे हैं और जिनकी संख्या चार लाख से भी अधिक है। इन लोगों को मूल सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं और ये जीवन की विलासताओं का आनन्द लेने की बात तो सोच भी नहीं सकते। राज्य सरकारों के अतिरिक्त भारत सरकार भी इन लोगों के गांवों को जाने वाली सड़कों को सुधारने सम्बन्धी आदिवासी उप-योजनाओं के अन्तर्गत उदार धनराशि प्रदान करके इस उपेक्षित वर्ग की सहायता कर सकती है और उन्हें अन्य सुविधायें भी उपलब्ध करा सकती है।

इसके साथ-साथ एक और परम्परागत श्रेणी समुद्री मछुआरों की भी है जिन्हें "नुलिआ" कहा जाता है जोकि उड़ीसा राज्य के गंजमपुरी कट्टक और बालासौर जिलों में तट्टीय प्रदेशों में रहते हैं और

[श्री गोपीनाथ गजपति]

खासकर गोपालपुर और छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में इनका बाहुल्य है। मछुआरों का यह निर्धन और दलित वर्ग अपनी आजीविका के लिए मछलियां पकड़ने के व्यवसाय पर आश्रित है। किसी प्रकार ऐसे बड़े औद्योगिक घराने, जिन्होंने मछलियां पकड़ने के कार्य को एक बहुत बड़े व्यवसाय के रूप में अपना लिया है और समुद्र में काफी गहराई तक पहुंचने के लिए मत्स्य-नौकाओं का प्रयोग करते हैं, भी उनको काफी दुविधा और संकट में डाल रहे हैं। ये असहाय मछुआरे अपनी छोटी-छोटी देसी नौकाओं से उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उन बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों का मुकाबला नहीं कर सकते और इसलिए अपनी आधारभूत आजीविका के लिए निरन्तर दमन और शोषण झेल रहे हैं।

इन पिछड़े वर्गों और मछुआरों को अछूत समझा जाता है और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। अब भी सार्वजनिक स्थानों पर होटलों, स्कूलों, दुकानों, नदियों और कुओं आदि पर उनका अपमान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार, बिजली पानी की आपूर्ति और अन्य सामाजिक सुविधाओं जैसी आधारभूत सुविधाओं से भी ये वंचित हैं। इस प्रकार उन्हें समता और सामाजिक न्याय उपलब्ध नहीं है आज तक वे भूमिहीन हैं, बंधुआ मजदूर हैं और इसके परिणाम स्वरूप उनकी आशाएं आकांक्षाएं कलाकौशल और उनका सामर्थ्य-शक्ति मिट्टी में—मिल कर रह गई हैं।

ऐसा देखा जा सकता है कि आज तक कोई भी धर्म, पार्टी अथवा सरकार पिछड़े वर्गों और मछुआरों को आर्थिक बंधनों से मुक्त कराने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास करने में सहायक नहीं रही। अल्पविकसित वर्गों के आर्थिक पुनर्वास के लिए कार्यक्रम और योजनायें तैयार की जानी चाहिए। छुआछूत के विरुद्ध कानूनों को भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए जिसे उपेक्षित वर्ग के ये लोग सामान्य प्राणियों की तरह रह सकें। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि उड़ीसा राज्य के 'नुलिआ' मछुआरों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए।

इसलिए, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि एक व्यापक कानून बनाया जाये जिसके अन्तर्गत भारत के सभी राज्य के अल्पविकसित पिछड़े वर्गों को तथा उड़ीसा राज्य के गरीब और दलित मछुआरों को न्याय-साम्य दृष्टि से उचित मान्यता मिल सके।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि मैं इस विधेयक के उद्देश्य से सहमत हूं परन्तु मैं इस विधेयक का इसी रूप में समर्थन करने में अक्षम हूं क्योंकि आप हम अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े समुदायों दोनों की एक ही व्यापक सूची चाहते हैं, ताकि अनुसूचित जातियों अथवा अन्य पिछड़े समुदायों की अतिरिक्त सूची में शामिल करने की मांग भविष्य में नहीं जानी चाहिए। यह खेद की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के 45 वर्ष बाद भी इस देश के हरेक पक्ष से यह मांगें प्राप्त हो रही हैं कि और अधिक जातियों को अनुसूचित जातियों अथवा पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया जाए, जबकि उचित कार्रवाई एक ऐसी मांग के लिए अथवा एक ऐसे संघर्ष हेतु होनी चाहिए कि जातियां पिछड़े वर्गों की सूची से बाहर निकल सकें। अब, हर कोई पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल होना चाहता है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि पिछड़ी वर्गों से कुछ लाभ जुड़ा है। केरल में मेरी जाति को आरक्षण प्राप्त है और मण्डल आयोग के प्रतिवेदन में 3743 जातियों में मेरा समुदाय भी शामिल है। लेकिन मेरी यह पुरजोर भावना है कि किसी स्तर पर इस देश से समूचा आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए क्योंकि हमारा एक धर्मनिरपेक्ष-राज्य है, हम सदैव धर्म-निरपेक्ष और इस

देश में भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन, आज समूचा संघर्ष देश को धर्म अथवा जाति अथवा भाषा के आधार पर विभाजित करने का है। ये सभी बातें ऐसी रुकावटें हैं जो मतभेद उत्पन्न करने और देश में अस्थिरता फैलाने का मूल कारण बनती हैं। अतः, यद्यपि कुछ समय के लिए आरक्षण विद्यमान रहना चाहिए, मैं यह महसूस करता हूं कि हमारा लक्ष्य अन्ततः यह देखना होना चाहिए कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को धर्म अथवा जाति अथवा वंश अथवा भाषा अथवा जन्म-स्थान का ध्यान किए बिना समानता प्रदान की जाए। अन्तिम उद्देश्य यही होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पुरजोर निवेदन करता हूं कि उन्हें एक आयोग तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सूचीबद्ध करने के लिए तथा दूसरा आयोग इस सूची में शामिल पिछड़ी जातियों अथवा जो वास्तव में पिछड़ी जातियां नहीं हैं, की पहचान करने के लिए नियुक्त करना चाहिए। उनकी संख्या विकसित जातियों से अधिक है। यदि इन सभी समुदायों को 22 प्रतिशत आरक्षण दे दिया जाता है, प्रत्येक समुदाय जोकि वास्तव में पिछड़े हुए हैं, अपने लिए आरक्षित सभी पदों से वंचित रह जायेंगे। वास्तविक रूप से पिछड़े समुदाय इसमें बाहर कर दिये जायेंगे। जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने सुझाव दिया है, एक निर्धारित समय-अवधि में, वास्तव में पिछड़ी जातियों की पहचान करने का एक प्रयत्न किया जाना चाहिए और जो भी आरक्षण उपलब्ध हो, उन्हें दिया जाना चाहिए।

मेरा यह भी सुझाव है कि नियुक्ति में आरक्षण मुख्य बात नहीं होनी चाहिए। यह एक बहुत छोटी-सी बात है। मण्डल आयोग-प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि हमें समुदायों को सुविधा सम्पन्न करना है। हमें उन्हें शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करनी हैं; हमें उनके लिए नये स्कूल खोलने हैं। इन समुदायों के सभी बच्चों को दस अथवा पन्द्रह वर्षों में सुविधा-सम्पन्न किया जाना चाहिए, ताकि वे अन्य भाग्यशाली विकसित समुदायों के साथ स्पर्धा करने में सक्षम हो जायें। अतः, हमारा यही लक्ष्य होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि वास्तव में पिछड़ी जातियों का पता लगाने के लिए एक प्रयास किया जाना चाहिए। अनेक अनुरोध इस बारे में आ रहे हैं। श्री पीटर जी० मरबनिआग अभी-अभी अनुसूचित जाति के ईसाइयों के प्रति दर्शाये गये दमन के बारे में जिक्र कर रहे थे। इसे रोका जाना चाहिए।

[अनुवाद]

डा० जाकिर हुसैन ने एक बार कहा था कि देश धर्मनिरपेक्ष तभी होगा जब देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म या समुदाय और जाति की बात न करे। अतः हमें ऐसे समाज का निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए जिसमें हरेक को उसकी जाति, वंश और धर्म का भेद किए बगैर न्याय दिया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : बढ़ाया गया समय 4.25 सायं तक था और वह भी समाप्त हो गया है। एक सदस्य को और बोलना है और तत्पश्चात मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय मैं भी इस विषय पर बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : तो क्या हम आधा घण्टा समय बढ़ा दें ?

एक माननीय सदस्य : महोदय, पन्द्रह मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य 15 मिनट का समय लेंगे और मंत्री जी लगभग 15 मिनट लेंगे। अतः क्या हम समय 20 मिनट बढ़ा दें ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ बोलेंगे ।

[हिन्दी]

श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया इसमें उत्तर प्रदेश की बंजारा कम्युनिटी को लिस्ट में लेने के लिए कहा गया। इसमें मुझे भी कुछ बात कहनी है एक तो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के बारे में लिस्ट में जो इनक्लूड करना है इसके बारे में कहना है मैं विशेषतः उत्तर पूर्वांचल के बारे में कहना चाहता हूं। उत्तर पूर्वान्चल में हमें मालूम है कि वहां शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की विभिन्न जातियों के लोग पहाड़ी अंचल में वास करते हैं उसमें ऐसी बहुत कम्युनिटीज हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज हैं लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की जो लिस्ट है उसमें उनको नहीं लिया गया है जैसे कोच, राजवंशी, रियांग यह भी शेड्यूल्ड ट्राइब्ज हैं। दुर्भाग्य से इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की जो लिस्ट है उसमें नहीं लिया गया है इसके बारे में सदन में एक बार प्रश्न भी उठाया था तो उस समय कल्याण मंत्री जी ने बताया था कि इसके बारे में एक विस्तृत सूची प्रस्तुत करने के लिए भारी व्यवस्था की जाएगी लेकिन अब तक इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है ।

महोदय, मेरा कहना है कि बंजारा कम्युनिटी को इस लिस्ट में लेने के साथ-साथ और जो कम्युनिटीज बाकी हैं जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्ज होते हुए भी शेड्यूल्ड ट्राइब्ज लिस्ट में नहीं लिया गया। जैसे असम के बारे में मैंने बताया इन लोगों को यह जो लिस्ट है इसमें करना बहुत जरूरी है। शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के होते हुए भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज को सुविधा है उनसे ये वंचित हैं। दूसरी बात यह है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग हैं उनके लिए सरकार की ओर से ऐसा कहा जाता है कि बहुत सी व्यवस्था उन्होंने की है लेकिन उत्तर-पूर्वान्चल के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग, पहाड़ी अंचल में जो जनजाति लोग वास करते हैं उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है ऐसा हम नहीं देखते हैं। इसलिए यह जो सरकार की ओर से कुछ करने का फैसला करते हैं यह काम ठीक हो उनमें कुछ परिवर्तन हो इसके बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए। मेरा कहना इतना ही है कि यह जो शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की लिस्ट है उसमें जो काम बाकी रह गया है मैं फिर कहता हूं राजवंशी, कोच और रियांग, इनको भी इस लिस्ट में शामिल करना बहुत जरूरी है ।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं "**बंजारा**" नामक पिछड़े समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए इस संविधान (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। हम बहुत लम्बे समय से इस सम्बन्ध में इस सभा में एक व्यापक विधेयक लाने की मांग करते रहे हैं। मंत्री महोदय ने हमें कई बार एक के बाद एक आश्वासन दिए थे कि वह उन पिछड़ी जातियों और समुदायों, जिन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में शामिल नहीं किया गया है, को अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाएंगे, वह व्यापक विधेयक इस सभा के समक्ष क्यों नहीं लाया जा रहा है ? अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग जातियों को इस सूची में शामिल करने की अलग तरह की मांगें क्यों की जा रही है ? यदि आप कुछ समुदायों को सदा के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए एक व्यापक विधेयक लाते हैं तो यह समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एमी

कार्रवाई करें।

कुछ ऐसे भी सम्प्रदाय हैं जो मेरे व्यक्तिगत विचार से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की सूची में शामिल नहीं होने चाहिए, अतीत में उन्हें कतिपय कारणों से इस सूची में शामिल किया गया होगा लेकिन आज उन समुदायों को इस सूची से निकालने की आवश्यकता है।

मैं पुरुलिया जिले में "देशवाली माजी" नामक समुदाय को इस सूची में शामिल किए जाने की मांग करता रहा हूं। यह समुदाय "संथाल" समुदाय की तरह है। उनकी संस्कृति उनकी खान-पान की आदतें इत्यादि जनजातीय लोगों की तरह है। मैं यह मांग करता रहा हूं कि उन्हें अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। वह आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उन्हें अनुसूचित्त जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। मैं लम्बे समय से यह मांग कर रहा हूं। मंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि जब इस सम्बन्ध में व्यापक विधेयक आएगा। उस समय वह उस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

मैं "संथालों" को भी इस सूची में शामिल करने की मांग करता रहा हूं। लगभग 200 वर्ष पूर्व अंग्रेज उन्हे आसाम के चाय बागानों में काम करने के लिए बिहार के छोटा नागपुर से लाए थे; क्योंकि आसाम के लोगों ने चाय बागानों में काम करने से इन्कार कर दिया था। इन्हें छोटा नागपुर और पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से लाया गया था जो कि मेरा गृह जिला है। वे लोग अब आसाम में बस गए हैं और पिछली चार-पांच पीढियों से वहां पर काम कर रहे है। छोटा-नागपुर और पश्चिम बंगाल में इन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग जो जलपाईगुड़ी में बसे हुए हैं और जो असम में चाय बागानों में काम कर रहे हैं उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इन संथालों को, जिन्हें अंग्रेजों द्वारा चाय बागानों में काम करने के लिए लाया गया था और जो अब असम में बसे हुए हैं, अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता क्यों नहीं दी गई है।

मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि जब भी यह व्यापक विधेयक आए। मुझे मालूम नहीं है कि यह कब आएगा और यदि सरकार, इस विधेयक को लाए तो उस समय सरकार को असम की अनुसूचित जनजाति, असम में चाय बागानों में काम कर रहे मजदूरों, जिन्हें छोटा नागपुर से लाया गया है और जो अब असम में बस गए हैं, उनके मामले पर सरकार निश्चित रूप से विचार करे, महोदय, मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि वह निश्चित रूप से व्यापक विधेयक लाएंगे और यह विधेयक आएगा और उन्हें यह भी बताना चाहिए कि यह विधेयक कब आएगा।

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट)* : उपाध्यक्ष महोदय, केरल में पुल्लुवन समुदाय सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से अत्यधिक पिछड़ा समुदाय है। आरंभ में इस समुदाय को पुल्लुयास, मलायास, वामनस आदि की तरह अनुसूचित जाति माना जाता था, तथापि 1956 में जब केंद्रीय सरकार के अनुसूचित जातियों की सूची संशोधित की थी उस समय मुद्रण की गलती से पुल्लुवन समुदाय को अनसूचित जाति की सूची से हटा दिया गया था। संशोधित सूची में इस समुदाय का नाम पुल्लुवन के बजाय पल्लुवन लिखा हुआ है। वास्तव में केरल में पल्लुवन नाम का कोई समुदाय नहीं हैं। सूची में इस समुदाय का नाम ठीक से अर्थात पुल्लुवन लिखा होना चाहिए था

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

मुद्रण की इस त्रुटि के कारण इस समुदाय को अनुसूचित जातियों को प्राप्त हो रहे लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है। उस त्रुटि को जब केरल सरकार के ध्यान में लाया गया तो केरल सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि यह त्रुटि है और उसने केन्द्र सरकार से यह सिफारिश की थी कि इस समुदाय का नाम सूची में ठीक किया जाना चाहिए और जब तक इसको ठीक किया जाता है तब तक जो लाभ अनुसूचित जातियों को प्राप्त हैं वही लाभ इस समुदाय को भी प्रदान किए जाने चाहिए, परन्तु उस गलती को 1976 में भी दोहराया गया जबकि उक्त सूची को पुनः संशोधित किया गया था। इस समुदाय के प्रतिनिधि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को भी अभ्यावेदन देते रहे हैं। परन्तु इस त्रुटि को अभी तक ठीक नहीं किया गया है। 1950 में जब यह मामला केरल उच्च न्यायालय में ले जाया गया तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पल्लुवन नाम का कोई समुदाय नहीं है और इस समुदाय का सही नाम पुल्लुवन है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस त्रुटि को तत्काल ठीक करने के लिए कदम उठाए जाएं और पुल्लुवन समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए।

मालापन्डरम नाम का एक दूसरा समुदाय है और यह समुदाय भी बहुत पिछड़ा समुदाय है। कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में इस समुदाय को अनुसूचित जाति माना जाता है परन्तु केरल में इसे सिर्फ अन्य पिछड़ी जातियों की तरह ही समझा जाता है। यद्यपि इसे अन्य पिछड़े वर्ग में समझा जाता है फिर भी इसे शैक्षणिक लाभों के अतिरिक्त कोई लाभ नहीं मिल रहे हैं जो कि राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों को उपलब्ध है, मैं इस अवसर पर सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि इस समुदाय को भी अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति जी, सबसे पहले मैं इस बिल को प्रस्तुत करने वाले श्री भगवान शंकर रावत जी को बधाई देता हूं। मान्यवर, बंजारा जाति ही नहीं बल्कि देश में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनका निर्धारण इस समय विवेकपूर्ण ढंग से अनुसूचित जाति/जनजाति की सूचियों के अन्दर नहीं हुआ है यह कहा नहीं जा सकता। हम देखते हैं कि शेडयूल्ड कास्ट की सूची में उन जातियों के नाम हैं जिन जातियों को शेडयूल्ड ट्राइब्स की सूची में रहना चाहिए, शेडयूल्ड ट्राइब्स की सूची में उन जातियों के नाम हैं जिनको शेडयूल्ड कास्ट की सूची में रहना चाहिए। लेकिन खेद की बात है कि आज तक इस हाउस में कई बार चर्चा हुई, अप्रैल 1984 में भी इसके बारे में बहुत देर तक चर्चा हुई जिसमें दो दिन का वक्त लगा था। उस समय हाउस में समाज कल्याण मंत्री और गृह मंत्री द्वारा यह कहा गया था कि जो ये सब गड़बड़ियां हैं इसके बारे में पूरा का पूरा पुनःनिरीक्षण किया जाएगा और एक अच्छे ढंग से सारी की सारी सूचियों में परिवर्तन, परिवर्द्धन करके सरकार इसको शीघ्र ही नया स्वरूप देगी। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। कई सरकारें आयी और बदल गयीं। प्रायः हर गवर्नमेंट जब आती है तो इस प्रकार के बिल लाए जाते हैं तथा चर्चा के दौरान मेम्बर्स की ओर से मांग की जाती है, लेकिन सरकार की ओर से यह जवाब आता है कि तत्काल शेडयूल्ड कास्ट्स अमेण्डमेंट बिल पेश किया जाएगा, लार्ज स्केल पर, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता।

मैं इस बिल के माध्यम से आपके द्वारा मांग करता हूं कि सरकार को निर्देश दिया जाए कि सरकार अतिशीघ्र राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा बिल लाए जो पूर्णतः परिवर्तित परिमार्जित हो। जिस

जातियों को शेडयूल्ड ट्राइब्स में रखना चाहिए, वह जातियां शेडयूल्ड ट्राइब्स में ही हो। जिन जातियों को शेडयूल्ड कास्ट्स में रखना चाहिए वे शेडयूल्ड कास्ट्स में हो। आज के प्रस्तुत विधेयक में यह केवल बन्जारा जाति की बात नहीं हैं बल्कि उत्तर प्रदेश में मुसहर जाति काफी संख्या में है। इसी तरह नट् बसफोड़ और कंजड़ जाति छोटे-छोटे ग्रुप बनाकर, छोटे रूप में उत्तर प्रदेश के हर अंचल में रहती है। कहीं पर इनका नाम कुछ और कहीं पर कुछ है। ये जातियां बड़ी दयनीय स्थिति में रहती हैं। शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के पास रहने के लिए मकान है। लेकिन मुसहर जाति ऐसी जाति है जिसको उत्तर प्रदेश में रहने के लिए मकान तक नहीं हैं। उनके दिमाग में यह बात डाल दी गई है कि यदि तुम मकान बनवाकर निजी मकान में रहोगे तो तुम सुखी नहीं रह सकते, तुमको पेड़ के नीचे रहना है। मैं चाहता हू कि सामाजिक स्तर पर सुधार किया जाए। एक खटीक जाति है जो कर्नाटक और आंध्र में बहुत ज्यादा है। हमारे रेल मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इनकी कांस्टीट्यूऐंसी में मैंने जाकर देखा है कि लाखों की संख्या में खटीक जाति के लोग है। इस जाति का दुर्भाग्य है कि इसको बैकवर्ड क्लास में वहां डाल दिया गया है दक्षिण में तमाम आन्दोलन हुए, लेकिन इस जाति की एक मांग थी आन्दोलन ऐसा नहीं हुआ जिससे इनकी बात सुनी जाए और चुनकर आने वाले जन-प्रतिनिधि ने भी उस बात को नहीं सुना। उस जाति की यह हालत हैं कि इसके सदस्य यहां तक कि दस वर्ष के बच्चे और इनकी औरतें तथा छोटे-छोटे बच्चे नौकरियों में बकरे का कटा मांस बेचते है और छोटे-छोटे बच्चे सिर पर लेकर मांस बेचते हैं। स्लाटर हाऊस से खून इकट्ठा कर बेचते हैं। यह जाति बेकवर्ड क्लास में है जबकि इस जाति को नौ राज्यों में शेडयूल्ड कास्ट का दर्जा दिया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारी यह बात भी सरकार तक पहुंच जाए कि हिन्दुस्तान में खटीक जाति, सारे खटीक, सूर्यवंशी खटीक, रैया, शिकवा, धनकड़ कसाई और बानबंट, मन्दवारिया, करहल, सोनकर बटे तमाम नामों से जानी जाती है। इनको सारे देश में अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल किया जाए।

अभी सुना है कि अप्रैल में पांच लाख खटीक जाति के लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। वह वक्त खराब होगा जब पांच लाख लोग इकट्ठा होकर दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। मैं चाहता हूं इस जाति को देश स्तर पर अनुसूचित जाति की लिस्ट में शामिल किया जाए। इन शब्दों के साथ पुनः मैं श्री भगवान शंकर रावत जी को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने इस किस्म का बिल प्रस्तुत किया और आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री रामचन्द्र वीरप्पा (बीदर) : उपाध्यक्ष जी, इस बिल का स्वागत करते हुए मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा। सरकार जातियता बढ़ा रही है या घटा रही है। इस सरकार के सामने कई मसले हैं। लेकिन जातियता बढ़ाने का एक और मसला बन गया है। एक कहावत है—"जात में जात, हिन्दुअन की जात "और" पात में पात केलन की पात"। आप केले का पेड़ छिलते जाओ तो उसमें लकड़ी नहीं होती। हिन्दुओं की जाति हर साल बढ़ती जा रही है तो कितनी बढ़ाते जायेंगे। दो जातियां रखनी चाहिए, जैसे-साहूकार और गरीब या अमीर और गरीब। अमीर और गरीब बंटते जायेंगे तो हजारों बट जायेंगे लेकिन सरकार को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जातीयता जितनी बढ़ रही है उतने ही झगड़े-बढ़ रहे हैं। इसलिए जातियां को बन्द करने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। मैं समझता हू आपकी सरकार का काफी झंझट खत्म हो जायेगा। जैसे कुत्तों के आगे मांस फेंककर कुश्ती लड़वाई जाती है, वसा ही सरकार करती है। इसीलिए जातीयता बढ़ाती है। जब नई सरकार आई तो लोगों ने कहा कि यह हो जायेगा वह हो जायेगा, फिर भी जातीयता बढ़ रही है। पिछली सरकार ने भी यही किया और यह सरकार भी यही कर रही है। मेरा सरकार से निवेदन है

[श्री रामचन्द्र वीरप्पा]

कि सिर्फ दो जातियां रखनी चाहिए । एक अमीर और दूसरी गरीब की जाति होनी चाहिए । जैसे एक औरत है और एक मर्द इसी तरह देश में दो जातियां होनी चाहिए, तीसरी नहीं होनी चाहिए ।

ज्यादा वक्त न लेते हुए आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद अदा करता हूं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए बढ़ाया गया समय भी समाप्त हो गया है । कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं । उन्हें बोलने का अवसर न देना उचित नहीं है

यदि आप सहमत हों, तो क्या हम इसके लिए सायं 5 बजे तक समय बढ़ा दें ?

अनेक माननीय सदस्य : हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक लोगों ने इसमें भाग लिया है और हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं । अतः इसके लिए समय 5.10 बजे सांय तक बढ़ाया जाता है ।

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (अडूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । महोदय उत्तर प्रदेश में बंजारा जैसे बहुत से जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है । इस देश में बहुत से राज्यों में वास्तविक जनजातीय समुदायों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है । मुझे विश्वास है कि भारत सरकार उनकी मांगों पर तत्काल ध्यान देगी और इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाएगी ।

मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार तत्काल एक समिति गठित करे जो अनेक राज्यों में जाकर विभिन्न जनजातीय समुदायों की मांगों का अध्ययन करे और उसके बाद वह समिति एक संविधान (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित कर सकती है ।

मेरी दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जातियों को उनके लिए निर्धारित सुविधाएं उचित रूप में नहीं मिल पा रही हैं । भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति समुदाय को बहुत से विशेषाधिकार प्रदत्त किए गए हैं । परन्तु दुर्भाग्यवश उन्हें वह सब विशेषाधिकार नहीं मिल पाए हैं । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार में रोजगार के मामले को ही लीजिए । अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के लिए आरक्षित अनेक पद रिक्त रह जाते हैं । सवर्ण जाति के नौकरशाह नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग ऊंचे पदों पर आयें । मैं पूरी तरह से यह महसूस करता हूं कि अनुसूचित जनजातियों के लोगों को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की सेवाओं में उच्च पदों पर आने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में तत्काल कदम उठायें । सरकार को इस मामले में राज्य सरकारों को सख्त निर्देश जारी करने चाहिए और तत्काल कदम उठाने चाहिए ताकि सभी आरक्षित पदों को भरा जा सके ।

दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस पर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह देश के विभिन्न भागों में अनुसूचित जनजातियों के निर्धन और मासूम लोगों पर अत्याचार के सम्बन्ध में है ।

हर रोज अनुसूचित जनजाति समुदायों के लोगों पर नृशंस आक्रमण के समाचार प्रकाशित होते हैं। मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार के मामलों की जांच करने के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना करनी चाहिए।

मैं पुन: इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं, इसके साथ-साथ मैं श्री भगवान शंकर रावत को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में बंजारा समुदाय को शामिल करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक का प्रस्ताव किया है।

मैं पूर्वोत्तर क्षेत्रों, विशेषतया असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बोलना चाहूंगा। आप देखेंगे कि वहां कई अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाना था। उनमें से कुछ का उल्लेख करता हूं उदाहरण के लिए हॉरिंग तथा अन्य छोटी जातियों को अभी अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाना है। श्री वसुदेव आचार्य ने उल्लेख किया है कि असम में कई चाय के बागान हैं और चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिक ज्यादातर कर्नाटक, उड़ीसा तथा देश के अन्य भागों से है तथा वे वास्तव में अनुसूचित जातियों के लोग हैं, लेकिन अभी तक उन्हें अनुसूचित जातियों का घोषित नहीं किया गया है। अत: मैं महसूस करता हूं कि इन दलित वर्गों का एक अन्य सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। इन दलित वर्गों को अनुसूचित जातियों की अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

अब मैं सरकार की आरक्षण नीति के बारे में कहूंगा। यह देखा गया है कि नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 15% आरक्षण है और अनुसूचित जनजातियों के लिए $7\frac{1}{2}$% आरक्षण है। जहां तक मैं समझता हूं भारत में इस समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लगभग 25% होना चाहिए। लेकिन आरक्षण का वर्तमान प्रतिशत केवल $22\frac{1}{2}$% है जिसमें अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां शामिल हैं। यह आरक्षण नौकरियों के साथ-साथ स्कूलों तथा कालेजों में भी होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मैं महसूस करता हूं कि 15% तथा $7\frac{1}{2}$% आरक्षण नीति का राज्य सरकारों द्वारा बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप हमने पाया है कि राज्यों तथा केन्द्र में 'बैकलाग' हैं और इसके अतिरिक्त वर्ग-एक तथा वर्ग-दो की नौकरियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस 'बैकलाग' तथा आरक्षण नीति का नौकरियों के मामले तथा स्कूलों और कालेजों में कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : उपाध्यक्ष जी, मुझे समय दिया, धन्यवाद। इस सदन में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जातियों को दर्जा देने के बारे में हमने बहुत बार विचार किया है और अब यह विषय इतना संवेदनशील बन गया है कि आर्थिक आधार पर इसके लिए मांगें उठती रहेंगी। इस सन्दर्भ में कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने राज्यों की ऐसी जातियों का समर्थन किया है तो मैं भी इसके तहत यह कहूंगा कि जिन जातियों का रहन-सहन, जीवन और कल्चर आदिवासियों

[श्री विलास मुत्तेमवार]

जैसा है, उन लोगों पर हमें विचार करना चाहिए और एक बार इस तरह का आईडेंटिफिकेशन होने पर उनको दी जाने वाली सहूलियतों को हटाना नहीं चाहिए। यद्यपि जहां आदिवासियों जैसी सहूलियतें मिल रही हैं, उनका ज्यादा उद्धार नहीं हुआ है या बहुत कम मात्रा में अपनी सुविधाओं का या फैसलिटीज का उपयोग किया है। इस सन्दर्भ में सरकार से, प्रधानमन्त्री और कई मंत्रियों से बार-बार कह रहा हूं कि मेरे विदर्भ क्षेत्र में आदिवासी की माना और गोआरी दो जातियां हैं जिनका रहन-सहन आदिवासियों जैसा है और उनको आदिवासी ही ट्रीट किया जाता था लेकिन 1980 से उनकी सहूलियतों को रद्द कर दिया गया और वे तकलीफ में आ गए हैं।

अतः मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां हम नयी जातियों को इसके अन्दर सम्मिलित कर रहे हैं, वहां उन जातियों को, जो सहूलियतें मिली हुई हैं, कम तो नहीं करना चाहिए। नयी जातियों को सम्मिलित करने से पहले उसका आईडेंटिफिकेशन कर लें, उनका नाप-तोल कर लें तभी उनको कंसीडर करें।

जैसा कि आज यह अमेंडमेंट आया है और हम इस पर विचार कर रहे हैं, तो आदिवासी माना और गोआरी जातियों का भी आप इसमें समावेश करेंगे, यह मैं आपसे अर्ज करता हूं। मंत्री जी भी यहां बैठे हैं और मैंने उनको भी अलग से अर्ज किया है और हमारे यहां के 40 सांसदों ने इन दो जातियों को इसमें समाविष्ट करने की सरकार से अपील की है। इस मौके पर मैं फिर अर्ज करता हूं कि इन दोनों जातियों का जीवन आदिवासी लोगों जैसा है और उनकी संस्कृति भी आदिवासियों जैसी है। केवल कांस्टीट्यूशन की किताब से एक बात उनके सामने लगाने से कि "आदिवासी" नहीं लिखा है, तो उनकी सहूलियतें बन्द हो गईं। इसको भी आप देखने की कोशिश करेंगे और जहां-जहां भी आदिवासियों का कल्चर है, उनको सहूलियतें देंगे, इस अर्ज के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर 17 सदस्यों ने चर्चा में हिस्सा लिया है। इससे पता चलता है कि इस विषय में सदस्यों ने कितनी रुचि ली है। हमें 15 मिनट मिले हैं। प्रथम माननीय मंत्री को उत्तर देना है फिर विधेयक के प्रस्तुतकर्ता को बोलना है। अब मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने का अनुरोध करूंगा।

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती के० कमला कुमारी) : महोदय मुझे प्रसन्नता है कि 7-8-92 को इस सदन में बहुत उपयोगी चर्चा हुई और आज संविधान (अनुसूचित जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश (संशोधन) विधेयक, 1992 जिसे श्री भगवान शंकर रावत ने 28 फरवरी, 1992 को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की सूची में बंजारा जाति को शामिल करने के लिए पुरःस्थापित किया था। बंजारों को आन्ध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा की अनुसूचित जनजाति की सूची में तथा कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली की अनुसूचित जाति की अनुसूची में शामिल किया गया है। यद्यपि बंजारा समुदाय को उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है।

4.57 म० प०

[श्री पीटर जी० मरबनिआंग पीठासीन हुए]

उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में बंजारा जाति को

शामिल करने के प्रस्ताव की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियों की व्यापक समीक्षा के सन्दर्भ में जांच की जा रही है। इस सन्दर्भ में इसका उल्लेख किया गया है कि केवल वही समुदायों/जनजातियों, जो निर्धारित मापदण्ड का पूर्णतया पालन करती हों, को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। मापदण्ड यह है—"आदिम विशेषताओं के संकेत, विशिष्ट संस्कृति भौगोलिक अलगाव समुदाय के साथ सम्पर्क करने में शर्मिन्दगी महसूस करना और पिछड़ापन।"

अब मैं चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए विभिन्न मुद्दों पर आता हूं। कुछ सदस्यों ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूचियों की समीक्षा पर एक व्यापक विधेयक लाने में हुई देरी पर चिन्ता व्यक्त की है। जैसा कि सदन जानता है, अनुसूचित जाति/जनजाति की सूचियों की समीक्षा का मुद्दा काफी जटिल तथा नाजुक है। इस मामले में जल्दी नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा कुछ अयोग्य समुदाय के लोग, जो इस मापदण्ड की कसौटी पर पूरे नहीं उतरते हैं, इस अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने का प्रयास करेंगे, जिससे अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए सरकार इस मामले में और आगे चर्चा करना चाहती है। सरकार इस बारे में प्राप्त सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों केन्द्र शासित प्रशासन तथा भारत के महापंजीयक से सलाह करके जांच कर रही है।

एक सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची में से अप्रतिष्ठाजनक जाति के नामों को हटाया जाना चाहिए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने पहले से ही मामले की जांच कर ली है और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों से वैकल्पिक नामों का सुझाव देने का अनुरोध किया है।

कुछ सदस्यों ने समूचे देश की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की एक आम सूची तैयार करने का सुझाव दिया है। लेकिन मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि समुदायों/जातियों/जनजातियों की सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक स्थिति प्रत्येक राज्य में और राज्य के अन्दर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग-अलग है और इसलिए किसी एक जाति को समूचे देश की एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में जानना उचित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान संवैधानिक उपबन्धों के अनुच्छेद 341 व 342 में भी प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए अलग-अलग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार करने का प्रावधान है।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि जिन लोगों ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जाली प्रमाण-पत्र लिए हुए हैं, उन्हें कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए। हमने राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को पहले ही आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं कि वे जाली मामलों का पता लगाने के लिए कठोर कदम उठाये तथा उचित दण्ड लागू करें और जाली प्रमाण-पत्र धारकों के विरुद्ध तथा उन लोगों के विरुद्ध भी जो ऐसे प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार हैं, कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

मैं सरकार द्वारा सूचियों की समीक्षा के व्यापक कार्य को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य से अपना विधेयक वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

5.00 म० प०

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : सभापति महोदय, इस विषय में यहां एक लम्बी बहस हुई और जैसा अभी पीठासीन अधिकारी बता रहे थे कुल 17 माननीय सदस्यों ने इस पर अपना मत व्यक्त किया, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरे बिल पर अपने विचार व्यक्त किए और इसका समर्थन किया। इस सम्बन्ध में, मैं दो बातें ही आपके सामने रखना चाहूंगा पहली बात तो इस बिल के बारे में है और दूसरी शेड्यूल्ड कास्ट्स से सम्बन्धित है, जिसे मैं अलग से रखूंगा।

केन्द्र सरकार शीघ्र बंजारा जाति को संविधान में आवश्यक संशोधन लाकर अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने की घोषणा करे, इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक समयबद्ध सीमा हो। मैं जानता हूं कि अभी मंत्री जी ने आश्वासन यहां दिया है, लेकिन इतना मैं अवश्य चाहूंगा कि वह आश्वासन भी समयबद्धता के साथ हो, अन्यथा यह मामला लटका रहेगा। बंजारा जाति के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए, उनका जो ड्यू क्लेम है, वह पूरा नहीं मिल रहा है।

दूसरी बात यह है कि मैं मंत्री जी के इस कथन से सहमत नहीं हूं, जैसा उन्होंने कहा क्योंकि एक ही प्रदेश में, एक ही जाति के लोगों में आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं है, काफी अन्तर है। इससे हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन का प्रोग्राम है, उसको धक्का लगता है और जिसके बारे में अभी हमारे एक माननीय सहयोगी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे, वही इसके मूल में है। इसलिए समूचे देश के पैमाने पर, जो एक जाति पिछड़ी है, उसे किसी एक प्रदेश के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के पैमाने पर पिछड़ा मानना चाहिए, आइडेन्टीफाई करना चाहिए। इससे फर्जी सर्टिफिकेट्स लेने की प्रवृत्ति भी रुकेगी।

तीसरी बात कहना चाहूंगा कि भारत सरकार एक आयोग गठित करे जो एक समयबद्ध सीमा के अन्दर, देश भर की विभिन्न जातियों के बारे में जांच पड़ताल करे और यह देखे कि जो जातियां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी जातियों की सूची में दर्ज किए जाने की मांग कर रही हैं, वे इसके लिए निर्धारित मानदण्ड पूरे करती हैं या नहीं। यदि वे पूरा करती हैं तो उन सबको शामिल किया जाए। यह आयोग इस बात की भी छानबीन करे। तभी इन विवादों का अन्त हो सकेगा और जिस सामाजिक न्याय की बात हम करते हैं, परिकल्पना भी पूरी हो पायेगी।

इसके साथ ही हमारे देश में जितनी अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़े लोगों में शामिल जातियां हैं, उनमें भी आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कुछ लोग अधिक पिछड़े हैं, उनका भी क्लासिफिकेशन किए जाने की आवश्यकता है। अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि इनमें कुछ अगाड़ी हैं, कुछ पिछड़े हैं, कुछ बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, उन सबका भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इतना मैं अवश्य चाहूंगा कि जो आयोग बैठे वह इस बात को देखे कि इन पिछड़ी जातियों में भी कौन कम पिछड़े हैं, कौन ज्यादा पिछड़े हैं, उन सबका भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इसके लिए यदि आवश्यकता महसूस की जाए तो संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है। संविधान देश के लोगों के लिए है, संविधान के लिए लोग नहीं हैं। इसलिए जो भी कानूनी प्रक्रिया हो, उसे पूरा किया जाए।

मैं यह भी चाहूंगा कि जो आयोग गठित किया जाए, वह यह भी देखे, जांच कर कि जो लोग वर्तमान में मांग तो कर रहे हैं कि हमें पिछड़ी जातियो की सूची में शामिल किया जाए, लेकिन गरीबी

उसका मूल कारण है, आज पिछड़े लोगों के अन्दर भी अनेक मालदार हो गए हैं, उनको किसी तरह के आरक्षण या मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पेट की आग, जब भूख लगती है तो वह व्यक्ति किसी भी जाति का हो, सभी को उतना ही सताती है, समान रूप से सताती है। इसलिए गरीबी के आधार पर भी देखा जाना चाहिए कि समाज के किन लोगों को सहायता की आवश्यकता है और इस दृष्टि से भी सोचना पड़ेगा। आयोग को कुछ नौर्म्स स्थापित करने होंगे कि जो लोग रिजर्वेशन की परिधि में नहीं आते हैं, लेकिन गरीब हैं और जिन्हें सामाजिक न्याय और सहायता की आवश्यकता है, ऐसे लोगों को भी सहायता और सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसके वांछित परिणाम तब उपलब्ध होंगे जब सरकार की नियत यह न हो कि केवल सरकारी नौकरी का भुंभुना दिखाकर हमने कह दिया कि तुम्हें सरकारी नौकरियां मिल जायेंगी क्योंकि मैं जानता हूं कि लाखों करोड़ों लोग आज अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़े वर्गों में आ रहे हैं, हिन्दुस्तान की आधी में ज्यादा आबादी आ रही है और वे सब कलेक्टर नहीं हो जायेंगे, ये सब प्रधानमन्त्री नहीं बन जायेंगे। आज कुछ राजनेता उन्हें सरकारी नौकरियों का भुंभुना दिखाकर, लोगों के जजबातों के साथ खिलवाड़ तो करते हैं लेकिन उनके वास्तविक उत्थान की बात नहीं करते।

मैं चाहता हूं कि पिछड़ी जातियों के मेरे भाई अधिक से अधिक आई० ए० एस० बनें और प्राइम मिनिस्टर तथा मिनिस्टर बनें, लेकिन सब तो नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों का अवलम्बन करे जहां पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोग जिन कार्यों में लगे हुए हैं, उनको प्रोत्साहन मिले। मैं कहना चाहता हूं कि जाटव जाति के लोग चमड़े के उद्योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज चमड़े के उद्योग में काम करने वाले लोगों की हालत बहुत खराब है, लोग भूखों मर रहे हैं। कुम्हार जाति के लोग, जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते थे और जिनको प्रजापति कहा जाता था, आज सरकार की गलत नीतियों के कारण भूखों मर रहे हैं। पहले रेलवे में कुल्हड़ चलते थे और गर्मियों में ठंडा पानी पिलाने के लिए मटकों का इस्तेमाल होता था, किन्तु अब रेलवे ने इन चीजों की जगह प्लास्टिक का सामान लेना शुरू कर दिया, तब से प्रजापतियों की स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा खरीददार उनका रेलवे था।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि परिवर्तन के नाम पर और बंधुआ मजदूर मुक्ति के नाम पर कारपेट वीवर्स को बेरोजगार करने की कोशिश की जा रही है। कोरी जाति के लोग जो अपने बच्चों को भी अपना पैतृक काम गलीचे बुनने का सिखाते हैं, उन्हें बंधुआ-मजदूर और बच्चों से मजदूरी करवाने के नाम पर गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन उनके परिवारों के पालन-पोषण, उनको शिक्षा देने के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं करना चाहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून ऐसा बनाया जाए जिससे इनको लाभ मिले। नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिनसे पिछड़ों को काम मिल जाए और खुशहाल हों। यह नाटक करने और स्टंट पालिटिक्स करने से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए आयोग यह भी सुनिश्चित करे कि पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का पिछले 44 सालों में कितना उद्धार हो सका है और यदि उद्धार नहीं हो सकता है, तो इसके पीछे क्या कारण हैं और उन कारणों को दूर करने की व्यवस्था की जाए।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ, सरकार के इस आश्वासन में विश्वास करते हुए, पिछली सरकारों की तरह इस बात पर टालमटोल वाली नीति नहीं अपनाएगी जैसी कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाली तथा उससे पहले श्री राजीव गांधी सरकार में किया गया, जिसको मैंने शुरू करते हुए पढ़कर सुनाया था कि स्कीम बन गई और स्कीम बनने के बाद उसको टाला गया और कह

[श्री भगवान शंकर रावत]

दिया कि हम पुनर्विचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा और पुनर्विचार नहीं बल्कि इस पर ठोस इच्छा-शक्ति के साथ कार्य करने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या आप विधेयक वापिस ले रहे हैं ?

श्री भगवान शंकर रावत : मैं अपना विधेयक वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य को अपना विधेयक वापस लेने की अनुमति है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

7.08 म० प०

[अनुवाद]

रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक (विधेयक के पूरे नाम के स्थान पर विधेयक के पूरे नये नाम का प्रतिस्थापन, आदि)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय, रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक, जिसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, मुझे आशा है इस सदन के सभी वर्गों से समर्थन मिलेगा मैं आभारी हूं कि जब कभी यह मामला इस सदन में उठाया गया था, सभी सदस्यों ने एक आवाज में रेल संरक्षण बल के कारण का समर्थन किया।

इस सदन में बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब सदस्य अपनी राजनीतिक सम्बद्धता को भूल गए हों कि वे सत्तापक्ष के हैं या विपक्ष के। इस सदन के प्रत्येक दल—कांग्रेस आई, भाजपा, सीपीएम, जनता दल आदि के सदस्यों का यही मत था कि 1985 में कुछ निहित उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 में संशोधन करके उसमें धारा 15 (क) को जोड़ा जाना एक गलत कदम था—उसके लिए मैं वर्तमान रेलवे मंत्री को दोष नहीं दूंगा। अब उस गलती को सुधारने का अवसर आ गया है।

मुझे पूरी आशा है कि रेलवे मंत्रालय सही कदम उठाएगा और वह इस गरिमामय सदन की सर्वसम्मत इच्छा और आकांक्षा का आदर करेगा। मेरे इस बात से सदन के सभी दलों के लोग सहमत होंगे कि सदन की सर्वसम्मत भावना का आदर नहीं करने में निश्चित रूप से इस गरिमामय

सदन का अपमान होगा।

जब इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया गया था तो मैं इस सदन का एक सदस्य था और तब मैं भूतपूर्व रेल मंत्री श्री मधु दंडवते की बगल में अगले बेंच की कतार में बैठता था। वह बहुत ही उद्वेलित थे और हम सबने रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) विधेयक के प्रस्तुत किये जाने का सक्रिय विरोध किया था और रेल मंत्रालय के उस कदम को एक कठोर कदम करार दिया था। यही शब्द हमने उस समय प्रयोग किया था। 1985 में कोई पहली बार यह प्रयास नहीं हुआ था। रेलवे सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति पर आये। आई० पी० एस० अधिकारियों का एक वर्ग जो प्रारम्भ से ही स्थायी तौर पर रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी रहे थे और जिनके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही थीं, का इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था। 1966 में तत्कालीन रेल मंत्री, स्व० श्री राम सुभग सिंह की अध्यक्षता में इस सदन द्वारा एक उच्च प्राधिकार समिति का गठन किया था। इस उच्च प्राधिकार प्राप्त समिति ने रेलवे सुरक्षा बल की सारी पहलुओं का अध्ययन किया था। मेरे पास इस समिति की रिपोर्ट है जिसका मैंने अध्ययन किया है। इस उच्च अधिकार प्राप्त समिति और किरपाल सिंह समिति की रिपोर्ट (1975-76) में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि रेलवे सुरक्षा बल में अधिकारियों की दो श्रेणियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे इस बल और रेलवे दोनों के ही हितों की अवहेलना होती है। इन समितियों ने रेलवे सुरक्षा बल में एक अधिकारी काडर की निर्माण करने की जोरदार सिफारिश की थी। इस बल में प्रतिनियुक्ति आई० पी० एस० अधिकारियों को या तो इससे समायोजित करके इसका अंग बना दिया जाये या उन्हें अपने पूर्व पदों पर उन राज्यों जहां वे पहले नौकरी पर थे में उन्हें वापस भेज दिया जाये। राम सुभग सिंह और किरपाल सिंह समितियों के सिफारिशों को रेलवे मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया था किन्तु प्रतिनियुक्ति पर आये आई०पी०एस० अधिकारियों के विरोध के कारण उन्हें पूरी तरह कभी भी लागू नहीं किया गया। वे लोग विभिन्न मंत्रियों के पीछे दौड़ रहे थे। उन्होंने पंडित कमलापति त्रिपाठी से भी सिफारिश की जिन्होंने उन लोगों की बात मानने से इन्कार कर दिया और जब श्री मधु दंडवते रेल मंत्री बने तो उन पर भी दबाव डाला गया बल्कि आई० पी० एस० अधिकारियों के इस वर्ग के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों की प्राप्त एसोसिएशन बनाने और उसे चलाने की मूल अधिकार को वापस लेने की पेशकश की गई थी लेकिन प्रो० दंडवते ने ऐसा नहीं किया। संविधान की अनुच्छेद 19 (ग) में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि :

"सभी नागरिकों को एसोसिएशन या संघ बनाने का अधिकार है।" के अन्दर प्राप्त अधिकार को खत्म करवाने के लिए वे आई० पी० एस० अधिकारी वर्षों से प्रयास कर रहे थे। लोग इस अधिकार को खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। उस एसोसिएशन का गठन 1971 में किया गया जिसे रेल मंत्रालय द्वारा कठोर नियमों और शर्तों के विषयाधीन 1973 में मान्यता प्रदान की गई। महोदय, अगर मैं उन शर्तों के सम्बन्ध में 1972 में जारी की गई विज्ञप्ति को पढ़ूंगा तो आपको आश्चर्य होगा। महोदय, इस मूल अधिकार को खत्म करने की तर्क को समझना मुश्किल है। मैं इसके कुछ अंशों को पढ़ना चाहूंगा। वर्ष 1973 में, रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों के रेलवे जोन पर आधारित एसोसिएशन को मान्यता देने के सम्बन्ध में रेल मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी की थी। एसोसिएशन बनाने के लिए उस समय यह शर्तें निर्धारित की गई थीं :

1. सम्बन्धित कागजों अर्थात संविधान, पंजीकरण आदि के साथ रेलवे सुरक्षा बल एसो-

[श्री सुदेव आचार्य]

सिएशन को मान्यता हेतु आवेदन;

2. सदस्यों के सामान्य सेवा हितों के बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन बनाई जाएगी।

मैं शर्त संख्या-2 पर जोर देना चाहूंगा। एसोसिएशन बनाने में आखिर नुकसान क्या था?

3. रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन रेलवे जोन के आधार पर बल के सदस्यों तक सीमित रहेगा। कोई जाति, जन-जाति आदि का अन्तर नहीं।

4. एसोसिएशन की सदस्यता के लिए बल के सभी सदस्य पात्र हैं। रेलवे जोन में नियुक्त सदस्यों की 25 प्रतिशत से कम सदस्यों की संख्या नहीं होगी।

आपकी जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहूंगा कि 1985 में रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 में संशोधन करके इस अधिकार को खत्म कर दिया गया। इस समय एसोसिएशन की सदस्यों की संख्या 75,000 थी।

5. रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति सदस्यों में से ही की जाएगी, बाहर से कोई नियुक्ति नहीं होगी।

रेलवे की दो मान्यता प्राप्त फेडरेशन हैं। रेलवे बजट प्रस्तुत करते समय रेल मंत्री प्रत्येक वर्ष एक ही बात कहते हैं कि इन दो अखिल भारतीय फेडरेशनों के साथ बहुत ही अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध हैं और वे रेल मंत्रालय और सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल भिन्न है। बाहर के पदाधिकारियों की प्रतिशतता और फेडरेशन की नियमित चुनाव के बारे में यह जानकर आश्चर्य होगा कि दक्षिण-पूर्व रेलवे में एक यूनियन की चोरी कर ली गई। कैसे? इस यूनियन के ए० जी० एम० को जब विदाई दी जा रही थी तो महासचिव सेक्रेटरी जो कि उस पद पर 20—25 वर्षों से भी अधिक समय से बना हुआ था, ने देखा कि पदाधिकारियों की सूची में अब वह महासचिव नहीं रह पायेगा तो वह शीघ्र ही गार्डन रिच पहुंच गया जहां उसने संघ के पदाधिकारियो की एक जाली सूची जमा कर दी जिसे जोनल रेलवे प्राधिकारियों द्वारा मंजूरी दे दी गई। मैं कहता हूं कि मजदूर संघ की चोरी कर ली गई। जब ए० जी० एम० की विदाई हो रही थी, तो संघ पदाधिकारियों की सूची जिसे ए० जी० एम० ने नहीं चुना था, जमा करा दिया गया और उसे रेलवे पदाधिकारियों ने शीघ्र ही मंजूरी भी दे दी। जबकि शर्त यह है कि रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन की कार्यकारिणी की नियुक्ति इसके सदस्यों में से ही की जायेगी, बाहर से नहीं और वह भी प्रशासन द्वारा नियुक्त राजपत्रित पद के अधिकारी की देख-रेख में।

6. रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन को धन सदस्यों के चन्दा से प्राप्त होगा और अगर सरकार से किसी प्रकार की अनुदान दी जाती है, तो उसका उपयोग एसोसिएशन के कार्यों को आगे बढ़ाने में किया जायेगा।

7. एसोसिएशन की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का सारांश बिना किसी विलम्ब के महाप्रबन्धक के पास भेजा जायेगा जो अगर जरूरी समझे तो ए० एस० ओ० या उसके ऊपर

के एक या एक से अधिक अधिकारियों को बैठक के आब्जर्वर के रूप में तैनात कर सकता है।

इनका फेडरेशन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है किन्तु रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन के ऊपर इनका नियंत्रण था।

8. कोई भी व्यक्ति जो बल का सदस्य नहीं है, रेलवे सुरक्षा बल एसोसिएशन के कार्यों से जुड़ा नहीं रहेगा।

9. एसोसिएशन का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

10. एसोसिएशन किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

मंत्री महोदय जवाब देते समय हमें कृपया यह बताएं कि उन्हें इस बल की किसी प्रकार की गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल होने की कोई जानकारी है। रेलवे सुरक्षा बल एक बहुत ही अनुशासित बल है। यह प्रमाणपत्र किसी और ने नहीं बल्कि उसके एक महानिरीक्षक द्वारा दिया गया है। मैं एक पत्रिका, "रेल-सुरक्षा" को उद्धृत करना चाहूंगा। रेलवे सुरक्षा बल के तत्कालीन महानिरीक्षक का पत्र उस पत्रिका के अप्रैल, मई और जून माह के वाल्यूम 48-49-50 के भाग-II में प्रकाशित हुआ था। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इसको पढ़ें और रेलवे सुरक्षा बल के तत्कालीन महानिरीक्षक द्वारा दी गई प्रमाणपत्र को देखें। मैं उद्धृत करता हूं :

"मैं आप लोगों को अनुशासित रूप से व्यवहार करने और अपनी शिकायतों के समाधान हेतु किसी प्रकार की आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए बधाई देना चाहूंगा जबकि देश के सभी पुलिस बलों में आन्दोलनकारी गतिविधियां बढ़ रही हैं।"

यह प्रमाणपत्र उन्हें कब दिया गया ? 1979 में जब सब तरफ विद्रोह का वातावरण था। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, बोकारो ने विद्रोह कर दिया था। लेकिन इस अनुशासित बल ने कभी भी विद्रोह नहीं किया है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के आर० पी० एफ० के महानिरीक्षक अच्छी तरह जानते हैं कि इस एसोसिएशन का महासचिव कहां ठहरता है और दिल्ली में कहां उनका निवास स्थान है, फिर भी उनकी सेवा बिना कारण बताओ नोटिस जारी किये ही समाप्त कर दी गई। इसके बावजूद भी उन लोगों ने कोई विद्रोह नहीं किया क्योंकि वह एक बहुत ही अनुशासित बल है। और उन लोगों को इसका क्या पुरस्कार मिला ? वे लोग कोई पैसा नहीं मांग रहे हैं। वे तो महज संविधान की अनुच्छेद 19 (ग) में प्रदत्त एसोसिएशन बनाने की अपना नैसर्गिक अधिकार चाहते हैं।

मुझे माननीय मंत्री का नौकरी पेशा वर्गों के प्रति प्रेम और स्नेह के बारे में पता है। एक बार एक बैठक में जब मैं संगठित श्रम की समस्याओं पर बहस कर रहा था तो उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मैं हमेशा सिर्फ संगठित श्रम की समस्याओं को ही उठाता हूं क्यों नहीं साथ-साथ असंगठित क्षेत्र की समस्याओं से भी जूझता हूं। मुझे उनके कामगारों के प्रति प्रेम, स्नेह और दया की जानकारी है, इसलिए हम इन्तजार कर रहे हैं और कुछ समय तक और इन्तजार करेंगे।

महोदय, आप 1981 से कष्ट झेल रहे उन कामगारों के दुःखों को देखें। वे नौकरी से बाहर हैं। उनमें से कुछ तो भूख से मर भी चुके हैं। मैंने तो कुछेक कर्मचारियों को भीख भी मांगते

[श्री वसुदेव आचार्य]

देखा है। उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है। उन्हें आखिर पैसा कहां से मिलेगा? मैं माननीय मंत्री की मंशा के बारे में जानता हूं। उसने मुझे बताया कि बेचारे श्रमिकों को सर्वोच्च न्यायालय में जाने के लिए मजबूर किया गया था, वह यह नहीं जानते थे। रेल विभाग के पास 30 इंजन खरीदने के लिए 550 से 600 करोड़ रुपये तक की धनराशि है। उनके पास पैसा है और सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं दर्ज करके वे मुकदमे लड़ने के लिए हजारों रुपये खर्च कर सकते हैं हालांकि केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना करना भी उन लक्ष्यों में से एक था।

इस सभा पटल पर कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में मंत्री श्रीमती मार्गरेट अल्वा ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि अगर निर्णय में कोई बड़ा परिवर्तन न हो, तो सरकार वह निर्णय मानेगी। रेल विभाग विशेष अनुमति याचिका दे रहा है। मंत्री महोदय ने मेरी उपस्थिति में आदेश जारी किये कि अगर विशेष अनुमति याचिकायें लम्बित पड़ी हैं या फिर स्वीकृत हो चुकी हैं तो फिर इन याचिकाओं को वापिस लेना पड़ेगा। मुझे इन्तजार करना पड़ेगा और मैं कुछ समय इन्तजार करूंगा। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अफसरशाह मंत्री द्वारा स्पष्ट आदेश जारी करने के बाद भी उसे लागू नहीं कर रहे हैं, मंत्री महोदय की इच्छा को यथार्थ का जामा नहीं पहना रहे हैं। मंत्री महोदय आदेश देते हैं और नौकरशाह उसे रद्द कर देते हैं।

रेलवे सुरक्षा बल जो कि मान्यता प्राप्त है अथवा मान्यता प्राप्त प्रतीत होता है, को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा तथा विश्व बैंक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों की भांति और भी बहुत-सी शर्तें हैं। उनमें से कुछ मैं उद्धृत करता हूं :

(क) एसोसिएशन केवल बल के आम हित के सिवाय किसी भी मामले में कोई प्रतिवेदन अथवा प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजेगा।

(ख) एसोसिएशन बल के सदस्यों की सेवा सम्बन्धी वैयक्तिक मामलों का खुलासा अथवा समर्थन नहीं करेगा।

(ग) एसोसिएशन कोई राजनीतिक कोष नहीं बनाएगा अथवा किसी पार्टी अथवा राजनीतिज्ञों के विचारों के प्रचार के लिए कार्य नहीं करेगा।

ये सभी शर्तें लागू की जा रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मान्यता प्राप्त संघों द्वारा भी इन शर्तों का पालन किया जाता है? मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां संघ द्वारा इनका पालन नहीं किया जाता है तथा जहां मान्यता प्राप्त संघों के सदस्य राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय है लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अगर बोट-क्लब पर संपूर्ण भारत से लाखों मजदूर एकत्रित हों और गैर मान्यता प्राप्त संगठन के सदस्य, मंत्रालयाधीन स्टाफ संगठन, स्टेशन मास्टर संगठन तथा भारतीय रेल कर्मचारी संघ के सदस्य उन मजदूरों के प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए दिल्ली जाने को अनुमति मांगी तो अनुमति नहीं दी गई थी। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे प्रभागीय रेल प्रबंधक से यह पता लगायें कि अनुमति क्यों नहीं दी गई। अनुमति देने के स्थान पर एक बंदिश लगाने वाला आदेश जारी किया गया ताकि

वे श्रमिकों की रैली में न जा सके। रैली राजनीतिक पार्टियों द्वारा नहीं बुलाई गई थी। यहां तक कि भाषण भी किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा नहीं दिया गया था। मंच पर कोई भी राजनीतिक नेता नहीं देखा गया। वह श्रमिक रैली श्रमिकों की जिम्मेदार समिति द्वारा बुलाई गई थी। जब रेल कर्मचारियों ने रैली में जाने की अनुमति मांगी तो अनुमति नहीं दी गई। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे दक्षिण पूर्वोत्तर रेल विभाग के अधीन प्रभागीय रेल प्रबंधक, आगरा से पता लगायें कि अनुमति क्यों नहीं दी गई।

आपातकाल क्या था ? आपातकाल के दौरान कभी-कभी ऐसी कार्यवाही करनी पड़ती थी लेकिन कोई आपात स्थिति नहीं थी अथवा कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। स्थिति सामान्य थी। उसके बावजूद भी कर्मचारियों को हजारों श्रमिकों के उस जलूस में शामिल होने के लिए दिल्ली आना चाहते थे जो उनकी शिकायतें अभिव्यक्त करने के लिए निकाला गया था, शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई।

(घ) रेलवे सुरक्षा बल संघ के सभी प्रतिवेदन उचित माध्यम से दिए जाने चाहिये और सामान्य प्रथा के अनुसार मुख्य सुरक्षा अधिकारी अथवा महाप्रबंधक को सम्बोधित होने चाहिये।

(ङ) आम सभा की वार्षिक बैठक के तुरन्त बाद सदस्यों की सूची कार्यालय के सदस्य, संविधान की अद्यतन प्रति तथा रेलवे सुरक्षा बल संगठन के लेखाओं के लेखापरीक्षित लेखे महाप्रबंधक को दिये जाने चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रख्यापित प्राधिकारियों को समय-समय पर दी जाने वाली इसी प्रकार की पत्रिकाओं की सूची हैं।

(च) रेलवे सुरक्षा बल संघ किसी पत्रिका के प्रकाशन को बन्द कर देगा यदि महाप्रबंधक संगठन को इस आधार पर कि वह प्रकाशन केन्द्रीय सरकार के हितों की विरुद्ध होने पर निर्देश देता है।

(छ) रेलवे सुरक्षा बल संघ किसी संघ-अथवा व्यापार संघ इत्यादि से सम्बद्ध नहीं होगा।

(ज) महा प्रबंधक की पूर्वानुमति के बिना रेलवे सुरक्षा बल संगठन कोई पत्रिका अथवा समाचार प्रकाशित करना शुरू नहीं करेगा।

(झ) अगर बल का कोई सदस्य ऐसा काम करता है जो रेल सेवा संचालन नियमों अथवा रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम या रेलवे सुरक्षा बल नियम 1959 के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो उसमें किसी प्रकार की कार्यवाही अथवा उस कार्य में सहायता नहीं करेगा।

(ञ) रेलवे सुरक्षा बल संगठन को किसी विदेशी प्राधिकारी के साथ किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं रखना चाहिये सिवाय महाप्रबंधक के जिसे ऐसा करने का अधिकार है।

(ट) संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा महाप्रबंधक अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को सम्बोधित पत्र व्यवहार में किसी प्रकार की अनादरपूर्ण अथवा अनुचित भाषा नहीं होनी चाहिये।

(ठ) रेलवे सुरक्षा बल संघ के गठन के सम्बन्ध में कोई महत्वपूर्ण संशोधन केवल महाप्रबंधक

[श्री बसुदेव आचार्य]

की पूर्वानुमति से ही होना चाहिये तथा कम महत्व के अन्य संशोधनों की सूचना उचित माध्यम से महाप्रबन्धक को दी जानी चाहिये ।

इस संगठन को मान्यता प्रदान करते समय अनेक शर्तें रखी गई । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन शर्तों का कभी इस बल संघ संगठन अथवा इस संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा उल्लंघन किया गया हैं । चर्चा का उत्तर देते समय उन्हें इस सम्बन्ध में इस सभा को अवश्य बताना चाहिये । हम जानते हैं कि इस बल ने कभी विरोध नहीं किया । यह बहुत ही अनुशासित संगठन हैं । वे रेल मंत्रालय द्वारा रखी गई सभी शर्तों का पालन कर रहे थे रेलवे सुरक्षा बल के महा निरीक्षक द्वारा 1971 में प्रमाणित तथ्य के अनुसार उन्होंने कभी उल्लंघन नहीं किया तथा शर्तों का पालन न करने पर पुरस्कांर के रूप में उनसे उनका संघ बनाने और उसे चलाने का जन्म सिद्ध अधिकार मौलिक अधिकार छीन लिया गया । महोदय, क्या आप भी इसका समर्थन करते हैं ? तत्काल ही कार्यालय के लिए जो स्थान दिया गया था सील कर दिया गया । जब रेलवे सुरक्षा बल संघ को मान्यता दी गई थी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का एक भाग बहुत खुश था । क्योंकि वे ऐसा वर्षों तक नहीं कर सके थे । उन्होंने पंडित कमलापति त्रिपाठी को, जो इससे सहमत नहीं थे, मनाने का प्रयत्न किया । उन्होंने प्रो० मधु दण्डवते, जो सहमत नहीं थे, राजी करने का प्रयत्न किया वह कैसे सहमत होते ? एक लोकतंत्रवादी कैसे सहमत होता ? व्यक्तिगत रूप से श्री जाफर शरीफ भी सहमत नहीं थे । क्योंकि वह भी एक लोकतंत्रवादी हैं । वह भी किसी व्यक्ति के मूल अधिकार को लोकतांत्रिक अधिकार को छीनना नहीं चाहते । वह भी सहमत नहीं होंगे । कुछ मुश्किलें हैं ? कुछ कठिनाइयां हैं । मुझे उम्मीद हैं कि वह उन सभी कठिनाइयों को पार करने में समर्थ होंगे ।

उन्हें इस सभा को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिये कि पिछले कुछ वर्षों में जो गलत कार्य हुए हैं। उनका पर्दाफाश किया जायेगा । वे जिस न्याय के लिए लड़ रहे हैं उन्हें वह न्याय मिलेगा ।

हालांकि धारा 15 (अ) जोड़ी गई थी परन्तु 1985 में कोई महत्वपूर्ण संशोधन नहीं दिया गया । यदि आप 1957 के अधिनियम तथा 1985 के अधिनियम की तुलना करें तो आपको पता चलेगाकि इस बल को गठित करने का उद्देश्य ही असंशोषित रह गया । क्या अधिनियम में इस प्रकार का कोई परिवर्तन हुआ है जिसमें यह कहां गया हो कि रेलवे सुरक्षा बल संघ के सदस्यों को रेलवे कर्मचारी नहीं मानेगा । वह 1985 के अधिनियम में बहुत स्पष्ट रूप में कहा गया है कि सभी कार्यों के लिए रेल सुरक्षा बल अधिकारी, रेल कर्मचारी है ।

पहले भारतीय रेल विभाग की भांति हमारे यहां लोक सभा सचिवालय में बाच एण्ड वार्ड 'स्टाफ' होता था । रेल मंत्रालय को 1957 के रेलवे सुरक्षा बल की भांति बल होने की जरूरत महसूस होती थी । इसी वजह से एक विधेयक लाया गया और 1957 में पारित किया गया । उसके बाद ही रेलवे सुरक्षा बल अस्तित्व में आया । रेलवे सुरक्षा बल का गठन क्यों किया गया ? यह रेल विभाग की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया । अतः रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए निहित इस बल को सैन्य बल की तरह क्यों समझा जाता है ?

स्वर्गीय डा० राम सुभगसिंह रेल मंत्री भी थे, की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति बनाई गई । इस समिति द्वारा उनकी रिपोर्ट के पैरा 33 के अनुसार एक विधेयक का प्रारूप तैयार

किया गया। आप समिति की सेवा शर्तों के पैराग्राफ (ख) को पढ़ें। उसमें एक शर्त यह थी कि इस समिति द्वारा एक विधेयक का प्रारूप बनाया जाना चाहिये लेकिन वह विधेयक स्वीकृत नहीं हुआ। इस उच्चाधिकार प्राप्त राम सुभग सिंह समिति का क्या विचार था ? उसमें 15 से 21 धारायें हैं। धारा 19 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया राम सुभग समिति का स्पष्ट मत था कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिये विशेष रेलवे सुरक्षा बल को जो अधिकार दिया गया है उसे वापिस नहीं लिया जाना चाहिये। उन्होंने संगठनात्मक ढांचे से संबंधित मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है। समिति ने सिफारिश की कि इस बल को कौन से अधिकार दिये जाने चाहिये। मैंने इस रिपोर्ट को पढ़ा है। इस बल में भारतीय पुलिस सेवा की सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया था परन्तु लागू नहीं किया गया। समिति ने इस बल के सभी पहलुओं पर विचार किया। और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को वर्ष 1959 में जो अधिकार प्रदान किया गया था उसे किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं किया जायेगा तथा उसके लिए सजा इस बल के राजपत्रित अधिकारियों तथा उसी प्रकार के अन्य अपराधों के लिए राज्य पुलिस अधिकारियों के लिए निर्धारित सजाओं से भी अधिक होनी चाहिये।

मैं नहीं जानता कि रेलवे सुरक्षा बल को एक सैन्य बल का दर्जा दिए जाने का क्या औचित्य है। देश में अनेक अर्ध-सैनिक बल हैं। यहां असम राइफल्स, सीमा-सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल भी हैं। ये सभी गृह मंत्रालय के अधीन हैं। मगर रेलवे-सुरक्षा-बल रेल मंत्रालय के अधीन है। अगर इस बल को सैन्य-बल के रूप में माना जाना है तो फिर रेलवे सुरक्षा बल रेल मंत्रालय के अधीन क्यों है।

औद्योगिक सुरक्षा बल को बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था ? औद्योगिक सुरक्षा बल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अगर औद्योगिक सुरक्षा बल का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा करना है तो वे उद्योग मंत्रालय के अधीन क्यों नहीं है, चूंकि वे एक अर्धसैनिक बल हैं, अतः वे गृह मंत्रालय के अधीन है।

कृपया घड़ी की ओर मत देखिए। मैं 6 बजे के बाद भी अपना भाषण जारी रखूंगा। आप 6 बजे के बाद चले जाएंगे और मैं अपनी बात जारी रखूंगा अनेक सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा व्यक्त की है। वास्तव में अनेक दलों के नेताओं ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अपने लिए परेशानी मत खड़ी करें।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण जारी रखें। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अपनी बात को इधर-उधर मत ले जाइये।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : कोई मुझे विषय से भटका नहीं सकता।

मैं औद्योगिक सुरक्षा बल की बात कर रहा था। खर्च औद्योगिक इकाइयों द्वारा वहन किया जाता है। औद्योगिक सुरक्षा बल को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को भेज दिया गया

[श्री बसुदेव आचार्य]

गया है अर्थात औद्योगिक सुरक्षा बल पर आने वाले खर्च को भारत कोकिंग कोल लिमिटेड वहन कर रहा है, लेकिन यह बल गृह मंत्रालय के अधीन है। महोदय, आप जानते हैं कि सीमा सुरक्षा बल एक अर्ध सैनिक बल है और यह विदेश मंत्रालय और यहां तक कि रक्षा मंत्रालय के भी अधीन है बल्कि यह गृह मंत्रालय के अधीन है। लेकिन चूंकि सभी कार्यों के लिए रेलवे सुरक्षा बल के सभी सदस्य रेल विभाग के व्यक्ति ही हैं। इसलिए रेलवे सुरक्षा बल रेल मंत्रालय के ही अधीन है।

प्रतिनियुक्ति के आधार पर आने वाले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों का रेलवे सुरक्षा बल को संविधान के अनुच्छेद 33 में शामिल करने का षड्यंत्र था ताकि अगर उन्हें इस अनुच्छेद के अन्तर्गत लाया जाता तो इसे स्वभावतः सैन्य बल की भांति प्रयुक्त किया जाता। लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया, इसे संविधान (50 वां संशोधन) अधिनियम, 1984 में शामिल नहीं किया गया था। संविधान को संशोधित नहीं किया गया हालांकि इसे निगमित करने और रेलवे सुरक्षा बल को अनुच्छेद 33 में शामिल करने का सुझाव था। ऐसा नहीं किया गया। यहां तक कि राम सुभग समिति ने भी रेलवे सुरक्षा बल को अनुच्छेद 33 में शामिल करने की सिफारिश नहीं की। सरकार द्वारा इसे शामिल करने की जरूरत महसूस क्यों नहीं की गई? क्या उत्तर दिया गया था? संविधान (52वां संशोधन) विधेयक 1984) पर विचार देखे जा सकते हैं।

हम विधेयक का शुरू से ही विरोध कर रहे हैं। मेरे विचार में श्री बंशी लाल उस वक्त परिवहन मंत्री थे। तब वह संयुक्त मंत्रालय था। हमारी आपत्ति पर उनका क्या जवाब था? उसने कहा, "रेलवे सुरक्षा बल 1957 में अस्तित्व में आया। उससे पहले यह रेल विभाग का 'वाच एण्ड वार्ड' विभाग था। वर्ष 1977 में प्रो० मधु दण्डवते वहां थे। वहां कुछ आन्दोलन था।

आन्दोलन क्या था? वह आन्दोलन किस प्रकार का था। एक पर्चा जारी किया गया था लेकिन इस संगठन द्वारा नहीं। एक पर्चा जारी हुआ था। मैं मंत्री महोदय को उस पर्चे की एक प्रति दे सकता हूं। वह पर्चा संगठन द्वारा जारी नहीं किया गया था। एक पर्चा जारी करने का मतलब विद्रोह करना नहीं है।

"जब आप इस संघ का सैन्य बल बना रहे हैं," उसे उस वक्त बताया गया। उसी वक्त उन्हें उनको सभा करने के अधिकार को जारी रखने की अनुमति दे देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने इतना ही कहा, "प्रोफेसर साहब को स्वयं इससे निपटना था। उस समय सन् 1979 में आन्दोलन हुआ था।" वहां किस प्रकार का आन्दोलन हुआ था? मंत्री महोदय हमें इस बारे में बतायें। एक आन्दोलन हुआ था। एक पर्चा जारी किया गया था लेकिन संगठन द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य द्वारा। और तुरन्त ही प्रो० मधु दण्डवते ने इन्कार कर दिया कि उन्हें इस बल द्वारा किए गए किसी आन्दोलन का सामना करना पड़ा था। मंत्री महोदय ने केवल यही कहा था—

> "उस वक्त कोई आन्दोलन हुआ था। लेकिन मैं उसे दोहराना नहीं चाहता; जहां तक उनके रेल कर्मचारी होने की बात है, मैं उनका ध्यान अधिनियम की धारा 10 की ओर दिलाना चाहता हूं।"

अधिनियम की धारा 10 में क्या है अधिनियम की धारा 10 कहती है—

"बल की सदस्य और अधिकारी रेल—कर्मचारी समझे जायें।" (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं जानता हूं कि आप बंगाली भाषा जानते हैं। इसमें कहा गया है—

> "बल के महानिदेशक और प्रत्येक सदस्य को भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 के अनुसार रेल कर्मचारी के रूप में सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।"

अब इसमें और संशोधन कर दिया गया है। मैं रेल विधेयक की संयुक्त चयन समिति का सदस्य था। मुझे उस रेल विधेयक और अधिनियम की प्रत्येक धारा का ज्ञान है। इसे संशोधित किया गया है लेकिन कोई बड़ा संशोधन नहीं किया गया है। इस धारा में कोई संशोधन नहीं हुआ है। इसमें आगे कहा गया है—

> "रेलवे कर्मचारी उक्त अधिनियम के द्वारा और उसके अधीन दी गई शक्तियों को प्रयुक्त करने का अधिकारी होगा।"

अगर ऐसा है, अगर अभी भी इस बल को रेलवे अधिकारियों का रेलवे के सभी उद्देश्यों के लिए, उनके लिए नहीं जो मैं चाहता हूं बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए है, और इसे रेल कर्मचारियों की भांति ही लिया जाता है तो इसे संघ का सैन्य बल नहीं बनाया जा सकता। एक बार प्रश्न उठाया गया था कि उन्हें बोनस दिया जाए या नहीं। वह प्रश्न समाप्त कर दिया गया। अनुग्रह राशि दी गई। एक बार वह प्रश्न वहां उठाया गया था··· (व्यवधान) सारे बल को दोष मत दीजिए। और केवल उसी कारण से जन्मसिद्ध अधिकार, मौलिक अधिकार को वापस नहीं लिया जाना चाहिए··· (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : हम केवल उन्हीं नेताओं पर दोष लगा रहे हैं, जो उनको उकसा रहे हैं··· (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : उनको किसने उकसाया ?··· (व्यवधान) जब वह दूरदर्शन पर दिखाया गया तब वह बहुत अनुशासित थे। उक्त श्री चार्ल्स की पहचान नहीं सका। मैं यह जानना चाहता हूं कि संसद के सम्मुख उठने वाले मामलों जब वह टी०वी० पर दिखाये गये तो वह इतने सरस क्यों लगे। वह चार्ल्स उक्त चार्ल्स से अलग थे जो हम प्रतिदिन सभा पटल पर देखते हैं··· (व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स : मैं वहां यथार्थ रूप में था।

श्री बसुदेव आचार्य : वह दूसरे सदन के अपने सहयोगी श्री नारायण स्वामी की तरह लग रहे थे।

इसमें नई धारा कैसे जोड़ दी गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे औचित्य क्या था ? महोदय अधिनियम संशोधित किया गया था और नियम बनाये गये थे। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने नियमों की जांच की। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की आठवीं लोकसभा की 23वीं रिपोर्ट में क्या सिफारिश थी। मैं रिपोर्ट उद्धृत करता हूं—

> "समिति का यह विचार है कि बल के सदस्यों और अधिकारियों द्वारा एसोसिएशन बनाने के अधिकारों पर लगाई गई पाबंदी उचित नहीं है।"

[श्री बसुदेव आचार्य]

यह सिफारिश लोक सभा की एक अति महत्वपूर्ण समिति अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा की गई थी। उसके बाद भी रेल मंत्रालय द्वारा इसे लागू नहीं किया गया। फिर दुबारा श्री सोमनाथ चटर्जी की अध्यक्षता में विधान सम्बन्धी समिति ने यह विषय लिया। यह फिर इसकी जांच करेगी और रेल मंत्रालय को इसे लागू करने के लिए कहेगी एक अन्य समिति श्री कृपाल सिंह, जो कभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, की अध्यक्षता में बनाई गई, उस समिति ने भी इस बल के सभी पहलुओं की जांच की उस समिति ने कभी भी अपनी रिपोर्ट के पैरा 9,11 के अनुरूप रेलवे सुरक्षा बल को कानून और व्यवस्था सम्बन्धी शक्तियां तथा जिम्मेदारियां देने की सिफारिश नहीं की। एक-के-बाद एक रेल मंत्रालय ने अनेक समितियां बनाईं। इन समितियों ने कभी भी इस मौलिक अधिकार को वापिस लेने की सिफारिश नहीं की। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों कर यह मूलभूत अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ग) द्वारा दिया गया है, वापिस लिया गया है। मेरे विचार रेल मंत्रालय अब बुद्धिमता से काम लेगा और नौकरशाही के इशारों पर नहीं चलेगा। वह पहले अपने इस साहस का प्रदर्शन कर चुका है कि वह विरोध कर सकता है। मेरे विचार में इस माम में भी यह नौकरशाहों की बदनीयती का सामना कर सकता है... (व्यवधान)

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : क्या यह उनकी सराहना है।

श्री बसुदेव आचार्य : हां। वह मेरे अच्छे दोस्त हैं। वह मुझे भली प्रकार से जानते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो उन्होंने कहा है। वह पहले ही कर चुके हैं कि वह अपने कथन का पालन करेंगे। मैं एक महीने तक इंतजार करूंगा और उसके बाद उनके कक्ष के सामने धरने पर बैठ जाऊंगा।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बसुदेव आचार्य : बहुत सी बातें हैं। मैंने बहुत से पाइन्ट इकट्ठे किये हैं।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 30 नवम्बर, 1992/9 अग्रहायण, 1914 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली—110053